दशम माला, खंड 23, अंक 2

मंगलवार, 27 जुलाई 1993
5 श्रावण, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 23 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

PARLIAMENT LIBRARY
51
4794

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 23, सातवां सत्र, 1993/1915 (शक)

अंक 2, मंगलवार, 27 जुलाई, 1993/5 श्रावण, 1915 (शक)

विषय			पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख	...	...	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर			
*तारांकित प्रश्न संख्या : 21 से 25	...	...	2—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर		...	19—250
तारांकित प्रश्न संख्या : 26 से 40	...	...	19—37
अतारांकित प्रश्न संख्या : 231 से 322, 324 से 358, 360 से 369, 371 से 410, और 412 से 460	...	...	37—250
सभा-पटल पर रखे गए पत्र		...	250—251
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति			251—252
कार्य-मंत्रणा समिति			
उनतीसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		...	252—253
मंत्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव		...	253—338
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	...	...	253
श्री पी० चिदम्बरम	...		263
श्री सोमनाथ चटर्जी	...	...	276
श्री पी० सी० चाक्को	...		289

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

विषय			पृष्ठ
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	...	...	297
श्री इब्राहिम सुलेमान सेट	...	...	316
श्री जगदीस टाईटलर	...	...	326
श्री पी० जी० नारायणन	...	...	338

लोक सभा

मंगलवार, 27 जुलाई, 1993/5 श्रावण,, 1915 (शक)

लोक सभा 11.00 म०पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मुझे सभा को अपने दो साथियों श्री एन० एलेक्जेन्डर तथा श्री एम० एल० द्विवेदी के दुःखद निधन की सूचना देनी है ।

श्री एन० एलेक्जैन्डर 1950-52 के दौरान अन्तरिय संसद के सदस्य थे और उन्होंने तत्कालीन ट्रावन कोर-कोचीन राज्य का प्रतिनिधित्व किया ।

वह एक सुविख्यात राजनीतिक और समाज सेवक थे और उन्हें 1930, 1938 ओर 1941 में ट्रावन कोर में जिम्मेदार सरकार के गठन के लिए आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल जाना पड़ा ।

उन्होंने आम जनता में खादी को बढ़ावा देने में गहरी दिलचस्पी दिखाई । उन्होंने छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया । उन्होंने आम जनता में मद्यनिषेध को लोकप्रिय बनाने के लिए भी काफी काम किया ।

उनका देहावसान 84 वर्ष की आयु में 11 जुलाई, 1993 को केरल में मवेलीकारा में हुआ ।

श्री एम० एल० द्विवेदी 1952-67 के दौरान पहली, दूसरी और तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे । इससे पूर्व वह संविधान सभा और अन्तरिम संसद के भी सदस्य रहे ।

व्यवसाय से एक कृषक और वकील श्री द्विवेदी एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे ।

उन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए अनवरत कार्य किया तथा समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

वह एक अनुभवी सांसद थे और विभिन्न संसदीय कार्यकलापों में गहरी दिलचस्पी लेते थे ।

श्री द्विवेदी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे और फोटो ग्राफी और खेलों में उनकी रुचि थी । एक सुप्रतिष्ठित नाटककार और कवि के रूप में उन्होंने "स्वर्गीय विमान" नामक एक हिन्दी नाटक तथा एक हिन्दी काव्य संग्रह 'कविता कुंज' की रचना भी की थी ।

उनका देहावसान 85 वर्ष की आयु में 24 जुलाई, 1993 को नई दिल्ली में हुआ ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा मेरे साथ उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करेगी।

सभा दिवंगत लोगों की स्मृति में सम्मान स्वरूप कुछ समय के लिए मौन खड़ी हो।

11.02 म० पू०

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

11.04 म० पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

गोवा में कोंकण रेल मार्ग

+

*21. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री शरद दिघे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में कोंकण रेल मार्ग विवाद को हल करने के लिए कोई तीन सदस्यीय समिति बनायी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) मूल योजना में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि हुई है और इसके पूरा होने में कितना विलंब होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) एक एक-सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई है।

(ख) भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जी० जे० ओजा, समिति के सदस्य हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह समिति की सिफारिशों, जो कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही उपलब्ध होंगी, पर सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न में इस समिति के संबंध में विवरण मांगा गया है। विवरण में समिति के विचारार्थ विषय भी

शामिल होंगे। लेकिन इन्हें नहीं दिया गया है। मैं नहीं जानता कि क्या मंत्री महोदय हमें इन्हें उपलब्ध कराएंगे। लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय हमें, कम से कम मुझे हो सकता है कि औरों को पहले से इसकी जानकारी हो--इस बात की जानकारी देंगे कि गोवा में जारी हमारे रेल मार्ग निर्धारण (एलाइनमेंट) का वास्तविक कारण क्या है क्योंकि गोआ पारम्परिक रूप से ऐसा स्थान है जो कि हमारे साम्प्रदायिक मैत्री भाव के लिए प्रसिद्ध है।

बहुत लम्बे समय से विभिन्न समुदाय के लोग वहां मैत्री और प्रेम से रह रहे हैं। किन्तु जैसा कि समाचार-पत्रों में मैंने पढ़ा है, कोंकण रेलमार्ग का यह मामला, चाहे यह तटीय रेल मार्ग हो--या आन्तरिक प्रदेश में रेल मार्ग हो—इसमें कुछ भावग्रंथियां काम कर रही हैं—मैं इन्हें साम्प्रदायिक भावनायें कह सकता हूं। और यदि इन्हें बढ़ने दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। रेल का अभिप्राय है विकास, प्रगति, रोजगार के नए अवसर सृजन करना और नई लाइनें बिछाने आदि से होता है। तो यह ऐसा क्यों हो रहा है और इस विवाद का क्या कारण है? क्या आप सभा को बताएंगे?

रेल मंत्री श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, जो अभी माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा, वह बिलकुल ठीक है कि इस प्रकार की भावनाएं पैदा की जा रही हैं जो बहुत गलत हैं। वास्तव में जैसा कि सभी जानते हैं, रेलवे सम्पूर्ण देश को जोड़ता है, देश के लोगों को जोड़ता है और लोगों को अलग नहीं करता। वास्तव में गोआ में समस्या इस लाइन के पर्यावरण पहलू को लेकर शुरू हुई थी। कोंकण रेलवे ने जो निर्णय लिया है उससे पर्यावरण से संबंधित कुछ समस्या पैदा होंगी, मामला पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया है। मंत्रालय ने इस विषय पर विचार किया है। और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति इस मार्ग निर्धारण से सहमत थी जो कोंकण रेल नियुक्त द्वारा रिक्त की गई थी। किन्तु इसके बाद भी इससे लोग संतुष्ट नहीं हुए। इससे पहले जब ये प्रश्न उठे थे मैंने एक वरिष्ठ इंजीनियर, श्री मेनेजीस जो कि रक्षा उत्पादन सचिव थे और एक प्रख्यात इंजीनियर के रूप में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी रहे थे और ईसाई सम्प्रदाय से सम्बन्धित हैं, को लेकर एक सदस्य समिति नियुक्त की थी। उन्होंने सारे मामले को देखा था और कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया था जिन्हें कोंकण रेल निगम ने स्वीकार किया था। तब भी सब इससे संतुष्ट नहीं थे। रेल मार्ग के विरोधियों ने कहा कि वह उनका पक्ष ले रहे हैं तथा अन्य कई बातें कही गईं। इसके उद्देश्य उन्हें बताए गए थे।

इसके परिणाम स्वरूप, इन सब प्रश्नों को खत्म करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए गोआ की जनता में, चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय की हो, अविश्वास की भावना या कोई शंका पैदा नहीं हो, एक न्यायिक व्यक्ति से विचार किया गया था। अतः उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी० जे० ओझा को नियुक्त किया गया। उन्हें लगभग एक माह का समय दिया गया ताकि जनता को लगे कि निष्पक्ष अध्ययन करके सिफारिशें की गई हैं।

आपने विचारार्थ विषयों के बारे में पूछा था, वे हैं :

(एक) कोंकण रेलवे के लिए उचित रेलमार्ग का निर्णय लेने के लिए जहां तक यह गोआ में (मायेन--बाली पड़ता है, निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष रूप से विचार किया गया है :

(क) नदीमुख, खजान भूमि क्षेत्र और वन क्षेत्रों, दोनों की दृष्टि से पारिस्थितकी पर प्रभाव;

(ख) मानव बस्तियों को कम से कम क्षति पहुंचाने की आवश्यकता;

(ग) ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर कम से कम पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम रखने की आवश्यकता;

(घ) राज्य को अधिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करना;

(ङ) तकनीकी व्यवहार्यता;

(च) अभी तक किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक किफायती लागत और में समय।

(छ) स्थान का दौरा;

(ज) दुखी व्यक्तियों के प्रतिनिधियों से मिलना और उन्हें सुनना और उपर्युक्त संबंध उनके विचार;

इस समिति को ये विचारार्थ विषय सौंपे गए थे। यह भी कहा गया था :

(दो) कि अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले समिति इस विषय में किए गए पिछले अध्ययनों पर भी विचार करेगी।

(तीन) समिति सरकार से उचित कार्यवाही करने की भी सिफारिश करेगी।

(चार) समिति अपने नियमों और प्रक्रियाओं का निर्धारण स्वयं करेगी और उसे किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसे वह अपने कार्य में सहायता करने के लिए उचित समझे, सहयोजित करने का अधिकार होगा। यह दस्तावेज है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं माननीय सदस्य के उत्तर का अंतिम भाग सुनने में मैं असमर्थ रहा। मुझे कुछ कम सुनाई देता है और वैसे भा० ज० पा० के मित्र सहयोग नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि विचारार्थ विषयों से मुझे समझ में आया है यह न्यायिक मामला नहीं है। मैं सेवा निवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का आदर करता हूं लेकिन उन्हें इस विश्व के सभी विषयों का पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए जिन, विभिन्न तथ्यों पर आपने उन्हें विचार करने के लिये कहा है, यह एक कठिन कार्य है। इसी बीच, मुझे बताया गया है कि प्रधान मंत्री के अनुमोदन पर कार्य स्थगित किया जा रहा है। इसलिए मैंने 3-4 माह पहले यह सुझाव देते हुए कि प्रधान मंत्री को जो पुनः रेल मार्ग बनाने के पक्ष में हैं भी पत्र लिखा था कि उन्हें गोल-मेज चर्चा के लिए बुलाया जाए और केन्द्रीय सरकार को दिल्ली में परामर्श कर किसी एक निर्णय पर पहुंचना चाहिए। स्पष्टतया इसे स्वीकृति नहीं मिली क्योंकि उन्होंने एक न्यायाधीश के आयोग को प्राथमिकता दी। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा कि जहां तक इस समस्या के वित्तीय पक्ष का संबंध है इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है। यह कहां तक सच है कि काम अब रुक गया है क्योंकि आपने विभिन्न लोगों से सम्पर्क किया है और वे अपने लिए भुगतान की मांग करेंगे और अंततः आपके विचार से बढ़ी हुई लागत कितनी होगी।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, इस विशेष क्षेत्र में अभी तक गोआ में अनुमोदित रेल मार्ग पर लगभग 47 करोड़ रुपये खर्च किया गया है।

यही हुई लागत के बारे में, हम अभी कुछ भी कहने में असमर्थ हैं क्योंकि यह सिफारिशों पर

निर्भर करता है और यदि ऐसी कोई चीज है जिस पर विचार किया जाना है तो वह रिपोर्ट के उपलब्ध होने पर तब पता चलेगा जब सरकार इस प्रश्न पर विचार करने में समर्थ होगी। आपकी जानकारी के लिए मैं इस बात से सहमत हूं कि केई न्यायिक सदस्य स्वयं सब कुछ करने में समर्थ नहीं होगा लेकिन उसे उसके काम में तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा सहायता दी जा रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पर्यावरण विशेषज्ञ की राय।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : वह किसी को भी चुनने और पर्यावरणीय राय सहित किसी के विचार जानने के लिए पूर्ण रूप से मुक्त है।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, आरम्भ में मैं स्पष्ट करूंगा कि ओझा आयोग द्वारा दी गई प्रगति का उल्लेख करते हुए मेरा प्रश्न इस तीन-सदस्यीय आयोग तक ही सीमित नहीं है। यह स्पष्टीकरण आवश्यक है क्योंकि महाराष्ट्र से सदस्य के रूप में मैं सही-सही यह जानने की आशा करता हूं कि मामला ओझा आयोग को सौंपा गया है, न कि तीन-सदस्यीय समिति को।

महोदय, जहां तक अनुपूरक प्रश्न का सम्बन्ध है, यह सच है कि ओझा आयोग इन सभी प्रश्नों पर विचार कर रहा है। लेकिन क्या सरकार ने इस पहलू पर विचार किया है कि कोंकण रेल निगम ने इस बात को लेकर गम्भीर आशंका व्यक्त की है कि इस समय गोवा में, कोंकण रेल मार्ग पर पुनः लाईन बिछाने से न केवल पूर्ण परियोजना में 2½ वर्ष का विलम्ब होगा, बल्कि यह पूर्व अव्यवहार्य हो जाएगी और निगम को पूर्णतः समाप्त करना पड़ेगा। क्या सरकार ने इस पहलू पर विचार किया हैं? मूल मार्ग चार राज्यों, अर्थात् महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल चार राज्यों के मुख्य मत्रियों की बैठक में निश्चित किया गया था। मार्ग के सभी मुख्य मंत्रियों द्वारा अनुमोदित किया गया था और इस परियोजना पर हस्ताक्षर किये गये थे। और अब इस लाइन को बिछाने पर विचार किया जा रहा है। इसलिए क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि इस रेल मार्ग के पुनः निर्धारण पर आने वाली अतिरिक्त लागत और अभी तक किये गए निवेष पर अधिक ब्याज को कौन वहन करेगा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही ओझा समिति के सम्मुख शपथ-पत्र रख दिया है कि यदि रेल मार्ग पुनः निर्धारित किया जाता है तो वे कोई अतिरिक्त लागत वहन नहीं करेंगे?

दूसरी बात यदि यह विवाद लम्बे समय तक चलता है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार गोवा के रेल मार्ग पर विचार किए बगैर महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में रेल मार्गों को पूरा करने का निर्णय लेगी।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, सबसे पहली बात यह है कि यह तीन सदस्यीय समिति नहीं है बल्कि न्यायाधीश जी०जे० ओझा वाली एक सदस्यीय समिति है तथा उन्हें तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त है। दूसरे जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है निःसंदेह यह कोंकण रेलवे निगम का विचार है कि यदि इसमें विलम्ब होता है तो परियोजना प्रभावित होगी और यह आर्थिक रूप से अर्थक्षम नहीं रह पायेगी। इस परियोजना के साथ, किसी और समस्या से अधिक धन की समस्या है। जब पी० ओ० टी० अवधारणा पर यह परियोजना तैयार की गई थी तो जैसा कि सदस्य ने ठीक ही है, सभी राज्य सरकार सहमत हो गई थीं और परियोजना को शुरू किया गया था। अतः प्रश्न धन की व्यवस्था करने का है और जहां राज्य सरकार और केन्द्र सरकार समानता के आधार पर भाग ले रही हों तो यह एक काफी कठिन बात हो जाती है। पहले जिस भी इक्वीटी शेयर पर सहमति हुई थी अब उसे आंशिक रूप से छोड़ दिया गया है और कार्य चल रहा है। हाल में, जब मैंने सभी संबंधित

राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक की तो वे इक्वीटी शेयर में और वृद्धि करने पर सहमत हुए। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने मजाक में यह कहा था, गंभीरतापूर्वक नहीं, कि वे और अधिक धन नहीं दे सकेंगे। (व्यवधान)

श्री शरद दिघे : उन्होंने इसे काफी गंभीरता से कहा और शपथपत्र भी है। (व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : एक अच्छे मित्र के रूप में मैंने इसे उतनी गम्भीरता से नहीं लिया है।

श्री शरद दिघे : महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने महाराष्ट्र के सभी संसद सदस्यों को दूसरे दिन गम्भीरतापूर्वक कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस परियोजना में और अधिक खर्च का भार नहीं उठाने जा रही है और इस बात को रेल मंत्री तक पहुंचाने के लिए कहा।

श्री राम नाईक : यही बात शपथ पत्र में भी कही गई है। (व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : सरकार को समस्याओं की पूरी जानकारी है। इसीलिए न्यायाधीश ओझा समिति को सिर्फ एक महीने का समय दिया गया है और यह समय भी समाप्त हो गया है।

मैं समझता हूं कि वह सिर्फ एक ही दौरा करने जा रहे हैं और अपना प्रतिवेदन जरूर पूरा कर देंगे। अत: उसमें कोई विलम्ब नहीं होगा दूसरे क्षेत्र में काम जारी रखा जा रहा है। समस्या संसाधनों की है।

श्री राम नाईक : उत्तर में उन्होंने कहा कि यह समिति की सिफारिश पर सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा जो बाद में प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर ही उपलब्ध होगा। विचारणीय विषयों के अनुसार जिसकी एक प्रति मेरे पास है, इस विषय पर जनता के अभ्यावेदन के मद्देनजर भारत सरकार ने अन्तिम निर्णय के लिये इस मामले को उच्च शक्ति प्राप्त समिति को भेजने का निर्णय लिया है। यह दिनांक 3 जून का सरकार का संकल्प है। जब आपने इस अन्तिम निर्णय के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति को दे दिया है तो क्या आप इस निर्णय को अन्तिम निर्णय के रूप में स्वीकार करने जा रहे हैं अथवा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद आप इसे बदलने जा रहे हैं? मैं यह जानना चाहता हूं क्योंकि विचारणीय विषय में तथा मंत्री ने जो उत्तर दिया है उसमें यह बिल्कुल भिन्न है।

यह अधिसूचना 3 जून की है। आज 27 जुलाई है। समिति को सिर्फ एक महीने का समय दिया गया था। इतना समय लग गया है। विलंब के बारे में मंत्री महोदय को क्या कहना है?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : ऐसा कोई विलंब नहीं हुआ है। आपको पता है वहां मानसून की भी स्थिति है। माननीय सदस्य श्री राम नाईक जानते हैं कि चार राज्यों के लोगों की इस रेल पटरी में पूरी रुचि है। जैसा कि उन्होंने ठीक ही कहा है यह अन्तिम सिफारिश है। सरकार अधिक या कोई और सिफारिश स्वीकार नहीं करेगी। एक बार जो भी सिफारिश आ गई, वह अन्तिम होगी। उसके बाद कुछ नहीं होगा।

ओझा समिति ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। मुझे विश्वास है उन्हें कुछ अभ्यावेदनों को सुनना है। वे व्यक्तिगत रूप से जहां जा रहे हैं। वह पहले ही वहां चले गये हैं। इस बार वे कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे, जिन्हें अभी भी कुछ समस्याएं बतानी हैं। उसके पश्चात् हमारा विचार है कि दस सितम्बर तक हमें उनका प्रतिवेदन मिल जायेगा।

श्री सुधीर सावंत : वास्तव में यह परियोजना एक गलत पूर्वोदाहरण से शुरू हुई है। एक पूर्वोदाहरण यह बनाया गया कि प्रारम्भ में जब यह सहमति हुई कि इस परियोजना के खर्च के एक भाग से वहन करने के लिए राज्य सरकार एक किस्त देगी, अब राज्य सरकार को दूसरी और तीसरी किस्त देने को कहा गया है। अब वे चौथी किस्त की मांग करेंगे, काम बन्द हो गया है। शिकायतें की जा रही हैं। एक समिति स्थापित की गई; दूसरी समिति स्थापित की गई। प्रतिवेदन दे दिया गया। कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब लागत 400 करोड़ रु० है। यह वृद्धि काम बन्द होने के कारण हुई है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि विलंब के कारण हुए खर्च को पूरी तरह गोवा सरकार उठाएगी या केन्द्र सरकार या फिर अपनी कोई गलती न होने के कारण भी इस खर्च का भुगतान अन्य राज्य सरकारों को भी करना होगा ?

वे कब यह स्पष्ट आश्वासन देने जा रहे हैं कि काम इस तारीख को शुरू किया जायेगा, क्या मंत्री महोदय ऐसा आश्वासन दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने फिर कहा है कि प्रतिवेदन के आ जाने पर कुछ अन्य प्रकार के आन्दोलन शुरू होंगे जिसे कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी प्रकार के और आगे जांच का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह अन्तिम सिफारिश है। जहां तक खर्च बांटने का सम्बन्ध है यह समानुपातिक रूप से इक्विटी पर आधारित है और यह किसी राज्य विशेष पर कोई बोझ डालने नहीं जा रहा है। वे अपने अनुपात से हिस्सा देते हैं। रेल मन्त्रालय भी अपने इक्विटी से भाग ले रही है। इसके अतिरिक्त, और कुछ नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

+

*22. **श्री बारे लाल जाटव** :
श्री नीतीश कुमार :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति तैयार करने हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों तथा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (च) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी परामर्शदात्री परिषद द्वारा 21 मार्च, 1993 को हुई 15वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने हेतु सिफारिशें करने के लिए तीन राज्यों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रभारी मंत्रियों की एक समिति गठित की गई थी। शुरू में समिति को अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देने के लिए 30 अप्रैल, 1993 तक का समय दिया गया था। तथापि, समिति इस अवधि के दौरान अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी क्योंकि वह परामर्श और विचार-विमर्श करने का अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी थी। समिति द्वारा और समयावधि बढ़ाने के अनुरोध पर सरकार ने समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु 30 जुलाई, 1993 तक का समय मंजूर किया है। समिति ने अपने परामर्शों के बारे में ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री बारे लाल जाटव : अध्यक्ष जी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में एक नीति निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति घोषित की थी जिसको अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल, 1993 तक देनी थी, लेकिन किसी कारण समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकी और रिपोर्ट देने का कार्यकाल 30 जुलाई, 1993 तक निर्धारित किया गया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी के ध्यान में यह बात है कि 15 अगस्त को प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि देश के अत्यन्त पिछड़े 117 ब्लॉकों में विशेष छूट देकर उचित दर की वस्तुएं लोगों को मुहैया कराई जायेंगी ? इसी प्रकार क्या अन्य राज्यों में जहां हर वर्ष सूखा पड़ता है जैसे मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों जहां अक्सर सूखा पड़ता रहता है इसी प्रकार की छूट देने और ऐसे क्षेत्रों को आइडेंटीफाई करने का विचार है ? यदि हां, तो क्या इस दृष्टि से विभिन्न राज्यों में पिछड़े इलाकों का सर्वे किया गया है, यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार के क्षेत्रों का पता लगाने का विचार है और पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग के लोगों को उचित दर की दुकानों से मुहैया कराई जाने वाली वस्तुओं पर केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसिडी पर कितना राजस्व व्यय किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है ?

श्री बारे लाल जाटव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि उच्च वर्ग के लोगों को सार्वजनिक प्रणाली से बाहर करने का कोई विचार है, यदि हां, तो उसके क्या मापदण्ड है ?

[अनुवाद]

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री (श्री ए० के० एंटनी) : सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद की 15वीं बैठक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाने की विस्तार से जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति गठित की है। दुर्भाग्यवश, यह समिति अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी। अब उन्हें 30 जुलाई तक का समय दिया गया है।

सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उसका दूसरा पहलू क्षेत्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। जनवरी 1992 से पूरे देश में एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है जिसे क्षेत्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। राज्य सरकारों की सलाह से केन्द्रीय सरकार ने क्षेत्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्र

के लिए पहले ही 1752 प्रखंडों का चुनाव किया है। इसमें मुख्यतया जनजाति बहुल क्षेत्र, सूखा प्रभाव क्षेत्र तथा एकीकृत विकास क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में 50 रु० प्रतिक्विंटल कम दर पर खाद्यान्न सप्लाई किए जाते हैं।

अधिक क्षेत्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रखंडों को शामिल करने के बारे में हमारे विचार खुले हैं परन्तु यह सरकार के वित्तीय संसाधनों पर भी निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्री बारे लाल जाटव : अध्यक्ष महोदय, म० प्र० में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सी उचित दर की दुकानों के लाईसेंसों को रद्द करके अपने लोगों को कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर दिया, क्या इस बारे में सरकार को कोई जानकारी है ? यदि है तो सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर इसी प्रकार से कोआपरेटिव बनाकर लाईसेंस देने का विचार है ? यदि नहीं तो क्या म० प्र० में पूर्व प्रणाली के तहत जो लाईसेंस दिये गये थे उन्हें रद्द करने का विचार है ?

[अनुवाद]

श्री ए० के० एन्टनी : केन्द्रीय सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राजनीतिकरण के बारे में मध्य प्रदेश से काफी शिकायतें मिली हैं, लेकिन हमारी एक समस्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करना राज्य सरकारों का दायित्व है। पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक संयुक्त कार्य है··· (व्यवधान)सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों की खरीद भंडारण तथा वितरण का दायित्व केन्द्र सरकार का है। उचित मूल्य की दुकान का चयन तथा क्रियान्वयन संबंधी अन्य पहलू पूर्णतया राज्य सरकार का दायित्व है। फिलहाल हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं।

हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी इस सवाल को उठाया था और उस समय जो सवाल माननीय सदस्यों ने उठाए थे उनके ऊपर सरकार की तरफ से कोई अनुपालन नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय कमेटी की रिपोर्ट देने की अवधि बढ़ा दी गई 30 जुलाई तक, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है।

उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए और दुर्भाग्य की स्थिति है कि कुछ लोगों को पी० डी० एस० के दायरे से बाहर निकालने की बात सरकार कर रही है। हकीकत यह है कि पिछले वर्षों में ऑफ-टेक घटा है लेकिन सबसिडी की राशि बढ़ती जा रही है। इसका कारण भ्रष्टाचार है। हम आ के माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहते हैं कि पी० डी० एस० सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, जो खराब क्वालिटी का अनाज दिया जा रहा और देहाती इलाकों में जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को जरूरत की चीजें नहीं मिल रही हैं, दिल्ली जैसे शहरों में भी नहीं मिल रही हैं, इसको दुरुस्त कराने के लिए सरकार कौन सी व्यवस्था कराना चाहती है ? इन्होंने खुद दिल्ली के इलाकों का दौरा किया और कहा फूड आर्टिकल सब स्टैंडर्ड है, इसको 24 घण्टे के अन्दर बदल दो लेकिन 35 दिन के बाद भी नहीं बदला गया। इस पर सरकार क्या कहना चाहती है।

[अनुवाद]

श्री ए० के० एन्टनी : केन्द्रीय सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है। फिलहाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में हमारे विचार स्वतन्त्र हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त करने से किसी वर्ग को हटाने के बारे में हमारे कोई निश्चित विचार नहीं हैं। ज्योंही हमें समिति का प्रतिवेदन मिलेगा तभी सरकार इस प्रश्न पर निर्णय लेगी।

गुणवत्ता सम्बन्धी शिकायत के बारे में मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि सार्वजनिक वितरण के माध्यम से बेची जाने वाली मदों को खराब गुणवत्ता के बारे में सभी राज्यों से सनेक शिकायतें मिली हैं। परन्तु समस्या यह है कि केन्द्रीय सरकार सिर्फ खरीद तथा वितरण के बारे में जिम्मेवार है। उसके बाद उचित मूल्य की दुकान और अन्य बातों की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। परन्तु राज्य सरकारों को मदद देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने आप सबके सहयोग से पुनः आवश्यक वस्तु अधिनियम के परिचालन पांच वर्षों के लिए और बढ़ाया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा चोरबाजारी निवारक अधिनियम तथा समान अधिनियमों से राज्य सरकारें उन सभी व्यक्तियों को दंड दे सकती है जो चोरबाजारी तथा अच्छी गुणवत्ता और खराब गुणवत्ता की वस्तुओं की मिलावट करने में लगे हैं। मैं आपकी समस्या को समझता हूं। मैं उन सभी राज्य सरकारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कदाचारों में संलग्न व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने दिल्ली के बारे में पूछा है। कृपया उसका उत्तर दें।

श्री ए० के० एन्टनी : यह दिल्ली पर भी लागू है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इनका आदेश था कि 24 घंटे में बदल दो लेकिन 35 दिन में भी। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न राष्ट्रीय नीति के बारे में है।

श्री नोकनाथ चौधरी : सरकार ने समिति से अपना प्रतिवेदन देने के लिए कहा है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने समिति को ऐसा कोई प्रसंग भेजा है जिसमें उन्हें किस-किस क्षेत्र में अपना विचार देना चाहिए। दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या विश्व बैंक ने भारत को सुझाव दिया है कि भारत सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अपना दबाव कम करना चाहिए। इस बात पर हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ए० के० एन्टनी : सरकार ने समिति को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है। सा० वि० प्रणाली सम्बन्धी परामर्शदात्री परिषद की 15वीं बैठक हाल में हुई थी और सभी राज्यों के प्रतिनिधि इसमें आए थे। उस परिषद की बैठक में इस समिति के गठन के बारे में एक संकल्प एकमत से स्वीकार किया गया था। यह निर्णय लिया गया कि यह समिति सा० वि० प्रणाली सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति तैयार करेगी तथा देश के जरूरतमन्द तथा आम लोगों को खाद्यान्नों के अधिक तथा वास्तविक आवंटन में वृद्धि के तरीके का भी सुझाव देगी। समस्या यह है कि यद्यपि हम राज-सहायता के माध्यम से हजारों करोड़

रु० खर्च कर रहे हैं पर हम सिर्फ 180-190 लाख टन खाद्यान्न ही वितरित कर रहे हैं। वास्तव में यह सा० वि० प्रणाली सिर्फ लोगों की 12 से 15 प्रतिशत आवश्यकता को पूरा कर रही है।

यह काफी नहीं है अतः काफी विचार विमर्श के पश्चात् सा० वि० प्रणाली सम्बन्धी परामर्शदात्री परिषद ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आवश्यकता के 12 से 15 प्रतिशत वितरित करने के बजाय जरूरतमंद तथा सामान्यजन को अधिक मात्रा दी जानी चाहिए। इसका एक समाधान ढूंढने के लिए न कि किसी को अलग करने के लिए हमने यह समिति गठित की है।

अन्य प्रश्न के बारे में मैं माननीय सदस्य तथा सभा को भी यह सूचित करना चाहूंगा कि यह सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रति वचनबद्ध है। हम जब तक यहां हैं सा० वि० प्रणाली को सुदृढ़ करेंगे। सा० वि० प्रणाली को कमजोर करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जो भी व्यक्ति जिस किसी भी क्षेत्र से सा० वि० प्रणाली को कमजोर बनाने के बारे में कोई भी सलाह देता है तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि यह सरकार उसमें भागीदार नहीं होगी।

गेहूं के भण्डारण के लिए गोदामों की सुविधाएं

*23 **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जून, 1993 के "टाइम्स ऑफ इंडिया' में "व्हीट स्टाक्स माउंट इन पंजाब" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब में बीस लाख टन और हरियाणा में लगभग 6 लाख टन गेहूं गोदामों की कमी के कारण खुले में चबूतरों पर ढक कर रखा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों में गेहूं के भण्डारण हेतु पर्याप्त गोदाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। समाचार की विषयवस्तु कुल मिलाकर सही है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा कैप भण्डारण एक मान्यता प्राप्त भण्डारण व्यवस्था है और पंजाब और हरियाणा में प्रत्येक वर्ष वसूली मौसम के दौरान जब कभी आवश्यकता पड़ती है तब इस व्यवस्था का नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम के पास जब कभी ढके हुए गोदाम की अचानक पैदा हुई अतिरिक्त जरूरत से कम गोदाम उपलब्ध हुए तब तदुपरांत भी उपभोक्ता क्षेत्रों में कैप भण्डारण में स्टाक रखा गया है।

(ग) वसूली मौसम के दौरान जब कभी आवश्यकता होती है अतिरिक्त क्षमता किराए पर ली जाती है। 1-4-1993 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास पंजाब में 49.53 लाख मीटरी टन और हरियाणा में 14.00 लाख मीटरी टन की कुल क्षमता थी। वसूली मौसम के दौरान 30 मई, 1993 तक भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब में 4.94 लाख मीटरी टन और हरियाणा में 0.58 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता किराए पर ली थी।

श्री आर० जीवरत्नम : महोदय, इस समय भारतीय खाद्य निगम की कुल गोदामों में से आधे केवल पंजाब और हरियाणा में है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि भारतीय खाद्य निगम (भा०खा०नि०)

के गोदाम तमिलनाडु में भी बनाये जाते हैं तो खाद्यान्न केरल, कर्नाटक, पांडिचेरी को भी भेजे जा सकते हैं।

श्री कल्पनाथ राय : गेहूं और चावल की खरीद सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब में है। इस साल हमने रिकार्ड खरीद अर्थात् 10 लाख टन की खरीद है। इस समय दो तरह के गोदाम हैं—ढके हुये गोदाम और "कैप" गोदाम। जो उपभोक्ता राज्य हैं, अनाज उन उपभोक्ता राज्यों को भेजे जाते हैं और वहां पर हम "कैप" गोदामों और ढके हुये गोदामों के लिये व्यवस्था कर रहे हैं और वहां पर अतिरिक्त क्षमता भी बढ़ाई जा रही हैं।

श्री आर० जीवरत्नम : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि भा० खा० नि० के आधे गोदाम पंजाब और हरियाणा में है। मैं कहना चाहता हूं कि आप भा० खा० नि० की भण्डार सुविधा की व्यवस्था तमिलनाडु में क्यों नहीं करना चाहते हैं। अराकोणम में एक छोटा-सा गोदाम है। मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या वे वहां पर 5 लाख ट. क्षमता वाले एक गोदाम का निर्माण करवायेंगे।

श्री कल्पनाथ राय : आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षमता वृद्धि के लिये 286 करोड़ रु० आबंटित किये गये हैं और हम तमिलनाडु में भी गोदामों का निर्माण कराने पर ध्यान देंगे।

श्री तारा सिंह : मैं मंत्री महोदय, से जानना चाहता हूं कि क्या विभाग कृषि मंत्रालय योजना 1978-79 के अन्तर्गत भा० खा० नि० के लिये निर्मित गोदामों को नहीं रखना चाहती है। क्या गोदामों के किरायों में कमी करने की कोई नीति है जिससे मालिकों में कोई रोष व्याप्त हो और वे गोदामों को किराये पर देने से मना कर दें। क्या यह खाद्यान्नों को खुले में रखने की नीति है ताकि वर्षा के मौसम में नमी के कारण उसके वजन में वृद्धि हो जाये और विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को लाभ हो।

श्री कल्पनाथ राय : पंजाब और हरियाणा में हमने गोदामों का निर्माण किया है और 70 प्रतिशत खाद्यान्न ढके हुए गोदामों में रखे जाते हैं और 30 प्रतिशत खाद्यान्न 'कैप' व्यवस्था के अन्तर्गत हैं। यह भी एक वैज्ञानिक भण्डार व्यवस्था है और नीति एक वैज्ञानिक नीति है और यह जारी है। सरकार अतिरिक्त क्षमता बनाने का प्रयास कर रही है। परन्तु पंजाब मूलत: खरीद का राज्य है और हमें खाद्यान्न को पंजाब से नागालैण्ड, असम, तमिलनाडु और कर्नाटक भेजना होता है। अत: उन राज्यों में गोदामों की जरूरत है जिन्हें खाद्यान्न भेजना होता है।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : मैं मंत्री महोदय का ध्यान "प्राबलम आफ प्लेन्टी रिगार्डिंग व्हीट" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाना चाहूंगा। गोदामों की सुविधा अपर्याप्त है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि गैर गेहूं उत्पादन राज्यों में स्थित आटा मिलों में कुल क्षमता का केवल 50 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है और कुछ आटा मिलें बन्द भी हो गई हैं।

अत: मंत्रालय जो धनराशि किराये के गोदामों पर खर्च कर रहा है वह उसे गैर गेहूं खरीद क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था के लिए राज सहायता देने में खर्च पर करेगी ताकि मिलें चालू रहें और रोजगार सुलभ होता रहे इससे अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न ज्यादातर रेल द्वारा भेजा जाता है, कभी-कभी ट्रकों और सड़क परिवहन द्वारा भी भेजा जाता है। तमिलनाडु सरकार को जितने गेहूं की आवश्यकता होगी, वह···(व्यवधान)

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या गैर गेहूं उत्पादन राज्यों को परिवहन राजसहायता दी जायेगी ।

श्री कल्पनाथ राय : भा० खा० नि० द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में क्या स्थिति है । ये सुविधायें जारी हैं ।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : परिवहन राजसहायता सुविधाओं से भिन्न है ।

श्री कल्पनाथ राय : केन्द्रीय सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं, वे जारी रहेंगी और अन्य सुविधाओं के बारे में सरकार विचार करेगी ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय परीक्षा सेवा

+

*24. **श्री सत्य देव सिंह**
श्री बृज भूषण शरण सिंह

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत "राष्ट्रीय परीक्षा सेवा" बनाने की कोई योजना है;

(ख) क्या इसे लागू कर दिया गया है;

(ग) क्या "राष्ट्रीय परीक्षा सेवा" के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई० आई० टी०) की सयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि उक्त परीक्षा में होने वाली विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से बचा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 में यह परिकल्पना की गई है कि चुनिन्दा क्षेत्रों में नौकरियों को डिग्रियों से अलग करने, विशेषकर उन सेवाओं में, जिसके लिए विश्वविद्यालय की डिग्री एक आवश्यक योग्यता के रूप में जरूरी नहीं है, की शुरूआत की जायेगी । इसमें आगे यह भी परिकल्पना की गई है कि नौकरियों को डिग्रियों से अलग करने के साथ-साथ स्वैच्छिक आधार पर विशिष्ट रोजगारों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करने की जांच करने और देश भर में समतुल्य योग्यताओं के मानदण्ड विकसित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने के वास्ते उपयुक्त चरणों में एक उचित मशीनरी अर्थात् एक राष्ट्रीय परीक्षा सेवा स्थापित की जाएगी ।

इस प्रयोजनार्थ एक सोसाइटी का पंजीकरण करके इस योजना को संचालित करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है ।

(ग) और (घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और प्रौद्योगिक संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए प्रति वर्ष संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे० ई० ई०) आयोजित की जाती है ।

ऐसा वर्षों से किया जा रहा है और परीक्षा के आयोजन के दौरान अथवा मूल्यांकन की प्रक्रिया में, जहां भी आवश्यक हो, किसी प्रकार की असंगति/कमियों को दूर करने का ध्यान रखा जाता है। राष्ट्रीय परीक्षा सेवा अथवा किसी अन्य तन्त्र द्वारा यह परीक्षा आयोजित कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्य देव सिंह : अध्यक्ष जी, आज देश की शिक्षा नीति और शिक्षा के लिए जो परीक्षा की व्यवस्था है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस ढंग से जबाब दिया गया है, उससे यह बिल्कुल अस्पष्ट है कि सरकार की जो नेशनल पालिसी ओन एजूकेशन, 1986 की है, वह सिर्फ कागजों तक और शब्दों तक सीमित हो गई है। परीक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए आपने अपनी पालिसी में कुछ बातों को कहा है। आपने कहा है कि एग्जामिनेशन सिस्टम में परिवर्तन होगा, पाठ्यक्रमों में परिवर्तन होगा और उसके असेसमेंट की नई विद्या, नई व्यवस्था बनाई जायेगी लेकिन आपने जो उत्तर दिया है, उससे यह बात कहीं स्पष्ट नहीं है कि आपकी नीति क्या है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपना प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरे प्रश्न का "क" पार्ट है कि आपने ऐसे कौन से चुनिंदा क्षेत्र आईडैंटीफाई किये हैं, जहां आप नौकरियों को डिग्रियों से अलग (डीलिंकिंग आफ डिग्रीज) करने की बात सोचते हैं?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं, इसी में आपने आगे कहा है कि डिग्रियों को अलग करके स्वैच्छिक आधार पर विशिष्ट रोजगारों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करेंगे, यह कौन से मापदण्ड होंगे, जिनके आधार पर आप स्वैच्छिक आधार पर वह विशिष्ट रोजगार उपलब्ध कराने के मापदण्ड को निर्धारित करने वाले हैं?

पार्ट "सी" मेरा यह है—सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आपकी प्राइमरी, सेकंडरी और हायर एजु- और हायर एजुकेशन केशन के बाद हायर टैक्नीकल एजुकेशन है, यह चार आपके केन्द्र हैं, 4 मुख्य मुद्दे हैं लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा है, एलीमेंटरी स्टेज पर क्लास 1 5 तक। इस सम्बन्ध में मुझे आपसे कहना है कि आपने स्वयं निर्धारित किया है कि भाषा और लेविल ऑफ लर्निंग, इस पर आपने कहा है कि भाषा, गणित और पर्यावरण के लिए आपने पूरे देश में एक नीति बनाई है, वह नीति क्या है और वह कब तक लागू होने वाली है? यह मेरे तीन मुद्दे हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस प्रश्न में जो मुख्य मुद्दे पूछे थे, उनसे अलग जाकर सारी शिक्षा नीति की व्याख्या करने का कष्ट किया है। ऐसा कोई अवसर मुझे प्रदान किया जाए कि उन सब मुद्दों पर, जिन पर माननीय सदस्य ने यहां पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं भी कर सकता हूं लेकिन वह उस प्रश्न की परिधि में नहीं हैं। (व्यवधान) मेरी बात तो सुनिये, आप उत्तर तो सुनेंगे? जो उत्तर दिया है, वह मेरे पास भी रखा है।

यह प्रश्न नेशनल टैस्टिंग सर्विस से संबंधित है। आपका प्रश्न यह था कि नेशनल टैस्टिंग सर्विस कायम की गई है या नहीं। इस नोट में उसके बारे में पूरी बात कही गई है। जहां तक यह प्रश्न है कि इसपर आगे और क्या कार्यवाही हुई है तो 1992 में जो 1986 की पोलिसी की रीवेल्यूएशन हुई, उसके तहत नेशनल टैस्टिंग सैन्टर को नेशनल इवैल्यूएशन आर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। इसका रजिस्ट्रेशन एक सोसाइटी की हैसियत से 9-12-1992 को किया गया।

अब इसके तहत किस प्रकार से इम्तिहान होंगे, इवेल्यूएशन होगा, अलग-अलग जॉब्स के लिए जो आवश्यकता है, उसकी जांच कैसे होगी वह सब निर्धारित किया जा रहा है, क्योंकि इसमें अकेले एक बॉडी बना देने से मतलब नहीं है, जब तक हम उन संस्थाओं का समावेश नहीं करते हैं, जो अन्ततः इम्तिहान लेंगी और उनका भी समावेश नहीं होता है, जो जॉब्स क्रिएट करेंगी, तब तक यह बिल्कुल एक आइसोलेटेड संस्था जाएगी। उन सब पर कार्यवाही हो रही है। नेशनल एजुकेशन की जो मंशा है, उसको पूरी तरह से पूरा किया जाएगा, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, प्रतिवर्ष 85 हजार से ज्यादा छात्र आई० टी० आई० की परीक्षाओं में बैठते हैं और दो हजार परीक्षार्थी देश की सर्वोच्च टैक्नीकल एजुकेशन में भेजते हैं। इस ज्वाइन्ट एन्ट्रेंस एग्जामिनेशन में पिछले दो वर्षों से गड़बड़ियां पाई जा रही हैं···(**व्यवधान**)···मैं इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। मैं आपका ध्यान पिछले दिनों अखबारों में जो समाचार निकले थे, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। आपने उन समाचारों के आधार पर एक जांच आयोग भी बैठाया था। खड़कपुर जे०ई०ई० के जो चेयरमैन थे, उनको आपने हटा दिया और आपने एक जांच समिति बैठा दी। क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे, जांच समिति के जो नतीजे आपके सामने आए हैं और इन शीर्षस्थ टैक्कीकल एजूकेशन की व्यवस्था में जो कमियां हैं, उनको सुधारने के लिए आपने क्या सोचा है ?

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि यह प्रश्न प्राइमरी शिक्षा से संबंधित नहीं रहा और हायर टैक्नोलॉजी से संबंधित रहा।···(**व्यवधान**)—आपने जिस घटना का उल्लेख किया है, उस संबंध में दूसरे सदन में जवाब दिया जा चुका है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि त्रुटियां इम्तिहान में हुई थीं, उसके बारे में जांच की गई है और उन त्रुटियों का छात्रों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनके प्रश्नोत्तर के मूल्यांकन के बारे में इसको आश्वस्त किया गया है। उसको कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ा। गलतियां कैसे हुई और आगे न हों, उसके लिए विचार हो रहा है और अगले इम्तिहान में उसका पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा, यह आप आश्वस्त रहें।

श्री बृज भूषण शरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय परीक्षा सेवा योजना के पीछे जो मूल भावना थी कि योग्य और प्रतिभाशाली छात्र और छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में योग्यता के आधार पर पहुंचा सकें, लेकिन आज ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं···

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना है, भाषण नहीं करना है।

श्री बृज भूषण शरण सिंह : महोदय, आधा घण्टा रेलवे का प्रश्न चला और इस प्रश्न पर मेरा केवल एक लाईन का प्रश्न है।

मैं माननीय मंत्री जी को उदाहरण के रूप में बता देना चाहता हूं कि···

अध्यक्ष महोदय : बताना नहीं है, पूछना है।

श्री बृज भूषण शरण सिंह : वही मेरा प्रश्न भी है। बम्बई में एस० एण्ड टी० महिला पाठ ने एम० एस० सी० होम साइंस की परीक्षा में अभी 20 तारीख को एक ऐसे छात्र को चुनने का काम किया है, जो छात्र 19 तारीख की लिखित परीक्षा में बैठा ही नहीं था। ऐसी शिकायतें बार-बार आ रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, गलत तरीका होने की वजह से सही छात्रों को प्रवेश

नहीं मिल पा रहा है, उनके अन्दर कुण्ठा व्याप्त है, उनके भविष्य के लिए आप कोई योजना बना रहे हैं।

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह विशेषकर प्रकरण का सवाल है मुझे इसकी जानकी तत्काल तो नहीं है। मैं तात्कालिक जानकारी लेकर माननीय सदस्य को जरूर सूचित करूंगा। जहां तक नेशनल इवेल्यूएशन सेंटर आर्गेनाइजेशन का सवाल है, इन्हीं मुद्दों के ऊपर इसकी कार्यवाही होगी जिसकी तरफ आप उल्लेख कर रहे हैं और यह पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो निश्चित रूप से छात्रों के प्रवेश का भी और इम्तहान का भी स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। [अनुवाद]

शोरूवण्णूर मंगलौर रेल लाईन

+

*25. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** :
श्री के० एस० मैथ्यू :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शोरूवण्णूर (केरल) तथा मंगलौर (कर्नाटक) के बीच रेल लाइन को दोहरा करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कोंकण परियोजना के शुरू होने से शोरूवण्णूर-मंगलौर रेलमार्ग पर यात्रियों की संख्या और माल-ढुलाई में होने वाली सम्भावित वृद्धि का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां, केरल के मुख्य मंत्री से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ) शोरूवण्णूर-मंगलौर लाईन के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है। कोंकण रेलवे के चालू हो जाने से यातायात के स्वरूप में परिवर्तन तथा खंड की यातायात संबंधी सम्भावनाओं का अनुमान इससे लग जायेगा। आगे की कार्यवाही सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, मंगलौर-मद्रास रेल लाइन भारत की सबसे पुरानी रेल लाइन है। और इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा एक शताब्दी पहले किया गया था। यह जानकर निराशा होती है कि मंगलौर से शोरानूर तक के इस क्षेत्र पर अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और सरकार ने इस संबंध में कोई पहल नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइये।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। केरल का मालाबार क्षेत्र देश का एक पिछड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लोग लगातार यह मांग करते रहे हैं कि शोरानूर से मंगलौर तक की रेल लाइन को दोहरा किया जाये। मालाबार के कुल पिछड़ेपन को देखते हुए और इस क्षेत्र पर कोंकण

रेलवे के पूरा होने के बाद अधिक यात्री और माल यातायात की संभावना को देखते हुए क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या इस क्षेत्र की रेल लाइन को दोहरा करने को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री के० सी० लेंका : महोदय, यह प्रश्न शोरानूर से मंगलौर तक रेल लाइन को दोहरा करने के बारे में है। इसकी लम्बाई लगभग 387 कि० मी० है। 1991 में सर्वेक्षण को शामिल किया गया था। उस समय सर्वेक्षण इसलिये नहीं करवाया जा सका था क्योंकि आमान परिवर्तन के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका था। अब उस क्षेत्र में आमान परिवर्तन के कार्य को अन्तिम रूप दे दिया जा चुका है। हमने सर्वेक्षण करवाना शुरू कर दिया है और सर्वेक्षण को जल्दी से जल्दी पूरा करने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, मैंने बार-बार मंत्री महोदय से मंगलौर से विभिन्न स्टेशनों के लिए नई रेलगाड़ियां चलवाने की मांग की है। परन्तु मंत्रालय से एक ही उत्तर यह मिलता है कि इस मार्ग की यातायात क्षमता चरम बिन्दु पर पहुंच गई है। और इस समय रेल प्रशासन यहां पर नई रेलगाड़ियां चलवाने में समर्थ नहीं है। हाल ही में मैंने मंत्री महोदय को एक बहुत महत्त्वपूर्ण मामले याने रेल लाइनों को दोहरा करने के बारे में पत्र लिखा था। रेल राज्य मंत्री महोदय श्री के० सी० लेंका ने मेरे अभ्यावेदन का दिनांक 27.5.1993 को उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब प्रश्न पर आयें।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : उन्होंने उत्तर दिया था कि मंगलौर शोरानूर रेल लाइन पर इतना यातायात नहीं है कि उसे दोहरा किया जाये। मैं नहीं जानता कि यह विरोधाभास क्यों पैदा हुआ है। क्या मंत्री महोदय सभा को इस विरोधाभास के बारे में यह बतायेंगे? एक ओर ये कहते हैं कि यातायात अपने चरम बिन्दु पर है.....

अध्यक्ष महोदय : हां, आपने प्रश्न किया है।

श्री के० सी० लेंका : उस क्षेत्र में कोंकण रेल लाइन बनने के बाद और आमान परिवर्तन के बाद तो अधिकांश लाइनें परिवर्तित रूप में बहुत व्यस्त हो जायेगी और यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि हो जायेगी। इस समय सर्वेक्षण चल रहा है सर्वेक्षण पूरा होने के बाद हम इस कार्य को शुरू करेंगे।

श्री ई० अहमद : महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेलवे इस क्षेत्र की बहुत अधिक उपेक्षा कर रहा है। इस तथ्य के बावजूद कि पिछली एक शताब्दी से यह लाइन दक्षिण रेल और पुरानी साउथ इंडियन रेलवे की जरूरत को पूरा करता रहा है, रेलवे इसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है।

महोदय, रेलवे नई रेल गाड़ियां नहीं चला रहा है और आप कह रहे हैं कि पर्याप्त संख्या में रेल गाडियां नहीं हैं। आप लाइन नहीं बनवायेंगे और कहते हैं कि पर्याप्त यातायात नहीं है। महोदय, यह क्या है? ऐसा क्यों है? केरल में भी जब आपने केरल के अन्य भागों में लाइनों को स्वीकृति दी है, तो केरल इसी लाईन याने मंगलौर शोरनपुर क्षेत्र, जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं – की क्यों उपेक्षा की गई है। मंत्री महोदय, को इसका उत्तर देना चाहिये। इस समय भी मंत्रालय ठान मटोल कर रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप देश के इस भाग के साथ न्याय करने को तैयार हैं।

ये लोग रेलवे की अच्छी सेवा कर रहे हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस लाइन को दोहरा करने के कार्य को आप कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, या निम्न प्राथमिकता।

श्री के० सी० लेंका : हमने सर्वेक्षण पूरा करने को उच्च प्राथमिकता दी है। इस सर्वेक्षण के लिये 1991 में आदेश दिये गये थे। मैंने बता दिया है कि किस प्रकार इसमें देरी हुई। अब हमने सर्वेक्षण का कार्य उच्च प्राथमिकता पर शुरू किया है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, मंत्री ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि रेल लाइन पर चरम बिन्दु से भी अधिक व्यस्तता है। शोरानूर-मंगलौर ही नहीं बल्कि त्रिवेन्द्रम—कायानोकुलम लाईन पर भी अत्यधिक व्यस्तता है। हमने पाया है कि जब स्लीपर प्रणाली सख्ती से लागू की गई, तो अनेक रेल गाड़ियों में अतिरिक्त बोगियां लगाना संभव नहीं हुआ और कम दूरी वाली इन रेल लाइनों की चरम व्यस्तता के कारण अतिरिक्त यात्री गाड़ियां चलाना संभव नहीं हो सका। केरल की समस्या का समाधान केवल लाइनों को दोहरा करने से ही संभव होगा। क्या सरकार इसे गम्भीरतापूर्वक लेगी ?

संसद में मेरे भाषण का मुझे उत्तर भी मिल गया है। हाल ही में धनराशि की कमी जैसे कारण भी रहे हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि जब केरल का प्रश्न आता है तो धनराशि की उपलब्धता का भी प्रश्न आ जाता है। जब 380 करोड़ रु० कर्नाटक को आबंटित किये गये और 70 करोड़ रु० तमिलनाडु को आबंटित किये गये, तो क्या यह भेदभाव नहीं है कि आप केरल को 6 करोड़ रुपये आबंटित कर रहे हैं।

अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या शोरानूर मंगलौर और त्रिवेन्द्रम—कायानोकुलम रेल लाइन को दोहरा करने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया जा रहा है।

श्री पी० सी० थामस : कृपया सकारात्मक उत्तर दें।

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मैं माननीय सदस्य की उत्सुकता और नाराजगी को समझता हूं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : वास्तव में उनमें नाराजगी है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जैसा कि सभी जानते हैं, निवेश राज्यों के आधार पर नहीं किया जाता है। यह मांगों के आधार है। अत: जब रेल लाइन पर निवेश करने का निर्णय लिया जाता है तो यह मांगों पर आधारित होता है। (व्यवधान)

मांगों के आधार पर भी केरल में बहुत अधिक निवेश किया गया है जितना कि अन्य किसी सज्य को नहीं मिला है (व्यवधान) आमान परिवर्तन के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब वह स्थिति साफ हो गई है। शोरानूर-मंगलौर की ओर यातायात को बदलने का काम केवल कोंकण रेलवे परियोजना यातायात शुरू होने पर होगा।

इसके अलावा आपको इस बात को जानने की उत्सुकता है कि क्या हम इसे शुरू करके पूरा कर पायेंगे या नहीं। अब हमने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। वर्ष के अन्त तक सर्वेक्षण की रिपोर्ट उपलब्ध हो जायेगी। अगले बजट के बाद यह उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा। हम संसाधनों की उपलब्धता क्यों कह रहे हैं ? कृपया प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से कहिये कि वे संसाधन उपलब्ध करायें ताकि हम इसे शुरू कर पायें। यदि आप केवल रेल मंत्री पर प्रहार करेंगे तो कुछ नहीं होगा।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, हम सभी केरल के संसद सदस्य प्रधान मंत्री से मिले थे। रेल, मंत्री, रेल राज्य मंत्री के अलावा हम प्रधान मंत्री से भी मिल

चुके हैं। प्रधान मंत्री केरल के सभी संसद सदस्यों को एक साथ देखकर बहुत खुश हुये थे। उन्होंने इसकी प्रशंसा की थी। मैं नहीं समझता हूं कि उनकी तरफ से कोई कठिनाई होगी।

किसी भी लाइन को दोहरा करने तक के लिये सर्वेक्षण करवाना बहुत मुश्किल है। परन्तु इस मामले में 1991 में सर्वेक्षण करवाने के आदेश दे दिये गये थे। क्या सर्वेक्षण न करवाने और यथा आदेशित सर्वेक्षण कार्य में प्रगति न करने और इसे दो साल तक टालने के लिये कोई स्पष्टीकरण देना जरूरी है ?

मैं यह कहूंगा कि यह घोर उपेक्षा है। इस लापरवाही को ठीक करने की तुरन्त जरूरत है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन देने का निवेदन करूंगा कि सर्वेक्षण के बाद इस कार्य को तुरन्त शुरू किया जायेगा और अगले बजट में शोरानूर-मंगलौर रेल लाइन को दोहरा करने का कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं सुस्पष्ट रूप से यह आश्वासन देता हूं कि सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा, परन्तु जहां तक कार्य का सवाल है, उसको मैं तब शुरू करवाऊंगा जब मुझे वित्त मंत्री से धनराशि मिल जायेगी।

श्री धनंजय कुमार : यह रेल लाइन मंगलौर से केरल तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र को भी जोड़ती है। मैंने मंत्री महोदय को लगातार यह कहते हुए सुना है कि एक सर्वेक्षण का आदेश दे दिया गया है और लाइन बिछाने से पहले एक सर्वेक्षण करवाना जरूरी है। हम देख सकते हैं कि यह लाइन को दोहरा करने के बारे में है एक लाइन पहले से मौजूद है और केवल एक समान्तर लाइन बिछानी है। अतः मैं नहीं समझता हूं कि किसी सर्वेक्षण की जरूरत है। वे केवल लाइन डालने के कार्य को टालने की कोशिश कर रहे हैं। यदि मंत्री महोदय वास्तव में चिन्तित होते तो वे रेल लाइन को दोहरा करने के बारे में आदेश दे चुके होते। और अब वे सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के आड़ में इस परियोजना को टाल रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे शोरानूर-मंगलौर रेल लाइन को दोहरा करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : इस समय हम यातायात सर्वेक्षण के बारे में बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

*26. **श्री अजय मुखोपाध्याय** :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 से चावल, गेहूं, चीनी, ब्रेड, दूध, कुकिंग गैस, मीरा, मिर्च, खाद्य तेल और मझालों जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जुलाई, 1991 और जून, 1993 को इन वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक कितना था; और

(घ) इन वस्तुओं के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए०के० एंटनी) : (क) और (ख) जुलाई, 1991, जुलाई, 1992 तथा जून, 1993 में चावल, गेहूं, चीनी, डबलरोटी, दूध, खाना पकाने की गैस, शीरा, लाल मिर्च तथा मसालों जैसी चुनी आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ग) एक ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है, जिसमें जुलाई, 1991, जुलाई, 1992 तथा जून, 1993 को चुनी आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में प्रतिशत उतार-चढ़ाव दर्शाया गया है।

(घ) सरकार, उत्पादन-शुल्क में राहत देकर, वित्त तथा ऋण की व्यवस्था करके आयात का उदारीकरण करके, उन्नत आधार-ढांचे सम्बन्धी सुविधाएं मुहैया करके, उत्पादन में वृद्धि करके, बेहतर वितरण तंत्र की व्यवस्था करके तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाकर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए नियमित आधार पर उपयुक्त उपाय करती रहती है।

विवरण-I

जुलाई, 1991, जुलाई, 1992, जून, 1993 को दिल्ली में चुनी आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य (रु० प्रति कि०ग्राम)

वस्तु	निम्न तारीख को खुदरा मूल्य		
	जुलाई, 1991	जुलाई, 1992	जून, 1993
चावल	5.75	7.00	7.95
गेहूं	3.75	4.50	4.50
चीनी	10.00	10.50	12.00
डबलरोटी	4.20	5.50	5.50
दूध	8.00	10.00	10.00
खाना पकाने की गैस (14.2 कि०ग्रा० के प्रति एल०पी०जी० सलेण्डर)	67.90	67.90	82.77
लाल मिर्च (प्रति 100 ग्राम)	5.00	7.00	4.75
जीरा	52.00	110.00	98.00
हल्दी	3.00 (100 ग्राम)	4.50 (100 ग्राम)	5.75 (प्रति 200 ग्राम)

1	2	3	4
शीरा*			
(रु० प्रति मी०टन)			
ग्रेड-I	120.00	उ०न०	144.00
ग्रेड-II	90.00	उ०न०	115.00
ग्रेड-III	72.00	उ०न०	86.00

स्रोत : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय और सुपर बाजार।

*स्रोत : रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय।

उ०न० : उपलब्ध नहीं।

विवरण-II

जुलाई, 1991, जुलाई, 1992 और जून, 1993 में चुनी आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में प्रतिशत उतार-चढ़ाव

वस्तु	प्रतिशत उतार-चढ़ाव		
	जुलाई, 1991 की तुलना में जुलाई, 1992	जुलाई, 1992 की तुलना में जून, 1993	जुलाई, 1991 की तुलना में जून, 1993
चावल	+25.8	— 2.3	+22.9
गेहूं	+29.5	+ 4.7	+35.5
चीनी	+16.4	+13.0	+31.6
डबलरोटी	+22.3	+ 2.8	+25.7
दूध	+ 7.7	+11.4	+20.0
खाना पकाने की गैस	+15.3	+30.5	+50.4
लाल मिर्च	+48.3	(—)63.1	(—)45.3
हल्दी	+53.8	— 33.9	+ 1.6
शीरा	उ०न०	उ०न०	उ०न०

उ०न० = उपलब्ध नहीं।

जाली राशन कार्ड

*27. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1993 के दौरान अब तक कितने जाली राशन कार्डों का पता लगाया गया;

(ख) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान ऐसे राशन कार्डों के माध्यम से कितनी मात्रा में राशन की वस्तुएं ली गईं;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान, उचित दर की कितनी दुकानों को इस प्रकार की अनियमितता में करते पाया गया;

(घ) उचित दर की ऐसी दुकानों तथा राशन कार्डधारियों के विरुद्ध सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) ऐसी अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए सरकार का आगे क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए०के० एंटनी) : (क) से (ङ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 1-1-1993 से 15-7-1993 तक चलाए गए अभियान के दौरान 32531 राशन कार्ड धारकों को रिकार्ड में दिए गए पतों में नहीं पाया गया था। वैध राशन कार्डों में 25659 अनाज यूनिटें तथा 13238 चीनी की यूनिटें बढ़ा कर दिखाई गई पाई गई हैं। राशन कार्ड में बढ़ा कर दिखाई गई यूनिटों अथवा फर्जी व्यक्तियों के नाम से जारी कार्डों का पता केवल कारगर पर्यवेक्षण तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली सहित राज्यों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके लगाया जा सकता है। ऐसे कार्डों के जरिए ली गई राशन की मात्रा का पता लगाना अथवा अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनियमित पद्धतियों के अन्तर्ग्रस्त पाई गई उचित दर की दुकानों तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा, इस प्रकार है :—

	1991	1992	1993 (जनवरी-जून)
1. अनियमितताओं के अन्तर्ग्रस्त पाई गई उचित दर की दुकानों की संख्या	392	653	187
2. की गई कार्यवाही			
(क) दर्ज कराई गई प्राथमिक सूचना	45	29	8
(ख) निलम्बित	54	86	30
(ग) विभागीय कार्यवाही	338	567	157

दिल्ली प्रशासन सहित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावित करने वाले कदाचारों में लिप्त होने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।

"बॉम्बे हाई" में तेल का रिसाव

*28. **श्री जी० देवराय नायक :**

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बॉम्बे हाई" पाइप लाइन से रिसाव के कारण हाल ही में हुए प्रदूषण के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में किये गये उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई हाई में तेल रिसाव स्थान के सर्वेक्षण के आधार पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 26 मई, 1993 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को तेल को हटाने, तेल धब्बों को साफ करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने और समुद्र में किसी प्रकार की विषैली हानिकारक और प्रदूषक सामग्री विसर्जित न करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके अलावा, बम्बई हाई क्षेत्र में विभिन्न आफशोर परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति देते समय निर्धारित शर्तों के अनुपालन के स्तर के बारे में इस मंत्रालय द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग से स्पष्टीकरण मांगे गए थे।

(ग) निम्नलिखित तात्कालिक उपाय किए गए :—

— सम्बन्धित आफ-शोर प्लेटफार्म और तेल कुएं का कार्य बंद कर दिया गया।

— प्रभावित पाइप लाइन का दबाव समाप्त कर दिया गया।

— तेल रिसाव को बिखेरने के लिए मल्टी सुपोर्ट वेसल्स लगाए गए।

— तेल रिसाव के नियंत्रण, पुर्नप्राप्ति और खंडन के लिए तटरक्षक दल द्वारा डण्डों और रासायनिक विक्षेपकों का प्रयोग किया गया।

— तेल रिसाव के संचलन की निरन्तर निगरानी की गई।

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को समुद्र में तेल के आगे प्रवेश को रोकने और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक निवारक उपाय करने के भी निदेश दिए गए।

सूखा और पेयजल की समस्या के समाधान हेतु मध्य प्रदेश को सहायता

*29. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अप्रैल, 1993 में मध्य प्रदेश के अपने दौरे के दौरान राज्य में सूखे और पेयजल के संकट से निपटने हेतु राज्य को विशेष सहायता देने के किसी कार्यक्रम की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निमित्त अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) शेष राशि के लिए कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने अप्रैल, 1993 में मध्य प्रदेश के कुछ सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे के दौरान सूखे की स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 100.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की थी।

(ग) और (घ) राज्य सरकार को 95.00 करोड़ रुपए की एक रकम दी जा चुकी है। शेष 5 करोड़ रुपए की धनराशि के बारे में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय को समेकित परती भूमि विकास योजना के तहत प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण

*30. श्री मदन लाल खुराना :
श्री भवन कुमार पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण के कारण तटीय क्षेत्रों के समुद्री जीवन को हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन किया है। पिछले चार वर्षों से तटीय जल की निगरानी करने से पता चलता है कि प्रदूषण में वृद्धि हुई है। किनारों से दूर समुद्री पारिप्रणाली सुरक्षित है किन्तु प्रमुख कस्बों और नगरों के समीप जल की गुणवत्ता अशोधित औद्योगिक बहिस्राव और मलजल को उसमें छोड़ने के कारण बिगड़ गई है।

(घ) समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की शिनाख्त की गई है;

(2) गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तटीय जल में मानकों का अनुपालन करने के कार्य में लगे हुए हैं;

(3) जहां संभव होता है वहां उद्योगों/नगर पालिकाओं को विसारक प्रणाली (डिफ्यूजर सिस्टम) सहित समुद्री मुहाने बनाने के निदेश दिए गए हैं।

(4) केन्द्र सरकार ने सामान्य अनुदेश जारी किए हैं कि समुद्री तट-रेखा से 500 मीटर के भीतर किसी भी उद्योग/फैक्टरी को स्थापित करने की मंजूरी न दी जाए।

[अनुवाद]

व्यावसायिक कालेजों में ट्यूशन तथा अन्य फीस

*31. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय को ध्यान में रखते हुए गैर-सरकारी व्यावसायिक कालेजों में छात्रों के प्रवेश हेतु ट्यूशन तथा अन्य फीस लिए जाने के लिये कोई मानदंड तथा दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य-वार क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है; और

(ग) इन संस्थाओं में शैक्षणिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) फरवरी, 1993 में, उच्चतम न्यायालय ने उन्निकृष्णन के मामले में, प्राइवेट व्यावसायिक संस्थाओं में वसूल किए जाने वाले शुल्क और दाखिलों को नियंत्रित करने से सम्बन्धित एक "योजना" निर्धारित की है। इस "योजना" को लागू करने में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से परामर्श करके प्रारूप रूप में मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार की गई थीं और राज्यों को उनका प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए परिचालित की गई थीं। 17 जून, 1993 का राज्य सरकारों के मंत्रियों की एक बैठक भी आयोजित की गई थी। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं का सामान्य तौर से समर्थन किया था। उक्त सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखकर इन प्रारूप रूप में मार्गदर्शी रूपरेखाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम द्वारा शामिल किए गए व्यावसायिक कालेजों/संस्थाओं में स्तर को बनाए रखने के उत्तरदायित्व का भार सौंपा गया है। ये प्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार में नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस "योजना" को लागू करने के लिए अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं के सम्बन्धमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अधीन उपयुक्त नियम जारी करने के लिए कदम उठा रहा है।

[हिन्दी]

उर्वरकों पर राजसहायता

*32. **श्री राजेश कुमार** :

श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी राजसहायता दी ताकि किसान रियायती मूल्य पर उर्वरक खरीद सकें;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों पर राजसहायता में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता का किसानों के लाभ के लिए समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान किसानों को अधिसूचित उर्वरकों की रियायती बिक्री की योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को निर्मुक्त की गई धन-राशि का एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) इस योजना को 1993-94 के दौरान 756 करोड़ रुपए के एक प्रावधान के साथ जारी रखा जा रहा है जिसमें से 356 करोड़ रुपए खरीफ, 1993 के लिए तथा 400 करोड़ रुपए रबी 1993-94 के लिए है। एस०एस०पी० की बिक्री पर भी 340/- रुपए प्रति मीटरी टन की रियायत दी गई है जो स्वदेशी डी०ए०पी० तथा एम० ओ० पी० प्रत्येक पर 1000/- रुपए प्रति मीटरी टन और स्वदेशी लोगों पर 435-999/. रुपए प्रति मीटरी टन की रियायत के अतिरिक्त है।

(घ) यह योजना सम्बन्धित राज्य/संघ शासित प्रदेश के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। खरीफ, 1993 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ बैठकें की गई हैं। कृषि और सहकारिता विभाग इस सम्बन्ध में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं और कार्यान्वयन की प्रगति को नियमित रूप से मॉनिटर किया जा रहा है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	निर्मुक्त धनराशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2668.00
2.	कर्नाटक	1753.00
3.	केरल	984.00
4.	तमिलनाडु	3432.00
5.	पाण्डिचेरी	55.00
6.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.46
7.	गुजरात	1469.00
8.	मध्य प्रदेश	1825.00

1	2	3
9.	महाराष्ट्र	1682.00
10.	राजस्थान	1469.00
11.	गोआ	9.00
12.	दादर और नगर हवेली	2.00
13.	दमन और दीव	0.40
14.	हरियाणा	2013.00
15.	हिमाचल प्रदेश	35.00
16.	जम्मू और कश्मीर	101.00
17.	पंजाब	4431.00
18.	उत्तर प्रदेश	6539.00
19.	दिल्ली	11.00
20.	बिहार	2172.00
21.	उड़ीसा	436.00
22.	पश्चिम बंगाल	2807.00
23.	असम	46.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	1.00
25.	मणिपुर	2.66
26.	मेघालय	3.00
27.	मिजोरम	1.66
28.	नागालैण्ड	2.18
29.	सिक्किम	3.50
30.	त्रिपुरा	19.00
	योग :	33972.86

[अनुवाद]

देव अध्ययन केन्द्र

*33. डॉ० अमृतभाई पटेलिदास पटेल : क्या जनजन संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वेदों के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए वैदिक विज्ञान अकादमी स्थापित करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत तथा विदेशों में वेदों के अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना हेतु न्यासों का गठन किया है;

(घ) क्या सरकार का इन न्यासों को कुछ सुविधाएं प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) वेद अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए वेद विज्ञान अकादमी की स्थापना के बारे में सरकार ने कोई योजना तैयार नहीं की है । तथापि सरकार ने अभी हाल ही में वेद अध्ययन तथा अनुसंधान की प्रोन्नति के लिए राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की है, जिसका नाम बदलकर महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान रखा गया है । राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना 1987 में की गई थी ।

शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय वैदिक शिक्षा फाउंडेशन नामक एक संगठन, राहवे, न्यू जर्सी, यू०एस०ए० में विद्यमान है लेकिन इस संगठन ने वेद अध्ययन तथा शोध आदि के लिए ट्रस्ट स्थापित किए हैं या नहीं, इस संबंध में शिक्षा विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है ।

यह जानकारी भी मिली है कि यूनाइटेड स्टेट्स में वेद अध्ययन तथा शोध के लिए धर्म हिन्दूजा केन्द्र नामक एक संगठन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिसका सम्भावित केन्द्र भारत में भी हो सकता है । यह संगठन वस्तुत: स्थापित किया गया है या नहीं इस संबंध में विभाग के पास आगे कोई और जानकारी नहीं है ।

वित्तीय सहायता या अन्य विशेष सुविधाओं के लिए दोनों संगठनों से कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । संसाधनों की कमी के कारण इन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना सम्भव नहीं होगा ।

खाद्यान्नों के लिए भंडारण सुविधाएं

*34. **डा० एस० पी० यादव** :
श्री भंवर लाल मीणा :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में प्राप्ति-केन्द्रों पर अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण दुलाई के दौरान भारी मात्रा में खाद्यान्नों की क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान अब तक अनुमानत: कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का नुकसान हुआ है तथा उसका मूल्य कितना होगा; और

(ग) इस प्रकार की बर्बादी को रोकने तथा देश में और अधिक भंडारण सुविधाओं का निर्माण करने के लिए सरकार ने कौन से सुधारात्मक कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चूंकि प्राप्ति-स्थल पर अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण खाद्यान्नों को कोई मार्गस्थ क्षति नहीं हुई है, इसलिए इस सम्बन्ध में कोई उपचारात्मक पग उठाना अपेक्षित नहीं है। भारतीय खाद्य निगम अपना स्टाक केवल तभी भेजता है जब प्राप्ति-स्थल पर आने वाले स्टाक को रखने के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता हो।

भारतीय खाद्य निगम के पास 1-6-1993 को स्थिति के अनुसार 21.33 मिलियन मीटरी टन भंडारण क्षमता थी जबकि उनके पास कुल 17.14 मिलियन मीटरी टन का स्टाक था।

[हिन्दी]

खाद्यान्न उत्पादन

*35. श्री राम पूजन पटेल :

डा० लाल बहादुर राबल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व के विकसित और विकासशील, देशों की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में पीछे है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारत में कृषि उप्पादन कम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है जिससे कि भारत को विश्व के अन्य विकसित देशों के समकक्ष लाया जा सके ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) जी, नहीं। उत्पादन, उत्पादकता और क्षेत्र पर निर्भर होता है, जो अलग-अलग देश में अलग-अलग होते हैं। फिर भी, देश में खाद्यान्नों की उत्पादकता अधिकांश विकसित तथा कुछ विकासशील देशों की तुलना में कम है, क्योंकि यहां पर अधिकतर क्षेत्र वर्षाणोधित हैं, बहुत-सी जोतें छोटी और विखण्डित हैं, आदानों का इस्तेमाल कम मात्रा में होता है तथा बुनियादी सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

(ग) खाद्यान्नों की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार देश में अभिनिर्धारित राज्यों में कई ऐसे कार्यक्रम चला रही है जो फसल उत्पादनोन्मुखी हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में सूखे के लिए सहायता

*36. श्री के०जी० शिवप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक के अनेक जिलो में व्याप्त भीषण सूखे को स्थिति के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सूखे की स्थिति के अध्ययन के लिए किसी केन्द्रीय दल को भेजने का है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि अपर्याप्त वर्षा के कारण 16 जिलों के 83 तालुकों में पेयजल की कमी हो गई है और कृषि श्रमिकों के लिये रोजगार भी नहीं है ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने वर्ष 1993-94 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश से 20.250 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया है । केन्द्रीय सरकार 1992-93 के दौरान 1993-94 की पहली और दूसरी तिमाही के लिये केन्द्रीय अंश को किस्त के रूप में पहले ही 10.125 करोड़ रुपये दे चुकी है । अब यह निर्णय भी लिया गया है कि शेष केन्द्रीय अंश जिसका योग 10.125 करोड़ रुपये बैठता है, भी निर्मुक्त कर दिया जाए ।

(ङ) से (छ) राज्य सरकार ने सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिये कोई केन्द्रीय दल को भेजने का अनुरोध नहीं किया है ।

[हिन्दी]

जंगली जानवरों द्वारा फसलों और मानव जीवन को क्षति पहुंचाया जाना

*37. श्री दिलीप भाई संघाणी :
श्री सुधीर सावंत :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में नीलगाय, हाथियों और हिरणों जैसे संरक्षित जंगली जानवरों द्वारा फसलों तथा मानव जीवन को पहुंचायी जा रही क्षति के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किये गये हैं, और

(घ) इसके लिए उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) : हाथी वासस्थलों के अवक्रमण, इसके प्रवास मार्गों के विनाश तथा वनों में वासस्थलों पर अवैध कब्जे करने के कारण मानव और हाथियों के बीच कुछ झड़पें हुई हैं जिनके कारण वासस्थलों को नुकसान पहुंचा है या झोपड़ियों तथा आवासों की क्षति पहुंची है या कभी-कभी मनुष्य भी मारे गए हैं । राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसी परिस्थितियों को रोकने तथा हाथियों के कारण हुई क्षति से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए उपयुक्त कार्रवाही करते हैं । हाथियों द्वारा क्षति पहुंचाए जाने की घटनाओं पर राज्य

सरकारों द्वारा स्वविवेक से मुआवजे के भुगतान से संबंधित सूचना एकत्र करने के लिए कोई केन्द्रीय प्रणाली नहीं है। लेकिन हाथी परियोजना के अन्तर्गत हाथियों द्वारा पहुंचाए गए नुकसान के लिए मुआवजे का भुगतान करने के बारे में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

नीलगाय, जंगली सूअरों आदि जैसे वन्य पशुओं द्वारा फसलों को पहुंचाई गई क्षति के बारे में कुछ राज्य सरकारों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। लेकिन इन रिपोर्टों में फसलों को हुई क्षति के ब्यौरे नहीं दिए गए हैं। संबंधित राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि जब भी ऐसी स्थिति आए वे वन्य जीव जन्तु (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 (झ) (ख) के उपबंध का प्रयोग करके स्थिति का समाधान करें।

इस बारे में सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. मुख्य वन्यजीव वार्डन सुरक्षित क्षेत्रों में वन्य पशुओं के वासस्थलों के सुधार के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों तथा बाघ रिजर्वों में इस प्रकार के कार्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भी सहायता दी जाती है।

2. स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को सुधारने तथा वन भोगाधिकारों पर उनकी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के चारो ओर रहने वाले लोगों के पारि-विकास के लिए स्कीमें जिससे मानव पशुओं के बीच होने वाले संघर्ष कम हो जाएंगे।

3. "हाथी परियोजना" तथा "राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में तथा उनके चारों ओर पारि-विकास स्कीम के अन्तर्गत रिजर्वों और खेतों की सीमाओं के साथ-साथ बिजली के तार लगाने और वन्य पशु प्रूफ खाइयों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

4. अनुसूची 1 में शामिल पशुओं को छोड़कर अन्य ऐसे पशुओं का जो जान व किसी भी भूमि पर खड़ी फसलों सहित सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो गए हों, शिकार करने की अनुमति देने के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डनों या राज्यों में प्राधिकृत अधिकारियों को वन्य जीवजन्तु (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत पर्याप्त शक्तियां दे दी गई हैं। लेकिन, अनुसूची-1 में शामिल पशुओं का शिकार तभी किया जा सकता है जब उनसे मानव जीवन के लिए खतरा पैदा हो जाएगा।

हाथी परियोजना के शुरू से लेकर मानव जीव और सम्पत्ति की क्षति के लिए राहत मुहैया कराई गई राशि इस प्रकार है :—

(लाखों रुपयों में)

	राज्य	1991-92	1992-93
1	2	3	4
1.	असम	2.00	1.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	2.00

1	2	3	4
3.	बिहार	1.00	1.00
4.	कर्नाटक	5.00	10.00
5.	केरल	4.00	3.47
6.	मेघालय	1.00	—
7.	उड़ीसा	0.60	—
8.	तमिलनाडु	1.00	1.00
9.	उत्तर प्रदेश	0.50	0.90
10.	पश्चिम बंगाल	6.00	15.00
	कुल	21.10	34.87

वर्षा और बाढ़

*38. **श्री शिबू सोरेन :**
श्री चित्त बसु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हाल ही में हुई वर्षा और बाढ़ से राज्य-वार कुल कितना-कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है ;

(ख) फसलों और जान-माल की क्षति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने राज्य-वार राहत और पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) बाढ़ पीड़ित राज्यों में दौरे पर गए अथवा आने वाले केन्द्रीय दलों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (घ) जुलाई, 1993 के द्वितीय सप्ताह में भारी वर्षा के परिणामस्वरूप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू व कश्मीर तथा राजस्थान राज्यों में भिन्न-भिन्न मात्राओं में बाढ़ आयी । प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकारों ने निम्नलिखित जान की हानि तथा फसल और संपत्ति के नुकसान की सूचना दी है :

राज्य	जान की हानि	प्रभावित फसली क्षेत्र/ मूल्य	क्षतिग्रस्त मकान	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्ति
1	2	3	4	5
पंजाब	311	15.00 लाख एकड़	+	+
हिमाचल प्रदेश	43	0.32 लाख एकड़	6000	176.00 करोड़ रुपये

1	2	3	4	5
हरियाणा	38	4.49 लाख एकड़	41000	+
गुजरात	116	2.12 करोड़ रुपये	15591	10.47 करोड़ रुपये
राजस्थान	11	+	14644	+
जम्मू व कश्मीर	25	8 लाख रुपये	1290	3.46 करोड़ रुपये

+ = मूल्यांकन किया जाना है ।

2. जुलाई, 1993 के तीसरे सप्ताह के दौरान भारी वर्षा के कारण असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल में पुनः बाढ़ आई । संबद्ध राज्य सरकारों ने अभी तक नुकसान की सीमा का पूरी तरह मूल्यांकन नहीं किया है क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में पानी में कमी नहीं आई है और वर्षा/बाढ़ जारी रहने की अभी संभावना है ।

3. चालू वर्ष (1993-94) के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों के आपदा राहत कोष के अंश के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित धनराशियां निर्मुक्त की गई हैं :

(करोड़ रुपये में)

1.	पंजाब	21.00
2.	हिमाचल प्रदेश	6.75
3.	हरियाणा	12.75
4.	गुजरात	31.875
5.	राजस्थान	46.50
6.	असम	11.25
7.	मध्य प्रदेश	20.8125
8.	महाराष्ट्र	16.50
9.	मिजोरम	0.375
10.	त्रिपुरा	2.25
11.	पश्चिम बंगाल	15.00

4. संबंध राज्य सरकारें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक राहत उपाय कर रहीं हैं । किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल है :—

(क) सशस्त्र सेना की सहायता, जहां आवश्यक हो, से असहाय आबादी को हटाकर सुरक्षित स्थान में ले जाना ।

(ख) खाद्य पैकेटों का वितरण तथा उन्हें वायुयान से गिराना ।

(ग) अनिवार्य जिसों का वितरण

(घ) राहत कैम्प चलाना

(ङ) संक्रामक रोगों के निवारण के लिए चिकित्सा सहायता/टीका करण ।

5. एक केन्द्रीय दल ने पहले ही त्रिपुरा का दौरा किया है तथा दूसरा केन्द्रीय दल इन दिनों स्थिति का आयजा लेने के लिए असम और मिजोरम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा है । ज्योंही राज्य सरकारें वर्षा और बाढ़ द्वारा हुई क्षति का मूल्यांकन पूरा कर लेंगी तथा केन्द्रीय दल को बुलाने के लिए तैयार हो जाएंगी, केन्द्रीय दल, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों का दौरा करेंगे ।

आवश्यक वस्तुओं की नापतौल

*39. श्री छेदी पासवान :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस, मिट्टी के तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के नाप-तौल के मामले में उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने व्यापारियों को दण्डित किया गया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए० के० एंटनी : (क) से (ग) बाट और माप सम्बन्धी कानूनों को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पर अनिवार्य वस्तुएं जैसे रसोई गैस मिट्टी के तेल कम वजन के हों । राज्य सरकारों मिट्टी के तेल और रसोई गैस की बिक्री एवं वितरण में कानूनों के प्रावधानों की अनियमताओं एवं उलंघनों के विरुद्ध कार्रवाई करती हैं ।

रसोई गैस के वितरकों को अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि डिलीवरी देने से पहले अपने गोदामों में सिलिन्डरों की सील तथा वजन की जांच करें । 19 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार बाट और माप सम्बन्धी कानूनों के उलंघन के लिए विशेषत: मिट्टी के तेल तथा रसोई गैस के व्यापार वाले दण्डित किए गए व्यापारियों की वर्षवार संख्या को दिखानेवाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

बाट तथा माप, रसोई गैस के सिलेन्डर तथा मिट्टी के तेल के बारे में उपभोक्ताओं का शोषण करने के लिए दंडित व्यापारियों की संख्या से सम्बन्धित राज्यवार विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990			1991			1992		
		बाट तथा माप	रसोई गैस	मिट्टी का तेल	बाट और माप	रसोई गैस	मिट्टी का तेल	बाट तथा माप	रसोई गैस	मिट्टी का तेल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	40990	576	630	39060	88	654	1922	106	677
2.	अरुणाचल प्रदेश	94	—	—	153	—	—	103	—	—
3.	असम	19	—	12	28	—	5	15	—	18
4.	बिहार									
5.	गोवा	190	—	—	136	—	1	223	—	6
6.	गुजरात									
7.	हरियाणा									
8.	हिमाचल प्रदेश	297	—	6	395	3	6	461	1	3
9.	जम्मू ब कश्मीर									
10.	कर्नाटक									
11.	केरल	15609	—	—	16237	—	—	19088	—	—
12.	मध्य प्रदेश	4273	10	50	5672	2	103	6449	4	81
13.	महाराष्ट्र	20050	25	633	17367	29	525	11492	30	367
14.	मणिपुर	141	—	—	127	—	—	47	—	—
15.	मेघालय	154	—	6	139	—	1	296	—	4
16.	मिजोरम	34	—	—	33	—	—	7	—	—
17.	नागालैण्ड									
18.	उड़ीसा									
19.	पंजाब	1158	—	—	954	—	—	2671	—	—
20.	राजस्थान									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	सिक्किम	93	—	—	162	—	—	13	—	—
22.	तमिलनाडु									
23.	त्रिपुरा	241	—	—	129	—	1	324	—	1
24.	उत्तर प्रदेश									
25.	पश्चिम बंगाल	302	—	—	102	—	2	540	1	—
26.	अण्डमान व निकोबार									
27.	चन्डीगढ़									
28.	दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	6	1	—
29.	दमन व दीव									
30.	दिल्ली	4251	66	70	7651	110	224	13519	221	164
31.	लक्ष्यद्वीप									
32.	पांडिचेरी	150	—	23	209	—	27	329	—	11

[अनुवाद]

ताजमहल का संरक्षण

*40. **श्री गुरुदास कामत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजमहल पर भूरे रंग की बारीक धूल की परत जम गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रदूषण से इस राष्ट्रीय स्मारक को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथापि, छितरे हुए कण पदार्थ, जो वायुमंडल में होते हैं, हवा से उड़कर आते हैं, जगह-जगह पर ताज की खुली सतह से टकराते हैं ।

(ग) ताजमहल को प्रदूषणों से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) 1981 में आगरा में दो थर्मल पावर संयंत्रों को बन्द कर दिया गया था ।

(ii) आगरा के रेलवे मार्शलिंग यार्ड में डीजल का प्रयोग आरम्भ कर दिया है ।

(iii) उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग ने ताज महल के आसपास उपलब्ध सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण द्वारा हरी पट्टी बिछा दी है ।

(iv) राज्य सरकार आगरा में प्रदूषण-स्तर पर निगरानी रखे हुए है।

(v) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लगातार ताजमहल के आसपास के वायुमंडल पर निगरानी रखे हुए है, ताकि, सल्फर-डाईआक्साइड, छितरे हुए कण पदार्थों तथा अन्य प्रदूषकों के साथ-साथ मौसम संबंधी आंकड़ों के स्तरों का मूल्यांकन कर सके, जिससे आवश्यकतानुसार उपचारी उपाय कर सके। इसके अतिरिक्त, चरणबद्ध रूप में आवधिक रासायनिक उपचार एवं परिरक्षण किया जा रहा है।

(vi) पर्यावरण विभाग, भारत सरकार ने अपनी दिनांक 3 मई 1983 की अधिसूचना के तहत ताजमहल के चारों ओर 10,400 वर्ग कि०मी० माप का एक क्षेत्र निर्धारित किया है, जहां प्रदूषण फैलाने वाले किसी उद्योग को चलाने की अनुमति नहीं है।

(vii) आगरा स्थित उद्योगों में फर्नेस तेल और डीजल जेनरेटरों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध है। जाड़े की रात्रियों में फाउन्ड्रियों को चलाने की अनुमति नहीं है।

(viii) ताज के आसपास भारी वाहनों का आना-जाना रोक दिया गया है तथा पार्किंग शिल्पग्राम में कर दी गई है।

(ix) ताज के आसपास कूड़ा-करकट जलाना रोक दिया गया है।

(x) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत उत्सर्जन मानक निर्धारित कर दिए गए हैं।

चंडीगढ़ से निरक्षरता उन्मूलन

231. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ने मार्च 1993 तक निरक्षरता का उन्मूलन करने की योजना बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी सफलता मिली है;

(ग) इसमें कम सफलता मिलने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संघ राज्य क्षेत्र में मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संगठन को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) चंडीगढ़ संघशासित क्षेत्र में अप्रैल, 1992 में पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया जिसका लक्ष्य एक वर्ष के भीतर 15 तथा इससे अधिक आयु-वर्ग के 52,000 निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना था। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 26,795 शिक्षुओं को नामांकित कर लिया गया है।

स्थानीय प्रशासन द्वारा परियोजना का संचालन समयसूची से पीछे रह जाने के जो कारण बताये गए हैं वो हैं पंचायत चुनावों के कारण शिक्षण संबंधी गतिविधियों में रुकावट लगभग 35

प्रतिशत निरक्षर जो कि मूलत: श्रमिक हैं, का दूसरे स्थानों पर प्रवास, स्वंसेवी अनुदेशकों द्वारा पठन-पाठन कार्य बीच में ही छोड़ देना तथा स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं की वार्षिक परीक्षायें हैं ।

(घ) संघशासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्वैच्छिक एजैन्सियों द्वारा जो अनौपचारिक/प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र नहीं चलाए जा रहे है, अतैव उनको इससे संबंधित कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है ।

हिन्दी]

मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों की क्षति

232. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 में मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों को क्षति पहुंची है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश के खाद्यान्नों को कितनी क्षति पहुंची है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

खाद्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राव) : (क) जी, हां ।

1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 335 मीटरी टन खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हो गये थे ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में क्षति-ग्रस्त हुए खाद्यान्नों की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा मी० टन में	वर्ष के दौरान भण्डारित औसत स्टाक के प्रति प्रतिशतता
1990-91	418	0.06
1991-92	312	0.03
1992-93	335	0.05

(ग) भारतीय खाद्य निगम भण्डारण के दौरान खाद्यान्नों की सुरक्षा करने के लिए वैज्ञानिक विधि से गोदामों का निर्माण करने, वैज्ञानिक पद्धति से खाद्यान्नों के चट्टे लगाने, प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा स्टाक का आवधिक निरीक्षण करने, नियमित रूप से कीट नियंत्रण उपाय करने, खाद्यान्नों के स्टाक का प्रधूमन करने, आदि जैसे सभी अपेक्षित उपचारात्मक उपाय करता है ।

[अनुवाद]

पारिस्थितिकी कृतिक बल

233. **श्री मोहन रावले** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने विगत दो वर्षों में और 30 जून, 1993 तक भूतपूर्व सैनिकों को शामिल करके पारिस्थितिकी बल का गठन करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) राज्य-वार ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिसे सरकार ने अब तक स्वीकृति दे दी है;

(ग) किन-किन राज्यों के प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन हैं अथवा जिनके प्रस्तावों को निरस्त कर दिया गया है और उसके क्या कारण हैं;

(घ) शेष प्रस्ताओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी; और

(ङ) राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के पारिस्थितिकी कृतिक बल की स्थापना करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार का क्या दायित्व है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) इस समय उत्तर प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा राजस्थान राज्यों में तीन पारिस्थितिकीय कृत्यक बल कार्यरत हैं। पिछले दो वर्षों में पारिस्थितिकीय कृत्यक बलों की संख्या में वृद्धि किये जाने के संबंध में हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों से प्रस्ताव आए थे किन्तु समग्र वित्तीय उपलब्धता के संदर्भ में इन प्रस्तावों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।

(ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय पारिस्थितिकीय कृत्यक बलों पर व्यय होने वाली लागत को पूरा करने के लिए प्लान योजना के अन्तर्गत अपने बजट में धनराशि का प्रावधान रखता है। इसमें प्रक्रिया यह है कि पारिस्थितिकीय कृत्यक बल अपने कार्यकलाप चलाते हैं और जो व्यय होता है उसकी प्रतिपूर्ति पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा बाद में की जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड रद्द किया जाना

234. **श्री उदय प्रताप सिंह** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं का कोटा न लेने तथा राशन कार्ड धारकों को इसकी सप्लाई न करने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत हाल ही में अनेक उचित मूल्य की दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में ऐसी उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों के विरुद्ध अन्य क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

235. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के माध्यम से पेराई किए जाने वाले गन्ने का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में नये एककों की स्थापना करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने लाइसेंस जारी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन आवेदनों पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां;

(ख) उत्तर प्रदेश में इस समय 44.619 लाख मीटरी टन की लाइसेंसशुदा क्षमता के मुकाबले में स्थापित क्षमता 26.542 लाख मीटरी टन है। उत्तर प्रदेश में अकार्यान्वित क्षमता स्थापित करने से चीनी मिलों की पिराई क्षमता में सुधार होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

236. **श्री मनोरंजन सुर** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की नई दुकानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिक्री केन्द्र खोलने पर अधिक बल दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने चावल, गेहूं, लेवी चीनी, मिट्टी के तेल, आयातित खाद्य तेल तथा सॉफ्ट कोक की अधिप्राप्ति, भण्डारण तथा ढुलाई करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये उपभोक्ताओं को वितरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को थोक में इन्हें आवंटित करने का उत्तर दायित्व अपने हाथ में लिया है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे लोगों की स्थानीय रुचियों को ध्यान में रखते हुए दालों, चाय, आयोडीन नमक, कपड़े धोने के साबुनों और आम खपत की अन्य वस्तुओं को इसमें शामिल करें। बहुत से राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का इस्तेमाल करके इन वस्तुओं को वितरित कर रही हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए प्रचालात्मक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। उचित दर दुकानों को खोलने, पात्रता के मानदण्ड निर्धारित करने आदि के सम्बन्ध में निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं, दुकानों की आर्थिक व्यहार्यता आदि को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। राज्य सरकारों से कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों, विशेषकर सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अभिज्ञात ब्लाकों में अतिरिक्त उचित दर दुकानों को खोलने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों ने 17 जुलाई, 1993 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्य सरकारों

द्वारा निर्धारित 10580 के लक्ष्य के मुकाबले में सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में 10627 उचित दर की दुकानें खोली जा चुकी हैं।

केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म

237. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** :क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित किए गए केन्द्रीय पशु-प्रजनन फार्मों की संख्या स्थान-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और अधिक फार्म स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा कोई फार्म राजस्थान में स्थापित किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदत उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : हमारे यहां 7 केन्द्रीय पशु-प्रजनन फार्म हैं जो कि सूरतगढ़ (राजस्थान), चिपलीमा (उड़ीसा), धर्मोड़ (गुजरात), अलामधि (तमिलनाडु), अंदेशनगर (उत्तर प्रदेश), सेमिलीगुड़ा (उड़ीसा), हैस्सरघट्टा (कर्नाटक) में स्थित हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरिस्का बाघ अभयारण्य में चोरी-छिपे शिकार करना

238. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरिस्का बाघ अभयारण्य क्षेत्र में चोरी-छिपे शिकार करने की घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) शिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही न किए जाने के कारण पूरे देश में बाघ अभयारण्यों के कर्मचारियों में भारी असंतोष है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) 21-4-1993 को सरिस्का बाघ रिजर्व में पांच तीतरों के अवैध शिकार की घटना की सूचना मिली थी जिसमें राज्य सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी और उसका पुत्र शामिल थे।

(ग) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और कथित अपराधियों को राजगढ़ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है।

(घ) किसी भी राज्य सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समस्तीपुर-दरभंगा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

239. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर-दरभंगा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य 1995 के पूर्वार्ध में पूरा हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो पुलों के निर्माण कार्यों, खुदाई कार्यों तथा पटरियों को बदलने हेतु अलग-अलग निर्धारित समय तथा आबंटित धनराशि कितनी है; और

(ग) परियोजना को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) जी हां, इस कार्य को जून, 1995 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है, प्रारम्भिक निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिये गये हैं, उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार 1994-95 तथा 1995-96 में यथापेक्षित धन तथा सामग्री उपलब्ध करा दी जायेगी ।

उपभोक्ताओं को उत्पाद शुल्क की रियायत का लाभ

240. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार द्वारा उत्पाद शुल्क में दी गई रियायत का लाभ उपभोक्ताओं को न देने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटेन से पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं हेतु सहायता

241. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने भारत को पर्यावरण सम्बन्धी परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रदान की गई सहायता राशि का योजनावार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) ब्रिटेन सरकार की ओवरसीज डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से ब्रिटेन ने भारत को पर्यावरण और वानिकी परियोजनाओं

के लिए तकनीकी तथा वित्तीय दोनों प्रकार की सहायता प्रदान की है। जिन परियोजनाओं को ब्रिटेन ने सहायता की पेशकश की है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का विवरण	परिव्यय/स्थिति	राज्य/संस्थान यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	कर्नाटक वृक्ष परियोजना (चरण-2)	परिव्यय 23,58.700 अमरीकी डालर निर्णयाधीन	कर्नाटक
2.	काष्ठ विज्ञान परामर्शी योजना	293.800 पाउंड निर्णयाधीन	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद बंगलौर
3.	वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान के लिए सहायता	649.700 पाउंड निर्णयाधीन	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, कोयम्बटूर
4.	वानिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए सहायता	4.45 मिलियन पाउंड निर्णयाधीन	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून
5.	वन अनुसंधान सूचना प्रणाली	182.650 पाउंड निर्णयाधीन	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद/ भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून
6.	मद्रास वाटरवेज का पर्यावरणीय सुधार	तकनीकी सहायता कार्यक्रम चल रहा है और चौथे वर्ष में है।	मद्रास
7.	गंगा कार्य योजना	तकनीकी सहायता कार्यक्रम अन्तिम चरण में है।	क्षेत्रीय कार्यक्रम
8.	फ्लोरोफ्लोरो कार्बन्स की वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों का विकास	तकनीकी सहायता	क्षेत्रीय कार्यक्रम
9.	पश्चिमी घाट की वानिकी परियोजना	84.2 करोड़ रुपये। हाल ही में अप्रैल, 92 में शुरू हुई है।	कर्नाटक
10.	गोमती सुबल उप-जलसंभर प्रबंध परियोजना	13.34 करोड़ रुपये प्रस्तावित निर्णयाधीन	उत्तर प्रदेश
11.	कुलु-मण्डी वानिकी परियोजना	100,000 पाउंड। शुरू की जानी है।	हिमाचल प्रदेश

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए बुकिंग खिड़कियां

242. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए टिकट खरीदने की सुविधा के लिए अलग से बुकिंग खिड़कियां बनायी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि सभी क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश हैं कि वे बड़े कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों में अपंग व्यक्तियों तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर खोलें। इन अनुदेशों को दुहरा दिया गया है।

जिन स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध हैं वे इस प्रकार हैं :—

1. बम्बई सेन्ट्रल
2. चर्चगेट
3. बड़ोदरा
4. अहमदाबाद
5. जयपुर
6. सिकन्दराबाद
7. हैदराबाद
8. फैयली प्लेस
9. न्यू कोयलाघाट

[हिन्दी]

मदर डेरी के गोदाम में आग लगना

243. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1993 के दैनिक "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "धारा ऑयल गोडाउन गटैड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मदर डेरी के गोदाम में लगी आग से लाखों रुपए का वनस्पति तेल नष्ट हो गया था;

(ग) यदि हां, तो इस आग के कारण अनुमानत: कितने रुपए का नुकसान हुआ;

(घ) क्या सरकार ने आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच करायी है; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) गोदाम में पैकेटों में लगभग 90 लाख रुपए का 300 मीटरी टन धारा तेल रखा हुआ था। स्टाक सभी जोखिमों के प्रति पूरी तरह से बीमित होते हैं ।

(घ) और (ङ) पुलिस को इस दुर्घटना की सूचना देने के अलावा, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा इस दुर्घटना के कारणों की जांच की गई थी । जांच रिपोर्ट के अनुसार गोदाम को इस प्रकार बनाया गया है व उसका रख-रखाव अच्छी तरह से इस प्रकार किया जाता है कि जिससे इस प्रकार की दुर्घटनायें न हों। जांच द्वारा आग लगने की परिस्थितियों और कारणों का पता नहीं चल पाया ।

[अनुवाद]

तिरुपुर (तमिलनाडु) में उपरि पुल

244. **श्री सी० के० कुप्पु स्वामी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में तिरुपुर में एक उपरि पुल के निर्माण का कार्य पूरे जोर से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा रेलवे ने वर्ष 1993-94 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की है; और

(ग) इस धनराशि में राज्य सरकार तथा रेलवे का कितना-कितना अंशदान है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस कार्य की अनुमानित लागत 123,95 लाख रुपये है जिसे पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल का निर्यात

245. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने चावल के निर्यात हेतु विभिन्न देशों में कई सौदे किए हैं;

(ख) क्या श्रीलंका, मारीशस तथा यूरोप में भारतीय चावल की मांग बढ़ गई है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा अथवा इसकी विभिन्न एजेंसियों द्वारा अब तक अमल में लाए गए निर्यात सौदों का ब्यौरा क्या है;

(घ) भारतीय चावल के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय : (क) जी, हां । भारतीय खाद्य निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित मात्रा में चावल का निर्यात किया था :—

वर्ष	निर्यात की गई मात्रा (मीटरी टन में)	उस देश का नाम जिसे चावल निर्यात किया गया
1990-91	शून्य	
1991-92	25000	नेपाल
1992-93	12969	नेपाल
	10068	क्यूबा

(ख) और (ग) जी, हां। लेकिन भारतीय खाद्य निगम द्वारा इन देशों को चावल का कोई निर्यात नहीं किया गया ।

(घ) और (ङ) भारत में चावल के कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करती है ताकि किसानों को कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किसानों की खेती की लागत और उनके लिए उपयुक्त लाभ को ध्यान में रखकर अभिस्तावित मूल्यों के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्यों से कम दामों पर अपनी पैदावार बेचने की घटनाओं को रोका जा सके। सरकारी एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लेवी मूल्यों पर सांविधिक लेवी के अधीन चावल मिल मालिकों/व्यापारियों से चावल की वसूली की जाती है। सरकार बासमती और गैर-बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य भी निर्धारित करती है। गैर-बासमती चावल का वर्तमान न्यूनतम निर्यात मूल्य 250 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन और बासमती चावल का 550 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन है। न्यूनतम निर्यात मूल्य से कम मूल्य पर चावल का कोई निर्यात करने की इजाजत नहीं दी जाती है।

युवा गतिविधियों को बढ़ावा देना

246. श्री डी० वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा वर्ष 1990-91 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई थी;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धन-राशि का उपयोग किया गया; और

(घ) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में युवा गतिविधियों के लिए कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध मस्तमिक) : (क) और (ख) जी, हां। पिछड़ी जनजातियों के युवाओं में युवा कार्यकलापों के संवर्धन की एक नई योजना एक करोड़ रुपये के बजट अनुमान के साथ वर्ष 1990-91 में शुरू की गई थी।

(ग) सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान अनुदानों के माध्यम से 27.61 लाख रुपये का उपयोग किया ।

(घ) इस योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, अनुदान दिये जाते है । 1990-91 में आन्ध्र प्रदेश सरकार को 83,200 रुपये की मंजूरी दी गई । 1991-92 में राज्य सरकार को 9.12 लाख रुपये की एक और मंजूरी दी गई जिसमें पहली किश्त के रूप में 2.28 लाख रुपये जारी किये गये ।

कागज उद्योग

247. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग को राज्य द्वारा सप्लाई किये जा रहे कच्चे माल के रूप में काफी राज सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं कि कागज उद्योग की बढ़ती मांग को देखते हुए पारिस्थितिकी के मानक कायम रह सकें ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं । सरकार द्वारा सप्लाई की गई कच्ची सामग्री के रूप में कागज उद्योग को बहुत अधिक सहायता नहीं दी जा रही है । तथापि, राज्यों ने अन्य सभी नये उद्योगों की भांति कागज उद्योग को भी प्रारम्भिक चरण में ऐसी दरों पर कच्चे माल की सप्लाई के रूप में रियायतें दी हैं, जिससे उन्हें उद्योग को स्थापित करने में प्रोत्साहन मिल सके ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कागज उद्योग की बढ़ती हुई मांगों को देखते हुए, पारिस्थितिकीय मानक बनाए रखने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) कृषि अपशिष्ट से कागज के निर्माण को प्रोत्साहन देना ।

(ii) कागज तथा अन्य उद्योगों को कच्चा सामग्री की आपूर्ति के लिए कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना ।

(iii) लकड़ी के टुकड़ों और लुगदी के आयात को उदार बना दिया गया है ।

(iv) कागज उद्योग सहित प्रदूषण फैलाने वाले सभी अभिनिर्धारित उद्योगों के लिए प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए समय-बद्ध कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं ।

(v) लुगदी और कागज बनाने वाली इकाइयों के लिए पानी की खपत और अपशिष्ट जल विसर्जन सम्बन्धी मानक निर्धारित किए गए है और इन इकाइयों द्वारा देय उपकर इन मानकों के अनुपालन पर निर्भर करता है ।

भारतीय बाल कल्याण परिषद

248. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री 11 मई, 1993 के अतराकित प्रश्न संख्या 8156 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षवार लाभान्वितों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली ने वर्ष 1993-94 के लिए योजनावार कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और इस कार्य हेतु कितना आबंटन किया गया है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और बाल सेविकाओं का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1992-93 के दौरान राज्यवार कितने क्रैचेस (शिशु विहार) चल रहे थे ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी : (क) पिछले तीन वर्षों से भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) जी, हां। 1993-94 के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा निर्धारित योजनावार लक्ष्य तथा 1993-94 के लिए पाठ्यक्रमों, केन्द्रों और परियोजनाओं के लिए योजनागत बजट के आधार पर प्रस्तावित आबंटन संलग्न विवरण-II में दर्शाए गए हैं।

(ग) 1992-93 के दौरान प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और बाल सेविकाओं की राज्यवार संख्या तथा 1992-93 के दौरान कार्यरत शिशुगृहों की संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या

		1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम	1346	1318	1275
2.	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम			
	(i) कार्य-प्रशिक्षण	10736	12708	10709
	(ii) पुनश्चर्या प्रशिक्षण	6045	5468	6485
	(iii) सहायता प्रशिक्षण	2390	2705	5883
3.	बालवाड़ी-सह-पोषाहार कार्यक्रम	31590	32030	32942
4.	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम	19790	18580	19520
5.	शिशुगृह कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम	349	84	243
6.	शिशुगृह कार्यक्रम	38700	37710	38800
7.	बाल श्रम परियोजना फिरोजाबाद	500	500	500
8.	बाल श्रम बीड़ी परियोजना, म० प्र०	142	153	146

1	2	3	4	5
9.	बाल श्रम परियोजना, अलीगढ़	496	496	497
10.	बाल श्रम परियोजना, मुरादाबाद	465	450	335
11.	दिल्ली में आवारा बच्चों (स्ट्रीट चिल्ड्रन) की परियोजना	60	60	60
12.	आसाम में निराश्रित बच्चे	80	60	60

विवरण-II

क्रम सं०	योजना/परियोजना	1993-94 के लिए मात्रात्मक लक्ष्य	1993-94 के लिए प्रस्तावित आवंटन (रु०)
1.	बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम	1320	43,68,750
2.	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम	25000	3,97,18,400
3.	बालवाड़ी-सह-पोषाहार कार्यक्रम	28105	69,86,000
4.	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम	19581	46,00,000
5.	शिशुगृह कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम	343	2,26,800
6.	शिशुगृह कार्यक्रम	40325	2,98,08,240
7.	बाल श्रम, फिरोजाबाद	500	14,94,200
8.	बाल श्रम, मुरादाबाद	500	15,05,800
9.	बाल श्रम, अलीगढ़	500	14,70,200
10.	बीड़ी परियोजना, मध्य प्रदेश	200	1,87,280
11.	स्ट्रीट चिल्ड्रन परियोजना, दिल्ली	60	1,16,390
12.	आसाम के निराश्रित बच्चे	60	1,80,000

विवरण-III

1992-93 के दौरान कार्यरत शिशुगृहों तथा प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षित बालसेविकाओं की राज्य-वार संख्या

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम :

राज्य का नाम	कार्य प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	सहायिका प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
असम	619	661	948
बिहार	462	880	16
दिल्ली	172	137	129
गुजरात	653	1264	843
हरियाणा	472	689	—
हिमाचल प्रदेश	329	37	—
कर्नाटक	1866	–	—
केरल	136	—	—
मध्य प्रदेश	1169	1912	1006
महाराष्ट्र	825	166	—
मणिपुर	146	46	—
उड़ीसा	952	271	—
पंजाब	485	217	121
राजस्थान	113	37	—
त्रिपुरा	—	—	942
उत्तर प्रदेश	1723	137	1878
पश्चिम बंगाल	588	33	—
योग	10709	6485	5883

शिशुगृह कार्यक्रम :

क्रम	राज्य/कि० शा० प्रदेश का नाम	शिशुगृहों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	215
2.	असम	24
3.	बिहार	13
4.	चण्डीगढ़	15
5.	दिल्ली	50
6.	गुजरात	62
7.	हरियाणा	281
8.	हिमाचल प्रदेश	122
9.	कर्नाटक	40
10.	केरल	72
11.	लक्षद्वीप	10
12.	मध्य प्रदेश	303
13.	महाराष्ट्र	75
14.	मणिपुर	7
15.	उड़ीसा	57
16.	पंजाब	27
17.	पांडिचेरी	1
18.	तमिलनाडु	110
19.	उत्तर प्रदेश	15
20.	पश्चिम बंगाल	67
21.	जम्मू और कश्मीर	47
	योग	1613

प्रशिक्षित बाल सेविकाएं :

क्रम सं०	राज्य/के० शा० प्रदेश का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	165
2.	असम	79
3.	चण्डीगढ़	51
4.	गुजरात	60
5.	कर्नाटक	130
6.	केरल	176
7.	मध्य प्रदेश	56
8.	महाराष्ट्र	169
9.	मणिपुर	50
10.	तमिलनाडु	98
11.	उत्तर प्रदेश	98
12.	पश्चिम बंगाल	143
	योग	1275

पट्टे के आधार पर खरीदे गए रेल इंजन

249. **श्री विजय एन० पाटील :**

श्रीमती सरोज दुबे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेल इंजनों का आयात करने या उन्हें पट्टे के आधार पर प्राप्त करने हेतु अनिवासी भारतीयों से धन जुटाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस समय वह किस स्तर पर है;

(ग) उत्पादन योजना की तुलना में आठवीं योजना में वर्षवार कितने रेल इंजनों की आवश्यकता है; और

(घ) आठवीं योजना के दौरान आवश्यकता और आपूर्ति के अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेल इंजनों की आवश्यकताओं का हिसाब सर्वप्रथम किसी पंचवर्षीय योजना के टर्मिनल वर्ष के लिए प्रक्षेपित यातायात के सन्दर्भ में लगाया जाता है। तत्पश्चात्, यातायात लक्ष्यों के सम्बन्ध में वार्षिक आवश्यकता का वर्षवार आकलन किया जाता है। वर्तमान आकलन के अनुसार आठवीं योजना के दौरान रेल इंजनों की कुल आवश्यकता लगभग 1600 रेल इंजन होने का अनुमान है। रेलवे उत्पादन इकाइयों की उत्पादन क्षमता समूची आठवीं योजना के लिए औसतन 1350 रेल इंजन है। इस कमी को पूरा करने के लिए उपलब्ध विकल्प देशी विनिर्माताओं, आयात, पट्टा आदि से प्रापण है। इस समय बी० एच० ई० एल० को 50 रेल इंजनों का एक आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त 30 एच० एच० पी० रेल इंजनों का आयात करने का विनिश्चिय किया गया है। रेल इंजनों को पट्टे पर लेने पर भी विचार किया जा रहा है।

गुजरात में पर्यावरण और वन सम्बन्धी परियोजनाएं

250. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण के सुधार और वनों के विकास के लिए आरम्भ की गई केन्द्र सरकार की सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धि की गई है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(घ) निकट भविष्य में आरम्भ किये जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में पर्यावरण सुधार और वनों के विकास के लिए दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता और प्राप्त उपलब्धियों का स्कीम-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र०सं०	स्कीम का नाम	सम्मिलित क्षेत्र (हैक्टेयर में)	दी गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए में)
1	2	3	4
1.	समेकित परती भूमि विकास परियोजनाओं की स्कीम	3228	281.88
2.	ईंधन लकड़ी, चारा परियोजना स्कीम	12286	426.21
3.	लघु वनोपज स्कीम	2326	141.89
4.	बीज विकास स्कीम	*	25.27

1	2	3	4
5.	मरू विकास कार्यक्रम	4645	272.85
6.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	8394	284.67
7.	वन्यजीव संरक्षण स्कीम	*	155.06
8.	नदी घाटी परियोजनाओं की स्कीम	16100	490.09
	योग	46979	2078.62

* हैक्टेयर के आधार पर लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(घ) इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

[हिन्दी]

शोलापुर और बीजापुर के बीच रेल लाइन

251. **श्री गोविन्दराव निकाम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य रेलवे में शोलापुर और बीजापुर के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने की स्वीकृति दे दी है और इस पर काम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) शोलापुर (होटगी)—गदग खंड (300 कि०मी०) का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन कार्य 180 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1993-94 में शुरू किया गया है । इस कार्य के आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा किये जाने की सम्भावना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों ।

[अनुवाद]

केरल को आवश्यक वस्तुओं का आबंटन

252. **श्री थाइल जॉन अंजलोज :**
श्री पी० सी० थामस :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को जनवरी, 1993 से जून, 1993 तक गेहूं, चावल, चीनी, पाम्मोलीन, मिट्टी के तेल इत्यादि का कुल कितनी-कितनी मात्रा में माहवार आबंटन किया गया,

(ख) क्या केरल सरकार ने ओनम पर्व के लिए इन वस्तुओं का कोटा बढ़ाने का आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) केरल को जनवरी, 1993 से जून, 1993 तक चावल, गेहूं, लेवी चीनी, मिट्टी के तेल और आयातित खाद्य तेलों की आबंटित मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) जी, हां । केन्द्रीय सरकार ने केरल को ओणम त्यौहार के लिए 25000 मीटर टन चावल का अतिरिक्त आबंटन किया है । केरल को ओणम त्यौहार के लिए लेवी चीनी की भी 5500 मी० टन मात्रा दी गई है, जिसमें 3600 मी० टन त्यौहार कोटा और 1900 मी० टन अग्रिम आबंटन है । राज्य सरकार को ओणम त्यौहार के लिए जून, 1993 में 2525 मी० टन पामोलीन भी आबंटित किया गया था ।

विवरण

केरल को जनवरी, 1993 से जून, 1993 तक चावल, गेहूं, लेवी चीनी, मिट्टी के तेल और आयातित तेलों का महाद्वार आबंटन

(मी० टन में)

माह	चावल	गेहूं	लेवी चीनी	मिट्टी का तेल	आयातित तेल
जनवरी, 1993	1,50,000	25000	12551	22423	1000
फरवरी, 1993	1,50,000	25000	12551	22084	800
मार्च, 1993	1,50,000	25000	12551	22084	शून्य
अप्रैल, 1993	1,50,000	25000	12551	22084	शून्य
मई, 1993	1,50.000	25000	12551	22084	2052
जून, 1993	1,50,000	25000	12551	22084	2525

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

253. **श्री राम नाईक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंगनवाड़ी स्कूलों में महिला सहायकों (आंगनवाड़ी सेविका) को समाहित वेतन दिया जाता है;

(ख) क्या इन सहायकों को नियमित वेतन-मान में नियमित सरकारी सेवा में लेने का मामला सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती राजेश्वरी) : (क) समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बासवा अंशकालिक स्वयंसेवी कार्यकर्ता होते हैं और उन्हें मासिक मानदेय राशि दी जाती है ।

(ख) और (ग) जी, नहीं ।

(घ) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्थानीय समुदाय से लिये गये अंशकालिक स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं । उनके कार्य के स्वैच्छिक स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें सरकारी कर्मचारी के पद पर नियुक्त करना अथवा उन्हें नियमित वेतनमान दिया जाना संभव नहीं ।

हटिया गोरखपुर एक्सप्रेस में वातानुकूलित सवारी डिब्बा

254. **श्री ललित उरांव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हटिया-गोरखपुर (मौर्य) एक्सप्रैस में वातानुकूलित स्लीपर सवारी डिब्बा उपलब्ध कराया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस रेलगाड़ी में यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जायेगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) जी नहीं, तथापि, नीति के रूप में रेलों ने सभी रात्रिकालीन मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों में दूसरा दर्जा वातानुकूल शयनयानों की व्यवस्था करने का विनिश्चय किया है लेकिन निर्माण इकाइयों की सीमित उत्पादन क्षमता के कारण इसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है ।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश को गेहूं और चावल की सप्लाई

245. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल की कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गई; और

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उक्त अवधि के दौरान "सुपर फाइन" चावल की कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) 1992-93 (अप्रैल, 92—मार्च,

93) तथा 1993-94 (अप्रैल, 93—अगस्त, 93) में आन्ध्र प्रदेश को आबंटित चावल तथा गेहूं की मात्रा इस प्रकार है :—

(हजार मी० टन में)

	चावल	गेहूं
1992-93 (अप्रैल 92—मार्च, 93)	2283	276
1993-94 (अप्रैल—अगस्त)	950	67.6

आमतौर पर आन्ध्र प्रदेश में अधिक प्राप्त चावल राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा जारी करने के लिए दिया जाता है। किसी भी राज्य को जारी किए गए चावल की प्रत्येक किस्म की सही-सही मात्राओं का ब्यौरा इस मन्त्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्यालय जाने योग्य बच्चे

256. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय विद्यालय जाने योग्य बच्चों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश बच्चों की शिक्षा के अधिकार और विद्यालय जाने के अवसर से वंचित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) उत्तर प्रदेश में 30 सितम्बर, 1991 तक 6-14 आयुवर्ग में स्कूल जाने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या 219-8 लाख थी।

(ख) 201.13 लाख बच्चों को प्राथमिक तथा मिडिल कक्षाओं में नामांकित किया गया है। अब केवल 18.67 लाख बच्चों को नामांकित करना बाकी है। इस प्रकार स्कूल जाने वाले अधिकांश बच्चों (91 प्रतिशत) का स्कूलों में नामांकन कर दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना एक राष्ट्रीय लक्ष्य है और इस शताब्दी के अन्त तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक स्कूल खोलकर सबके लिए पहुंच प्रदान करना, पाठ्यक्रमों में परिवर्तन कर पठन-पाठन प्रक्रिया को और अधिक रुचिकर बनाना, शिक्षकों को प्रशिक्षित

करना तथा आपरेशन ब्लैकबोर्ड के माध्यम से स्कूल भवन तथा साज-सामान जैसी न्यूनतम सुविधायें प्रदान करने की कुछ कार्यनीतियां अपनाई जा रही हैं। स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों तथा गैर नामांकित बच्चों की शिक्षा पूरी करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं।

[अनुवाद]

विकास परियोजनाओं को वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति

257. **मेजर डी० डी० खनोरिया :**

श्री ललित उरांव :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार राज्यवार कौन-कौन सी विकास परियोजनायें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं तथा प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी वन भूमि का उपयोग किया गया है;

(ख) ये परियोजनायें कब से लम्बित पड़ी हैं तथा इन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) 30-6-93 की स्थिति के अनुसार; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से सभी अनिवार्य ब्यौरे प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रस्तावों के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए उनकी शीघ्र जांच की जाती है।

विवरण

क्रम सं०	प्रस्ताव का नाम	अपेक्षित वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	जब से लम्बित है	लम्बित रहने के कारण/ मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	सरस्वती नहर का निर्माण	19.8	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है ।
2.	डिस्ट्रीब्यूटरी नं० डी०बी०एम०-40	50.00	मई, 1993	आर०सी०सी०एफ० को स्थल का निरीक्षण करने के लिए कहा गया है।
3.	ए०सी०सी० लि० द्वारा चूना-हत्थर के लिए खनन पट्टा	92.61	अप्रैल, 1993	कार्रवाई चल रही है ।
4.	एस०सी०सी०एल० द्वारा कोयला खनन पट्टे का नवीकरण	7645.73	मार्च, 1993	कार्रवाई चल रही है ।
5.	कृषि उद्देश्यों के लिए सुगालियों को काम देना	200.00	मार्च, 1993	आर० सी० सी० एफ० से स्थल-निरीक्षण के लिए कहा गया है ।
	असम :			
1.	400 कि०वा० डी/सी रोरगानटी बालीपारा ट्रांसमिशन लाइन	130.45	मई, 1993	आर० सी० सी० एफ० से स्थल-निरीक्षण के लिए कहा गया है ।

1	2	3	4	5
	बिहार :			
1.	झारखण्ड कोयला परियोजना	122.6	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
2.	सी०सी०एल० द्वारा पिपरवार कोल प्रोजेक्ट	43.3	मई, 1993	—वही—
3.	जीवनधारा खुली खदान परियोजना	6.38	जनवरी, 1993	—वही—
4.	मुरादियाह खनन परियोजना	7.60	दिसम्बर, 1992	—वही—
5.	सी०सी०एल० का आरा परियोजना	7.44	जून, 1993	—वही—
	गुजरात :			
1.	एस०एस०पी० स्विच से मध्य प्रदेश सीमा तक 400 कि० वा० डी/सी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	24.540	मई, 1993	कार्रवाई चल रही है।
2.	ब्राइन पाइप लाइन	7.47	अप्रैल, 1993	—वही—
3.	एच०ए०डी०ए०एफ० सिचाई स्कीम	50.00	मार्च, 1993	आर० सी० सी० एफ० से स्थल-निरीक्षण के लिए कहा गया है।
4.	जंखारी सिचाई स्कीम का निर्माण	1120.00	अक्टूबर, 1992	कार्रवाई चल रही है।
5.	लघु सीमेंट संयंत्र का निर्माण	107.03	नवम्बर, 1991	कार्रवाई चल रही है।
6.	खेद ब्रह्मा लक्ष्मीपुरा अर्तनसिमला रोड का निर्माण	3.00	मई, 1993	—वही—
7.	कोजन लघु सिंचाई स्कीम	15.2724	जून, 1993	—वही—

1	2	3	4	5
8.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 (208/6 किमी० से 218/6 किमी०) को चौड़ा करना	12.24	अप्रैल, 1993	कार्रवाई चल रही है।
9.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 (192/0 किमी० से 204/0 किमी०) को चौड़ा करना	14.40	फरवरी, 1993	—वही—
10.	डालोमाइट लाइम स्टोन माईनिंग	2.630	फरवरी, 1993	—वही—
	हरियाणा :			
1.	एन०एच०पी०सी० (हिसार) सब-स्टेशन और बी० बी० एम० बी० (हिसार) के बीच 220 कि० वा० अन्तःसम्पर्क ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	0.6797	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
	हिमाचल प्रदेश :			
1.	सी०सी०आई० को खनन पट्टा	0.257	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
2.	देहरा से हमीरपुर तक 132 कि०वा० डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	6.36	जून, 1993	—वही—
3.	बासपा जल-विद्युत परियोजना	44.197	अप्रैल, 1993	—वही—
4.	मैसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज द्वारा सीमेंट संयंत्र	172.130	फरवरी, 1993	सलाहकार समिति के सदस्य ने स्थल-निरीक्षण का अनुरोध किया है।

1	2	3	4	5
5.	सेना द्वारा ट्रांजिट कैम्प का निर्माण	12.00	फरवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
	कर्नाटक :			
1.	मैसर्स डालमिया सीमेंट के खनन पट्टे का नवीकरण	201.5	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
2.	काली जल-विद्युत परियोजना और कैंगा के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	526.10	फरवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
3.	श्री अबूबकर के खनन पट्टे का नवीकरण	56.660	जनवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
4.	डब्ल्यू०सी०पी० मिल्स के लिए वन भूमि के पट्टे का नवीकरण	80-00	अप्रैल, 1993	सलाहकार समिति के सदस्य द्वारा स्थल-निरीक्षण का अनुरोध किया गया है।
5.	डाडेली फेरस अलॉय प्रा० लि० के लिए खनन पट्टा	40.47	नवम्बर, 1991	कार्रवाई चल रही है।
	केरल :			
1.	बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए वन भूमि देना	228.81	जनवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
	मध्य प्रदेश :			
1.	पाथखेरा क्षेत्र में कोयला खनन	16.463	अप्रैल, 1993	कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4	5
2.	मदना टैंक परियोजना	8.377	अप्रैल, 1993	कार्रवाई चल रही है।
3.	लोसोंगा टैंक परियोजना	5.168	अप्रैल, 1993	कार्रवाई चल रही है।
4.	132 कि० वा० ट्रांसमिशन लाइन हंसदेव परियोजना	8.423	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
5.	कोयला खनन के लिए एस० ई० सी० एल० को सरफेस अधिकार	2.902	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
6.	डब्ल्यू० सी० एल० द्वारा कोयला खनन	3.296	फरवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
7.	शोहागपुर में एस० ई० सी० एल० द्वारा सरफेस अधिकार	2.902	अप्रैल, 1993	कार्रवाई चल रही है।
8.	केसवी टैंक परियोजना	2.509	फरवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
9.	कपिलधारा में नई ढलान और रोड़	4.960	फरवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
10.	सिंगपाली से नातामार तक 11 कि०वा० ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	1.540	मई, 1993	कार्रवाई चल रही है।
11.	कैंप-बाबरीखेड़ा से 11 कि०वा० ट्रांसमिशन लाइन	1.150	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
12.	सिंगपुर फील्ड फायरिंग रेंज	24,556.260	जून, 1993	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को स्थल-निरीक्षण के लिए कहा गया है।
13.	डब्ल्यू०सी०एल० द्वारा पायखेरा क्षेत्र में इमारत का निर्माण	4.181	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4	5
14.	भुजई गोंडी टैंक परियोजना	20.180	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
15.	सेन्धरी पानी टैंक परियोजना	29.630	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
16.	लिहागांव टैंक परियोजना	22.350	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
17.	चिचाडो टैंक परियोजना	44.73	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
18.	नन्धको टैंक परियोजना	32.535	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
19.	मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज द्वारा स्पोंज आयरन प्लांट	44.00	जून, 1993	सलाहकार समिति के सदस्य ने स्थल-निरीक्षण के लिए अनुरोध किया है।
20.	सन्दूर बांध परियोजना	1080.220	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
21.	राजाली टैंक परियोजना	6.5	मई, 1993	कार्रवाई चल रही है।
22.	चाकदही टैंक परियोजना	9.95	मई, 1993	कार्रवाई चल रही है।
23.	पिलपानी टैंक परियोजना	39.560	अप्रैल, 1993	कार्रवाई चल रही है।
24.	बाकोरी टैंक परियोजना	105.92	अप्रैल, 1993	कार्रवाई चल रही है।
25.	निम्ब टैंक परियोजना	61.50	अप्रैल, 1993	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से स्थल-निरीक्षण के लिए कहा गया है।
26.	ऊपरी चंडिया टैंक परियोजना	149.24	अप्रैल, 1993	—वही—

1	2	3	4	5
27.	मोहरेंगा टैंक परियोजना	49.40	फरवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
28.	रानी डोंगरी टैंक परियोजना का निर्माण	33.980	फरवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
29.	सतना से बीरसिंहपुर तक 400 कि०वा० ट्रांसमिशन लाइन	51.648	फरवरी, 1993	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को स्थल-निरीक्षण के लिए कहा गया है।
30.	सेना द्वारा छोटा झाम फायरिंग रेंज	1952.750	फरवरी, 1993	—वही—
31.	एस०ई०सी०एल० को भूमिगत खनन के लिए परमिशन देना	530.000	फरवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
32.	ढाबाकर टैंक परियोजना	54.520	मार्च, 1993	कार्रवाई चल रही है।
33.	गोदला नाला टैंक परियोजना	53.703	मार्च, 1993	कार्रवाई चल रही है।
34.	पी०वी०-103 सिंचाई परियोजना का निर्माण	95.930	अक्टूबर, 1992	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को स्थल-निरीक्षण के लिए कहा गया है।
35.	बोधघाट जल-विद्युत परियोजना	5704.332	अगस्त, 1992	परियोजना को गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण के लिए मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

1	2	3	4	5
36.	कोणार्क खनिज लि० के लिए खनन पट्टा	20.234	अक्टूबर, 1992	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को स्थल निरीक्षण के लिए कहा गया है।
37.	डूमरपाली सिंचाई परियोजना	40.000	अक्टूबर, 1992	—वही—
38.	रीवा और सोधी जिलों में फील्ड फायरिंग रेंज	16,630.441	सितम्बर, 1992	कार्रवाई चल रही है।
39.	सेना द्वारा बेरचा फील्ड फायरिंग रेंज	3,650.120	अक्टूबर, 1992	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को स्थल-निरीक्षण के लिए कहा गया है।
40.	आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोग	1.00	अगस्त, 1992	कार्रवाई चल रही है।
41.	शामपुर टैंक परियोजना का निर्माण	45.310	जून, 1992	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से स्थल निरीक्षण के लिए कहा गया है।
42.	अमरपुरा परियोजना का निर्माण	46.50	जुलाई, 1992	—वही—
43.	पिहदा सिंचाई परियोजना	44 00	जुलाई, 1992	—वही—
44.	दिगम्बर जैन आतिथ्य क्षेत्र गोपाचल	11.970	दिसम्बर, 1992	कार्रवाई चल रही है।
45.	एम० पी० एम० एम० पी० लि० के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	29.173	अप्रैल, 1992	कार्रवाई चल रही है।
	महाराष्ट्र :			
1.	देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज का विस्तार	3524.44	अक्टूबर, 1992	स्थल-निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5
2.	भत्ता बांध-चरण-2 का निर्माण	2027.860	जनवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
3.	लघु सिंचाई टैंक, नीमगांव का निर्माण	141.620	जनवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
4.	पालनदुर लघु सिंचाई टैंक का निर्माण	64.150	सितम्बर, 1992	स्थल-निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
5.	सिन्देवा वाही में टैंक का निर्माण	139.760	जनवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
6.	वारगढ़ लघु सिंचाई टैंक	58.21	जनवरी, 1993	स्थल-निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
7.	अपर पेनगंगा परियोजना	5.670	अप्रैल, 1993	पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित।
8.	कारली लघु सिंचाई टैंक का निर्माण	51.900	अप्रैल, 1993	कार्रवाई चल रही है।
9.	दुधनेगंगा सिंचाई परियोजना	1178.5540	मई, 1993	स्थल-निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
10.	कोल्हापुर लघु सिंचाई टैंक, सेम्बुरवाडी	60.38	मई, 1993	कार्रवाई चल रही है।
11.	(68 परम्परागत खदान) खनन पट्टे का नवीकरण	167.401	मई, 1993	कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4	5
12.	पिलेन्द्री लघु सिंचाई टैंक	60.63	जून, 1993	स्थल-निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
13.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-8 बम्बई अहमदाबाद को चौड़ा करना	179.873	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
14.	धेनोली में लघु सिंचाई टैंक	49.50	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
15.	काटेजी टैंक परियोजना	81.30	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
16.	कामखेड़ा लघु सिंचाई टैंक	40.50	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
17.	रायगढ़ में निजी वन के सुधारी गई भूमि का बनेतर उपयोग	120.00	जून, 1993	स्थल-निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
18.	वर्तमान टनेल को चौड़ा करना	0.25	जून, 1993	कार्रबाई चल रही है।
19.	चेरडा के गाटापल्ली तक 11 कि० वा० ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	1.120	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
20.	मरमजोबे लघु सिंचाई टैंक का निर्माण	4.23	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
21.	डिफेंस इन्स्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लोसिव सेफ्टी डी० आर० डी० ओ०	16.18	जून, 1993	कार्रबाई चल रही है।

1	2	3	4	5
22.	लघु सिंचाई टैंक	13.80	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
23.	बोल्डोलैंड लघु सिंचाई टैंक	13.00	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
24.	कातसू गांव राजस्व विभाग के लिए	18.57	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
25.	तेकबदेव टैंक परियोजना	9.30	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
26.	परम्परागत पत्थर खदानों का नवीकरण	4.04	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
	मणिपुर :			
1.	सैकावत में एस० एस० बी० इकाई की स्थापना के लिए	500.00	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
	मिजोरम :			
1.	तुरियल जल.विद्युत परियोजना के लिए 5380 है० वन भूमि का उपयोग	5380.00	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
	उड़ीसा :			
1.	मि० बलराम साहू के लिए खनन पट्टा	0.90	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
2.	पुरी और कोणार्क के बीच समुद्र तट पर स्प्रिंग पर्यटन क्षेत्र का विकास	90.125	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4	5
3.	सतभाया और कान्हूपुर ग्रामों के 395 परिवारों का पुनर्वास	532.97	दिसम्बर, 1992	कार्रवाई चल रही है।
4.	बाघ बांध मझौली सिंचाई परियोजना चरण-1 का निर्माण ।	94.00	दिसम्बर, 1992	स्थल-निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
5.	220 कि०वा० ट्रांसमिशन लाइन	153.341	मई, 1993	—वही—
	पंजाब :			
1.	मोगा से फिरोजपुर तक 220 कि०वा० ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	0.2631	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
2.	फिल्लौर में बस अड्डे का निर्माण	0.37	जून, 1993	—वही—
	राजस्थान :			
1.	झालावाड़-अकेलड़ा 132 कि०वा० ट्रांसमिशन लाइन	14.85	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।
	सिक्किम :			
1.	फील्ड फायरिंग रेंज	172.6 वर्ग किमी०	फरवरी, 1993	स्थल-निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
	तमिलनाडु :			
1.	तिरुचिरापल्ली में भारतीय सेना द्वारा फील्ड फायरिंग रेंज	2717.41	फरवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4	5
	उत्तर प्रदेश :			
1.	गढ़वाल के 12 ग्रामों के लिए वन भूमि का आदान-प्रदान	400.00	जनवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
2.	मौथेरूराला फील्ड फायरिंग रेंज	398.08	जनवरी, 1993	—वही—
3.	लालडांग के गांव के लिए वन भूमि का आदान-प्रदान	184.846	जनवरी, 1993	—वही—
4.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लि० के नाम खनन पट्टे का नवीकरण	111.87	मार्च, 1993	—वही—
5.	नाथोसेराइडी डब्ल्यू० एस० एस०	0.003	जून, 1993	—वही—
6.	फ्रंटियर अकादमी ग्वाल्डम पहुंच मार्ग	0.36	जून, 1993	—वही—
7.	फ्रंटियर अकादमी ग्वाल्डम रेंज आर० एम० आर०	0.714	जून, 1993	—वही—
8.	क्षेत्रीय रिक्रिटर स्टेशन अनुमान गढ़ी का निर्माण	0.0084	जून, 1993	—वही—
9.	पंत गांव डी० डब्ल्यू० एस० एस०	0.04583	जून, 1993	—वही—
10.	चिनयाली सेरा जोगत एम० आर०	3.51	जून, 1993	—वही—
11.	नौतन डी० डब्ल्यू० एस० एस०	0.189	जून, 1993	—वही—
12.	हल्के वाहनों के लिये खेलांग उरगम एम० आर०	0.864	जून, 1993	—वही—
13.	एंडी पिथारा मिनास	4.95	मई, 1993	—वही—
14.	फतेहपुर नागेश्वर भाट गांव हल्का वाहन एम० आर०	0.906	मई, 1993	—वही—
15.	गुलार गुरघट्टी डी० डब्ल्यू० एस० एस०	0.2678	मई, 1993	—वही—

1	2	3	4	5
16.	बदिया गढ़ सोराखल एम० आर०	16.30	मई, 1993	कार्रवाई चल रही है।
17.	रंगा पंगति गारपक द्रोणागिरि ऐरिडल रोड	2.735	मई, 1993	कार्रवाई चल रही है।
18.	दुगड्डा सोर पिपलीधार मोटर मार्ग	10.88	मई, 1993	कार्रवाई चल रही है।
19.	चोखुटिया गोडीखेड़ा एम० आर०	4.3768	मई, 1993	कार्रवाई चल रही है।
20.	चटौली डी० डब्ल्यू० एस० एस०	0.245	मई, 1993	कार्रवाई चल रही है।
21.	चखौली भिरि एम० आर०	9.33	मई, 1993	कार्रवाई चल रही है।
22.	झोपड़ा डी० डब्ल्यू० एस० एस०	0.2745	मई, 1993	कार्रवाई चल रही है।
23.	कफोली डी० डब्ल्यू० एस० एस०	0.15	मई, 1993	कार्रवाई चल रही है।
24.	मयून्डाले लालवाड़ी डी०डब्ल्यू०एस०एस०	0.807	मई, 1993	कार्रवाई चल रही है।
25.	राजकीय इण्टर कालेज टूपेयर	4.702	मई, 1993	कार्रवाई चल रही है।
26.	ठोकरहेड़ी से मजलिसपुर मार्ग (सोलानी नदी पर)	3.072	मई, 1993	कार्रवाई चल रही है।
27.	पुलिस चौकी पखरों	1.0	मार्च, 1993	कार्रवाई चल रही है।
28.	सीदरवाला खादरी नहर	0.04	फरवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
29.	हल्का वाहन सड़क पी०डी०एल० से मूलाकोट	3.7539	फरवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
30.	रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्नेह	0.1	फरवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
31.	जमीरा डी०डब्ल्यू०एस०एस०	0.0249	मार्च, 1993	कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4	5
32.	लखमली हिसरकल जमीराखल	3.363	मार्च, 1993	कार्रवाई चल रही है।
33.	पदमपुरी थानन चूली एम०आर०	0.327	मार्च, 1993	कार्रवाई चल रही है।
34.	किमटोली रटौल एम०आर०	6.086	मार्च, 1993	कार्रवाई चल रही है।
35.	धारा परिक्रमा से पी०डी०एल० मोटर मार्ग एम०आर०	0.294	फरवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
36.	स्यालकोट खेटा एम०आर०	2.4798	फरवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
	त्रिपुरा :			
1.	पश्चिम में रबर की खेती	343.21	जनवरी, 1993	थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
	पश्चिम बंगाल :			
1.	खूरिया गांव का अंतरक	45.00	जून, 1993	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षण से स्थल निरीक्षण करने को कहा गया है।
2.	डब्ल्यू०ई०एस०ई० द्वारा हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर स्टेशन	232.00	अप्रैल, 1993	—वही—
3.	पर्यटक लॉज का निर्माण	0.6	जून, 1993	कार्रवाई चल रही है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा निपटाए गए मामले

258. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा 1992-93 के दौरान कितने मामले निपटाए गए;

(ख) 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार उनमें से कितने मामले/अपील इस मंच के पास लम्बित पड़े हैं; और

(ग) किसी मामले को सुलझाने में मंच औसतन कितना समय लेता है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) राष्ट्रीय आयोग द्वारा वर्ष 1992 तथा 1993 (30-6-93 तक) में निपटाए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

	1992	1993 (30-6-93 तक)
मूल याचिकाएं	135	86
प्रथम अपीलें	280	104
पुनरीक्षण याचिकाएं	349	228
	764	418

(ख) राष्ट्रीय आयोग के पास 30 जून, 1993 को लम्बित पड़े मामलों की संख्या 1482 है।

(ग) उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के उपबंधों के अनुसार मूल याचिकाएं तथा अपीलों का निर्णय, जहां तक संभव है, 90 दिनों/150 दिनों (जिन मामलों में वस्तुओं के परीक्षण/विश्लेषण की अपेक्षा होती है) के भीतर किया जा रहा है। तथापि, इनमें से कुछ का निपटान उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेशों अथवा वस्तुओं में कथित दोष के बारे में विशेषज्ञ की राय प्राप्त करने की आवश्यकता आदि जैसे कारणों की वजह से नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम

259. **श्री मुमताज अन्सारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार अकाल-प्रवण अथवा बाढ़ से प्रभावित राज्यों को ऐसी सहायता देने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम नामक कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ग) नौवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य के बजट में आपदा राहत कोष का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार इस कोष के लिए 75 प्रतिशत अंशदान देती है।

[अनुवाद]

पंजाब में पर्यावरण प्रदूषण

260. श्री प्रकाश पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जून, 1993 के "इकोनॉमिक टाइम्स" में "एन्वायरन्मेंटल पॉल्यूशन ऐट अलार्मिंग लेवल इन पंजाब" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पंजाब में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पंजाब राज्य में, उद्योगों की 17 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली श्रेणियों के तहत आने वाले 45 उद्योग हैं जिनकी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निगरानी की जा रही है। इन 45 इकाइयों में से 18 उद्योगों ने प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त उपाय कर लिए हैं। निर्धारित मानकों का पालन न करने वाले उद्योगों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन इकाइयों के लिए मानकों के अनुपालन हेतु एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की है। दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। मंडी, गोविन्दगढ़ की अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र के रूप में शिनाख्त की गई है और पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरणीय गुणवत्ता की बहाली हेतु कार्य योजना शुरू की है।

(घ) स्रोत पर ही उत्सर्जनों और बहिस्रावों को नियंत्रित करके पर्यावरण को और आगे बिगड़ने से बचाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव, उत्सर्जन और परिवेशी शोर मानक निर्धारित किये गए हैं।
2. उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।
3. बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जन को निर्धारित मानकों तक सीमित रखने के लिए उद्योगों से कहा गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की मंजूरी सम्बन्धी शर्तों का पालन करें।

4. केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से प्रदूषक उद्योगों के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।

5. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने तथा प्रदूषक उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से हटाकर अन्यत्र लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

6. परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

7. छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों के समूहों को सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है।

8. लघु उद्योगों में प्रदूषण के निवारण के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाने पर सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है।

9. जल उपकर में वृद्धि की गई है ताकि जल संरक्षण और उसके पुन: प्रयोग को बढ़ावा मिल सके।

10. उद्योगों में पर्यावरणीय प्रबन्ध को प्रोत्साहन देने हेतु प्रदूषण निवारण के लिए उद्योगों को पुरस्कृत करने की एक योजना शुरू की गई है।

11. प्राकृतिक संसाधनों तथा कच्ची सामग्रियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरणीय समीक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में वनों की कटाई

261. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के सम्बन्ध में कोई सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस राज्य में वनों की कटाई रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) उड़ीसा में व्यापक स्तर पर हो रहे वन नाशन के सम्बन्ध में सरकार को कोई खास रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1991 के अनुसार 1989 के मूल्यांकन के बाद उड़ीसा के वन क्षेत्र में 90 वर्ग कि०मी० की वास्तविक वृद्धि हुई है। तथापि, बताया गया है कि उड़ीसा में 5298 वर्ग कि०मी० क्षेत्र झूम खेती से प्रभावित हुआ है।

(ग) उड़ीसा के वन आच्छादन को बचाने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू करना और उसका कड़ाई से कार्यान्वयन करना।

(2) राज्य सरकार को सहायता देना तथा केन्द्र और राज्य के वन नियमों के कार्यान्वयन के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना ।

(3) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि वह 1000 मीटर से अधिक ऊंचे स्थानों पर हरे-भरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर विचार करे ।

(4) वन प्रबन्ध में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने आवश्यक कार्रवाई की है ।

(5) "उड़ीसा सामाजिक वानिकी परियोजना के लिए उड़ीसा सरकार को 78.34 लाख रुपये की अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त हुई है ।

(6) वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान उड़ीसा में 7,41,347.56 है० क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया गया है ।

सूखे की स्थिति

262. **श्री संजय लाल :**
श्री परशराम भारद्वाज :
श्री बापू हरि चौरे :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री रामविलास पासवान :
श्री श्रीकान्त जेना :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री बी० एन० रेड्डी :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्रीसाईमन मरांडी :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार कौन-कौन से जिले सूखे का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या किसी केन्द्रीय दल ने सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा किया;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय दल के निष्कर्ष और सुझाव क्या हैं;

(घ) सूखा प्रभावित राज्यों ने कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की है और उन्हें राज्य-वार वास्तव में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ङ) क्या राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए राहत कार्यक्रमों की कोई पुनरीक्षा की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[अनुवाद]

काली मिर्च खरीदने सम्बन्धी योजना

263. **श्री एम० रमन्ना राय :**
श्री पी० सी० थामस :
प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नैफेड" काली मिर्च के उत्पादकों से काली मिर्च खरीदता है;

(ख) यदि हां, काली मिर्च खरीदने सम्बन्धी योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने से पहले तथा उसके बाद काली मिर्च का बाजार मूल्य क्या था; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है कि काली मिर्च उत्पादकों को अपने उत्पाद का उचित खरीद मूल्य मिले ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ) केरल सरकार के अनुरोध पर राज्य में 29-4-93 से 30-6-93 तक के दौरान काली मिर्च की खरीद करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की गई थी। प्रति किलोग्राम 33 रुपये के बाजार हस्तक्षेप मूल्य पर "नैफेड" और राज्य द्वारा नामित अभिकरण द्वारा बराबरी के आधार पर 3000 मीटरी टन की लक्षित मात्रा की खरीद की जानी थी। यह कार्य पूरा हो चुका है। इस कार्य में यदि कोई हानि हो तो इसका वहन भी केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के आधार पर किया जायेगा। योजना को कार्यान्वित करने से पहले के व्याप्त बाजार मूल्य प्रति किलोग्राम 25-28 रुपये के बीच थे और योजना को कार्यान्वित करने के बाद काली मिर्च की दरें प्रति किलोग्राम 28-30 रुपये के बीच चल रही हैं। काली मिर्च की कटाई अवधि जनवरी से मई तक होती है। राज्य सरकार ने काली मिर्च के उत्पादकों को और मदद देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

दिल्ली रोहतक रेल लाइन का विद्युतीकरण

264. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव दिल्ली-रोहतक रेल लाइन का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युतीकरण करने का है;

(ख) क्या प्रस्ताव दैनिक यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुए इस लाइन को जींद अथवा नरवाना तक बढ़ाने का भी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना का कार्य कितने समय में आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

चौलाई का पौधा

265. **डा० आर० मल्लू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौलाई की विभिन्न लाभदायक विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त कार्य बल की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसकी बहुत अधिक पौष्टिकता देखते हुए इसकी पौध व्यापक स्तर पर उगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी मिलें

266. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**

श्रीमती सरोज दुबे :

श्री गामाजी मंगाजी ठाकुर :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री उदय प्रताप सिंह :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

श्री प्रकाश वी० पाटील :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान राज्यवार स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त चीनी मिलों के लिए कितने लाइसेंस दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी मात्रा में अतिरिक्त चीनी का उत्पादन होगा;

(ग) क्या सरकार ने सभी चीनी उत्पादक राज्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच प्रारंभ कर दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या आवेदनों की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिनके आवेदनों की जांच अभी तक पूर्ण नहीं की गई है; और

(च) सभी आवेदनों की जांच प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जायेगी तथा अभ्यार्थियों को कब तक लाइसेंस दे दिया जाएगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए आशय पत्र उद्योग मंत्रालय द्वारा जांच समिति/प्रशासनिक मंत्रालय/लाइसेंस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए परियोजना की वित्तीय तथा तकनीकी व्यवहार्यता तथा लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर जारी किए जाते हैं। अतः आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार लाइसेंस दी जाने वाली नई चीनी मिलों की सही संख्या उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार सभी आवेदन पत्रों की संवीक्षा होने के बाद ही मालूम हो पाएगी।

(ख) इसके परिणामस्वरूप उत्पादन की जाने वाली चीनी की संभावित अतिरिक्त मात्रा जारी किए गए तथा कार्यान्वित किए गए नए लाइसेंसों की संख्या पर निर्भर करेगी।

(ग) से (ङ) नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेश से प्राप्त आवेदन पत्रों को छोड़कर सभी राज्यों के आवेदन पत्रों की जांच समिति द्वारा संवीक्षा कर ली गई है।

(च) जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद जांच समिति /प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिशों पर लाइसेंसिंग समिति द्वारा विचार किया जाएगा तथा उसके बाद आवेदकों को उद्योग मंत्रालय द्वारा आशय पत्र/लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इस मामले में इस समय कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

रेल दुर्घटनाएं

267. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** :

श्री फूलचंद वर्मा :

श्री जगमीत सिंह बरार :

श्री साईमन मरान्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिन-प्रति-दिन रेल दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है जिससे रेल सम्पत्ति हानि तथा कई लोगों की जानें भी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक जोन में धन-जन की हानि सहित विगत छह माह में रेल-दुर्घटनाओं/गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं का विवरण क्या है;

(घ) दुर्घटनाग्रस्त लोगों को दी गई क्षति पूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) जी नहीं, वस्तुतः लगातार आठवें वर्ष गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में इतनी गिरावट आई है कि यह संख्या 1985-86 में 717 दुर्घटनाओं से कम होकर 1992-93 में 524 रह गई है।

(ग) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	रेलवे	दुर्घटनाओं की संख्या	पटरी से उतरने की घटनाएं	संपत्ति की क्षति की लागत	मृतकों की संख्या
1.	मध्य	21	13	929.25	12
2.	पूर्व	18	15	108.61	2
3.	उत्तर	35	23	1010.33	29
4.	पूर्वोत्तर	13	9	6.49	7
5.	पूर्वोत्तर सीमा	20	17	2.96	3
6.	दक्षिण	28	18	82.20	29
7.	दक्षिण मध्य	32	24	315.00	10
8.	दक्षिण पूर्व	55	47	689.90	36
9.	पश्चिम	25	17	358.16	11

(घ) अभी तक किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है, बहरहाल परिस्थिति की मांग के अनुसार अनेक मामलों में अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

(ङ) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपायों में रेलपथ, पुल, चल स्टाक आदि जैसी गतायु परिसंपत्तियों को हटाना और उनका पुनर्स्थापन शामिल है। सिगनलिंग और दूर-संचार गियरों, मालडिब्बों और रेल इंजनों के अनुरक्षण डिपुओं और कारखानों के उत्पादनों की गुणवत्ता के लिए गहन निरीक्षण भी किये जाते हैं। परिचालनिक कोटियों के कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके कार्य-निष्पादन पर नजर रखी जाती है। इसके अतिरिक्त रेलपथ का निरीक्षण और सवारी डिब्बों, मालडिब्बों और रेल इंजनों की जांच तेज कर दी गई है। पटरियों और धुरों का पराश्रव्य परीक्षण किया जा रहा है ताकि टूट-फूट का पता चल सके। ड्राइवरों को उनकी चालन तकनीकों के संबंध में मानीटर किया जाता है और उनसे विचार-विनिमय किया जा रहा है।

यात्री सुविधाएं

268. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान यात्री सुविधाओं के वास्तविक व्यय में कटौती की गई है;

(ख) रेलवे द्वारा नियमित स्टेशनों और "हाल्ट स्टेशनों" पर दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार किन्हीं अतिरिक्त सुविधाओं को प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) नियमित तथा हाल्ट स्टेशनों पर निम्नलिखित आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है :—

नियमित स्टेशन : उपयुक्त प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, बुकिंग व्यवस्था, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, समुचित प्रकाश व्यवस्था, पेय जल, शौचालय तथा छायादार वृक्ष ।

हाल्ट स्टेशन पटरी सतह का प्लेटफार्म, प्रतीक्षा शेड-एवं-बुकिंग कार्यालय, प्रकाश की व्यवस्था जहां गाड़ियां रात में ठहरती हैं तथा छायादार वृक्ष ।

(ग) और (घ) अतिरिक्त सुविधाओं यथा बेहतर प्रकाश व्यवस्था, छत वाले प्लेटफार्म, पैदल ऊपरी पुल, स्नानागार, पानी के कूलर, विश्राम कक्ष, ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षा कक्ष, पूछताछ कार्यालय, जलपान गृह, गाड़ी सूचक बोर्ड, प्लेटफार्मों की सतह ऊंची करना, कम्प्यूटरीकृत आरक्षण इत्यादि की व्यवस्था भी की जाती है जो निधि की उपलब्धता, संभाले जाने वाले यात्री यातायात की मात्रा तथा विभिन्न स्टेशनों के सापेक्ष महत्व पर निर्भर करती है ।

कलकत्ता मेट्रो रेलवे

269. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में मेट्रो रेलवे का शेष कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ख) क्या यह मेट्रो रेलवे घाटे में चल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना को निर्धारित समय पर पूरा करने तथा इसे आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) 1995 तक, बशर्ते कि आगामी वर्षों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा भूमि के शेष प्लाटों का अधिग्रहण करके उनका कब्जा दे दिया जाए ।

(ख) जी हां ।

(ग) मेट्रो रेलवे के जो खंड चालू किए जा चुके हैं, उनके चालू किए जाने से लेकर अब तक उन पर परिचालनिक हानि 44.27 करोड़ रुपये (लगभग) है ।

(घ) (अ) (i) योजना आयोग से अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा पहले से दी गयी बजटीय सहायता के अलावा, चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त धन आबंटित किया जाए ।

(ii) भूमि के शेष प्लाट उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया जा रहा है ।

(ब) (i) विज्ञापन और कतिपय स्टेशनों पर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए स्थान पट्टे पर देना ।

(ii) ऊर्जा संरक्षण ।

(iii) स्थापना लागतों में कमी ।

(iv) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि मेट्रो रेलवे पर लागू बिजली की दरों में कमी करके, उन्हें ट्रामवेज पर लागू दरों के समान किया जाए, क्योंकि वह भी मेट्रो रेलवे की ही तरह एक उपयोगी सेवा है । यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया है कि विभिन्न मेट्रो स्टेशनों के लिए फीडर बस सेवाएं चलाई जाएं और ये बसें मेट्रो सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा में न चलें, ताकि मेट्रो गाड़ियों की सवारियों में वृद्धि हो सके ।

उड़ीसा में रेलवे स्टेशन

270. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कुछ रेलवे स्टेशनों का वर्ष 1992-93 के दौरान आधुनिकीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान आधुनिकीकरण के निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए थे, जो इस प्रकार हैं :— राउरकेला में लाइन सं० 5क पर पटरी सतह वाला प्लेटफार्म, 8 बिस्तर वाले विश्राम कक्ष और संकेत बोर्डों की व्यवस्था, भुवनेश्वर में दो बिस्तर वाले 4 विश्राम कक्ष, नया ऊपरी पैदल पुल, परिचालन क्षेत्र और स्टेशन भवन का सुधार, पानी की व्यवस्था और कम्प्यूटरी आरक्षण की व्यवस्था; कटक में दो डारमीटरी, गाड़ी संकेत बोर्ड, प्लेटफार्म नं० 1 जो ऊंचा करना, कम्प्यूटरीकृत आरक्षण और स्टेशन भवन में सुधार की व्यवस्था और खोरदा रोड में दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय 15 मीटर लंबी प्लेटफार्म सायबान की व्यवस्था और पानी की मौजूदा व्यवस्था के बदले नई व्यवस्था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय

271. **श्री अरविंद त्रिवेदी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रत्येक स्तर पर अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता समाप्त करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

जंगली जानवरों की खालों/सींगों की तस्करी

272. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में रेंगने वाले जंतुओं और जंगली जानवरों को मारा जा रहा है तथा इनकी खालों/सींगों आदि की विदेशों को तस्करी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान देश में जब्त की गई ऐसी अवैध खेपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) केन्द्रीय सरकार को वन्यजीवों के अवैध शिकार और वन्यजीव उत्पादों की देश से बाहर तस्करी के प्रयासों के बारे में रिपोर्टें मिली हैं ।

(ख) चार महानगरों अर्थात् बम्बई/कलत्ता/मद्रास/दिल्ली में स्थित वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनका मुख्य दायित्व वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकना है, द्वारा नवम्बर, 1992 से अप्रैल, 1993 तक जब्त किए गए वन्यजीवों के उत्पादों के परेषणों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) राज्यों में वन्यजीवों के अवैध शिकार/उन्हें मारने और वन्यजीव उत्पादों की तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. अनुसूचित वन्यजीवों का शिकार करने पर कानून द्वारा पाबंदी लगा दी गई है ।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को शिकार-रोधी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।
3. वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण के लिए वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है । राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।
4. बाघों, हाथियों और गैंडों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष स्कीमें शुरू की गई हैं ।
5. जब कभी वन्यजीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलती है तो वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं ।
6. अवैध शिकारियों और अवैध व्यापारियों को पकड़ने में पुलिस, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल और सेना का भी सहयोग लिया जाता है ।

7. जीवों का संकटापन्न प्रजातियों तथा उनसे बनी वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वन्य प्राणिजात तथा वनस्पतिजात को संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन (साइट्स) के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

8. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के अधिकांश प्रमुख निर्यात केन्द्रों पर वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है।

9. सूचना देने वालों को नकद पुरस्कार देने की एक स्कीम शुरू की गई है जिससे अन्य बातों के अलावा वन्यजीव उत्पादों की तस्करी के बारे में आसूचना प्राप्त करने में भी मदद मिलती है।

विवरण

माह	जब्त किए गए माल का विवरण
1	2
नवम्बर, 92	1. रेंडियर की तैयार फर खाल—एक
दिसम्बर, 92	1. बारहसिंघा की फर खाल—एक
	2. खरगोश की खाल के फर कॉलर
	3. लिजर्ड की खाल से बने आठ बैग
	4. अजगर की खाल से बने दो बटुए
	5. लिजर्ड की खाल से बना एक पर्स
	6. एक तेंदुए की खाल
जनवरी, 93	1. चमड़े के बैग—168
	2. एक प्रोढ़ नीलगाय की खोपड़ी
	3. सांप की खाल से बनी 48 वस्तुएं
फरवरी, 93	1. हिरन के सींग (425 कि०ग्रा०)
	2. रेंडियर के दो सींग
मार्च, 93	1. मगरमच्छ की सिझाई हुई दो खालें
	2. मगरमच्छ से बने दो बैग
	3. सांप की खाल से बना एक पर्स
	4. सांप की खाल से बना एक बैग
	5. सांपों की परिष्कृत 863 खालें

1	2
	6. लिजर्ड की खाल से बने कलाई घड़ी के दो पीस फीते (11.9 कि०ग्रा०)
	7. सांप की खाल से बनी 25 वस्तुएं
अप्रैल, 93	1. सांप की खाल से बनी 15 वस्तुएं पकड़ी
	2. एक अजगर की खाल, दो सांप की खाल से बने बैग, दो मूषक सांप की खालें, एक पर्स, सात चश्मा रखने के खोल तथा दो बैल्ट पकड़ी गईं
	3. एक अजगर की खाल।

[हिन्दी]

रेलों में सीटों का आरक्षण

273. **डा० लाल बहादुर राघव :**

श्री राजवीर सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों में आरक्षण करने हेतु टिकट निरीक्षकों को कोई आदेश जारी किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या टिकट निरीक्षक इसका लाभ उठा रहे हैं; और अतिरिक्त पैसा लेकर आरक्षण करते हैं;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) कितने टिकट निरीक्षक इसके लिए दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) आरक्षित सवारी डिब्बों में तैनात चल टिकट परीक्षकों/कण्डक्टरों की एक ड्यूटी यह है कि वे गाड़ियों में खाली शायिकाओं का आरक्षण करें।

(ख) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) गाड़ियों में बार-बार अचानक जांच की जाती है और जब कभी कोई कर्मचारी ऐसी अनियमितताओं में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

चीनी मिलों पर बकाया

274. **श्री हरिभाई एम० पटेल :**
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री राम नगीना मिश्र :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ना पेराई के इस मौसम के प्रारम्भ में प्रत्येक क्षेत्र में राज्यवार चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों की अद्यतन अनुमानतः कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) वर्ष 1993 के दौरान राज्य-वार अभी तक गन्ना उत्पादकों को किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की बकाया राशियों का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 1-10-1992 को गन्ना मूल्य के बकाया की क्षेत्रवार तथा राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) 1992-93 के चालू मौसम के दौरान 15-6-1993 तक भुगतान किए गए गन्ना मूल्य का क्षेत्रवार तथा राज्य-वार विवरण-II संलग्न है।

(ग) किसानों को देय गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की होती है जिनके पास ऐसे भुगतान को बाध्य करने के लिए आवश्यक अधिकार तथा क्षेत्रीय संगठन हैं। केन्द्र सरकार अपनी तरफ से राज्य सरकारों को समय-समय पर ऐसे बकाया के भुगतान के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह देती रही है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने चीनी मिलों की अर्थक्षमता के सुधार के उद्देश्य से 16-2-1993 को चालू मौसम के लिए नई चीनी नीति की घोषणा की थी। राज्य सरकारों को भी गन्ने के मूल्य के मामले में, गन्ना (नियन्त्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के अनुरूप, जिसमें अधिक वसूली को भार्गव फार्मूले के अनुसार चीनी मिलों तथा गन्ना उत्पादकों में समान बंटवारे का प्रावधान है, अधिक तर्कसंगत मूल्य नीति अपनाने की सलाह दी गई है।

विवरण-I

1-10-1992 को गन्ना मूल्य के बकाया की क्षेत्रवार तथा राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

राज्य/क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5
पंजाब	—	15.19	2.35	17.54

1	2	3	4	5
हरियाणा	—	4.50	—	4.50
राजस्थान	—	—	1.49	1.49
पश्चिम उत्तर प्रदेश	14.33	10.18	35.91	60.42
मध्य उत्तर प्रदेश	23.31	23.24	38.43	84.98
पूर्वी उत्तर प्रदेश	23.56	11.04	51.09	85.69
कुल उत्तर प्रदेश	61.20	44.46	125.43	231.09
मध्य प्रदेश	—	0.37	2.53	2.90
दक्षिण गुजरात	—	2.06	—	2.06
सौराष्ट्र	—	3.88	—	3.88
कुल गुजरात	—	5.94	—	5.94
दक्षिण महाराष्ट्र	—	4.47	2.42	6.89
उत्तर महाराष्ट्र	—	5.13	—	5.13
कुल महाराष्ट्र	—	9.60	2.42	12.02
उत्तर बिहार	24.05	—	25.11	49.16
दक्षिण बिहार	0.91	—	—	0.91
कुल बिहार	24.96	—	25.11	50.07
आसाम	—	0.01	—	0.01
आन्ध्र प्रदेश	—	1.63	2.95	4.58
कर्नाटक	0.76	5.35	3.64	9.75
तमिलनाडु	—	6.08	3.57	9.65
केरल	—	—	—	—
उड़ीसा	—	0.09	—	0.09
पश्चिम बंगाल	0.01	—	—	0.01
नागालैण्ड	0.95	—	—	0.95
पांडिचेरी	—	—	0.02	0.02
गोआ	—	0.83	—	0.83
समस्त भारत	87.88	94.05	169.51	351.44

विवरण-II

1992-93 के चालू मौसम के दौरान 15-6-1993 तक भुगतान किए गए गन्ना मूल्य की क्षेत्रवार तथा राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

राज्य	भुगतान किया गया गन्ना मूल्य			
	सरकारी क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5
पंजाब	4086.79	13672.06	3103.68	20862.53
हरियाणा	0.00	10042.51	5931.84	15974.35
राजस्थान	160.73	316.62	474.04	951.39
पश्चिम उत्तर प्रदेश	4448.90	7138.89	24674.74	36262.53
मध्य उत्तर प्रदेश	7590.47	16973.79	20231.27	44795.53
पूर्वी उत्तर प्रदेश	5298.45	3254.79	17046.74	25599.98
कुल उत्तर प्रदेश	17337.82	27367.47	61952.75	106618.04
मध्य प्रदेश	0.00	989.92	701.65	1691.57
दक्षिण गुजरात	0 00	21616.63	0.00	925.64
सौराष्ट्र	0.00	925.64	0.00	925.64
कुल गुजरात	0.00	22542.27	0.00	22542.27
दक्षिण महाराष्ट्र	0.00	76517.10	3385.19	79902.29
उत्तर महाराष्ट्र	0.00	13678.34	0.00	13678.34
कुल महाराष्ट्र	0.00	90195.44	3385.19	93580.63
उत्तर बिहार	955.68	0.00	10139.56	11095.24
दक्षिण बिहार	2212.67	0.00	0.00	2212.67
कुल बिहार	3168.35	0.00	18139.56	13307.91
आसाम	0.00	404.05	0.00	404.05
आन्ध्र प्रदेश	2793.65	6481.84	10814.41	20089.90
कर्नाटक	4570.54	13410.26	10084.22	28065.02
तमिलनाडु	3494.98	18437.72	15841.01	37773.71

1	2	3	4	5
केरल	0.00	27.63	59.33	86.96
उड़ीसा	0.00	1163.08	25.93	1189.01
पश्चिम बंगाल	51.42	0.00	188.29	239.71
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	0.00	838.27	983.49	1821.76
गोआ	0.00	511.89	0.00	511.89
समस्त भारत	35664.28	206401.03	123685.39	365750.70

कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए किसानों को राजसहायता

275. **श्री बापू हरि चौरे :**

श्री धर्मण्या मोंडय्या सादुल :

श्री बृज भूषण शरण सिंह :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री हरीन पाठक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बुल्डोजर, ट्रैक्टर आदि जैसे कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किन-किन राज्यों ने विदेशी सहायता मांगी है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान ऐसी सहायता के माध्यम से राज्य-वार कुल कितनी सहायता दी गई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने भी वर्ष 1993-94 के दौरान राज्यों के लिए कोई धनराशि निर्धारित की है, ताकि किसान रियायती दरों पर कृषि उपकरण खरीद सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है कि इस प्रकार के किसानों को उपलब्ध कराये गए कृषि उपकरण सरकारी जांच केन्द्रों में पूर्णतः जांचे और परखे गए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं होता।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत सरकार फसल उत्पादन कार्यक्रमों से संबंधित केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। किसानों को राजसहायता मुहैया कराने के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान इन योजनाओं के तहत 67.18 करोड़ रुपए का अस्थायी परिव्यय प्रदान किया गया है। कृषि अभियंत्रीकरण का संवर्धन संबंधी केन्द्रीय योजना के तहत, 10 करोड़ रुपए का अस्थाई परिव्यय निर्धारित किया गया है ताकि किसान 18 पावर-टेक ऑफ हार्स पावर से कम पावर के ट्रैक्टर तथा उपकरण राजसहायता प्राप्त दरों पर खरीद सकें।

(ङ) फार्म मशीनरी की जांच करने की सुविधाएं बुदनी (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा) और गार्लेडिने (आन्ध्र प्रदेश) स्थित भारत सरकार के फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों में उपलब्ध हैं। कृषि अभियंत्रीकरण संवर्धन संबंधी योजना के तहत केवल बुदनी स्थित फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान में जांचे गए ट्रैक्टर के मेक ही राजसहायता के पात्र होते हैं। कुछ अन्य कृषि उपकरणों के संबंध में, यह निर्धारित किया गया है कि आई०एस०आई० मार्क वाले उपकरणों के लिए राजसहायता दी जाएगी।

बड़े शहरों में प्रदूषण नियंत्रण

276. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों को प्रदूषण-मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) इस संबंध में कार्य योजना का ब्यौरा क्या है और ऐसी योजनाओं के लिए कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है; और

(ग) इस दिशा में पहले से ही क्या कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) महानगरों सहित सम्पूर्ण देश के लिए प्रदूषण नियन्त्रण के चल रहे कार्यक्रमों को तेज किया गया है। इनमें वायु और जल गुणवत्ता की निगरानी, मानक निर्धारित करना और उनको लागू करना शामिल है। महानगरों के लिए अलग से निधियों का आबंटन नहीं किया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/सुझाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के तहत वहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।
2. उद्योगों के स्थान-निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।
3. उद्योगों से राज्य प्रदूषण बोर्डों की सहमति संबंधी अपेक्षाओं का पालन करने को कहा गया है।
4. उद्योगों को निदेश दिया गया है कि वे एक समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण के आवश्यक उपकरण लगा लें और दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।
5. अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों की शिनाख्त की गई है और राज्य सरकारों ने इन उद्योगों से कहा है कि वे एक समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर वहिस्राव/उत्सर्जन मानकों का पालन करें।

6. परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

7. प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने तथा प्रदूषक उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से हटाकर अन्यत्र लगाने के लिए तथा फ्लाईऐश और फास्फोजिप्सम जैसे ठोस अवशिष्टों के उपयोग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

8. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरणीय विवरण को अनिवार्य बनाने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार सहमति मांगने वाले सभी प्रदूषक इकाइयों को सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को पर्यावरणीय विवरण प्रस्तुत करने होते हैं।

9. लघु उद्योगों के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियां अपनाने तथा उन्हें जरूरी तकनीकी सहायता देने के बारे में एक योजना तैयार की गई है।

10. मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत सभी प्रकार के वाहनों के लिए ठोस और द्रव्य उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

11. दिल्ली और बम्बई में एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में सपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग शुरू करने के उपाय किए गए हैं; इससे इन नगरों में नाइट्रोजन डाई-आक्साइड का बढ़ता हुआ स्तर कम हो जाएगा।

गंगा कार्य योजना के तहत शुरू की गई 261 स्कीमों में से 208 स्कीमें कार्यान्वित कर दी गई हैं। देश में मुख्य नदियों के प्रदूषित भागों के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय नदी कार्य योजना शुरू की गई है। महानगरों में उद्योगों सहित देश में उद्योगों के लिए एक समय-सीमा के भीतर निर्धारित मानकों के अनुपालन का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

विभिन्न शहरों में की गई परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी से पता चलता है कि जबकि सल्फरडाई आक्साइड और नाइट्रोजन के आक्साइड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं, निलम्बित धूलकणों के स्तर अधिक हैं। यह प्राकृतिक धूल भरी परिस्थितियों और औद्योगिक गतिविधियों के कारण है।

[हिन्दी]

गंज बासोदा-मकसूदनगढ़ लाइन

277. **श्री राम बदन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंज बासोदा रेलवे स्टेशन से लाटेरी-मकसूदनगढ़ बरास्ता कुरवाई और सिरोज तहसील तक रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पिछड़े क्षेत्र में ऐसा सर्वेक्षण कब तक कराया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

आयातित खाद्य तेलों का मूल्य

278. **डा० छत्रपाल सिंह** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित गेहूं की ही तरह आयातित खाद्य तेलों का मूल्य घरेलू खाद्य तेलों के मूल्य से अधिक होगा; और

(ख) यदि हां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित खाद्य तेलों को वितरित करने हेतु सरकार क्या मानदण्ड अपनाएगी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) खाद्य तेलों के पर्याप्त उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार का फिलहाल पामोलीन का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध आयातित खाद्य तेलों का अवशिष्ट सीमित स्टॉक राज्यों को उनके अनुरोध पर सप्लाई किया जा रहा है। यह स्टॉक 4-1-1992 से यथा प्रभावी दरों पर थोक में सप्लाई किए जाने वाले तेल के लिए 22000 रु० प्रति मी० टन और 15 कि० ग्रा० के टीनों में सप्लाई किए जाने वाले तेल के लिए 25000 रु० प्रति मी० टन के निर्गम मूल्य पर दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

एर्नाकुलम में मुख्य इंजीनियर का कार्यालय

279. **प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में एर्नाकुलम में मुख्य इंजीनियर (निर्माण) का कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कार्य करने लगेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी में विद्यालय शिक्षा प्रणाली संबंधी समिति

280. **श्री राम विलास पासवान** :

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री मदन लाल खुराना :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालय शिक्षा प्रणाली संबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की गई है और उस पर निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत तथा लागू की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकारी स्कूलों में पेयजल, पंखे तथा बिजली की बत्तियां, ग्रंथालय, प्रयोगशालाएं, पक्के भवनों आदि जैसी सुविधाएं नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार समिति की सिफारिशों और उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(घ) और (ङ) कुछ स्कूलों में पेय जल, बिजली और पक्के भवनों जैसी सुविधाओं की कमी है। स्कूलों की वास्तविक सुविधाओं में सुधार के लिए दिल्ली प्रशासन ने शीघ्र परिणाम देने वाले कार्यक्रम को शुरू किया है।

विवरण

सिफारिशें	वर्तमान स्थिति
1	2
1. सरकारी स्कूलों में अधिनियम और नियमावली को अधिक से अधिक लागू करने के लिए उनमें संशोधन करना तथा शिक्षा प्रशासन को विकेन्द्रीकृत करना और नौकर-शाही से मुक्त करना।	यह सिफारिश सिफारिश संख्या 7 के साथ पठनीय है। चूंकि इसका अभिप्राय दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 में संशोधन है, दिल्ली विधानसभा गठित होने तक इसका कार्यान्वयन नहीं हो सकता है।
2. वर्तमान समय में स्थानीय निकायों के अन्तर्गत प्राथमिक और मिडिल स्कूलों को दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत लाना।	ऐसा करना कठिन होगा क्योंकि वर्तमान समय में दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम छावनी बोर्ड और नई दिल्ली नगर पालिका अपने-अपने स्कूलों की वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। सभी स्कूलों के लिए एकीकृत प्रशासन होने की स्थिति में ऐसे प्रशासन को सभी स्कूलों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने में बड़ी कठिनाई आएगी।
3. निदेशन और सचिव के पदों को कार्यकालिक पद बनाना।	चूंकि ये दोनों पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदों के संवर्ग के हैं, दिल्ली प्रशासन ने इस सिफारिश को स्वीकृत करने के संबंध में संकेत नहीं दिया है।

1	2
4. अपर निदेशक (सरकारी स्कूल) के पद का सृजन किया जाना ।	यह पद पहले से ही मौजूद है । मौलिक कार्य सरकारी स्कूलों की देख-रेख करना है ।
5. शैक्षिक जिलों की संख्या बढ़ाकर 12 करना ।	उचित विचार-विमर्श के बाद जिलों की वर्तमान संख्या 5 को बढ़ाकर 9 करने का निर्णय लिया गया है । वर्तमान समय में 9 पुलिस जिले होने के आधार पर दिल्ली प्रदेश में 9 राजस्व जिलों का रखना दिल्ली प्रशासन के नीति संबंधी निर्णय का एक अंग है ।
6. प्रभावी पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिए प्रत्येक शैक्षिक क्षेत्र के पास अधिकतम 15 स्कूल होने चाहिए ।	क्षेत्रों की संख्या 28 से बढ़ाकर 54 करने पर पहले से ही सहमति हो गई है ।
7. सरकारी स्कूलों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना तथा सभी सरकारी स्कूलों के पास प्रबंध समिति का होना ।	स्थिति सिफारिश संख्या 1 के सामने दर्शाई गई है ।
8. स्कूलों में दूसरी पाली को समाप्त करना ।	राजधानी में विशेषकर पुरानी जगहों पर जहां जनसंख्या का घनत्व निर्धारित मानदण्डों से बहुत अधिक है, भूमि के अत्यधिक अभाव को देखते हुए यह सम्भव नहीं है । मास्टर प्लान में एक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के लिए 960 विद्यार्थियों का प्रावधान है । इसीलिए स्कूलों से दूसरी पाली की व्यवस्था को समाप्त करना सम्भव नहीं है ।
9. शिकायत निपटान तंत्र की स्थापना ।	संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र पहले से ही मौजूद है ।
10. सभी पूर्वानुमानित पदों को भरने के लिए परिपेक्ष्य आयोजना ।	स्कूलों के विस्तार की वर्षवार योजना पहले ही तैयार कर ली गई है ।
11. शैक्षिक वर्ष के प्रारम्भ होने के पहले शिक्षकों की पूर्ण संख्या का होना ।	यह देखने के लिए कि समय पर शिक्षकों के सभी पदों को भरा गया है कैडर की व्यापक समीक्षा भी की गई है ।
12. उर्दू माध्यम के स्कूलों के लिए भाषा की पृष्ठभूमि रखने वाले शिक्षक प्रदान करना ।	उर्दू माध्यम के स्कूलों के लिए भाषा की पृष्ठभूमि रखने वाले विषय शिक्षकों की पृथक परीक्षा आयोजित की जा रही है ।

1	2
13. अगले उच्च पद पर शिक्षकों को प्रोन्नति देने की कोटा प्रणाली का समाप्त किया जाना तथा सभी प्रोन्नतियां चयन की सख्त प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाना ।	प्रत्येक शिक्षक का पद अर्थात् प्रोन्नति से भरा गया पद चयन पद है अर्थात् प्रोन्नति योग्यता और वरीयता के आधार पर मिलती है । यह उल्लेखनीय है कि ए०टी० स्तर पर तथा गृह विज्ञान, ड्राइंग और पी०ई०टी० आदि जैसे विविध संवर्गों के 100% पद टी०जी०टी० और पी०जी०टी० स्तर के 25% पद तथा प्रधानाचार्यों के 50% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं ।
14. शिक्षकों के स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध ।	हालांकि पूर्ण प्रतिबंध कैडर प्रबंधन के हित में नहीं है तथापि अब स्थानांतरणों को अनुकम्पा या प्रशासकीय सुविधा जैसे महत्व-पूर्ण मामलों तक ही सीमित कर दिया गया है ।
15. ग्रामीण क्षेत्रों और जे०जे०/पुर्नवास कालोनियों में शिक्षकों के लिए विशेष लाभ की योजना शुरू करना ।	चूंकि दिल्ली नगर का तेजी से विस्तार हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों और/या जे०जे०/पुर्न-वास कालोनियों की निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती है । तथापि शैक्षिक रूप से पिछड़े पॉकेट (क्षेत्र) संपूर्ण नगर में हैं । इसीलिए विशेष लाभ की योजना शुरू नहीं की जा सकती है । तथापि इन क्षेत्रों में विस्तृत मानीटरिंग की जा रही है ताकि उनके शैक्षिक स्तर में सुधार की समीक्षा की जा सके ।
16. सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण को आवश्यकता पर आधारित और प्रभावी बनाया जाना चाहिए ।	इस सिफारिश को पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है अर्थात् इस वर्ष के प्रशिक्षण से ही ।
17. स्कूलों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के संबंध में प्रावधानों का लागू किया जाना ।	प्रभावी निरीक्षण और पर्यवेक्षण लागू किया जा रहा है ।
18. आचरण संहिता के सम्बन्ध में प्राव-धान का लागू किया जाना ।	वर्तमान समय में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर सी०सी०एस० (आचरण) नियमावली लागू होती है ।
19. स्कूलों को प्रत्येक स्तर पर छात्रों द्वारा आवश्यक दक्षता की प्राप्ति	वरिष्ठ कक्षाओं में एक सामान्य परीक्षा अर्थात् स्थानीय रूप से संचालित होने वाली सामान्य

1	2
सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाना।	विषयों की परीक्षा की प्रणाली शुरू की गई है। इसके क्षेत्र को विस्तृत किया जाएगा ताकि प्रत्येक स्तर पर प्राप्त दक्षता की जांच की जा सके।
20. एक वर्ष में 200 घंटे के उपचारी शिक्षण सहित शिक्षण के 1200 घंटे के प्रावधान को लागू करना।	इसे स्वीकृत कर लिया गया है और इसे लागू किया जा रहा है।
21. उपचारी शिक्षण के लिए केन्द्रों की स्थापना।	सिफारिशों के सार को ध्यान में रखते हुए सिफारिश का कार्यान्वयन जांच के अधीन है।
22. पारस्परिक आदान-प्रदान की पद्धति पर बल देते हुए शैक्षिक प्रयोगों में सुधार को सुकर बनाना।	इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाएं

281. **श्री अन्ना जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कुछ रेल परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं;

(ग) उस राज्य में आठवीं योजना के दौरान किन-किन नई परियोजनाओं को शुरू करने का विचार है और उन पर परियोजना-वार कितना खर्च होगा; और

(घ) सरकार ने इन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में उन परियोजनाओं, जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, जिनमें अब तक आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में शुरू की गई परियोजनाएं शामिल हैं, के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(i) महाराष्ट्र में कोंकण रेलवे लाइन की 382 कि०मी० लम्बी पट्टी निर्माणाधीन है जिसमें से दसगांव-रोहा खंड (45 कि०मी०) पहले ही पूरा हो चुका है। आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन आठवीं योजना के दौरान इस परियोजना के पूरा हो जाने की आशा है।

(ii) अमरावती से नरखेड तक (138 कि०मी०) नई लाइन का निर्माण, जिस पर कार्य शुरू हो चुका है।

(iii) मनमाड-औरंगाबाद-परभनी-पर्ली वैजनाथ खंड (354 कि०मी०) के जालना-परभनी (116 कि०मी०) क्षेत्र का आमान परिवर्तन चालू वर्ष के दौरान पूरा हो जाने का

लक्ष्य है, जिससे परियोजना पूरी हो जाएगी और एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएगा।

(iv) परभनी-पूर्णा-मुडखेड-आदिलाबाद (162 कि०मी०) का आमान परिवर्तन आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चरणबद्ध रूप में पूरा करने का लक्ष्य है।

(v) गोंदिया-चांदा फोर्ट खंड (242 कि०मी०) का आमान परिवर्तन 1995-96 तक पूरा होने का लक्ष्य है।

(vi) मिरज-लोंडा खंड (188 कि०मी०) का आमान परिवर्तन 1994-95 के दौरान पूरा होने का लक्ष्य है।

(vii) मिरज-लातूर खंड का आमान परिवर्तन और इसे लातूर रोड (359 कि०मी०) तक बढ़ाने का कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूरा होने का लक्ष्य है।

(viii) दौंड-बारामती खंड (42 कि०मी०) का आमान परिवर्तन इस वर्ष ही पूरा हो जाने की आशा है।

(ix) सोलापुर-गदग खंड (300 कि०मी०) का आमान परिवर्तन, आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन, आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूरा हो जाने का लक्ष्य है।

आठवीं योजना के शेष वर्षों में शुरू की जाने वाली अन्य परियोजनाओं पर, संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में विचार किया जाएगा।

(घ) निर्माण-कार्य, कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं और अनुसूची के अनुसार समापन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जा रही है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

282. **श्री राम कापसे :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जुलाई, 1993 के "द आब्जर्वर आफ बिजनेस एण्ड पालिटिक्स" में "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" की असफलता के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चार साल तक चलाये जाने के बावजूद आपरेशन ब्लैकबोर्ड के असंतोषजनक परिणाम के क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के संबंध में और अधिक अवसंरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध कराने और इसे सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी हां।

(ख) यह योजना असफल नहीं रही है। मार्च, 1993 के अन्त तक, 91% लक्षित स्कूल शामिल किए गए, शिक्षकों के 86% अतिरिक्त पद संस्वीकृत किए गए तथा 79% पद भरे गए। 44% अतिरिक्त कक्षा कमरों का निर्माण किया गया। समूचे बकाया कार्य को चालू वर्ष के दौरान पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) योजना के मूल्यांकन तथा पिछले अनुभव के आधार पर निम्नलिखित कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है :—

(क) पठन-पाठन उपस्करों की प्राप्ति का काम विकेन्द्रीकृत किया जाएगा तथा राज्यों को पर्याप्त ढील दी जाएगी।

(ख) शिक्षक प्रशिक्षण घटक को इस तरह से सुदृढ़ किया जाएगा ताकि शिक्षण सामग्री का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।

(ग) कम से कम 50% महिला शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य बनाई जाएगी।

(घ) मौजूदा कार्यक्रमों को समन्वित करके, इस योजना का अपर प्राथमिक स्तर तक विस्तार किया जाएगा तथा इस स्तर पर तीसरा शिक्षक तथा कक्षा का तीसरा कमरा भी प्रदान किया जाएगा।

[हिन्दी]

दुधवा राष्ट्रीय पार्क

283. **डा० जो० एल० कनोजिया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुधवा राष्ट्रीय पार्क के और आगे विकास हेतु वर्ष 1993-94 में और अधिक धनराशि आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी हां।

(ख) बाघ परियोजना स्कीम के अलावा "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास पारि-विकास" स्कीम के तहत भी राशि आबंटित करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राशन कार्ड जारी करना

284. **श्री देवी बक्स सिंह** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को तभी राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया जबकि वे यह सुनिश्चित कर लें कि व्यक्ति भारत का ही नागरिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास राशन कार्ड जारी करने के बाद समय-समय पर जांच करने की कोई योजना है, जिससे इसका दुरुपयोग न हो सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए प्रचलनात्मक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राशन कार्डों को जारी करने, पात्रता का मानदंड निर्धारित करने आदि संबंधी मामलों में निर्णय लेना राज्य सरकारों के प्रशासनिक कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। सामान्यतः राशन कार्ड गांव अथवा शहर में रहने वाले परिवारों/व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं।

राशन कार्डों की जांच करना तथा इनके दुरुपयोग को रोकना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के उत्तरदायित्व का एक भाग है और यह काम उनके द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है।

स्लीपर क्लास

285. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** :
श्री सूर्य नारायण यादव :
श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय श्रेणी टिकट धारण करने वाले यात्रियों को दिन के समय की यात्रा में अत्यधिक कठिनाइयां होती हैं क्योंकि उन्हें नये स्लीपर क्लास प्रारम्भ किए जाने के पश्चात् स्लीपर कोचों में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे यात्रियों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(घ) क्या दिन में चलने वाली गाड़ियों में सामान्य कोचों की संख्या बढ़ाने तथा सामान्य कोचों वाली लम्बी दूरी की नई रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (घ) स्थान की उपलब्धता के अध्यधीन, दिन के समय दूसरे दर्जे के टिकटधारी किरायों के अंतर का भुगतान करके शयनयान दर्जे में यात्रा कर सकते हैं। दूसरे दर्जे के यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेलों ने कई लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में यातायात औचित्य के आधार पर दूसरे दर्जे के अनारक्षित सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि की है। मुख्यतः दूसरे दर्जे के अनारक्षित यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुलाई, 1993 से 13 गाड़ियां शुरू की गई है और 14 गाड़ियों की चालन दूरी बढ़ाई गई है।

नये राशन कार्ड

286. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में विशेष रूप से सर्किल संख्या 43, 50 और 51 में गत छः माह के दौरान प्रति माह नये राशन कार्ड हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) गत छः माह के दौरान क्षेत्र-वार प्रति माह कितने नये राशन कार्ड जारी किए गए और कितने आवेदन पत्र रद्द किए गए तथा कितने आवेदन लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रद्द आवेदनों पर पुनर्विचार करने का है तथा, लंबित आवेदनों को निपटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा यथा-सूचित, विशेषकर सर्किल संख्या 43, 50 व 51 में प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

सर्किल संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या
43	2087
50	2628
51	1429

(ख) गत छः महीनों के दौरान जारी किए गए नए राशन कार्डों, रद्द किए गए आवेदनों तथा लम्बित आवेदनों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

सर्किल संख्या	जारी राशन कार्डों की संख्या	रद्द किए गए आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
43	1947	104	36
50	2172	269	187
51	1389	28	12
योग :	5508	401	235

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि उसका रद्द किए गए आवेदनों पर पुनः विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाती है।

उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें

287. **श्री राम नगीना मिश्र** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में लक्ष्मीगंज, बेतालपुर और भाटनी की चीनी मिलों को अपनी क्षमता 2500 टन तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इन चीनी मिलों की क्षमता में अभी तक वृद्धि न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इसमें कब तक वृद्धि की जायेगी;

(घ) क्या सरकार का देवरिया जिले में निजी क्षेत्र के अंतर्गत नई चीनी मिलों की स्थापना करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० ने कोष न होने के कारण विस्तार हेतु आशय पत्रों को कार्यान्वित करने के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं किए हैं। लक्ष्मीगंज चीनी मिल को प्रदान किये गए आशय पत्र की अवधि समाप्त हो चुकी है।

बेतालपुर और भटनी चीनी मिलों की क्षमता में विस्तार के कार्य को निगम की आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद कार्यान्वित किया जाएगा।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिलों की स्थापना नहीं करती है। तथापि, यह नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए आवेदन करने वाले उद्यमियों को उस समय के लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करती है।

रांची-लोहारदगा को बड़ी लाइन में बदलना

288. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बिहार में रांची-लोहारदगा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

विकास परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंजूरी

289. **प्रो० के० वी० थामस** :

श्री सूरजभानु सोलंकी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार उनके मंत्रालय में कितनी विकास परियोजनाएं आज तक पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) ये परियोजनायें कब से लम्बित पड़ी हैं और इसका क्या कारण है;

(ग) किन-किन परियोजनाओं को विश्व बैंक ने स्वीकृत दे दी है परन्तु वे पर्यावरणीय मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) परियोजनाओं का मूल्यांकन और उन पर कार्यवाही तभी की जा सकती है जब पूर्ण आंकड़े प्राप्त हो जाएं। पूर्ण पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य योजनाएं प्राप्त हो जाने के बाद अधिकतम तीन महीने की अवधि के भीतर अंतिम निर्णय ले लिया जाता है। मामलों के शीघ्र निपटान को सुविधाजसक बनाने के लिए परियोजना प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

विवरण

20-6-1993 को लम्बित परियोजनाएं

क्र०सं०	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	लम्बित होने के कारण
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश			
1.	वेमागिरी गैस आधारित ताप विद्युत केन्द्र आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	मई, 93	विशेषज्ञ समित द्वारा विचार किया गया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
2.	कोठागुण्डम ताप विद्युत केन्द्र चरण-5 2×250 मे०वा० आ० प्र० रा० वि० बोर्ड	जून, 93	—वही—
3.	रामगुण्डम ताप विद्युत केन्द्र चरण-2 2×250 मे०वा० आ० प्र० रा० वि० बोर्ड	जून, 93	—वही—
4.	मनुगुरू शैक्ट ब्लॉक-1 सिंगरेनी कॉलरीज कम्पनी लि०	जनवरी, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
5.	तांदूर सीमेंट संयंत्र से सम्बद्ध चूना पत्थर खान (भारतीय सीमेंट निगम लि०)	मार्च, 93	—वही—

1	2	3	4
6.	मनुगुरू खुली खदान-4 परियोजना सिंगरेनी कोयला कम्पनी लि०	मार्च, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया ।
7.	जग्गायापेटा चूना पत्थर खान, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र	अप्रैल, 93	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है ।
8.	माधाराम डोलोमाइट माइन, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र	अप्रैल, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया ।
9.	रविन्द्र खानी न्यूटेक यू/जी परियोजना सिंगरेनी कोयला क० लि०	जून, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया । संशोधित पर्यावरणीय परियोजना हाल ही में प्राप्त हुई ।
	अरुणाचल प्रदेश		
10.	खारसांग में गैस आधारित विद्युत परियोजना (6 मे०वा०)	मई, 93	भूमि की स्थिति के बारे में मांगा गया स्पष्टीकरण अभी प्रस्तुत किया जाना है ।
	बिहार		
11.	टिम्को का केप्टिव पावर प्लांट 67.5 मेगावाट	सितम्बर, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा हाल ही में विचार किया गया ।
12.	अनजौर खनन परियोजना पाइराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स लि०	मार्च, 88	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया । मांगें गए स्पष्टीकरणों का जवाब देना अभी बाकी है ।
13.	नौमुण्डी आयरन और माइन मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील क० लि०	मार्च, 90	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया ।

1	2	3	4
14.	के० डी० हेकालोंग प्रोजेक्ट, सेंट्रल कोल-फिल्डस् लि०	दिसम्बर, 91	विशेष समिति द्वारा विचार किया गया। गुफाओं की रंगाई पर खनन के प्रभाव के संबंध में बिहार भू-सर्वेक्षण विभाग के निदेशक से उत्तर की प्रतीक्षा है।
15.	चुंरी भूमिगत परियोजना, सेंट्रल कोल फिल्ड लि०	नवम्बर, 91	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। इसको वानिकी मंजूरी के साथ जोड़ दिया गया।
16.	केडला खुली खदान परियोजना, सेंट्रल कोल फील्ड्स लि०	जुलाई, 92	—वही—
17.	अशोक खुली खदान परियोजना, सेंट्रल कोल फिल्ड लि०	अगस्त, 92	—वही—
18.	कोनार खुली खदान परियोजना, सेंट्रल कोल फिल्ड लि०	सितम्बर, 92	—वही—
19.	तुलसीडामर डेलोमाइट माइन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	अक्तूबर, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया।
20.	सोंडा "डी" ओसी और यू० जी० परियोजना, सेंट्रल कोल फिल्ड लि०	नवम्बर, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
21.	झारखंड खुली खदान परियोजना, सेंट्रल कोल फिल्ड लिमिटेड	जनवरी, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
22.	कावेरी खुली खदान परियोजना, सेंट्रल कोल फिल्ड लि०	जनवरी, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया । इसको वानिकी मंजूरी के साथ जोड़ दिया गया ।
23.	गिडि "ए" खुली खदान परियोजना, सेंट्रल फिल्ड लि०	जनवरी, 93	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है ।
24.	उत्तरी डडीमाडी खुली खदान परियोजना, सेंट्रल कोल्ड फिल्ड लि०	फरवरी, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया । मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।
25.	रे बचरा भूमिगत परियोजना, सेंट्रल कोल फिल्ड लि०	फरवरी, 93	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है ।
26.	तपीन दक्षिण खुली खदान एक्स० परियोजना, सेंट्रल कोल फिल्ड लि०	अप्रैल, 93	—वही—
27.	गोविन्दपुर खुली खदान परियोजना, सेंट्रल कोल फिल्ड लि०	अप्रैल, 93	—वही—
28.	रोहिणी खुली खदान परियोजना, सेंट्रल कोल फिल्ड लि०	मई, 93	—वही—
	गोआ		
29.	गोआ शिपयार्ड लि० द्वारा चिकलोना में कर्मचारी आवास कालोनी का निर्माण	दिसम्बर, 92	मांगी गई अतिरिक्त सूचना हाल ही में प्राप्त हुई ।

1	2	3	4
30.	मार्मोगाओं पोर्ट ट्रस्ट गोवा द्वारा आयल बर्थ नं०-8, और ओर बर्थ नं०-9 को गहरा बनाना	जून, 93	मांगी गई अतिरिक्त सूचना की अभी प्रतीक्षा है।
31.	तेल टैंकरों के लिए डबल बैंकिंग आपरेशन मार्मुगाओ ट्रस्ट, गोवा	जून, 93	—वही—
32.	बर्थ संख्या 3 से 6 के सामने 2 बहुउद्देश्यीय कार्गो बर्थस का निर्माण, मार्मुगाव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा	जून, 93	—वही—
	गुजरात		
33.	कच्छ जुआरिय विद्युत परियोजना	फरवरी, 90	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना की अभी प्रतीक्षा है।
34.	हजीरा में के० आर० आई० बी० एच० सी० ओ० का नाइट्रो फास्फेट फर्टिलाइजर प्लांट	मई, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया।
35.	बगोदिया में जी० ए० आई० एल० का एल० पी० जी० रिकवरी प्लांट	नवम्बर, 92	परियोजना प्राधिकारियों से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
36.	नालधारी में पेट्रो फाइल्स कोआपरेटिव लि० का पोलियस्टर फिलामेंट यार्न प्लाट	दिसम्बर, 92	—वही—

I	2	3	4
37.	हाजिरा में के० आर० आई० बी० एच० सी० ओ० के उर्वरक परिसर में एक आरमॉन गैस रिकवरी यूनिट स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	मई, 93	—वही—
38.	जे० ई० एस० सी० ओ० का एक मिलियन टन इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट	जून, 93	हाल ही में प्राप्त हुआ ।
	हिमाचल प्रदेश		
39.	बामपा जल विद्युत परियोजना चरण-2	मई, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया । मांगी गई सूचना की प्रतीक्षा है।
40.	आर्कि चूना पत्थर परियोजना, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	नवम्बर, 92	मांगे गए स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है ।
	कर्नाटक		
41.	मरपदी जल विद्युत परियोजना	नवम्बर, 92	शिशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया । अतिरिक्त सूचना और कार्य योजना की प्रतीक्षा है ।
42.	कुदरेमुख में खनन सुविधाओं का विस्तार	मई, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। मांगी गई अतिरिक्त सूचना हाल ही में प्राप्त हुई ।
43.	सन्दूर मेगनीज तथा लौह अयस्क लि० का खनन कार्य	मई, 93	मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है ।

1	2	3	4
44.	मैसर्स पी० अबूबाकेर की खनन परियोजना	जून 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। संशोधित पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना की परियोजना प्राधिकारियों से प्रतीक्षा है।
45.	न्यू मैंगलौर प्रन्दरगाह में परिष्कृत, पी० ओ० एल० के संचालन के लिए बन्दरगाह सुविधाएं	नवम्बर, 92	मांगी गई अतिरिक्त सूचना हाल ही में प्राप्त हुई है।
46.	एच० एम० टी०—प्रैस डाइयों, मोल्ड आदि के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम परियोजना	मई, 93	मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	केरल		
47.	कसारकोडे में 60 मेगावाट का डीजल आधारित विद्युत स्टेशन-केरल राज्य विद्युत बोर्ड	मई, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। मांगी गई अतिरिक्त सूचना परियोजना प्राधिकारियों से प्रतीक्षित है।
48.	कोचीन बन्दरगाह में कोचीन तेल टर्मिनल को जाने वाली नहरों को चौड़ा करना	फरवरी, 93	मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी प्राप्त होनी है।
49.	नौ सैनिक अकादमी, एजिमाला का निर्माण	मार्च, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
50.	कोचीन में मछली पालन हारबल स्टेज-II का विकास	मार्च, 93	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
51.	हिन्दुस्तान आरगैनिक कैमिकल्स लि० का फिनौल संयंत्र	मार्च, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया।

1	2	3	4
	मध्य प्रदेश		
52.	मोंगरा परियोजना	जनवरी, 91	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। मांगी गई विस्तृत पर्यावरणीय योजनाओं की प्रतीक्षा है।
53.	रौघाट लौह अयस्क परियोजना, भिलाई इस्पात संयंत्र	जून, 87	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। क्षेत्र की पारिस्थितिकीय पहलुओं पर परियोजना प्राधिकारियों से अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होनी है।
54.	डिपाजिट सं० 10/11 ए० और 11 बी० बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	फरवरी, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। वानिकी मंजूरी से जुड़ी हुई है।
55.	चिरिमिरी खुली खदान खान, दक्षिणी पूर्वी कोल फील्ड्स लि०	जुलाई, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
56.	मध्य प्रदेश में 60,000 टी० पी० ए० तांबा प्रगालक की स्थापना करने सहित मालंज खण्ड तांबा डिपाजिट का अधिकतम दोहन	नवम्बर, 92	—वही—
57.	अमलाई खुली खदान परियोजना, एस० ई० सी० एल०	फरवरी, 93	—वही—
58.	दिपका खुली खदान (विस्तार) परियोजना, एस० ई० सी० एल०	फरवरी, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया।

1.	2	3	4
59.	मेनपट, सुरगुजा में बालको की बाक्साइट खनन परियोजना	मार्च, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। तकनीकी अध्ययनों की पुष्टि की प्रतीक्षा है।
60.	वैस्टर्न कोल फील्ड लि० की तांबा भूमिगत परियोजना	मार्च, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। वानिकी मंजूरी से जुड़ी हुई है।
61.	चट्टाप्रपुर—II भूमिगत परियोजना, डब्ल्यू सी० एल०	मई, 93	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा हैं।
62.	उड़ीसा सीमेंट लि० की उरदाना रामपुर क्वार्टजाइट खान का रेपिड पर्यावरणीय प्रबंध योजना	जून, 93	हाल ही में प्राप्त हुई।
63.	नेशनल फर्टीलाइजर्स द्वारा विजयपुर में गैस आधारित उर्वरक संयंत्र का विस्तार	जनवरी, 93	परियोजना प्राधिकारियों से अतिरिक्त ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
64.	भिलाई इस्पात संयंत्र (सेल) में आक्सीजन परियोजना	मार्च, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया।
	महाराष्ट्र		
65.	नागोथाणे सी० सी० जी० टी०, 820 मे० वा०, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	फरवरी, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। मांगी गई अतिरिक्त सूचना की परियोजना प्राधिकारियों से प्रतीक्षा की जा रही है।
66.	बम्बई मलजल निपटान परियोजना	जनवरी, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया

1	2	3	4
			गया। अधिमत विकल्पों तथा पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना से सम्बन्धित सूचना की प्रतीक्षा है।
67.	पूनंद सिंचाई परियोजना	मई, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। मांगे गए अतिरिक्त ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
68.	तलवासा खुली खदान परियोजना, डब्ल्यू० सी० एल०	मई, 93	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
69.	कसलकुण्डे, तालुका कुदाल, जिला सिन्धुदुर्ग में हवाई अड्डे का निर्माण	जुलाई, 92	मांगी गई अतिरिक्त सूचना हाल ही में प्राप्त हुई है।
70.	शिरडी, तालुका कोपरगांव, जिला अहमदनगर में हवाई अड्डे का निर्माण	फरवरी, 93	समिति के सामने रखा गया। मांगी गई पूरी सूचना प्राप्त होनी है।
71.	मैसर्स कृष्णनल बीच रिसार्टस प्रा० लि० द्वारा गणपतिपुले—भण्डारापुले, जिला रत्नगिरी में 3-स्टार बीच रिसार्ट्स का निर्माण	मई, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया।
72.	क्यू० आर० जेड० के अन्तर्गत मंजूरी के लिए जमशेदजी बुन्दर, बम्बई से बम्बई के क्रॉस हरबल मार्गों हावरक्राफ्ट फैरी सेवा	मई, 93	—वही—
73.	बम्बई बन्दरगाह ट्रस्ट में जलपोत यातायात प्रबन्धन प्रणाली की व्यवस्था	जून, 93	—वही—

1	2	3	4
74.	आर० सी० एफ० का मिसामाइल संयंत्र, थाल	फरवरी, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया ।
75.	बम्बई टकसाल का आधुनिकीकरण	अप्रैल, 93	परियोजना प्राधिकारियों से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है ।
76.	बी० पी० सी० एल० की बम्बई-बनमाड पाइप लाइन	अप्रैल, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया ।
77.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि० का विस्तार, रासायनी	मार्च, 93	परियोजना प्राधिकारियों से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है ।
	उड़ीसा		
78.	दुबरी टी० पी० एस० 2 × 250 मे०वा०, कलिंग विद्युत लि०	अप्रैल, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया । अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है ।
79.	आई० बी०-वाले टी० पी० एस० (2 × 250 मे०वा०) ओ० पी० जी० सी०	फरवरी, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया । परियोजना प्राधिकारियों से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है ।
80.	उड़ीसा सैंडस कॉम्प्लैक्स, छतरपुर, गंजम-इंडियन रेयर अर्थस् लि० में नया थोरियम संयंत्र	नवम्बर, 91	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया । संशोधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
81.	टाटा लौह तथा इस्पात कं० लि० (टिस्को) की जोडा ईस्ट परियोजना	अप्रैल, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया ।

1	2	3	4
82.	टिस्को की सुकीण्डा क्रोमाइट खान	जून, 93	हाल ही में प्राप्त हुई है।
83.	समेकित एल्युमिनियम कॉम्पलैक्स का विस्तार राष्ट्रीय एल्युमिनियम क० लि० (नालको)	जनवरी, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। वानिकी मंजूरी से जुड़ा हुआ है।
84.	सारगीपल्ली सीसा खान, हिन्दुस्तान जिंक लि०	जुलाई, 92	मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
85.	गुमार्घ डॉलोमाइट खुली खदान (टिस्को)	जून, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया।
86.	पटपहाड़ डोलोमाइट डिपाजिट बिसरास्टोन लाइम क० लि० (बी० एस० एल० सी०)	मई, 93	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	राजस्थान		
87.	धौलपुर टी०पी०एस० 3×250 मे० वा०, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	मई, 91	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया।
88.	भरतपुर इण्डियन ऑयल कारपोरेशन में तेल डिपो	मार्च, 93	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	सिक्किम		
89.	तिस्ता जल विद्युत परियोजना	नवम्बर, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। परियोजना प्राधिकारियों से व्यापक कार्य योजना की प्रतीक्षा है।
	तमिलनाडु		
90.	उत्तरी मद्रास टी० पी० एस० 1×500	नवम्बर, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया

1	2	3	4
	मे०वा०, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड		गया। परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
91.	जयमकोण्डन लिगनाइट पावर कारपोरेशन का विद्युत संयंत्र	जून, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
92.	कलकत्ता से कन्याकुमारी को जोड़ने वाले पूर्वी तटीय मार्ग	मार्च, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया।
93.	तूतीकोरीन बन्दरगाह में बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ सं० 7 का निर्माण	अप्रैल, 93	परियोजना प्राधिकारियों से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
94.	मद्रास बन्दरगाह में अमोनिया स्टोरेज, मैसर्स ई०आई०डी० पैरी	मई, 93	राज्य सरकार की सिफारिश की प्रतीक्षा है।
95.	तूतीकोरीन में मिनोटा एक्वाटैक झींगा मछली फार्म	मई, 93	राज्य सरकार की सिफारिश की प्रतीक्षा है।
96.	ई०आई०डी० पैरी द्वारा कम्पाउण्ड फर्टीलाइजर का विस्तार	मार्च, 93	मांगी गई अतिरिक्त सूचना हाल ही में प्राप्त हुई है।
	उत्तर प्रदेश		
97.	बीना खान सं० 2 परियोजना, उत्तरी कोल फील्ड लि० (एन०सी०एल०)	जनवरी, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। मांगी गई अतिरिक्त सूचना हाल ही में प्राप्त हुई है।
98.	मैसर्स अल्मोड़ा मैगनेसाइट की झिरोली मैगनेसाइट खान	जून, 93	हाल ही में प्राप्त हुई है।

1	2	3	4
99.	भारत एक्प्लोसिव लि० का ललितपुर में एन०जी० आधारित विस्फोटक संयंत्र	मार्च, 92	जोखिमों की मात्रा पर रिपोर्ट सहित अतिरिक्त ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
पश्चिम बंगाल			
100.	गौरीपुर टी०पी०एस० 2 × 67.5 मे०वा० बिरला तकनीकी सेवाएं	फरवरी, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया।
101.	सागरदिघी टी०पी०एस० चरण-II 2 × 500 मे०वा०	फरवरी, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। परियोजना प्राधिकारियों से संशोधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी गई है।
102.	पुरुलिया पम्प्ड स्टोरेज एच०ई०पी०	अप्रैल, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। मांगे गए विस्तृत ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
103.	जामबाद खुली खदान परियोजना, ईस्टर्न कोल फील्ड लि० (ई०सी०एल०)	फरवरी, 91	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। स्कोप तथा खान सुधार योजना से संबंधित पुष्टि की प्रतीक्षा है।
104.	चिनाकूरी 1 और 2 खान ई०सी०एल०	नवम्बर, 91	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। प्रौद्योगिकी की पुष्टि की प्रतीक्षा है।
105.	कलकत्ता टकसाल का आधुनिकीकरण	अप्रैल, 93	मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह		
106.	कालपौंग जलविद्युत परियोजना	सितम्बर, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया । परियोजना प्राधिकारियों/ सी०ई०ए० से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है ।
107.	उत्तरी और मध्य अण्डमान के बीच आस्टिन स्ट्रैट व्हीकल फैरी जेटिस का निर्माण	दिसम्बर, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है ।
108.	पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे में रनवे का विस्तार	मार्च, 93	—वही—
	दमन और दीव		
109.	दमन में बंडर वर्ल्ड रिजार्ट्स	अप्रैल, 93	तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना से जुड़ा हुआ है ।
110.	दमन में समुद्री तट पर बी० रिजार्ट्स "होटल सी० व्यू"	दिसम्बर, 92	—वही—
	लक्षद्वीप		
111.	कवाराटी में स्थाई तहखाना सुविधाएं	अगस्त, 92	तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना से जुड़ा हुआ है ।
112.	लक्षद्वीप में मछलियों का केज कल्चर	मई, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया ।

1	2	3	4
	अन्य		
113.	कोंकण रेलवे परियोजना	फरवरी, 92	गोआ में जोड़ने से संबंधित सरकारी निर्णय होने तक इस परियोजना (मेयम-बाली) को अस्थागित रखा गया है।
114.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की पश्चिमी ऑफशोर में एस-I सैण्ड गैस फील्ड कॉम्प्लैक्स	मार्च, 93	विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की प्रतीक्षा है।

फेरोक-नीलाम्बर रेल लाइन

290. **श्री ई० अहमद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फेरोक-नीलाम्बर रेल लाइन पर अब तक कितने प्रतिशत का इंजीनियरिंग तथा वाणिज्यिक सर्वेक्षण संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यह सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) 5 प्रतिशत ।

(ख) 1993-94 के दौरान ।

लेवी को चीनी की कीमत निर्धारित करना

291. **श्री अशोक आनन्द राव देशमुख** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेवी चीनी की कीमत निर्धारित करते समय गन्ने की पैदावार तथा परिवहन पर होने वाले व्यय पर भी ध्यान दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख). कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य, जो कि लेवी चीनी का निकासी मूल्य निर्धारित करने का आधार होता है, में किसानों द्वारा कटाई और ढुलाई पर किए गए खर्चे शामिल होते हैं । चीनी फैक्ट्रियों द्वारा ढुलाई पर किए गए खर्चों को औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा रूपांतरण लागत अनुसूचियों में शामिल किया जाता है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस सम्बन्ध में ऊपर (क) और (ख) में दिए गए उत्तर में पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

[हिन्दी]

गोरखपुर में आदिवासियों को वनभूमि का आबंटन

292. **श्री पंकज चौधरी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में टंगिया आदिवासियों को वनभूमि के आबंटन के सम्बन्ध में ब्यौरेवार टिप्पणियां भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां

293. **श्री इम्चालम्बा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र, जहां पर्यटन की पर्याप्त सम्भावनायें हैं, के लिए कभी ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में भविष्य मे क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लेवी चीनी के आबंटन हेतु नीति

294. **श्री काशीराम राणा** :

श्री सूरजभानु सोलंकी :

श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्से :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को लेवी चीनी और मिट्टी तेल के आबंटन हेतु भारत सरकार की नीति क्या है;

(ख) गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों को वर्तमान में कितना मासिक आबंटन किया जाता है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार 1992 की जनगणना के आधार पर लेवी चीनी और अन्य वस्तुओं का कोटा निर्धारित करने का है;

(घ) क्या इन राज्यों ने लेवी चीनी और मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) आंशिक नियन्त्रण की वर्तमान नीति के तहत अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को लेवी चीनी का आबंटन 1-10-1986 को

प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए न्यूनतम 425 ग्राम प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के समान मानदण्डों के आधार पर किया जाता है। ये मानदण्ड 1-2-1987 से प्रभावी हैं। तथापि, कुछ राज्यों की वहां की विशेष परिस्थितियों के कारण लेवी चीनी का आबंटन उच्चतर स्केल पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न त्यौहारों के लिए चीनी की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को त्यौहार कोटे के रूप में लेवी चीनी की 1 लाख टन मात्रा का आबंटन भी करती है।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का आबंटन ऐतिहासिक आधार पद किया जाता है।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	राज्य	मासिक आबंटन (टन में) लेवी चीनी		मिट्टी का तेल
		सामान्य कोटा	अगस्त, 1991 से 5% की तदर्थ वृद्धि	
1.	गुजरात	16194	810	61180
2.	उड़ीसा	12393	620	12956
3.	मध्य प्रदेश	25031	1252	29504
4.	कर्नाटक	17769	888	36975

(ग) से (च) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से लेवी चीनी का मासिक कोटा बढ़ाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता के कारण वर्तमान मानदन्डों में संशोधन करना इस समय सम्भव नहीं है। तथापि 1990-91 तथा 1991-92 मौसमों के दौरान उत्पादन स्तर में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अगस्त, 1991 से सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मासिक लेवी आबंटन में 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि की मंजूरी दी हुई है।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का आबंटन ऐतिहासिक आधार पर किया जाता है। मिट्टी के तेल के आबंटन में वृद्धि करने के अनुरोध भी समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं। तथापि, विदेशी विनिमय के दबाव के कारण पिछले तीन वर्षों से आबंटन उसी स्तर पर किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पाठ्य पुस्तक समीक्षा समिति

295. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करने हेतु मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय संचालन समिति को सांविधिक दर्जा दिलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन पर गठित राष्ट्रीय संचालन समिति को सांविधिक अधिकार प्राप्त एक राष्ट्रीय आयोग का दर्जा देने का प्रस्ताव है।

(ख) ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए इस अवस्था में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियां

296. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्तियां बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिष्टमण्डल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चैयरमैन से मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

297. **श्री रामकृष्ण कौंतालू** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में मऊ में एक चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में एक ऐसे संस्थान की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह कहां पर स्थापित किया जाएगा ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश में मऊ में राष्ट्रीय ईख और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

(ख) पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने की खेती की विधियों और चीनी फैक्ट्रियों में चीनी विधायन की प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिए यह संस्थान स्थापित किया जा रहा है। यह संस्थान पुनर्चर्या पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के अलावा, विस्तार और परामर्शदात्री कार्यों पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। यह संस्थान खाद्य मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलना

290. **डा० रमेश चन्द्र तोमर :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक और केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि आयोग ने प्रो० विपिन चन्द्र, सदस्य, वि० अ० आ० की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो या तो दिल्ली में एक सम्बद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने या योजना और वास्तु कला स्कूल, नई दिल्ली जैसे सम-विश्वविद्यालयों के साथ क्षेत्र के कालेजों को सम्बद्ध करने की सम्भावना एवं वांछनीयता की जांच करेगी। समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :

(1) दोनों सुझावों की सम्भावना और वांछनीयता की जांच करना और सुझाए गए समाधानों की कानूनी तथा प्रबन्ध संबंधी कठिनाइयों के संबंध में सलाह देना।

(2) यदि विचार अनुशंसनीय पाया जाता है तो कार्यात्मक तन्त्र की सिफारिश करना तथा सुझाव देना।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

आम का उत्पादन

299. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व में आम का उत्पादन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में आम का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) आम के उच्च निर्यात मूल्य को देखते हुए अच्छी किस्म के आम पैदा करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) भारत का आम उत्पादक देशों में प्रथम स्थान है ।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के लिए राज्यों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार आम का अनुमानित उत्पादन क्रमशः 8504.49, 8663.82 और 8752.13 हजार मीटरी टन है ।

(ग) भारत सरकार उष्णकटिबन्धीय तथा शुष्क क्षेत्र फलों के एकीकृत विकास पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसके तहत आम के निर्यात योग्य किस्मों के कलमी पौधे के उत्पादन के लिए नर्सरियों की स्थापना हेतु सहायता दी जाती है । इस कार्यक्रम के तहत आम के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए आदान सहायता भी दी जाती है । आठवीं योजनावधि की शेष अवधि में इन कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चावल की उपलब्धता

300. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या साडुल** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित मूल्य की दुकानों से उपभोक्ता अपनी पसन्द के अनुसार विभिन्न प्रकार के चावल ले सकते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न किस्मों के चावल उचित दर की दुकानों से उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) कुल मिलाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को फाइन तथा सुपर फाइन किस्म का चावल उपलब्ध कराया जाता है । केन्द्रीय पूल के लिए, केन्द्रीय पूल में अंशदान करने वाले राज्यों में कम उत्पादन के कारण कॉमन चावल की अधिप्राप्ति की मात्रा बहुत अधिक नहीं है । राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए कॉमन किस्म का चावल भी सीमित मात्रा में उपलब्ध किया जाता है ।

चीनी मिलों द्वारा चीनी की बिक्री

301. **डा० बसंत पवार** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सहकारी चीनी मिलों के पास अत्यधिक मात्रा में चीनी उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन चीनी मिलों द्वारा सरकार की लेवी चीनी की जरूरत को पूरा करने के बाद अपनी चीनी खुले बाजार में बेचने की अनुमति देना का है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इन चीनी मिलों के बिक्री न हुए चीनी स्टाक पर अत्यधिक ब्याज तथा अन्य अनुषंगी खर्चों को बचाने के लिए इनकी किस प्रकार मदद करने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सहकारी चीनी मिलों के पास 30-6-1993 को चीनी का स्टाक 35.27 लाख टन अनंतिम था ।

(ख) और (ग) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के तहत प्रत्येक चीनी फैक्ट्री के कुल उत्पादन का एक विशेष प्रतिशत, पूरे देश में समान खुदरा निर्गम मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए अधिसूचित मूल्यों पर लेवी चीनी के रूप में ले लिया जाता है । पूरे मौसम में चीनी का उत्पादन 5 से 7 मास के दौरान किया जाता है जबकि देश में चीनी की आवश्यकता को पूरे वर्ष के दौरान पूरा करना होता है । तदनुसार रिलीज से पहले किसी विशेष तारीख तक हुए उत्पादन को ध्यान में रखते हुए समानुपातिक आधार पर प्रत्येक मास सभी चीनी मिलों में रिलीज विनियमित की जा रही है ।

विद्युत रेल इन्जन

302. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में निर्मित 5000 हार्स पावर वाले एक विद्युत रेल इन्जन की लागत क्या है;

(ख) इन विद्युत रेल इन्जनों के निर्माण में किस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ग) क्या यह प्रौद्योगिकी पूर्ण रूप से ग्रहण की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों में भारतीय रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष 5000 हार्स पावर वाले कितने विद्युत रेल इन्जन खरीदे गये और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) 1992-93 में यथाप्राक्कलित 3.46 करोड़ रुपए ।

(ख) 1960 विंटेज की "आन लोड टैप चेंजर" प्रौद्योगिकी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) चित्तरंजन रेल इन्जन कारखाना में भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित 5000 अश्व शक्ति वाले रेल इन्जनों की संख्या इस प्रकार है :—

1991-92	एक
1992-93	पांच
कुल योग :	छह
खर्च की गई राशि :	19.40 करोड़ रुपए

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों का आवागमन बन्द होना

303. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगरौली कानपुर के बीच विद्युत ट्रांसमीशन लाइन के ठप्प होने के कारण कितनी रेलगाड़ियों का आवागमन बन्द रहा और इससे रेलवे को कितना नुकसान हुआ;

(ख) इन रेलगाड़ियों की सेवाओं को नियमित करने में कितना समय लगा; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

माल भाड़े की वसूली से राजस्व प्राप्ति

304. **डा० असीम बाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान सरकार ने रेलवे द्वारा माल की ढुलाई से कुल कितना राजस्व अर्जित किया;

(ख) क्या रेलवे माल भाड़े की दरों में वृद्धि से कोई लाभ हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) 1992-93 के दौरान माल भाड़ा यातायात से हुयी आमदनी 10903.04 करोड़ रुपये (अनन्तिम) थी।

(ख) जी, हां।

(ग) माल भाड़ा यातायात से आमदनी में लगभग 7·5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

राज्यों द्वारा केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का योगदान

305. **श्री फूल चन्द वर्मा** :

श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के लिए सरकार ने प्रत्येक खाद्यान्न की कितनी मात्रा का भण्डारण किया है;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा केन्द्रीय पूल में किए गए खाद्यान्नों के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का उन राज्यों को कोई प्रोत्साहन देने का विचार है जिन्होंने सर्वाधिक योगदान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) केन्द्रीय पूल में पहली अप्रैल, 1993 को स्थिति के अनुसार निम्नानुसार गेहूं, चावल और मोटे अनाजों के स्टाक थे :—

(लाख मीटरी टन में)

गेहूं	चावल	मोटे अनाज	जोड़
27.39	99.31	—	126.70

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्तमान सम्बन्धित खरीफ और रबी विपणन मौसमों के दौरान 16-7-1993 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल के लिए वसूल किए गए खाद्यान्नों (गेहूं, चावल और मोटे अनाजों) का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 1992-93 और रबी विपणन मौसम 1993-94 में 16-7-1993 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल के लिए वसूल किए गए खाद्यान्नों (गेहूं, चावल और मोटे अनाजों) (राज्यवार) की मात्राएं बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खरीफ विपणन मौसम 1992-93		रबी विपणन मौसम 1993-94	
		चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) (लाख मीटरी टन में)	मोटे अनाज (मीटरी टन में)	गेहूं (लाख मीटरी टन में)	मोटे अनाज (मीटरी टन में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	32.73	7387	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	नग०	—	—	—

1	2	3	4	5	6
3.	असम	00.09	—	—	—
4.	हरियाणा	09.09	1235	34.54	356
5.	हिमाचल प्रदेश	—	—	00.01	—
6.	कर्नाटक	01.08	—	—	—
7.	मध्य प्रदेश	06.88	6369	02.37	—
8.	महाराष्ट्र	00.69	383293*	—	—
9.	उड़ीसा	03.67	—	—	—
10.	पंजाब	49.01	—	64.82	—
11.	राजस्थान	00.21	—	04.96	1004
12.	उत्तर प्रदेश	11.86	—	21.25	43
13.	पश्चिम बंगाल	01.63	—	—	—
14.	उड़ीसा	—	—	नग०	—
15.	चंडीगढ़	00.30	—	00.02	—
16.	दिल्ली	00.05	—	00.20	—
17.	पांडिचेरी	00.06	—	—	—
	जोड़ :	117.35	398284	123.17	1403

नग० : 500 मीटरी टन से कम ।

* इसके अलावा, किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करके महाराष्ट्र सरकार द्वारा शिथिलित विनिर्दिष्टयों के अधीन 401371 मीटरी टन ज्वार 215/- रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी गई थी।

[अनुवाद]

अच्छी किस्म के चावल का निर्यात

306. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दर की दुकानों को सप्लाई किया जाने वाला अच्छी किस्म का चावल उपभोक्ताओं को सप्लाई नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या उचित दर की दुकानों के लिए आबंटित अच्छी किस्म का चावल देश से बाहर भेजा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्टियों तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप चावल जारी किया जाता है। तथापि, इतने विशाल कार्य में, जहां प्रतिवर्ष 90 लाख मी० टन से अधिक चावल वितरित (1992-93) किया जाता है, कुछ कमियों तथा कदाचारों से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उचित दर की दुकानों की आकस्मिक जांच

307. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली में उचित दर की दुकानों की आकस्मिक जांच की गई थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी दुकानों की जांच की गई;

(ग) किन-किन स्थानों पर कितने-कितने दुकानों में राशन की वस्तुओं की सप्लाई करने में अनियमिततायें पाई गईं; और

(घ) अब तक ऐसी उचित दर की दुकानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विद्यालय स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देना

308. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विद्यालय स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान कितनी धन-राशि खर्च की जाएगी;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ राज्य को और अधिक धन-राशि आबंटित करने का है; और

(ग) इससे राजस्थान में कितने छात्र लाभान्वित होंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) से (ग) विद्यालय स्तर पर खेलों का संवर्धन करने के लिए कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता। तथापि, खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदान की योजना के अंतर्गत खेल मैदानों के विकास और स्केटिंग रिंक के लिए अब तक 2 स्कूल

1.00 लाख रुपये तक अनुदान के लिए पात्र हैं। ग्रामीण स्कूलों को अनुदान की दूसरी अन्य योजना के अंतर्गत खेल मैदानों के विकास और गैर-उपभोग्य खेल उपस्कर की खरीद के लिए प्रत्येक ब्लाक में एक ग्रामीण स्कूल को 1.00 लाख रुपये का एक मुश्त अनुदान दिया जा सकता है। उपर्युक्त योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य को भी वर्ष 1993-94 के लिए केन्द्रीय सहायता स्वीकार्य है।

माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो विशिष्ट खेल विधाओं में लड़कों के लिए 5 और लड़कियों के लिए 4 जिला स्तरीय चैम्पियनशिप या टूर्नामेंट जीतते हैं वे प्रथम स्थान पाने पर 7000/- रुपये और द्वितीय स्थान पाने पर 3000/- रुपये के नकद पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में प्रति वर्ष विजेता विद्यालयों को अधिकतम 90,000/- रुपये दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में गोदामों में खाद्यान्न

309. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों की तुलना में जून, 1992 में उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कुल खाद्यान्न स्टाक कितना था; और

(ख) चालू वर्ष हेतु खाद्यान्नों के भंडारण के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के पास 30-6-92, 30-6-91 और 30-6-1990 को स्थिति के अनुसार निम्नानुसार गेहूं और चावल के स्टाक उपलब्ध थे :—

(लाख मीटरी टन में)

वस्तु	30-6-92 को स्थिति के अनुसार	30-6-91 को स्थिति के अनुसार	30-6-90 को स्थिति के अनुसार
चावल	7.32	10.02	6.81
गेहूं	4.43	5.80	14.33
जोड़	11.75	15.82	21.14

(ख) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों खाद्यान्नों का भंडारण खाद्यान्नों की वसूली और अंतराज्यीय संचलन पर निर्भर करते हुए किया जाता है इसलिए खाद्यान्नों का भन्डारण करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

कृषि विकास के लिए राज्यों को विश्व बैंक द्वारा सहायता

310. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** .

श्री मुशल इस्लाम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में ब्लाक स्तर पर मिट्टी की जांच करने

तथा अधिक पैदावार वाले तथा रोग प्रति रोधी बीज विकसित करने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु विश्व बैंक से ऋण उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) इस मंत्रालय को किसी भी राज्य सरकार से इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में भाग लेना

311. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पहलवान जो एशियाई फी स्टाइल कुश्ती चैम्पियनशिप में भाग लेने गए थे वे निर्धारित स्थान अर्थात मंगोलिया नहीं पहुंच पाये और हांगकांग और चीन होते हुए दिल्ली वापस आ गए;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या एतिहायती उपाय किये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां । कुश्ती टीम को हांगकांग से वापिस दिल्ली आना पड़ा ।

(ख) हांगकांग-बीजिंग-उलन-बाटोर (मंगोलिया) क्षेत्र में सीटें उपलब्ध नहीं थीं ।

(ग) और (घ) प्रतियोगिता स्थान पर भारतीय पहलवानों के न पहुंचने का दायित्व विभाग के अधिकारियों पर नहीं था अपितु यह भारतीय कुश्ती संघ का था जिन्हें टिकटों की पुष्टि करनी थी ।

विभाग ने संघ के साथ नियत दीर्घ अवधि के लिए टीम प्रबंधक की नियुक्ति करने के सुझाव सहित बेहतर प्रबंधकीय कार्यों पर चर्चा की है ।

[अनुवाद]

लक्ष्मीकान्तपुर से नापखाना तक रेल लाइन

312. **श्री राधिका रंजन प्रमाणिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सियालदाह डिवीजन में लक्ष्मीकान्तपुर से नापखाना तक रेल लाइन कब तक पूरी हो जाएगी;

(ख) क्या इस लाइन को नापखाना से तटीय पर्यटक केन्द्र, फ्रेसियगंज तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) संसाधनों की तंगी ।

अकादमी संबंधी हक्सर समिति की सिफारिशें

313. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील** :

श्री राम नाईक :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी तथा राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की कार्यविधि की समीक्षा करने हेतु नियुक्त हक्सर समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कोई निर्णय ले लिया है, और

(ख) यदि हां, तो अकादमी-वार तथा स्कूल का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) इस मामले पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है ।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

314. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां तो, वर्ष 1992-93 के दौरान किन-किन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की गई है और कितने प्रतिशत की वृद्धि की गयी;

(ग) क्या इस मूल्य वृद्धि की घोषणा के बाद खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण

प्रणाली की वस्तुओं की 1992-93 के दौरान केन्द्रीय निर्गम मूल्यों के संशोधन के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) यह आवश्यक नहीं है कि खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भिन्नता सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों के संशोधन के कारण हो। फरवरी से अप्रैल, 1993 के दौरान खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्य पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान मूल्यों से कम थे। तथापि, सरकार मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए और उचित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उनकी उपलब्धता की नियमित रूप से परिवीक्षा करती है।

विवरण

वस्तु	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य		प्रतिशत अंतर
	11-1-93 से पूर्व रुपये/क्विंटल	11-1-93 से रुपये/क्विंटल	
चावल			
(क) कॉमन	377	437	+ 15.9
(ख) फाइन	437	497	+ 13.0
(ग) सुपर फाइन	458	518	+ 13.1
संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों के लिए			
(क) कॉमन	327	387	+ 18.3
(ख) फाइन	387	447	+ 15.6
(ग) सुपर फाइन	408	468	+ 14.7
गेहूं	280	330	+ 17.8
संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों के लिए	230	280	+ 21.7

	लेवी चीनी का उपभोक्ता मूल्य (रु०/किग्रा)		प्रतिशत अंतर
	17-2-93 से पूर्व	17-2-93 से	
लेवी चीनी	6.90	8.30	+ 20.2%

[अनुवाद]

सम्बलपुर डिवीजन

315. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बलपुर को पूर्ण-स्तर का रेल डिवीजन बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) निर्धारित समय में इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (घ) संबलपुर में नए मंडल की स्थापना करने संबंधी काम की योजना इस तरह बनाई गई है जिससे कि अंतिम चरण का काम, संबलपुर से तालचेर (172 कि०मी०) तक नई रेल लाइन को चालू करने जिसे पूरा करने का वर्तमान लक्ष्य दिसम्बर, 1995 है—के साथ-साथ पूरा किया जा सके, बशर्ते अपेक्षित धनराशि उपलब्ध हो। संबलपुर में अवसंरचना का सृजन करने के लिए, सरकार ने पहले ही 9.44 करोड़ रुपये के अनुमान को स्वीकृति दे दी है।

मंडल का शीघ्र सृजन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जब-जब आवश्यक हो, अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की गई है।

[हिन्दी]

राजकोट-वीरावल तथा भुज-कांडला रेल लाइनों को बड़ी लाइन में बदलना

316. **श्रीमती भावना चिखलिया** :

श्री छीतूभाई गामीत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजकोट-वीरावल तथा भुज-कांडला रेल लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा इस परियोजना का कार्य पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) सरकार द्वारा अनुमोदित आमान परिवर्तन के लिए कार्य योजना के पहले चरण में राजकोट-वेरावल का आमान परिवर्तन शामिल है। भुज-कांडला पर अगले चरण में विचार किया जाएगा।

(ख) राजकोट-वेरावल के आमान परिवर्तन को आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में शुरू किये जाने की संभावना है। वर्तमान दरों के आधार पर अनुमानित लागत लगभग 95 करोड़ रुपये होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं

317. **श्री जर्नादन मिश्र** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा कितनी परियोजनाओं को धनराशि प्रदान की गई;

(ख) इनमें से अब तक कितनी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं;

(ग) क्या परिषद द्वारा अग्रिम धनराशि दिए जाने के बावजूद भी इनमें से अधिकांश परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) भारतीय सामाजिक विज्ञान परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात 1990-91 से 1992-93 के दौरान परिषद द्वारा 194 अनुसंधान परियोजनाएं अनुमोदित की गईं इनमें से अब, तक 23 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। क्योंकि परियोजनाएं सामान्य तौर से दो वर्ष की अवधि के लिए संस्वीकृत नहीं की जाती हैं। अतः 1991-92 और 1992-93 के दौरान संस्वीकृत परियोजनाएं चालू परियोजनाएं हैं। यद्यपि, 1990-91 से 1992-93 की अवधि के दौरान संस्वीकृत की गईं, फिर भी संस्वीकृत परियोजनाओं में से अधिकांश चालू परियोजनाएं हैं। और इसलिए परियोजना प्राधिकरणों से कोई अंतिम रिपोर्टें प्राप्त नहीं होनी हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसंधान अनुदान नियमों के अनुसार, परियोजना प्राधिकरणों को भुगतान परियोजना निदेशकों/संबंधक संस्थाओं द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत व्यय विवरण और तिमाही/छमाही प्रगति रिपोर्ट के प्राप्त होने पर किए जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में रेल सेवाएं

318. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें वर्ष 1992 और 1993 के दौरान विभिन्न संगठनों तथा संसद सदस्यों से लंबी दूरी की रेलों को ओखा, पोरबन्दर तक बढ़ाने तथा पश्चिम रेलवे के राजकोट एवं भावनगर डिवीजन के जामनगर, राजकोट, ओखा, द्वारका तथा पोरबन्दर के अन्य रेलवे संबंधी मामलों के संबंध में पत्र तथा अभ्यावेदन आए हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) सर्वश्री सोमजीभाई डामोर, हरिन पाठक, वीरेन जे० शाह, प्रमोद महाजन, चिमन भाई मेहता, शारदा मोहन्ती, दिग्विजय सिंह, चन्द्रेश पटेल, शिवलाल भाई एन० वेकारिया, एल० के० आडवाणी, राजूभाई ए० परमार तथा श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला, श्रीमती भावना चिखलिया, श्रीमती मीरा दास, संसद सदस्य; श्री शशीकांत लखानी-मंत्री/गुजरात सरकार; श्री राघव जी० एच० पटेल, विधायक; श्री भरत कुमार एम० ओडेडरा, पूर्व सांसद; श्री एम० के० बालोच, जामनगर; जामनगर क्षेत्रीय यात्री संघ; राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स; पोरबन्दर चैम्बर ऑफ कॉमर्स; गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स; श्री हीरालाल चन्दूलाल पत्थरवाला, अंकलेश्वर तथा श्री कुशालदास शान्तिलाल पारीख, पोरबंदर से पत्र/अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यावहारिकता, संसाधनों की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मांग की विधिवत जांच की गयी थी तथा जहां औचित्यपूर्ण तथा व्यावहारिक पाया गया उन मांगों को स्वीकार कर लिया गया है तथा कार्यान्वित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

पंजाब में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

319. **श्री जगमीत सिंह बरार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब में गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए वहां के रेल मार्गों का विद्युतीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 के दौरान किन-किन रेल मार्गों का विद्युतीकरण करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) दिल्ली-लुधियाना खंड के विद्युतीकरण का कार्य, जिसका अम्बाला-लुधियाना भाग पंजाब में आता है, फिलहाल प्रगति पर है तथा इसे मार्च, 97 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

पूर्ण साक्षरता का निर्धारण

320. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा किसी क्षेत्र विशेष को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए निर्धारित मानदंडों पर कोई विवाद पैदा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूर्ण साक्षरता निर्धारित करने के लिए समान मानदंड निर्धारित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रशिक्षुओं में कामचलाऊ साक्षरता के मूल्यांकन हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ दलों की

रिपोर्ट में, पूर्ण साक्षरता अभियानों का मूल्यांकन करने के मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं। इन मानदण्डों के अनुसार, विशिष्ट आयु वर्ग के प्रौढ़ शिक्षार्थियों के लक्षित वर्ग में से 80% शिक्षार्थियों को इस प्रयोजनार्थ आयोजित एक परीक्षा में कुल अंकों में से 70% अंक प्राप्त करना जरूरी होगा।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी साक्षरता अभियानों के स्तर एवं प्रभाव मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है जो इस कार्यक्रम के गुणवत्ता संबंधी पहलुओं पर विचार करेगा।

करीमगंज में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम

321. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार करीमगंज में भारतीय खाद्य निगम का एक गोदाम निर्मित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता कितनी होगी;

(ग) निर्माण कार्य कब तक आरंभ हो जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) असम के करीमगंज जिले में भारतीय खाद्य निगम के पास पहले ही कुल 2570 मीटरी टन की किराये की क्षमता है (1-6-1993 को स्थिति के अनुसार, 480 मीटरी टन राज्य सरकार से और 2090 मीटरी टन प्राइवेट पार्टियों से)। करीमगंज नगर अत्यधिक बाढ़-प्रवण क्षेत्र है और किराये की मौजूदा क्षमता का उपयोग कम होता है। अतः भारतीय खाद्य निगम का करीमगंज में किसी गोदाम का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए तैयारियां

322. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू दक्षिण-पश्चिम मानसून से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारियां करने हेतु राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राहत आयुक्तों का एक सम्मेलन बुलाया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गयी और उनके क्या निष्कर्ष निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राहत आयुक्तों के 7 जून, 1993 को नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में दक्षिण-पश्चिम मानसून, 1993 से उत्पन्न होने वाली किसी भी आकस्मिक घटना का मुकाबला करने के लिए देश की तैयारी की समीक्षा की गई। इस सम्मेलन में विचारे गए मुख्य मुद्दे, 1992-93 के दौरान देश में

प्राकृतिक आपदाओं की समीक्षा, दक्षिण पश्चिम मानसून, 1993 के दौरान बाढ़/सूखा हेतु तैयारी तथा आपदा राहत निधि के संचालन की समीक्षा से संबंधित थे। इस सम्मेलन में विचार-विमर्श हेतु रखे गए कार्यवाही के मुख्य मुद्दे राहत प्रशासन की विपदा प्रबंध संबंधी क्षमताओं में सुधार लाना, विपदाओं को कम करने के उपाय, राज्य राहत कोड/मैनुअलों को अद्यतन बनाना तथा शैक्षिक और वैज्ञानिक संस्थानों तथा प्राकृतिक आपदा प्रबंध के क्षेत्र में लगे गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी से संबंधित थे। इस सम्मेलन में कार्यकारी योजना बनाने की भी सिफारिश की गई ताकि विभिन्न आपदाओं का समय पर और प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए ढांचा (फ्रेम वर्क) तैयार किया जा सके।

आम की नई प्रजाति

324. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण कृषि विद्यापीठ के कृषि वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार अपने ही किस्म की बीजरहित आम की एक नई प्रजाति विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अनुसंधान का देश में उद्यान कृषि के विकास हेतु वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आम की एक बीज रहित संकर किस्म जिसका नाम "सिन्धु" है, विकसित की गयी है। "सिन्धु" किस्म पर उपोष्ण फलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रों में इसके उत्पादन के बारे में परीक्षण किये जाएंगे, उसके बाद ही इसके व्यावसायिक उपयोग की सिफारिश की जाएगी।

[हिन्दी]

पाठ्यक्रम में परिवर्तन

325. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद 10+2 पद्धति के अन्तर्गत कितनी बार पाठ्यक्रम बदला गया है;

(ख) ऐसे बार-बार परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बार-बार पाठ्यक्रम में परिवर्तन से छात्रों में अपने कार्य निष्पादन के बारे में दुश्चिन्ता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पाठ्यक्रम में ऐसे बार-बार के परिवर्तन को बन्द करने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) . (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को अपनाने के पश्चात् राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किये गए पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नकली सामान का उत्पादन और बिक्री

326. **श्री जीवन शर्मा** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली सामान के उत्पादन और बिक्री को संज्ञेय अपराध घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स और इंडस्ट्री आफ इंडिया ("एसोचैम") ने भी इस प्रकार की कार्यवाही करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) ऐसे अनेक कानून हैं, जो नकली तथा गलत ब्रांड नाम दी गई वस्तुओं के संबंध में कार्यवाही करते हैं, जैसे औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940; भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1956; व्यापार तथा पण्य वस्तु चिह्नांकन अधिनियम, 1958 आदि। नकली वस्तुओं की बिक्री को संज्ञेय अपराध के रूप में घोषित करने का इस मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) हाल में एसोचैम ने 'उपभोक्ता जागरूकता में व्यापार की भूमिका" के बारे में एक कार्यशाला आयोजित की थी, जहां नकली वस्तुओं के विनिर्माण और बिक्री के विषय पर भी विचार-विमर्श किया गया था। उक्त कागज में नकली वस्तुओं के विनिर्माण और बिक्री को संज्ञेय अपराध बनाने का सुझाव दिया गया है।

वनस्पति में खाद्य तेलों के प्रयोग पर रोक

327. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वनस्पति के निर्माण में खाद्य तेलों के प्रयोग पर लगी रोक हटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) वनस्पति के विनिर्माण में अनेक

खाद्य तेलों के उपयोग की अनुमति दी जाती है। नीति के रूप में मूंगफली के तेल, सरसों के तेल जैसे कुछ प्रमुख तेलों को, जो मूल रूप में ही सीधी खपत के लिए लोकप्रिय हैं, आमतौर पर वनस्पति तैयार करने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस नीति के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि वनस्पति के माध्यम से गैर-पारम्परिक तेलों के निकाय को प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि उपभोक्ताओं द्वारा ये तेल सीधी खपत के लिए पसंद नहीं किए जाते हैं।

मंगला एक्सप्रेस

328. **श्री पी० सी० थामस :**

श्री एम० रामन्ना राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चालू की गई मंगला एक्सप्रेस में सीटें, बिजली की सप्लाई, पेय जल और खान-पान सेवाओं जैसी यात्री सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी के उत्पादन में गिरावट

329. **श्री साईमन मरान्डी :**

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत आठ महीनों के दौरान चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार चीनी के उत्पादन और कुल चीनी के उत्पादन में आई गिरावट का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम निकला;

(घ) चीनी के मूल्य में जनवरी, 1993 से आज तक की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है और इसका लेवी की चीनी पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) क्या सरकार विभिन्न रुग्ण चीनी मिलों को आधुनिक बनाने और बिहार की सभी चीनी मिलों को अर्थक्षम बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। 31-6-1993 को चीनी का कुल उत्पादन 104.82 लाख टन था जबकि पिछले मौसम की इसी तारीख को यह उत्पादन 130.76 लाख टन था। इस प्रकार चीनी के उत्पादन में 25.94 लाख टन की गिरावट आई है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार ने देश में चीनी के उत्पादन स्तर में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं—

(1) 1 जनवरी, 1993 से 30 अप्रैल, 1993 तक की अवधि के दौरान चीनी फैक्ट्रियां, 1991-92 मौसम की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में किये गए अतिरिक्त उत्पादन पर 60 प्रतिशत के सामान्य खुली बिक्री कोटे की तुलना में 80 प्रतिशत खुली बिक्री कोटे की पात्र होंगी।

(2) देर तक पेराई अवधि अर्थात् 1 मई से 31 जुलाई, 1993 तक की अवधि के दौरान चीनी उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां 60 प्रतिशत के सामान्य खुली बिक्री कोटे की तुलना में 72 प्रतिशत खुली बिक्री कोटे की पात्र होंगी।

(3) 1992-93 के चालू मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस० एम० पी०) बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 31 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है तथा रिकवरी में उक्त स्तर से अधिक होने वाली प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए आनुपातिक प्रीमियम की भी व्यवस्था की गई है। 1993-94 मौसम के लिए 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की 32.50 रुपये प्रति क्विंटल की अग्रिम घोषणा कर दी गई है।

(4) लेवी तथा खुली बिक्री चीनी के पिछले 45 : 55 के अनुपात को बदलकर 1992-93 मौसम के लिए 40 : 60 कर दिया गया है।

(5) 1992-93 मौसम के लिए 31 रुपये प्रति क्विंटल बढ़े हुए सांविधिक न्यूनतम मूल्य के अनुसार लेवी चीनी का क्षेत्रवार एक्स फैक्ट्री मूल्य अधिसूचित कर दिया गया है।

(6) नई चीनी फैक्ट्रियों तथा विस्तार परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन योजना में समुचित संशोधन कर दिया गया है।

(घ) 17 फरवरी, 1993 से लेवी चीनी का खुदरा मूल्य 6.90 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 8.30 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया था।

(ङ) रुग्ण चीनी मिलों को अपने पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं स्वयं तैयार करनी होती हैं तथा उनका वित्तीय संस्थाओं से अनुमोदन करवाना होता है। ऐसी पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण की योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है बशर्ते कि वे निहित शर्तें पूरी करती हों।

विवरण

(टन में)

क्रम सं०	राज्य	उत्पादन (अ)	उत्पादन (अ)	1991-92 की तुलना में 1992-93 के दौरान उत्पादन में वृद्धि (+) या गिरावट (—) (अ)
1	2	3	4	5
1.	बिहार	317530	454384	— 136854
2.	आसाम	7221	7886	— 665
3.	उड़ीसा	33275	36801	— 3526
4.	पश्चिमी बंगाल	808	4261	— 3453
5.	नागालैण्ड	2660	4046	— 1386
6.	पंजाब	426888	379113	+ 47775
7.	हरियाणा	356379	485665	— 129286
8.	राजस्थान	24273	37520	— 13247
9.	उत्तर प्रदेश	2798389	3558717	— 760328
10.	आन्ध्र प्रदेश	535349	844578	— 309229
11.	कर्नाटक	796273	988266	— 191993
12.	तमिलनाडु	962247	1148204	— 185957
13.	पांडिचेरी	44112	61924	— 17812
14.	केरल	4114	6544	— 2430
15.	गोआ	13442	17605	— 4163
16.	मध्य प्रदेश	57026	126095	— 69069
17.	गुजरात	740246	732756	+ 7490
18.	महाराष्ट्र	3361418	4181575	— 820157
		10481650	13075940	—2594290

(अ) अनंतिम

रेल गाड़ियों की छतों पर यात्रा करना

330. **श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान प्रत्येक जोन में रेल गाड़ियों की छतों पर यात्रा करते हुए कितने यात्रियों की मृत्यु हो गई; और

(ख) इस प्रकार से यात्रा करने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) गाड़ियों की छतों पर यात्रा को रोकने और हतोत्साहित करने के उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं—

स्टेशन परिसरों में नोटिसों और पोस्टरों का प्रदर्शन; छत पर यात्रा करने के खतरों का विशेष उल्लेख करते हुए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से घोषणाएं; चल टिकट परीक्षकों द्वारा जांच और छापों/जांचों के दौरान पकड़े गए दोषियों पर रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा मुकदमा चलाना, उत्सवों आदि के दौरान गाड़ियों में स्थान की अतिरिक्त मांग होने पर अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाकर या अतिरिक्त गाड़ियां चलाकर क्षमता में यथा संभव वृद्धि भी की जाती है ।

गोधरा-मकसी रेल लाइन

331. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोधरा-मकसी रेल लाइन के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) अभी तक इस निर्माण कार्य पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) यह कार्य चरणबद्ध आधार पर निष्पादित किया जा रहा है । प्रथम चरण में, देवास-मकसी का कार्य शुरू किया गया है । 30-6-1993 को परियोजना के देवास-मकसी भाग पर 36% कार्य पूरा हो गया है । इस खंड की अनुमानित लागत 26.99 करोड़ रुपये है । इसके 1995-96 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है । जून, 1993 तक लगभग 14.84 करोड़ रुपये खर्च हो गए है ।

[अनुवाद]

मैसूर से अरासिकेरे तक रेलवे लाइन

332. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर और अरासिकेरे तक बड़ी रेलवे लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रेलवे लाइन के लिए 1992-93 के दौरान कोई धनराशि निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो परियोजना पर निर्माण कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां 1984 में।

(ख) वर्तमान मूल्यों पर आमान परिवर्तन की अनुमानित लागत लगभग 100 करोड़ रुपये होगी।

(ग) जी, नहीं। इस कार्य का अभी तक अनुमोदन नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में इसे शुरू किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

खुदरा क्रय तथा विक्रय केन्द्रों की स्थापना

333. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यान कृषि उत्पादक सहकारी विपणन तथा प्रसंस्करण सोसाइटी लिमिटेड के खुदरा क्रय तथा विक्रय केन्द्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 1992-93 के दौरान कितनी सहायता प्रदान की; और

(ग) मध्य प्रदेश में चालू वर्ष के दौरान स्थापना हेतु प्रस्तावित खुदरा क्रय तथा विक्रय केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मध्य प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष में इन्दौर फल, साग-भाजी बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर द्वारा दस खुदरा बिक्री व खरीद केन्द्रों को पूरा करने के लिए प्रस्ताव किया गया है जिसके लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने राज्य सरकार के माध्यम से 1992-93 में 11.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है।

भुसावल से इन्दौर तक रेलवे लाइन

334. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुसावल (महाराष्ट्र) से इंदौर (मध्य प्रदेश) तक एक नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वे कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम से बासमती चावल को हटाना

335. **श्री श्याम बिहारी मिश्र** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की सूची से बासमती चावल को हटाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) (क) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

महिलाओं सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति

336. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1995 में बीजिंग में होने वाले सम्मेलन हेतु महिलाओं पर एक राष्ट्रीय समिति गठित करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समिति का गठन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर इस समिति का गठन कब तक कर लिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) 1995 के विश्व महिला सम्मेलन के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय प्रेपरेटरी कमेटी के गठन पर सरकार विचार कर रही है ।

राष्ट्रीय महिला आयोग

337. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं की शिकायतों की जांच करने से सम्बन्धित राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यकलाप की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस आयोग के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

गन्ने के मूल्य में वृद्धि

338. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शीरे को नियन्त्रण मुक्त करने के परिणामस्वरूप चीनी मिलों द्वारा वर्ष 1991-92 और 1992-93 की तुलना में 1993-94 के दौरान अर्जित किए गए अतिरिक्त राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार किसानों के लाभ की दृष्टि से शीरे को नियन्त्रण मुक्त करने के पश्चात् गन्ने के मूल्यों में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 और 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान गन्ने के मूल्यों में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) बाजार शक्तियों को स्थिर होने में कुछ समय लग जाएगा और इसलिए फिलहाल चीनी मिलों द्वारा आगामी मौसम के दौरान अर्जित किए जाने वाले संभावित अतिरिक्त राजस्व के कोई अनुमान बताना संभव नहीं है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार गन्ने का केवल सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है । किसानों को सामान्यतया राज्य सरकारों द्वारा गन्ने के निश्चत किए गए मूल्यों की ही अदायगी की जाती है ।

(ग) 1993-94 मौसम के लिए गन्ने के 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 32.50 रुपये प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की पहले ही घोषणा कर दी गई है । 1991-92 मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 26 रुपए प्रति क्विंटल और 1992-93 मौसम के लिए 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 31 रुपए प्रति क्विंटल था ।

बिहार में वन्य जीवों का अवैध शिकार

339. **श्री राम टहल चौधरी** :

श्री लाल बाबू राय :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत एक वर्ष के दौरान बिहार में वन्य जीवों के अवैध शिकार की घटनाओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वन्य जीवों का अवैध शिकार करने का रोकने के लिए कोई योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से गत एक वर्ष के दौरान राज्य में वन्य जीवों के अवैध शिकार की घटनाओं के बारे में कोई विशेष रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्यों में वन्यजीवों के अवैध शिकार/उन्हें मारने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) अनुसूचित वन्यजीवों का शिकार करने पर कानूनी पाबन्दी लगा दी गई है।

(2) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को शिकार-रोधी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

(3) वन्य वनस्पति जात और प्राणिजात के संरक्षण के लिए वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए, राज्य सरकारों के अनुरोध पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

(4) "बाघों, हाथियों और गैंडों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष स्कीमें शुरू की गई हैं।

(5) जब कभी वन्यजीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलती है तो वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

(6) अवैध शिकारियों और अवैध व्यापारियों को पकड़ने में पुलिस, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल और सेना का सहयोग भी लिया जाता है।

(7) जीवों को संकटापन्न प्रजातियों तथा उनसे बनी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वन्य प्राणिजात तथा वनस्पतिजात (साइट्स) की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन के प्रावधानों के अंतर्गत नियमित किया जाता है।

बीजों का परिवहन

340. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीजों के परिवहन हेतु कुछ राज्यों को राज सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों को राज-सहायता दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने उन राज्यों के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया है जो बीजों के परिवहन के लिए राज सहायता चाहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों को बीजों की बुलाई पर राज सहायता दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नही उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में नई चीनी मिलों की स्थापना

341. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार, विशेष तौर पर महाराष्ट्र में रुग्ण चीनी मिलों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता से उन चीनी मिलों को पुनः चालू करने हेतु राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र में नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उनमें से अब तक कितनों को स्वीकृति दी गई है;

(घ) क्या महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई आशय पत्र जारी किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के तहत, जो कंपनियां रुग्ण हो जाती हैं उनके मामलों को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) को भेजना होता है। उपबन्ध सरकारी कंपनियों पर भी लागू कर दिए गए हैं। बी०आई०एफ०आर० के पास 30-6-1993 तक पंजीकृत की गई रुग्ण चीनी मिलों का राज्य-वार ब्यौरा, जिसमें महाराष्ट्र की रुग्ण चीनी मिलें भी शामिल हैं, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) चीनी मिलों को अपने पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं स्वयं तैयार करनी होती हैं तथा उनका वित्तीय संस्थाओं से अनुमोदन करवाना होता है। ऐसी पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है बशर्ते कि वे निहित शर्तें पूरी करती हों।

(ग) महाराष्ट्र राज्य से 1992-93 मौसम के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। ये आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम की धारा 15 के तहत पंजीकृत चीनी उद्योग के मामलों की सूची

30-6-1993 की स्थिति

क्रम सं०	केस संख्या	कंपनी	स्थिति
1	2	3	4
		आन्ध्र प्रदेश	
1.	3/87	धल्लापल्ली शुगर	18(4)
2.	233/87	किरलामपुडी शुगर मिल्स	17(2)
		बिहार	
1.	81/87	चम्पारन शुगर	बंद करने का नोटिस
2.	83/87	कानपुर शुगर वर्क्स	एम०एम०
		कर्नाटक	
1.	101/87	दावनगेरे शुगर कं०	17(2)
2.	270/87	तुंगभद्रा शुगर वर्क्स	एन०एम०
3.	127/88	सलारजंग शुगर	18(4)
4.	221/88	गंगावती शुगर	जांच अधीन
		मध्य प्रदेश	
1.	100/88	जीवाजी राव शुगर	20(1)
		महाराष्ट्र	
1.	181/87	गोदावरी शुगर मिल्स	फेल हो गई थी तथा दोबारा खोल दी गई है।
2.	187/88	भिमा शुगर लि०	एन०एम०
3.	188/88	बेलापुर शुगर एण्ड एलाईड	एन०एम०
		पंजाब	
1.	90/88	भगवानपुरा शुगर मिल्स	18(4)
		राजस्थान	
1.	122/87	मेवाड़ शुगर	18(4)

1	2	3	4
		तमिलनाडु	
1.	26/87	कावेरी शुगर्स एण्ड कैमिकल्स	एन०एम०
		उत्तर प्रदेश	
1.	102/87	नवाबगंज शुगर मिल्स	एन०एम०
2.	38/88	श्री सीताराम शुगर कं०	एन०एम०
3.	79/88	देवरिया शुगर मिल्स लि०	एन०एम०
4.	194/88	रत्ना शुगर मिल्स लि०	एन०एम०
5.	98/89	लक्ष्मी शुगर मिल्स	न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश
6.	99/92	कानपुर शुगर वर्क्स लि०	जांच अधीन
7.	17/93	शेरवानी शुगर सिन्डीकेट लि०	जांच अधीन
		पश्चिमी बंगाल	
1.	185/88	रामनूगेर केन (खितन एग्रो कॉम्प्लेक्स)	18(4)

18(4) — योजना स्वीकृत

17(2) — कंपनी की योजना अनुमोदित

एन०एम० — समाप्त कर दी गई है क्योंकि चालू रखने योग्य नहीं थी।

20(1) — संबंधित उच्च न्यायालय को मिल बन्द करने की सिफारिश की गई है।

तेल के रिसाव के कारण समुद्री जीवों को नुकसान

342. **श्री हरीश नारायण प्रभु झाट्ये** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान, विभिन्न संगठनों द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार, समुद्र में तेल के रिसाव के कारण समुद्री जीवों का कितना नुकसान हुआ है; और

(ख) भविष्य में इस प्रकार के नुकसान को कम से कम करने के लिए कौन-से निवारक उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पाइप लाइन के फटने से 17 मई, 1993 को बम्बई के खुले समुद्र में तेल बिखरने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए प्रारंभिक अध्ययनों से पता चलता है कि ल्यूब्लेंटन तथा फोटोसिंथेटिक उत्पादन

पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। मछलियों की मृत्यु-संख्या दर्ज नहीं की गई है जबकि बताया जाता है कि कुछ मछलियों पर धब्बे पड़ गए हैं। पश्चिमी तट पर लगातार निगरानी चल रही है और रिपोर्टें के जल्दी ही प्राप्त होने की संभावना है।

सुमात्रा के उत्तर में समुद्र में 21 जनवरी, 1993 को डेनमार्क के सुपर टैंकर "मीरस्क नेविगेटर" तथा जापानी जहाज "सैंक ऑनर" के मध्य टक्कर होने के परिणामस्वरूप तेल-रिसाव हुआ और वह तेल बहकर अंडमान द्वीपसमूह के निकट हिन्द महासागर में पहुंच गया। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने प्रभावित क्षेत्रों का परिभ्रमण किया है और समुद्री जीवन पर पड़े प्रभावों तथा क्षति के मूल्यांकन का अध्ययन करने के लिए सितम्बर, 1993 में दूसरा परिभ्रमण किए जाने की संभावना है। इन घटनाओं के अतिरिक्त पिछले दो वर्षों के दौरान अन्य तेल-बिखरावों के कारण समुद्री जीवों को विशेष हानि पहुंचने की सूचना नहीं मिली है।

(ख) समुद्री जीवों को कम से कम हानि पहुंचे इसके लिए जहां भी तेल-बिखराव का पता चला है वहां तेल-बिखराव पर नियन्त्रण करने तथा उसके लितराव के लिए बहु-प्रयोजन वाले समुद्री जहाजों और वायुयानों की मदद से प्रयास किए जा रहे हैं। समुद्री जहाजों की दुर्घटनाओं के कारण होने वाले तेल बिखराव को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन से यह अनुरोध करने का प्रस्ताव है कि मलक्का जलडमरूमध्य जोकि एक भीड़भाड़ वाला अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है, में उपयुक्त रूटिंग प्रणाली स्थापित की जाए।

पाइपों से तेल-बिखराव को रोकने के लिए बेहतर रख-रखाव, कार्य पद्धतियों और जोखिम मूल्यांकन के आधार पर दुर्घटना प्रबन्ध योजना तैयार करने पर बल दिया जाता है।

[हिन्दी]

उचित दर मूल्य की दुकानें

343. **श्री महेश कनोडिया** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उचित दर मूल्य की दुकानों की संख्या, राज्य-वार कितनी है; और

(ख) उचित दर मूल्य की इन दुकानों से देश की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या को राशन की सप्लाई की जाती है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार देश में उचित दर की दुकानों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वव्यापी स्वरूप की है और देश की समस्त जनसंख्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों की हकदार है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन, जिसमें राशन कार्डों को जारी करना, इनकी मात्रा जारी करना इनकी मात्रा जारी करने का निर्धारण करना आदि शामिल है, का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। सारे देश में उचित दर दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को प्राप्त करने वाली वास्तविक जनसंख्या के प्रतिशत का सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

विवरण

31-3-1992 को देश में उचित दर दुकानों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उचित दर दुकानों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	37257
अरुणाचल प्रदेश ×	599
असम	27034
बिहार	44259
गोवा	577
गुजरात	12874
हरियाणा	6991
हिमाचल प्रदेश	3305
जम्मू व कश्मीर*	2633
कर्नाटक*	17364
केरल*	13050
मध्य प्रदेश	17701
महाराष्ट्र	36643
मणिपुर	1763
मेघालय	3516
मिजोरम	874
नागालैण्ड*	473
उड़ीसा	22684
पंजाब	10668
राजस्थान	15617
सिक्किम	1405
तमिलनाडु	21997
त्रिपुरा	1274
उत्तर प्रदेश	74238

1	2
पश्चिम बंगाल	20266
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	356
चण्डीगढ़	326
दादरा व नगर हवेली	59
दमन व दीव	41
दिल्ली	3555
लक्ष्यद्वीप*	31
पांडिचेरी	358

×मार्च, 1991 से सम्बन्धित

*दिसम्बर, 1991 से सम्बन्धित

[अनुवाद]

कीटनाशकों पर राज सहायता

344. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कीटनाशकों पर कोई राजसहायता देती है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार छोटे और सीमांत किसानों को कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए उन्हें राजसहायता देने का है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार विभिन्न फसल उत्पादन कार्यक्रमों के तहत कीटनाशकों पर लागत के 50 प्रतिशत की दर पर और कीटनाशकों, कवकनाशकों और कृन्तक प्राणी नाशकों पर लागत के 25 प्रतिशत की दर पर राजसहायता देती है।

केन्द्र सरकार बागवानी फसलों के मामले में नारियल के लिए 100 रुपए प्रति हैक्टेयर और काजू के लिए 300 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर पर सहायता और सुपारी के लिए 400 रुपए प्रति हैक्टेयर के अधीन 50 प्रतिशत की दर पर राजसहायता देती है।

तिलहन व दलहन प्रौद्योगिकी मिशन के कार्यक्रम के तहत केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 75 : 25 अंश के आधार पर कीटनाशकों पर 50 प्रतिशत तक राजसहायता दी जा रही है।

गेहूं और धान के लाभकारी मूल्य

345. **श्री मनोरंजन भुर** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं और धान के लाभकारी मूल्यों की घोषणा विलम्ब से किए जाने के कारण प्राइवेट व्यापारी और व्यवसायी खाद्यान्नों का काफी बड़ा भाग, विशेष रूप से छोटे किसानों से खरीद लेते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं। सरकार द्वारा गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्यों/वसूली मूल्यों की घोषणा संबंधित रबी और खरीफ विपणन मौसम के प्रारम्भ होने से काफी पहले कर दी जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में उत्खनन कार्य

346. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में, विशेषत: नालन्दा तथा गोसरमा जिले के कुछ महाविहारों में उत्खनन कार्य आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन ऐतिहासिक स्थलों पर भूमि का अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा और विकास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) नालन्दा तथा गोसरमा में उत्खनन कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) नालन्दा एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है तथा गहन रूप से उत्खनित है, इसके संरचनात्मक अवशेष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित और परिरक्षित हैं। नालन्दा के संरक्षित स्थल पर अतिक्रमण की कोई सूचना नहीं है।

दिल्ली-अहमदाबाद रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

347. **प्रो० राजा रैंसिंह रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली-अहमदाबाद रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर लाइन परिवर्तन का अब तक कितना कार्य पूरा कर लिया गया है और इस पर शीर्ष-वार कितना खर्च हुआ; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत 1993-94 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में दिल्ली-अहमदाबाद समूची मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) 34.43 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दिल्ली कैंट-रेवाड़ी खण्ड का आमान परिवर्तन कर दिया गया है।

(घ) इस मार्ग के रेवाड़ी-जयपुर (225 कि०मी०) तथा जयपुर-फुलेरा (55 कि०मी०) खंड का 1993-94 में आमान परिवर्तन पूरा कर दिए जाने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत

348. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में सरकारी विद्यालयों तथा पब्लिक स्कूलों के अलग-अलग कितने छात्र सम्मिलित हुए;

(ख) श्रेणीवार कितने छात्र उत्तीर्ण हुए;

(ग) विगत तीन वर्षों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है;

(घ) क्या परीक्षाफल ने छात्रों को पढ़ाने के प्रति सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की उदासीनता को उजागर कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकारी विद्यालयों की पढ़ाई में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी० बी० एस० ई०) से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1993 में बोर्ड द्वारा ली गई कक्षा X और कक्षा XII की परीक्षाओं में बैठने वाले दिल्ली प्रदेश के विभिन्न संवर्गों के स्कूलों के छात्रों की संख्या और उनके उत्तीर्ण होने के प्रतिशत के संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	कक्षा X		कक्षा XII	
	छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशतता	छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशतता
1	2	3	4	5
(i) सरकारी स्कूल	82374	38.4	36913	61.4
(ii) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल	17120	63.2	11653	73.4

	1	2	3	4	5
(iii)	केन्द्रीय विद्यालय/ जवाहर नवोदय विद्यालय/ स्वतंत्र और विदेशी विद्यालय	30069	94.1	22831	90.6
(iv)	दिल्ली प्रदेश के प्राइवेट छात्र और पत्राचार विद्यालय के छात्र	22011	26.2	12387	19.5

2. बोर्ड ने सूचित किया है कि बोर्ड द्वारा जारी अंक-पत्र या उत्तीर्णता प्रमाणपत्र में छात्रों द्वारा प्राप्त श्रेणी या कुल अंकों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया जाता है।

3. वर्ष 1991, 1992 और 1993 में दिल्ली प्रदेश में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा X और कक्षा XII की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के प्रतिशतता के संबंध में तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

		कक्षा X			कक्षा XII		
		1991	1992	1993	1991	1992	1993
(i)	सरकारी स्कूल	34.7	35.1	38.4	58.1	55.1	61.4
(ii)	सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल	55.7	59.4	63.2	69.4	67.6	73.4
(iii)	केन्द्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय/स्वतंत्र और विदेशी विद्यालय	91.5	95.2	94.1	89.1	88.1	90.6
(iv)	दिल्ली प्रदेश के प्राइवेट छात्र और पत्राचार विद्यालय के छात्र	21.1	14.9	26.2	21.5	17.8	19.5

4. बोर्ड निजी गैर-सहायता प्राप्त (स्वतन्त्र) स्कूलों के सम्बन्ध में अलग से कोई आंकड़ा नहीं रखता है। इसी प्रकार वर्ष 1990 में बोर्ड के कोई क्षेत्र नहीं थे और इसीलिए वर्ष 1990 के लिए क्षेत्र-वार आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

5. बोर्ड द्वारा ली गई कक्षा X और कक्षा XII दोनों परीक्षाओं में वर्ष 1992 की तुलना में वर्ष 1993 में दिल्ली प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रतिशतता में अच्छा सुधार हुआ है।

6. 1992-93 सत्र के दौरान उठाए गए कुछ कदमों जैसे समय पर पदों को भरने, स्तरों को बनाए रखने के लिए कक्षा VIII, IX और XI की सामान्य परीक्षा लेने, बोर्ड-पूर्व परीक्षाएं लेने से प्रशासन को उत्तीर्ण होने की प्रतिशतता में सुधार लाने में मदद मिली है। उपर्युक्त कदमों के अतिरिक्त प्रशासन ने शिक्षकों को कार्यों के आधार पर प्रोन्नति देने का निर्णय किया है और विज्ञान तथा वाणिज्य के विषयों में प्रवेश की पात्रता के मानदंड में परिवर्तन किया है ताकि इन विषयों में रुचि रखने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जा सके।

[हिन्दी]

हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी समस्या

349. **श्री सुरेश पाल चावला** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहसिक पर्यटन और पर्वतारोहण के कारण हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं पैदा हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार हिमालय से ऐसे कचरे को हटाने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) हिमालयी क्षेत्र में पहले से इकट्ठा हुई गन्दगी जो हटाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों, सीमा पुलिस बल तथा प्रायोजक संस्थाओं ने सफाई अभियान शुरू किए हैं। जहां तक सम्भव हो अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले मार्गों से गन्दगी हटाने के लिए पहले विशेष अभियान दल भेजे गए थे। गन्दगी के प्रबन्धन और निपटान के सम्बन्ध में हिमालयी पर्वतारोहण संघ ने एक आचार संहिता निर्धारित की है। सरकार ने भी हिमालयी क्षेत्र जैसे नाजुक क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों पर कड़े नियंत्रण लगाने के लिए एक नीति विवरण तैयार किया है।

धन एकत्रित करना

350. **श्री एम० वेंकटा राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपनी वार्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह धन किन-किन स्रोतों से एकत्रित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) 1993-94 के बजट में वार्षिक योजना को नीचे दिए अनुसार वित्त पोषित करने की व्यवस्था की गई है :—

	करोड़ रुपयों में
1. आन्तरिक संसाधन जुटाकर	4,640
2. सामान्य राजस्व से बजटीय अवलम्ब	960
3. अतिरिक्त बजटीय संसाधन	900
	6,500

ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त बजटीय संसाधन भारतीय रेल वित्त निगम के माध्यम से करयुक्त/करमुक्त सार्वजनिक बांड जारी करके जुटाए जाने हैं।

[अनुवाद]

लिंक एक्सप्रेस

351. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर और पालघाट के बीच लिंक एक्सप्रेस को बंद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलों को लाइसेन्स मुक्त करना

352. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान पूरे देश में गन्ने का कितना उत्पादन हुआ और इससे कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन हुआ;

(ख) इस समय देश में राज्यवार कितनी चीनी मिलें कार्य कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) देश में 1992-93 मौसम के दौरान 2390.2 लाख मीटरी टन गन्ने का उत्पादन (अनन्तिम) होने का अनुमान है और 1992-93 मौसम के दौरान 30-6-92 तक कुल 101.82 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन (अनन्तिम) हुआ है।

(ख) देश में इस समय कार्य कर रही चीनी मिलों की राज्यवार संख्या नीचे दी जाती है :

	राज्य	चीनी मिलों की संख्या
1.	पंजाब	18
2.	हरियाणा	11
3.	राजस्थान	3
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	24
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	41
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	42
7.	मध्य प्रदेश	8
8.	दक्षिणी गुजरात	10
9.	सौराष्ट्र	4
10.	दक्षिणी महाराष्ट्र	66
11.	उत्तरी महाराष्ट्र	32
12.	उत्तरी बिहार	23
13.	दक्षिणी बिहार	1
14.	असम	2
15.	उड़ीसा	5
16.	पश्चिम बंगाल	2
17.	नागालैंड	1
18.	आंध्र प्रदेश	32
19.	कर्नाटक	30
20.	तमिलनाडु	32
21.	पांडिचेरी	2
22.	केरल	2
23.	गोवा	1
	अखिल भारत	392

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा लाइसेंस मुक्त करने के विकल्प सहित चीनी की लाइसेंसिंग नीति

की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। तब तक दिनांक 8-11-91 के प्रेस नोट द्वारा घोषित लाइसेंसिंग नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्तमान लाइसेंसिंग प्रबन्धों को जारी रखने का निर्णय किया गया है।

बिहार में वन क्षेत्र

353. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पिछले दशक के दौरान वन क्षेत्र में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के आरम्भ में वहां कितना प्रतिशत वन क्षेत्र था;

(ग) इसमें कमी के क्या कारण हैं;

(घ) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिन्हें वन क्षेत्र की बहाली के लिए कार्यान्वित किए जाने हेतु अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ङ) राज्य सरकार को इस कार्य के लिए कितनी वित्तीय अथवा तकनीकी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपग्रह प्रतिबिम्बिकी की दृश्य व्याख्या के आधार पर 1985-87 तथा 1987-89 की अवधि के लिए किए गए मूल्यांकन के आधार पर बिहार राज्य में वनावरण का प्रतिशत क्रमश: 15.49 तथा 15.3 है।

(ग) वन आवरण में कमी आने के मुख्य कारण जनसंख्या का दबाव, जैविक हस्तक्षेप, अत्यधिक चराई तथा वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाना है।

(घ) और (ङ) वन आवरण में वृद्धि करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जनभागीदारी से वनरोपण, सामाजिक तथा फार्म वानिकी का एक व्यापक कार्यक्रम तेजी से चलाया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनरोपण/वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए आबंटन तथा इसके अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र इस प्रकार है :

वर्ष	अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र (है० में)	आबंटन निधियां (लाख रुपयों में)
1990-91	37081	3621.88
1991-92	46333	4245.00
1992-93	20357 (अनन्तिम)	2381.21

बिहार से प्राप्त एक प्रस्ताव विश्व बैंक के समक्ष उसकी वानिकी परियोजनाओं के अन्तर्गत सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है।

खेल परिसर के लिए सहायता

354. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने खेल परिसर का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे स्वीकृति दे दी गई है तथा इसके लिए धनराशि आबंटित कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने राज्य खेल परिसर के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। तथापि, भारत सरकार को हाल ही में विशेष परियोजना विकास क्षेत्र योजना के अन्तर्गत खेल परिसर का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित राशि स्वीकृत की गई है :

1. राजकोट में एस० पी० डी० ए०	40 लाख रुपये (जारी किए गए)
2. पाटन मेहसाना जिला में एस० पी० डी० ए०	12 लाख रुपये (जारी किए गए)
3. डियोगढ़ बरिया जिला पंचमहल में एस० पी० डी० ए०	12 लाख रुपये (जारी किए गए)

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

355. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की वर्तमान योजना की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु क्या वित्तीय व्यवस्था की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के माध्यम से फरवरी, 1988 से स्कूली शिक्षा के +2 स्तर पर लागू किया जा रहा है। योजना के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव, राज्यों से प्राप्त प्रत्युत्तर तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित त्वरित मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कुछ संघटकों के लिए वित्तीय मानदंड में संशोधन किया गया है। कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं।

योजना के संशोधित वित्तीय प्रावधान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आठवीं योजना के दौरान इस केन्द्रीय प्रायोजित व्यावसायिक शिक्षा योजना के लिए 370.60 करोड़ रु० का वित्तीय प्रावधान है।

विवरण

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए संशोधित वित्तीय प्रावधान

क्रमांक	कार्यकलाप/मद	संशोधन
1.	जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन करने के लिए जिला व्यावसायिक सर्वेक्षण	केन्द्रीय सहायता को 15,000/- रु० से बढ़ाकर प्रति जिला 20,000/- रु० कर दिया गया है।
2.	उपकरण	केन्द्रीय सहायता को 75,000/-रु० से बढ़ाकर प्रति व्यावसायिक सेक्शन/पाठ्यक्रम 1,00,000/- रु० कर दिया गया है। इसमें से 5,000/- रु० की राशि पुस्तकालय के लिए निर्धारित की गई है। जिन स्कूलों को पहले अनुमोदित किया गया है, उन्हें प्रति व्यवसायिक सेक्शन 5000/- रु० की एक कालिक केन्द्रीय सहायता दी जायेगी।
3.	वर्कशैड	केन्द्रीय सहायता को 75000/- रु० से बढ़ाकर प्रति व्यावसायिक सैक्शन 1,00,000/- रु० कर दिया गया है।
*4.	कच्चा माल	फिलहाल कोई केन्द्रीय सहायता नहीं है। प्रतिवर्ष प्रति व्यवसायिक पाठ्यक्रम 6000/- रु० के आधार पर 50% केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया जाएगा।
*5.	व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए छात्रों का क्षेत्र दौरा	फिलहाल कोई केन्द्रीय सहायता नहीं है। प्रति पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष 500/- रु० के आधार पर 50% केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया जाएगा।
6.	अंशकालिक शिक्षकों के पारिश्रमिक में वृद्धि	फिलहाल 750/- रु० से लेकर 1000/- प्रतिमाह के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाता है। इसमें वृद्धि करके 1000/- रु० से लेकर 1500/- रु० प्रतिमाह कर दिया गया है।

टिप्पणी : इस योजना के अंतर्गत व्यय की शेष मदों से संबंधित वित्तीय सहायता में हिस्सेदारी की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

* वित्तीय सहायता के लिए प्रावधान।

सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार की कुल बिक्री

356. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार की कुल बिक्री कितनी-कितनी थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार का कर-पूर्व शुद्ध लाभ कितना-कितना था;

(ग) दोनों संगठनों की सकल लाभ दर कितनी-कितनी थीं;

(घ) क्या सुपर बाजार की लाभ दर केन्द्रीय भंडार की लाभ दर से अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो दोनों संगठनों की सकल लाभ दरों में अंतर के क्या कारण हैं;

(च) उपभोक्ताओं को उचित दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सुपर बाजार की अत्यधिक सकल लाभ दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(छ) केन्द्रीय भंडार की तुलना में सुपर बाजार के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ज) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और दिल्ली के लोगों की प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए सुपर बाजार का केन्द्रीय भंडार के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव है ?

नागरिक, पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार की बिक्री कुल लाभ तथा निवल लाभ दिया गया है ।

(घ) हालांकि सुपर बाजार की कुल लाभ-दर केन्द्रीय भंडार की तुलना में ऊंची है, तथापि सुपर बाजार का निवल लाभ केन्द्रीय भंडार से काफी कम है ।

(ङ) केन्द्रीय भंडार 34 उचित दर की दुकानें चला रहा है । जो बेची गयी वस्तुओं पर मामूली कुल लाभ लेती है, जबकि सुपर बाजार उचित दर की कोई दुकान नहीं चला रहा है । इसके अलावा, कुछ वस्तुओं के मामले में सुपर बाजार की, उन्हें बिक्री के लिए रखने से पहले, प्रयोगशाला में उनकी गुणवत्ता के परीक्षण की नियमित व्यवस्था है, जिसके लिए वे लागत की पूर्ति थोड़ा अधिक मार्जिन लेकर कर रहे हैं ।

(च) सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार की दरों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और मूल्य में अन्तर को कम करने के लिए कदम उठाए जाते हैं ।

(छ) दोनों स्वतंत्र स्वायत्त सहकारी समितियां हैं, जिनके अपनी-अपनी स्वतंत्र व्यापार नीति है । तथापि, सुपर बाजार ने अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए अपने विभिन्न खर्चों को कम करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं । इसके अलावा, केन्द्रीय भंडार को अपने सभी परिसरों के लिए

किराया मुक्त स्थान मिलता है। जबकि सुपर बाजार को यह सुविधा नहीं है। इस कारण से भी केन्द्रीय भंडार की तुलना में सुपर बाजार की लाभ-कारिता कम हुई है।

(ज) जी नहीं।

विवरण

मद	1990-91		1991-92	
	सुपर बाजार	केन्द्रीय भंडार	सुपर बाजार	केन्द्रीय भंडार
बिक्री (लाखों में)	9815.00	4533.34	9784.01	5720.34
निवल लाभ (लाख रु० में)	24.84	72.02	14.33	113.41
कुल लाभ (लाख रु० में)	697.29	260.10	731.41	316.75
बिक्री पर कुल लाभ दर (%)	7.10	5.74	7.48	5.65

शिक्षा का ढांचा

357. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यालय शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन लाने के लिए सुझाव देने हेतु कोई कृतिक बल नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कृतिक बल को सौंपे गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कृतिक बल कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना

358. **श्री बारे लाल जाटव :**
श्री जनार्दन मिश्र :
श्री मृत्युंजय नायक :
श्री पंकज चौधरी :
स्वामी सुरेशानन्द :
श्री रामकृष्ण कौंताला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने 1992-93 के दौरान 250 करोड़ रुपये का घाटा उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है अथवा कराये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस घाटे को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं। 1992-93 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना को 250 करोड़ रुपए का कोई घाटा नहीं हुआ है। 1992-93 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना का अनन्तिम आधार पर आंकलित घाटा 33.18 करोड़ रुपए का है।

(ख) इस घाटे का मुख्य कारण दूध की उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य में अन्तर होना है। एक ओर दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी बाजार उपलब्ध कराने की स्वीकृति नीति को पूरा करने तथा दूसरी ओर दिल्ली/नई दिल्ली के नागरिकों को सामान्य दरों पर गुणवत्ता वाला दूध उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दूध का विक्रय मूल्य लागत-उत्पादन से कम रखा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना ने संस्थापित क्षमता के बेहतर उपयोग, पोलिथीन फिल्म, पेट्रोल आदि जैसी विभिन्न उपयोगी वस्तुओं/उपभोज्यों की खपत में प्रभावी मितव्यवता वितरण के तौर-तरीकों को युक्तिसंगत बनाने और समय-समय पर दूध के दामों में संशोधन के द्वारा घाटे को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

चीनी का उत्पादन व खपत

360. **श्री सत्य देव सिंह :**

श्री विश्वेश्वर भगत :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान चीनी के उत्पादन में कमी और खपत में वृद्धि हुई है;

(ख) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान घरेलू खपत और निर्यात के प्रयोजनों में अलग-अलग चीनी की कितनी मात्रा जारी की गई; और

(ग) 31 मई, 1993 को चीनी मिलों के पास चीनी के भण्डार की स्थिति क्या थी ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

(लाख टन में)

चीनी वर्ष (अक्तूबर-सितम्बर)	आंतरित उपभोग के लिए रिलीज	निर्यात के लिए रिलीज
1991-92	114.19	6.03
1992-93 (अगस्त, 1993 तक रिलीज)	111.31	4.20

(ग) 31-5-1993 को चीनी मिलों के पास 69.51 लाख टन चीनी का भण्डार था।

प्रश्न-पत्रों का लीक होना

361. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रश्न-पत्रों के लीक हो जाने की कुछ घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस काम में शामिल दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार विश्वविद्यालय को वित्तीय लेखाविधि पर बी-काम० (पास) प्रथम वर्ष की 8 मई, 1993 को होने वाली परीक्षा के प्रश्न-पत्र तथा अर्थ-शास्त्र पद्धति व सूक्ष्म अर्थशास्त्र सिद्धांत पर बी० कॉम (पास) प्रथम वर्ष की 11 मई, 1993 को होने वाली परीक्षा के प्रश्न-पत्र के लीक होने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। विश्वविद्यालय ने इन दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया तथा मामले को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया। अपराध शाखा द्वारा की गई जांच के परिणाम स्वरूप यह पाया गया कि विश्वविद्यालय का एक अध्यापक, जो एक परीक्षा केन्द्र में निरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा था, वित्तीय लेखा विधि के प्रश्नपत्र के लीक होने के लिए जिम्मेवार था तथा जिस मुद्रक ने अर्थशास्त्र पद्धति व सूक्ष्म अर्थशास्त्र सिद्धांत के प्रश्नपत्र के मुद्रण का कार्य लिया था, उसका एक कर्मचारी इस प्रश्नपत्र के लीक होने के लिए जिम्मेवार था। विश्वविद्यालय ने संबंधित अध्यापक को परीक्षाएं आयोजित करने से सम्बन्धित कोई भी कार्य देने पर रोक लगा दी है तथा संबंधित मुद्रक से सारा कार्य वापिस ले लिया है। विश्वविद्यालय ने संबंधित कालेज के शासी निकाय से संबंधित अध्यापक के दुर्व्यवहार के लिए उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई करने को कहा है।

(ग) विश्वविद्यालय ने भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दुबारा होने से रोकने के लिए कई सावधानियां बरती हैं जिसमें परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा आरम्भ होने से केवल 15 मिनट पहले प्रश्नपत्र भेजना तथा परीक्षाएं ठीक प्रकार से आयोजित करने के लिए प्रत्येक केन्द्र में विश्वविद्यालय की ओर से एक पूर्णकालिक प्रेक्षक नियुक्त करना शामिल है। सरकार ने कुलपति को सलाह दी है कि वह जांच में वास्तविकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बाहर के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के अधीन एक जांच करवाएं ताकि प्रबन्धों में कमियों और ऐसी अवांछनीय बातों का सही तरीके से पता लगाया जा सके।

[अनुवाद]

दिल्ली दुग्ध योजना

362. **श्री जी० देवराय नायक :**

श्री तारा चन्द खण्डेवाल :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री विजय एन० पाटिल :

श्री मदन लाल खुराना :

श्री रामकृष्ण कोंताला :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली दुग्ध योजना को दिल्ली प्रशासन को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना के प्रभावी कार्य संचालन के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) जी, हां। इस मामले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार के साथ उठाया गया है और इसकी कार्य पद्धति तैयार की जा रही है।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना ने अपनी क्षमता के बेहतर उपयोग द्वारा दक्षता में वृद्धि करने, पौलीथीन फिल्म और चिकने पदार्थ, विद्युत इत्यादि जैसे अन्य उपभोज्यों की खपत में मितव्यक्ता अपनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

रेल सेवाएं

363. **श्री राजेश कुमार :**

डा० छत्रपाल सिंह :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्षों में बेहतर रेल सेवाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) भारतीय रेलों पर गाड़ी सेवाओं में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालनिक व्यावहारिकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। आने वाले वर्षों के दौरान गाड़ी सेवाओं में वृद्धि के अलावा रेलों का पुश-पुल रेक, डी० एम० यू०, रेल बसें और वात ब्रेक युक्त कोचिंग स्टाक शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

"गार्ड ब्रेकवेन" के बिना चलने वाली रेलगाड़ियां

364. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलगाड़ियां बिना गार्ड ब्रेकवेन के चल रही हैं जिससे यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बना रहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) बिना ब्रेकयान के कोई यात्री गाड़ी नहीं चलाई जाती है। बहरहाल, आपवादिक परिस्थितियों में कभी-कभी माल गाड़ियों को बिना ब्रेकयान के चलाया जाता है। जब कभी माल गाड़ियों को बिना गार्ड ब्रेकयान के चलाया जाता है तो संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार निर्धारित संरक्षा संबंधी सावधानियां बरती जाती हैं। पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने के लिए गार्ड ब्रेकयानों का नियमित रूप से निर्माण किया जा रहा है ताकि सभी माल गाड़ियों को ब्रेकयान के साथ चलाया जा सके।

जोलार मेपेट्टई-इरोडे खण्ड पर दुर्घटना

365. **श्री नीतीश कुमार** :

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री वी० देवराजन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन जाने वाली कुर्ला एक्सप्रेस तमिलनाडु के जोलार मेपेट्टई-इरोडे खण्ड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें कितने लोग हताहत हुए;

(ग) दुर्घटना में मरे हुए लोगों तथा घायलों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) क्या इस दुर्घटना की कोई जांच कराई गई; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण रेलवे के जोलारपेट्टै-इरोड खंड पर 1-6-1993 को लगभग 23.30 बजे जब एक अप मालगाड़ी सामलपट्टी स्टेशन पर दाखिल हो रही थी तब इस माल गाड़ी के 17 माल डिब्बे पटरी से उतर गए। उलटे हुए कुछ माल डिब्बे निकटवर्ती डाउन लाइन का अतिलंघन कर गए। दुर्घटना के बाद कुछ ही मिनटों में 6035 कुर्ला-कोचीन एक्सप्रेस गाड़ी तेज गति से डाउन लाइन पर आ गई तथा उलटे हुए माल डिब्बों से टकरा गई। परिणामतः 21 व्यक्ति मारे गए, 31 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आईं तथा 13 व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं।

(ग) दुर्घटना के कारण उत्पन्न मुआवजे का कोई दावा अभी तक रेल दावा अभिकरण मद्रास को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि मृतकों के परिवारों तथा घायल यात्रियों को अनुग्रह राशि के रूप में 1,53,750 रुपए का भुगतान दिया गया है।

(घ) और (ङ) रेल संरक्षा आयुक्त दक्षिण क्षेत्र, बंगलौर इस दुर्घटना की सांविधिक जांच कर रहे हैं तथा उनकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। बहरहाल ऐसी दुर्घटना की रोक-थाम करने के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) सवारी डिब्बा, माल-डिब्बा तथा इन्जनों के अनुरक्षण, डिब्बों का गहन निरीक्षण।

(2) ड्राइवरों, गार्डों, स्टेशन मास्टरों जैसी नाजुक संरक्षा कोटियों के कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी।

(3) परिचालनित कोटियों के, विशेष रूप से, मार्ग में उनकी गाड़ियों की समुचित जांच के मामले में, कर्मचारियों को परामर्श तथा गहन प्रशिक्षण देना।

(4) चलती गाड़ियों में समय पर अनियमितताओं का पता लगाने के लिए स्टेशन कर्मचारियों में अधिक जागरूकता पैदा करना तथा प्रभावित कार्यों को रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही करना।

(5) गर्म धुरों आदि के लिए चलती गाड़ियों पर गाड़ी के दोनों तरफ से निगरानी करने के प्रबन्धों को सुदृढ़ करना।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय जोलना

366. **श्री जनार्दन मिश्र** :

श्री दिलीप भाई संघानी :

श्री पंकज चौधरी :

श्री मुहीराम सैकिया :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

श्री गामाजी मंगाजी ठाकुर :

श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक, निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में, राज्यवार, कुल कितने केन्द्रीय विद्यालय खोले गए;

(ख) लक्ष्यों की प्राप्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) शेष विद्यालयों के कब तक खोले जाने की सम्भावना है तथा ये किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(घ) तम्बुओं में चलाए जा रहे केन्द्रीय विद्यालयों का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय विद्यालय किन्हीं राज्यवार लक्ष्यों के आधार पर नहीं खोले जाते हैं। विद्यालय उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां सिविल या प्रतिरक्षा क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के पर्याप्त कर्मचारी हैं और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों सहित प्रयोक्ता अभिकरणों की मांगों/सिफारिशों के आधार पर खोले जाते हैं। 1993-94 में, संलग्न विवरण-I दी गई सूची के मुताबिक अब तक 24 केन्द्रीय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

1993-94 के दौरान संस्वीकृत किए गए केन्द्रीय विद्यालयों की राज्यवार सूची

क्रम संख्या	स्टेशन का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	
1.	गूटी, जिला-अनन्तपुर
असम	
2.	एयरफोर्स स्टेशन, बिनजन
बिहार	
3.	बाडाककना, जिला हजारी बाग
4.	ए० एफ० एस०, दरभंगा

1	2
गुजरात	
5.	ओ० एन० जी० सी० हजीरा, सूरत
हरियाणा	
6.	ए० एफ० एस०, मौहम्मदपुर (अहीर) जिला-गुडगांव
हिमाचल प्रदेश	
7.	नलेती, जिला-कांगडा
केरल	
8.	अडूर, जिला पातनतित्ता
कर्नाटक	
9.	विनोवा नगर, हुबली, जिला-धारवाड़
10.	मैसूर
मध्य प्रदेश	
11.	बालाघाट
12.	धार
13.	छतरपुर
14.	बरवाहा, जिला खारगोन
15.	महासमुन्द
16.	छिन्दवाड़ा
17.	टी० एफ० आर० आई०, जबलपुर
महाराष्ट्र	
18.	अजनी, जिला-नागपुर
उड़ीसा	
19.	सुन्दरगढ़
राजस्थान	
20.	ब्यावर, जिला अजमेर
त्रिपुरा	
21.	कैलाशहर, जिला उत्तर-त्रिपुरा

1	2
उत्तर प्रदेश	
22.	बलिया
23.	आप्टो इलेक्ट्रानिक फैक्ट्री, देहरादून
दिल्ली	
24.	इन्टरनेशनल एअरपोर्ट्स आथारिटी आफ इण्डिया, रंगपुरी

विवरण-II

आंशिक रूप से टेंटों में चल रहे केन्द्रीय विद्यालयों का ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य/स्टेशन का नाम
1.	**दिल्ली**
1.	सैनिक विहार
2.	विकासपुरी
3.	न्यूफ्रेंड्स सेन्टर
4.	प्रगति विहार
5.	बी० एस० एफ० छावला
2.	**हरियाणा**
6.	रिवाड़ी
7.	नं० 4, अम्बाला
3.	**जम्मू और कश्मीर**
8.	नं० 2, अखनूर
9.	दमाना
4.	**पंजाब**
10.	नं० 3, पठानकोट
5.	**तमिलनाडु**
11.	डी० जी० आई० काम्पलेक्स, मद्रास

[अनुवाद]

गदग-सोलापुर रेलवे लाइन

367. **श्री के० जी० शिवप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गदग और सोलापुर के बीच रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य हाल ही में आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) आमान परिवर्तन का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) शोलापुर (होटगा)-गदग खंड (300 कि०मी०) का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन कार्य 1993-94 के दौरान 180 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू किया गया है। इस खंड के आमान परिवर्तन का कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा किये जाने की संभावना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

गुजरात में सूखा नियंत्रण

360. **श्री दिलीप भाई संघाणी** :

श्री एन० जे० राठवा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष गुजरात को विशेषत: अकाल और सूखा से प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या इस बीच इस धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने लगातार सूखा और अकाल की समस्या से निपटने के लिए कोई योजना भेजी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में गुजरात में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ज) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में विशेषकर सूखा राहत कार्यों के लिए आपदा राहत निधि के केन्द्रीय अंश के

अतिरिक्त गुजरात को कोई अतिरिक्त सहायता नहीं दी गई थी। गुजरात का वार्षिक आपदा राहत निधि आबंटन 85.00 करोड़ रुपए है, जिसमें केन्द्रीय अंशदान 63.75 करोड़ रुपए और राज्य का अंशदान 21.25 करोड़ रुपए है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

369. **श्री केशरी लाल :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) 1992-93 के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों में राज्यवार कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया;

(ग) 1992-93 के दौरान विशेष व्यवस्था के माध्यम से कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया;

(घ) क्या प्रवेश में कथित अनियमितताओं के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) चूंकि केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश की मांग उपलब्ध स्थानों से कहीं ज्यादा है, अतः केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने प्रवेश के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं :—

(1) **रक्षा तथा सिविल क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय :**

(i) केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों सहित रक्षा कर्मियों, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल/सीमा सड़क परिवहन बल/विशेष पुलिस गार्ड/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड/अखिल भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारियों के बच्चे, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के बच्चे और सेवाकाल के दौरान केन्द्रीय सरकार के मृत कर्मचारियों सहित रक्षा कर्मियों के बच्चे।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित स्वायत्त-निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(iii) केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।

(iv) केन्द्रीय विद्यालयों में अपनायी जा रही अध्ययन पद्धति को अपनाने के इच्छुक उन लोगों के बच्चे जो एक जगह स्थायी तौर पर नहीं रहते ।

(2) **उच्च शिक्षा संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय विद्यालय** :

(i) ऐसी उच्च अध्ययन संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों के बच्चे जो विद्यालय की इमारत, उपस्कर तथा कर्मचारी वर्ग के सभी आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय वहन कर रहा है तथा संबंधित केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के बच्चे ।

(ii) केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों सहित रक्षा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल/सीमा सड़क परिवहन बल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड/एस० पी० जी० कार्मिकों तथा अखिल भारतीय सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारियों के बच्चे ।

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित अन्य स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।

(iv) रक्षा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल/कार्मिक सहित केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।

(v) केन्द्रीय विद्यालयों की शिक्षा पद्धति को अपनाने के इच्छुक उन लोगों के बच्चे जो एक स्थान पर स्थायीतौर पर नहीं रहते ।

(ख) यद्यपि स्कूलों से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालयों द्वारा अंतिम आंकड़े अभी भी प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी प्रारंभिक अनुमान के अनुसार कुल दाखिले 40 से 50 हजार के बीच हैं ।

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्राथमिकता वाली श्रेणियों के अनुसार दिए जाते हैं । तथापि, वर्ष 1992-93 के सत्र के दौरान, सामान्य दाखिले के अलावा, विशेष छूट द्वारा 4482 दाखिलों की अनुमति दी गयी ।

(घ) से (च) स्कूलों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालयों द्वारा प्रवेश के वक्त के दौरान, प्रवेश के संबंध में कुछ शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं । शिकायत के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर इन संबंधित प्राधिकरणों द्वारा इस आशय से कार्रवाई की जाती है कि प्रक्रिया संबंधी कोई अनियमितताएं तो नहीं हुई हैं ।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

371. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** :

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री छेदी पासवान :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने हेतु कोई नई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाना एक निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। राज्य सरकारों के परामर्श से विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों जैसे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०) मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी० डी० पी०) निर्धारित पहाड़ी क्षेत्र (डी०एच०ए०) के तहत आने वाले 1700 से अधिक ब्लाकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच में सुधार करने के लिए अभिज्ञात किया गया है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न दिए जाते हैं। खाद्यान्न की प्रति वर्ष 20 लाख मी० टन की अतिरिक्त मात्रा निर्धारित की गई है, जिसे राज्य सरकारों द्वारा गत समय में इन क्षेत्रों को आबंटित खाद्यान्न की मात्रा की अनुपूर्ति के लिए रखा गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे :—

(1) अतिरिक्त उचित दर की दुकानें खोलें;

(2) लोगों को अतिरिक्त राशन कार्ड जारी करें;

(3) भंडारण क्षमता सृजित करें/भाड़े पर लें;

(4) उचित दर की दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की दरवाजे तक सुपुर्दगी करने की व्यवस्था करें।

(5) उपभोक्ताओं, महिलाओं स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करके सतर्कता समितियां गठित करें;

(6) अधिक खपत की अतिरिक्त वस्तुएं वितरित करें;

राज्य सरकारें सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू कर रही हैं।

जम्मू कश्मीर में स्थित स्मारकों का संरक्षण कार्य

372. **श्री शान्ताराम पोतदुखे** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जम्मू-कश्मीर में स्थित स्मारकों का संरक्षण कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस संबंध में केम्पों का आयोजन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रखरखाव तथा देखभाल के अतिरिक्त 1992-93 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण संरक्षण कार्य किए गए, वे है :—

(1) रामनगर स्थित किला तथा महल परिसर

(2) किरमची स्थित मंदिर

(3) अलची स्थित मठ

(4) लेह स्थित महल

(5) तिसुरू स्थित स्तूप

(ग) और (घ) पुरातत्व संस्थान के स्नातकोत्तर डिप्लोमा के छात्रों तथा सर्वेक्षण एवं राज्यों के पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग में सेवारत कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने पुरातत्व संस्थान द्वारा हाल ही में दो संरक्षण प्रशिक्षण शिविर 1987 तथा 1992 में क्रमशः नारानाग, जिला श्रीनगर तथा रामनगर, जिला ऊधमपुर में लगाए।

[हिन्दी]

दिल्ली में अवैध कारखानों द्वारा प्रदूषण

373. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहायशी क्षेत्रों में अवैध कारखाने लगाने के कारण दिल्ली का पर्यावरण और प्रदूषित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) दिल्ली के प्रदूषण की मात्रा में उद्योगों के उत्सर्जन का बहुत बड़ा योगदान होता है। आवासीय क्षेत्रों में अवैध फैक्टरियों से होने वाले प्रदूषण की मात्रा के बारे में अलग से कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) दिल्ली में नगर निगम (फैक्टरी लाइसेंसिंग विभाग) द्वारा दिल्ली के अनुपालन न कर रहे क्षेत्रों में कार्यरत खतरनाक/हानिकारक/प्रदूषक इकाइयों का पता लगाने के लिए 1986 में एक नमूना सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में लगभग 500 इकाइयों का पता लगाया गया और दिल्ली नगर निगम द्वारा इन्हें नोटिस जारी किए गए, जिनमें उनसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित/अधिसूचित बहिस्राव मानकों का अनुपालन करने को कहा गया। जो इकाइयां इन नोटिसों पर अमल नहीं कर पाई, दिल्ली नगर निगम द्वारा उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

(घ) दिल्ली के पर्यावरण को और अधिक खराब होने से बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों से अन्यत्र ले जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(3) दिल्ली के उद्योगों से एक समय-सीमा के भीतर बहिस्रावों के विसर्जन को निर्धारित मानकों तक सीमित करने को कहा गया है।

(4) उद्योगों के स्थान-निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निदेश तैयार किए गए हैं।

रेलवे कर्मचारियों की संख्या में कमी

374. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व बैंक की सलाह के अनुसार प्रतिवर्ष रेलवे कर्मचारियों की संख्या में कमी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे में वर्षवार कुल कितने कर्मचारी कार्यरत थे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों पर कार्यरत (चालू लाइन तथा निर्माण के स्थायी और अस्थायी) कर्मचारियों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

1989-90	—	16,49,294
1990-91	—	16,54,985
1991-92	—	16,57,239

आयातित तेलों का वितरण

375. **डा० लाल बहादुर राथल** :

श्री राजबीर सिंह :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उचित दर की दुकानों के माध्यम से आयातित खाद्य तेलों का वितरण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) गत दो वर्षों के दौरान खाद्य-तेल का कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(घ) इसका मूल्य निर्धारित करने संबंधी मानदण्ड क्या हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) चूंकि देशी खाद्य तेलों की उपलभ्यता पर्याप्त समझी जाती है, अतः फिलहाल सरकार का उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु खाद्य तेल का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों के अनुरोध पर तदर्थ आवंटन किए जा रहे हैं, जिनकी पूर्ति राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध अत्यन्त सीमित अवशिष्ट स्टॉक से, स्टॉक रहने तक, की जानी है।

(ग) तेल वर्ष (नव०-अक्तू०) 1991-92 और 1992-93 (जून, 1993 तक) के दौरान खाद्य तेल की आयात की गई मात्रा क्रमशः 214894 मी० टन, जिसमें यू०एस०एड के तहत उपहार के रूप में प्राप्त 47000 मी० टन की मात्रा शामिल है और 11882 मी० टन है।

(घ) अब तक आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्य, तेल की लागत, तिलहनों के समर्थन मूल्य के आधार पर प्रमुख खाद्य तेलों के मूल्यों और बाजार में प्रचलित देशी तेल के मूल्यों आदि जैसी संगत बातों को ध्यान में रखकर किए गए हैं।

राष्ट्रीय नदी कार्य योजना

376. **श्री अर्जुन सिंह यादव** :

श्री राम लखन सिंह यादव :

श्री के० प्रधानी :

श्री प्रकाश वी० पाटोल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नदी कार्य योजना तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) इसे कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) देश की प्रमुख नदियों के घोर प्रदूषित क्षेत्रों के प्रदूषण निवारण के लिए एक राष्ट्रीय नदी कार्य योजना क तैयार किए जाने का कार्य अन्तिम अवस्था में है। इस संबंध में विवरण तैयार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में पेड़ों की अवैध कटाई

377. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से लखीमपुर, खीरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों में वन माफिया द्वारा बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई के संबंध में कोई सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने मामलों का पता लगा और कितने रुपयों की लकड़ी जब्त की गई; और

(ग) सरकार ने राज्य में पेड़ों की अवैध कटाई रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार को उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से लखीमपुर, खीरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों में वन माफिया द्वारा बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं मिली है।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान समूचे राज्य में जब्त की गई लकड़ी का मूल्य 411.593 लाख रुपये था।

(ग) सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 बनाए गए और उन्हें सख्ती से लागू किया गया।

(2) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से 10.00 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित हरे वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा है।

(3) वन प्रबंध में स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

स्लीपर क्लास में यात्रा करने पर कदाचार

378. **डा० छत्रपाल सिंह** :

श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टिकट जांच कर्मियों और केन्द्रीय रिजर्व बल/रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा बिना आरक्षित टिकट लिए यात्रियों को स्लीपर क्लास कोचों में उनसे अधिशुल्क की राशि वसूल करके उन्हें यात्रा करने की अनुमति देने जैसा कदाचार करने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है और ऐसे कदाचार में लिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और सभापटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

कोंकण रेलवे निगम का इक्विटी बेस

379. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे निगम के इक्विटी बेस से वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) कोंकण रेलवे निगम के इक्विटी बेस को 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

गेहूं और चावल की खरीद

380. **श्री राजबीर सिंह** :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

प्रो० प्रेम धूमल :

श्रीमती कुलजेन्द्र कौर (बीपा) :

श्री छीतू भाई गामीत :

श्री विजय एन० पाटील :

श्री सुव्रत मुखर्जी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य एजेंसियों ने कितने टन गेहूं तथा चावल की खरीद की;

(ख) क्या खाद्यान्नों की खरीद 1993-94 के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक है;

(ग) क्या सरकार ने गेहूं की रिकार्ड खरीद को ध्यान में रखते हुए इसका निर्यात करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसका निर्यात किन-किन देशों को किया जाएगा तथा यह निर्यात कितनी मात्रा में किया जाएगा; और

(ङ) खुले बाजार में कीमतों में वृद्धि को रोकने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्तमान सम्बन्धित खरीफ विपणन मौसम, 1992-93 और रबी विपणन मौसम, 1993-94 में 16-7-1993 तक केन्द्रीय पूल के लिए 1,28,16,581 मीटरी टन गेहूं और 1,17,35,442 मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली कर ली गई है।

(ख) चूंकि केन्द्रीय पूल के लिए मूल्य समर्थन योजना के अधीन गेहूं और धान की वसूली पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है और मिल मालिकों/व्यापारियों से लेवी चावल की वसूली उनके द्वारा खरीदी गई धान की मात्रा पर निर्भर करती है, इसलिए गेहूं और चावल की वसूली करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) खाद्यान्नों के खुले बाजार के मूल्य बाजार में खाद्यान्नों की समूची आपूर्ति और मांग की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करते हैं। सरकार खाद्यान्नों की मूल्य रेखा पर गहरी नजर रखे हुए है और यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उस दशा में वह विशेषकर इस वर्ष केन्द्रीय पूल में बेहतर स्टाक होने की दृष्टि में खुले बाजार में केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल की बिक्री करने के जरिए बाजार हस्तक्षेप करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के पर्याप्त आबंटन करने, आदि जैसे सभी आवश्यक उपाय करेगी।

[अनुवाद]

त्रिचूर-गुरुवायूर रेल लाइन

381. प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर-गुरुवायूर रेल लाइन को यात्री/माल यातायात के लिए चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) त्रिचूर-गुरुवायूर लाइन का कार्य पूरा हो गया है तथा यह चालू किये जाने के लिए तैयार है। तथापि, 19 अगस्त, 1993 को ओट्टप्पालम संसदीय चुनाव क्षेत्र (अनु० जाति) के लिए उप चुनाव के कारण चुनाव आयोग ने उप चुनाव के पूरा हो जाने तक परियोजना के चालू करने को स्थगित रखने का निदेश दिया है।

राष्ट्रीय युवा नीति

382. श्री पवन कुमार बंसल : (क) क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय युवा नीति लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नीति की समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय युवा नीति को हमारे संविधान में निहित मूल्यों के लिए हमारे युवाओं में गहरी जागरूकता पैदा करने तथा राष्ट्रीय एकीकरण को अपनाने की प्रतिबद्धता की ओर उन्मुख किया गया है। इसका लक्ष्य युवाओं में ऐसी गुणवत्ता पैदा करना भी है जिससे वे सामाजिक बुराइयों का मुकाबला कर सकें। राष्ट्रीय युवा नीति में व्यापक कार्य योजना परिकल्पित है जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए क्रियान्वित की जाती है। ये अखिल भारतीय आधार पर प्रचलित हैं।

(i) राष्ट्रीय सेवा योजना
(158 विश्वविद्यालयों में प्रचलित)।

(ii) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

(iii) साहसिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन।

(iv) राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा।

(v) युवाओं को प्रशिक्षण।

(vi) युवा क्लबों का आयोजन।

(vii) स्काउटिंग और गाइडिंग आन्दोलन को प्रोत्साहन।

(viii) पिछड़ी जनजाति के युवाओं में युवा कार्यकलापों के लिए विशेष योजना।

(ix) पर्वतारोहण संस्थानों की स्थापना और विकास।

(x) राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों की खरीद पर हुआ व्यय

383. **श्री अन्ना जोशी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न खाद्यान्नों की खरीद तथा परिवहन पर प्रति क्विंटल कितना खर्च किया गया;

(ख) 1992-93 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न खाद्यान्न कुल कितनी मात्रा में खरीदे गए;

(ग) क्या 1991-92 की तुलना में खाद्यान्न कम मात्रा में तथा प्रति क्विंटल अधिक कीमत पर खरीदे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1992-93 के लेखों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और इनकी लेखा परीक्षा की जा रही है।

तथापि, चावल गेहूं और धान के संबंध में 1992-93 के संशोधित बजट अनुमानों में विभिन्न घटकों पर प्रति क्विंटल होने वाले खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

दर रुपये प्रति क्विंटल

	गेहूं	चावल	धान
1. मण्डी प्रभार	12.06	---	14.20
2. मण्डी श्रम प्रभार	2.66	—	2.25
3. अग्रेषण प्रभार	0.15	4.13	0.66
4. भण्डारण प्रभार	1.94	0.16	—
5. आन्तरिक संचलन	6.04	1.13	9.01
6. ब्याज प्रभार	8.74	0.23	—
7. प्रशासनिक प्रभार	1.94	1.17	—
8. क्रय कर	9.99	2.96	11.55
9. बोरी की लागत	15.66	14.90	17.46
10. पिछले वर्षों का खर्च	7.00	—	—
योग :	69.18	24.98	55.13

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1992-93 के दौरान वसूल किए गए विभिन्न खाद्यान्नों की कुल मात्रा निम्नानुसार थी :—

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

	रबी 1992-93	खरीफ 1992-93	
गेहूं	18.43	—	
चावल	—	83.22	
धान	—	16.65	16-7-1993 को स्थिति
ज्वार	—	0.01	के अनुसार
मक्का	—	0.07	
बाजरा	—	0.01	

उपर्युक्त के अलावा, राज्य सरकारों और उनकी वसूली एजेंसियों द्वारा वसूल किए गए गेहूं, चावल, धान आदि की मात्राएं निम्नानुसार थीं :—

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

	गेहूं	चावल	धान	ज्वार	मक्का	बाजरा
रबी						
1992-93	45.37	—	—	—	—	—
खरीफ						
1992-93	—	12.87	16.75	3.69	0.10	0.11

(ग) और (घ) रबी विपणन मौसम 1991-92 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए मूल्य समर्थन के अधीन कुल 77.52 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई थी जबकि रबी विपणन मौसम 1992-93 के दौरान 63.80 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई थी। खरीफ विपणन मौसम 1991-92 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए 92.36 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली की गई थी जबकि खरीफ विपणन मौसम 1992-93 के दौरान 16 जुलाई, 1993 की स्थिति के अनुसार 117.35 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली की गई है। खरीफ विपणन मौसम 1991-92 के दौरान मोटे अनाजों की वसूली नगण्य थी जबकि खरीफ विपणन मौसम 1992-93 के दौरान 16 जुलाई, 1993 तक 3,98,282 मीटरी टन मोटे अनाजों की वसूली की गई है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूली पर प्रति क्विंटल खर्च के बारे में कोई तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि वर्ष 1992-93 के लेखों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

बंदरों द्वारा नारियल तोड़ना

384. **श्री राम कापसे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया में नारियल पैदा करने वाले क्षेत्रों में नारियल तोड़ने के लिए प्रशिक्षित बंदरों का प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत में बंदर प्रशिक्षक लगाने की संभावना पर विचार किया है ताकि हमारे किसान भी इस प्रकार की तकनीक अपना सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां। थाइलैंड और मलेशिया में बंदरों द्वारा नारियल तोड़ने का काम किया जाता है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने थाइलैंड और मलेशिया से कोई बंदर प्रशिक्षक नहीं मंगाए हैं क्योंकि बंदरों की वह प्रजाति, जिसे नारियल तोड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, सामान्यतया हमारे देश में नहीं पाई जाती है। दूसरे, इस प्रकार के कार्यक्रम की कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं है क्योंकि नारियल तोड़ने के लिए देश में काफी अच्छी प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध है।

[हिन्दी]

बेटिकट यात्रा

385. **डा० जी० एल० कनौजिया :**

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में वर्ष-वार और जोन-वार कितने बेटिकट यात्री पकड़े गए तथा उनसे कितनी राशि वसूल की गई;

(ख) जिन क्षेत्रों में लोग हमेशा बेटिकट यात्रा करते है वहां बेटिकट यात्रा की समस्या से निपटने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस समस्या से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए कौन-कौन सी नीतियां तैयार की गई हैं और विभिन्न जोनों के लिए आगामी तीन वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिना टिकट या अनुचित टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या तथा उनसे वसूल की गई राशि का रेलवेवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

रेलवे	बिना टिकट या अनुपयुक्त टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या (आंकड़े लाख में)			वसूल की गई राशि (करोड़ रुपयों में)		
	1990-91	1991-92	1992-93	1990-91	1991-92	1992-93
मध्य	7.71	5.97	6.22	4.47	5.08	5.77
पूर्व	7.48	5.33	5.72	3.22	3.56	3.88
उत्तर	7.62	6.49	7.41	5.17	5.94	6.63
पूर्वोत्तर	4.05	3.36	3.05	1.55	1.93	1.79
पूर्वोत्तर सीमा	1.05	0.69	0.78	0.83	0.70	0.81
दक्षिण	2.78	2.16	2.13	1.97	2.06	2.21
दक्षिण मध्य	3.25	2.96	3.18	2.46	3.06	3.45
दक्षिण पूर्व	4.81	2.39	3.06	1.82	1.78	2.33
पश्चिम	6.64	5.65	6.38	3.63	4.52	5.38
जोड़ :	45.39	35.00	37.93	25.12	28.63	32.25

बिना टिकट यात्रा की रोक-थाम के लिए राजकीय रेलवे पुलिस/रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से नियमित रूप से अचानक/मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाती है। इसके अलावा, प्रत्येक माह 96 घंटे के अभियान चलाये जाते हैं। रेल अधिनियम में बिना टिकट यात्रा के लिए न्यूनतम प्रभार 10 रुपये से बढ़ाकर 50/- रु० कर दिया गया है। रेलवे स्टेशनों पर पोस्टर/नोटिस प्रदर्शित करके, रेलवे समय सारणियों तथा समाचारपत्रों के विज्ञापनों में प्रकाशित सूचना के माध्यम से, सिनेमा हालों तथा दूरदर्शन पर लघु फिल्में प्रदर्शित करके और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली पर बार-बार घोषणाएं करके बिना टिकट यात्रा करने के खतरों तथा परिणामों को उजागर किया जाता है।

बेहतरीन कार्य का प्रदर्शन करने वाले टिकट जांच कर्मचारियों के लिए मार्च, 1993 से एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। रेलों द्वारा किए जा रहे संगठित प्रयासों के अच्छे परिणाम निकले हैं। बिना टिकट यात्रा करने तथा बिना बुक किए सामान को ले जाने और रेलवे की देयताओं को वसूल करने के मामलों के सम्बन्ध में लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और यह वर्ष 1993-94 के लिए निम्न प्रकार है :—

रेलवे	पकड़े जाने वाले मामलों की संख्या (आंकड़े लाख में)		वसूल किए जाने वाली रेलवे देयताओं की रकम (रुपये करोड़ में)	
	बिना टिकट यात्रा	बिना बुक किया गया सामान	बिना टिकट यात्रा	बिना बुक किया गया सामान
मध्य	6.85	3.00	6.30	1.48
पूर्व	6.30	8.00	4.25	1.52
उत्तर	8.15	3.15	7.30	1.32
पूर्वोत्तर	3.35	1.75	2.10	0.39
पूर्वोत्तर सीमा	0.85	0.25	0.90	0.85
दक्षिण	2.35	2.15	2.40	1.24
दक्षिण मध्य	3.50	3.75	3.70	1.40
दक्षिण पूर्व	3.35	5.60	2.50	1.45
पश्चिम	7.00	3.10	5.80	1.20
जोड़ :	41·70	30.75	35.25	10.15

पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्नों का उत्पादन

386. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 1992-93 के दौरान खाद्यान्न का कितना उत्पादन हुआ और 1993-94 में इसके लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई है और इस हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य योजना कब शुरू की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 1992-93 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान राज्यों से मिलने का समय अभी नहीं हुआ है। वैसे वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार 1992-93 के दौरान पश्चिमी बंगाल में लगभग 121.77 लाख मीटरी टन खाद्यान्न उत्पादन होने की आशा है जबकि लक्ष्य 113.40 लाख मीटरी टन था। 1993-94 के लिए 114.17 लाख मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) भारत सरकार को पश्चिमी बंगाल से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की कोई वृहत कार्ययोजना नहीं मिली है।

[अनुवाद]

यमुना में प्रदूषण रोकने सम्बन्धी योजना

387. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्रदूषण को रोकने हेतु कोई कार्य-योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और योजना की कुल लागत कितनी है; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ख) सरकार द्वारा हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के प्रदूषण को दूर करने की एक कार्य योजना चलाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली के अलावा हरियाणा में 6 तथा उत्तर प्रदेश के 8 नगरों में प्रदूषण निवारण के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। इन कार्यों के अन्तर्गत :—

(1) नगरों से म्युनिसिपल अवशेष जल का अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन करना।

(2) ऐसे अवरोधित किए गए अवशेष जल का उपचार करना।

(3) अल्प लागत स्वच्छता, उन्नत किस्म के विद्युत शवदाहगृह, नदी तटाग्र सुविधाएं इत्यादि तथा

(4) नदी के तट पर वृक्षारोपण करना शामिल है।

कार्य योजना की अनुमोदित लागत 357 करोड़ रु० है जिसमें केन्द्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकार की बराबर की हिस्सेदारी होगी। इस कार्य योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जा रही है, जिसके अनुमोदित हो जाने के बाद योजना पर वास्तविक कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

रेलवे में महाप्रबंधक/मण्डलीय महाप्रबंधक के पद

388. **श्री ई० अहमद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग में कितने कर्मचारी महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनमें कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं; और

(ग) मण्डलीय महाप्रबंधक के पद पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उनमें कितने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) इस समय 18 अधिकारी महाप्रबंधकों के रूप में तथा सदृश्य पदों पर कार्य कर रहे हैं। इनमें से कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नहीं है।

(ग) 57 अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनमें से कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नहीं है।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण केन्द्र

389. **श्री प्रकाश बी० पाटील** :

श्री हरिन पाठक :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण केन्द्र हैं;

(ख) इन केन्द्रों पर उपलब्ध उपभोक्ता वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) चावल, चीनी, नमक और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं के औसत मूल्य क्या हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र और गुजरात में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण केन्द्र चल रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अभिज्ञात ब्लाकों की सूची दी गई है।

(ख) और (ग) उचित दर की दुकानें, जिनमें सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में स्थित दुकानें शामिल हैं, आमतौर पर उपभोक्ताओं को चावल, गेहूं, लेवी चीनी तथा मिट्टी का तेल उपलब्ध करती हैं। अनेक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है कि स्थानीय उपभोक्ता पसन्द तथा अन्य तथ्यों को देखते हुए आम खपत की कुछ अन्य वस्तुएं जैसे आयोडाइज्ड

नमक, चाय, दालें तथा साबुन आदि को शामिल किया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को सलाह दी गई है कि खाद्यान्न (चावल व गेहूं) का अंतिम मूल्य खाद्यान्न के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से प्रति कि० ग्रा० 25 पैसे से अधिक नहीं होने चाहिए। लेवी चीनी का मूल्य सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों सहित सारे देश में प्रति कि० ग्रा० 8.30 रु० की दर पर एक समान है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित की जाने वाली अन्य वस्तुओं के मूल्य प्रत्येक राज्य में अलग-अलग हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

3-3-93 के अनुसार सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अभिज्ञात ब्लाकों की संक्षिप्त सूची

मरुस्थल विकास कार्यक्रम/सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम/समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम/निर्धारित पहाड़ी क्षेत्र ब्लाकों की संख्या

राज्य/संघ राज्य	कुल ब्लाकों की संख्या	मरुस्थल विकास कार्यक्रम	सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्य-क्रम	समेकित आदि-वासी विकास कार्यक्रम	निर्धारित पहाड़ी क्षेत्र	घटा-अति-व्याप्ति (ओवर-लैपिंग)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	330	—	69	51	—	—	120
अरुणाचल प्रदेश	48	—	—	48	—	—	48
असम	174	—	—	69	—	—	69
बिहार	591	—	54	112	—	10	156
गोवा	11	—	—	—	—	—	—
गुजरात	218	9	43	58	—	5	97
हरियाणा	108	35	9	—	—	—	44
हिमाचल प्रदेश	69	2	—	7	—	2	7
जम्मू व कश्मीर	119	12	22	—	—	—	34
कर्नाटक	175	—	71	23	—	—	94

1	2	3	4	5	6	7	8
केरल	151	—	—	21	—	—	21
मध्य प्रदेश	459	—	49	220	—	46	223
महाराष्ट्र	298	—	52	68	—	6	114
मणिपुर	31	—	—	22	—	—	22
मेघालय	30	—	—	30	—	—	30
मिजोरम	20	—	—	20	—	—	20
नागालैंड	28	—	—	28	—	—	28
उड़ीसा	314	—	39	118	—	14	143
पंजाब	118	—	—	—	—	—	—
राजस्थान	236	85	30	23	—	16	122
सिक्किम	4	—	—	4	—	—	4
तमिलनाडु	384	—	43	9	4	—	56
त्रिपुरा	18	—	—	18	—	—	18
उत्तर प्रदेश	897	—	87	4	56	2	145
पश्चिम बंगाल	341	—	34	119	9	34	128
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5	—	—	2	—	—	2
चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—
दादरा व नगर हवेली	1	—	—	1	—	—	1
दमन व दीव	2	—	—	1	—	—	1
दिल्ली	5	—	—	—	—	—	—
लक्षद्वीप	5	—	—	5	—	—	5
पांडिचेरी	6	—	—	—	—	—	—
योग :	5196	143	602	1073	69	135	1752

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में ब्लाकों की संख्या 145 सूचित की गई है।

आन्ध्र प्रदेश ने पुष्टि की है कि भूतपूर्व ब्लाक जो मंडलों के समक्ष हैं, केवल 120 हैं।

सिक्किम में जिलों को आंशिक रूप से समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के तहत आने वाले ब्लाकों के समकक्ष के रूप में लिया गया है।

[हिन्दी]

उचित दर की दुकानों द्वारा अधिक वस्तुओं की सप्लाई

390. **डा० रमेश चन्द्र तोमर :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उचित दर की दुकानों द्वारा गेहूं, चावल और चीनी के अतिरिक्त दालों, आयोडीन-युक्त नमक और चाय के चूरे की सप्लाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति, भण्डारण और ढुलाई करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने हेतु उन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को थोक में आबंटित करने की जिम्मेदारी ली है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे स्थानीय पसन्द को ध्यान में रखते हुए दालें, आयोडाइज्ड नमक, चायं, कपड़े धोने का साबुन आदि जैसी अतिरिक्त वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शामिल करें। कई राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचना दी है कि वे अपने राज्यों में उपभोक्ताओं को ये वस्तुएं वितरित करते हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में चीनी मिलों को पुनः चालू करना

391. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय बन्द पड़ी चीनी मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भविष्य में उन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि इस समय सहकारी क्षेत्र की एक चीनी मिल अर्थात् श्री उना तालुका खेदुत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि० बन्द पड़ी है।

(ख) से (घ) गुजरात सरकार इस मिल के सम्बन्ध में गन्ने की उपलब्धता की स्थिति का मूल्यांकन कर रही है उसके बाद समुचित कार्रवाई की जाएगी।

महाराष्ट्र की विकास परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

392. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने महाराष्ट्र में कोल्हापुर से सिन्धुदुर्ग विद्युत लाइन, तालम्बा, मोहम्मद वाड़ी, देवगढ़ गदगदी नदी सिंचाई परियोजनाओं तथा कसल और कुर्दी में हवाई अड्डे के लिए भी अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो महाराष्ट्र की अन्य विकास परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें उनके मंत्रालय ने अभी स्वीकृति नहीं दी है;

(घ) ये परियोजनाएं कब से लम्बित हैं तथा इन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) तालम्बा परियोजना को मई, 1985 में पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी। इसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कोल्हापुर से सिन्धुदुर्ग तक 220 कि० वा० डी०सी० ट्रान्समिशन लाइन के लिए 11.40 हे० वन भूमि को उपयोग में लाने की मंजूरी 3-4-1992 को दी गई। तालम्बा, मोहमदवाडी, देवगढ़, गडगडी नदी सिंचाई परियोजना तथा साथ ही महाराष्ट्र में कासल एवं कुरडी विमानपत्तनों के लिए मंजूरी नहीं दी गई।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) पूरे ब्यौरे प्राप्त होने पर ही इन परियोजनाओं का मूल्यांकन और उन पर कार्रवाई की जा सकती है। मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए परियोजना प्राधिकारियों/राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

विवरण

30-6-1993 की स्थिति के अनुसार लंबित परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना का नाम	कब से लंबित है	लंबित पड़े रहने के कारण/वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
क.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी के लिए लंबित परियोजनाएं :		
1.	देवलाली फिल्ड फाइरिंग, रेंज, नासिक का विस्तार	अक्तूबर, 93	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
2.	भटशा बांध-2 चरण, थाणे का निर्माण	जनवरी, 93	कार्रवाई की जा रही है।
3.	निम गांव में लघु सिंचाई टैंक का निर्माण	जनवरी, 93	कार्रवाई की जा रही है।
4.	पालान्दुर लघु सिंचाई तालाब का निर्माण भण्डारा	सितम्बर, 93	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
5.	सिंघवावाही में टैंक का निर्माण, चन्द्रपुर	जनवरी, 93	कार्रवाई की जा रही है।
6.	छारगढ़ लघु सिंचाई तालाब, अमरावती	जनवरी, 93	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
7.	अपरपेनगंगा परियोजना नांदेड	अप्रैल, 93	पर्यावरणीय मंजूरी से जुड़ी हुई है।
8.	कारली लघु सिंचाई तालाब का निर्माण, भण्डारा	अप्रैल, 93	कार्रवाई की जा रही है।
9.	दुधनगंगा सिंचाई परियोजना	मई, 93	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
10.	तैम्बूरवाडी में कोलापुर लघु सिंचाई तालाब, चन्द्रपुर	मई, 93	कार्रवाई की जा रही है।
11.	खनन पट्टों का नवीनकरण (68 परंपरागत खानें)	मई, 93	कार्रवाई की जा रही है।
12.	पिलेंदरी लघु सिंचाई तालाब, भण्डारा	जून, 93	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
13.	बम्बई, अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 को चौड़ा करना थाणे	जून, 93	कार्रवाई की जा रही है।
14.	घेनुसी, नासिक में लघु सिंचाई तालाब	जून, 93	कार्रवाई की जा रही है।
15.	कटौजी टैंक परियोजना	जून, 93	कार्रवाई की जा रही है।
16.	खेमखाडे लघु सिंचाई तालाब, धूले	जून, 93	कार्रवाई की जा रही है।
17.	रायगढ़ में गैर सरकारी वनों की सुधारी गई भूमि का वनेतर उपयोग	जून, 93	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
18.	ट्यूनेस को चौड़ा करना	जून, 93	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
19.	छेरदा से गाटापाली तक 11 कि० वा० लाइन का निर्माण	जून, 93	कार्रवाई की जा रही है।
20.	मारमजोबे लघु सिंचाई तालाब का निर्माण	जून, 93	कार्रवाई की जा रही है।
21.	डिफेंस इंस्टीच्यूट ऑफ एक्सप्लोसिव मेफ्टी, डी०आर०डी०ओ०	जून, 93	कार्रवाई की जा रही है।
22.	लघु सिंचाई तालाब, भण्डारा	जून, 93	कार्रवाई की जा रही है।
23.	बोलडोलेड लघु सिंचाई तालाब	जून, 93	कार्रवाई की जा रही है।
24.	राजस्व विभाग के लिए, गांवकाठसू	जून, 93	कार्रवाई की जा रही है।
25.	टेकाबेडर तालाब परियोजना	जून, 93	कार्रवाई की जा रही है।
26.	परम्परागत पत्थर खदानों का नवीनीकरण	जून, 93	कार्रवाई की जा रही है।
ख.	पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित परियोजनाएं :		
1.	नागोथाने सी०सी०जी०टी०, 820 मे०वा०, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	फरवरी, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। परियोजना प्राधिकारियों से मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
	2. बम्बई मलजल निपटान परियोजना	जनवरी, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। सुझाये गए विकल्पों तथा पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना से संबंधित जानकारी की प्रतीक्षा है।
	3. पुनांद सिंचाई परियोजना	मई, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	4. तलवासा खुली खदान परियोजना, डब्ल्यू० सी०एल०	मई, 93	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	5. कासलखुंडे, तालुका कुंडाल, जिलासिंधु दुर्ग में विमानपत्तनम का निर्माण	जुलाई, 92	मांगी गई अतिरिक्त सूचना हाल ही में प्राप्त हुई है।
	6. सिर्दी, तालुका कॉपरगांव, जिला, अहमद नगर में विमानपत्तनम का निर्माण	फरवरी, 93	समिति के समक्ष रखा गया। मांगी गई अतिरिक्त सूचना प्राप्त होनी है।
	7. गणपतीपुल्ले-भंडारपुले, जिला-रत्नागिरी में मैसर्स कृष्ण लाल बीच रिसार्टस प्रा० लि० द्वारा 3-स्टार बीच रिसार्टस का निर्माण	मई, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया।
	8. सी०आर०जेड० के अन्तर्गत मंजूरी के लिए जमसेदजी बुदर, बम्बई से बम्बई के क्रास हारबार मार्गों पर ओवर क्राफ्ट फैरी सेवा	मई, 93	—वही—

1	2	3	4
9.	बम्बई पोर्ट ट्रस्ट में जलयान यातायात प्रबन्धन प्रणाली की व्यवस्था	जून, 93	—वही—
10.	आर०सी०एफ०, थाल का मेलामाइन संयंत्र	फरवरी, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया।
11.	बम्बई टकसाल का आधुनिकीकरण	अप्रैल, 93	परियोजना प्राधिकारियों से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
12.	बी०पी०सी०एल० की बम्बई-मनमाड पाइप लाइन	अप्रैल, 93	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया।
13.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स, लि० रसायनी का विस्तार	मार्च, 93	परियोजना प्राधिकारियों से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

कुलपतियों का सम्मेलन

393. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

श्री छीतू भाई गामीत :

डा० सुधीर राय :

श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मई, 1993 में विश्वविद्यालय के कुलपतियों का सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) सम्मेलन में क्या-क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे;

(ग) क्या इस सम्मेलन में विश्वविद्यालय शिक्षा पर प्रति व्यक्ति परिव्यय में हो रही कमी तथा देश के अनेक विश्वविद्यालयों के सामने जो वित्तीय संकट है उस पर चिंता व्यक्त की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो वित्तीय संकट को समाप्त करने तथा उच्चतर शिक्षा संस्था को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए संशोधित कार्रवाई योजना पर विचार-विमर्श करने के लिए वि० अ० आ० द्वारा बुलाई गई कुलपतियों/सम विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के निदेशकों की विशेष बैठक की कार्यवाहियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोग द्वारा कार्यवाहियों पर विचार करने तथा अंतिम रूप देने के बाद सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।

मान्ट्रियल प्रोटोकाल निधि

394. **डा० असीम बाला** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण तथा पारिस्थितिकी के अनुकूल विकल्पों के निर्माण के लिए मान्ट्रियल प्रोटोकाल निधि से भारत को अब तक प्राप्त हुई सहायता का ब्यौरा क्या है और उसका क्या उपयोग किया गया है;

(ख) क्या भारत को किन्हीं शर्तों के साथ धनराशि दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) मांट्रियल प्रोटोकाल की कार्यकारिणी समिति की 28 जून से 21 जुलाई, 1993 तक आयोजित दसवीं बैठक में ओ०डी०एस० की पुनर्प्राप्ति और पुनश्चक्रण संबंधी अध्ययन से संबंधित परियोजनाओं, असंगठित क्षेत्र और

इलेक्ट्रोनिक सफाई प्रक्रिया के लिए परियोजना तैयार करने तथा ओ० डी० एस० के विकल्पों की सम्भावनाओं पर विचार किया गया।

(ख) और (ग) बहुपक्षीय निधि में कोई शर्तें नहीं लगाई गई हैं, भारत सरकार पर 2010 तक ओजोन को क्षीण करने वाले पदार्थों को समाप्त करने का दायित्व है, बशर्ते कि बढ़ती हुई लागतों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हों। निवेश परियोजना में अपेक्षित बढ़ती हुई लागतों को पूरा करने की इस निधि से व्यवस्था करने और ओजोन को क्षीण करने वाले पदार्थों की उस परियोजना द्वारा कम की जाने वाली मात्रा का उल्लेख किया गया है।

अध्येतावृत्तियां

395. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा में अर्हता हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को अध्येतावृत्ति मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी उम्मीदवारों को कब तक अध्येतावृत्ति प्रदान की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सामान्य नीति के रूप में ऐसे सभी उम्मीदवार, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (यू० जी० सी० सी० एस० आई० आर०) की राष्ट्रीय योग्यता जांच परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, वे जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जे० आर० एफ०) प्राप्त करने के पात्र होंगे। उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के जरिए फेलोशिप उपलब्ध हैं और ऐसे सभी उम्मीदवारों को, जो इस आयोग से संपर्क करते हैं, उन्हें फेलोशिप प्रदान की जाती है। यहां तक कि यदि किसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम के अंतर्गत फेलोशिप उपलब्ध नहीं होती है, तो अतिरिक्त फेलोशिप ऐसे उम्मीदवारों को प्रदान की जाती हैं जो यू० जी० सी०—सी० एस० आई० आर० के राष्ट्रीय योग्यता जांच (एन० ई० टी०) परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। ऐसा ही उन उम्मीदवारों के संबंध में भी किया गया है जो दिसम्बर, 1991 में उत्तीर्ण हुए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संपर्क किया।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ऐसे 622 उम्मीदवारों के मुकाबले में, जिन्होंने सी० एस० आई० आर० की सूची के अंतर्गत दिसंबर, 1991 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, मात्र 394 उम्मीदवारों को फेलोशिप दी गई थी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे सभी उम्मीदवारों को, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी, परिणाम भेजते समय सत्यापन प्रपत्र भेजे गए थे। उम्मीदवारों को उन संस्थाओं के जरिए, जहां से वे अनुसंधान करने के इच्छुक थे, सत्यापन प्रपत्र भेजने थे। इनके प्राप्त होने के पश्चात् फेलोशिप प्रदान करने के संबंध में एक औपचारिक पत्र जारी किया जाना था। मात्र 394 उम्मीदवारों से सत्यापन प्रपत्र प्राप्त हुए और उन सभी को

प्रक्रिया के अनुसार फेलोशिप प्रदान कर दी गई। 228 उम्मीदवारों से सत्यापन प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए थे और इसलिए उन्हें फेलोशिप नहीं दी गई थी। इस प्रस्ताव की वैधता अवधि, जो कि परिणाम घोषित करने की तारीख से एक वर्ष की थी, 5-5-1992 को सूचित कर दी गई थी चूंकि 5-5-1992 से एक वर्ष तक की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है, इसलिए ऐसे 228 उम्मीदवार, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया, वे अब पात्र नहीं हैं।

छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

396. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :**

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की सभी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो छोटी लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने का वार्षिक लक्ष्य क्या है और इन पर कुल कितना खर्च आएगा;

(ग) सरकार का विचार छोटी लाइन के बचे हुए चल-स्टाक को किस प्रकार से निपटाने का है; और

(घ) छोटी लाइन और संकरी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की गत दो वर्षों की उपलब्धि कितनी रही है और तत्संबंधी सेक्शन-वार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) आठवीं योजना के दौरान कुल 6,000 कि०मी० लम्बी छोटी/मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का प्रस्ताव है। 1992-93 के लिए 1200 कि०मी० का लक्ष्य रखा गया था जबकि 135 कि०मी० लम्बी लाइनें परिवर्तित की गई हैं। 1993-94 के लिए 1600 कि०मी० का लक्ष्य रखा गया है। बाकी बचा कार्य आठवीं योजना के शेष वर्षों में पूरा करने का प्रस्ताव है। आठवीं योजना के दौरान कुल 3900 करोड़ रुपये खर्च किये जाने की संभावना है।

(ग) इस समय मीटर लाइन के कोचिंग स्टाक का लगभग 31% तथा माल भाड़ा स्टाक का 22% स्टाक गतायु हो चुका है और इसे सेवा से हटाया जाना है। इनका हालत के आधार पर निपटान किया जाएगा।

(घ) पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियां इस प्रकार है :—

1991-92	कि०मी०
मनमाड-औरंगाबाद	114
सलेमपुर-बरहज बाजार	21
योग	135

1992-93	कि०मी०
बेंगलूरु-मैसूर	138
लालगढ़-नागौर-मेड़ता रोड	177
दिण्डीगुल-मदुरै (समानान्तर बड़ी लाइन)	62
लालगढ़-कोलायत	47
नादियाद-कपड़वंज	45
मनकापुर-कटरा	30
फाजिलका-कोटकपुरा	80
सवाईमाधोपुर-जयपुर	125
लखनऊ जं०-कानपुर	59
बेंगलूरु-येलहंका	12
परभनी-पर्ली वैजनाथ	63
पुरुलिया-कोटशिला	34
मदुरै-तूतीकोरिन	134
गुंटूर-नरसारावपेट	46
औरंगाबाद-जालना	64
दिल्ली-रेवाड़ी	83
लखनऊ-मानकनगर	5
बेंगलूरु-क्यातसन्द्र	55
बेल्लारी-रायदुर्ग	54
बुढ़वल-महमूदाबाद	38
योग	1351

वन संचार परियोजना

397. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने द्विपक्षीय सहायता के लिए वन संचार परियोजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) 1181.55 लाख रुपये के परिव्यय की प्रस्तावित संचार परियोजना उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों में संचार नेटवर्क के विकास के लिए पांच वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जानी है ।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी विकास महानिदेशालय (इलैक्ट्रोनिक और दूर संचार तथा एम० ई० आई० प्रभाग) से मंजूरी मिल गई है और राज्य सरकार को इसकी सूचना दे दी गई है ।

आर्थिक कार्य विभाग ने राज्य सरकार से उपकरणों के आयात के लिए मौजूदा बजट प्रावधानों के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया है । यह मामला अब राज्य सरकार के पास है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

राजस्थान साहित्य अकादमी

398. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गईं; और

(ख) प्रकाशित पुस्तकों की कितनी प्रतिशत पुस्तकें बाजार में नहीं बेची जा सकीं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या	बेची नहीं जा सकी पुस्तकों का प्रतिशत
(i) 1990-91	4	67%
(ii) 1991-92	3	81%
(iii) 1992-93	4	84%

[अनुवाद]

खान भवन

399. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने बाल भवन कार्य कर रहे हैं;

(ख) पूर्णत:/आंशिक रूप से कितने बाल भवन केन्द्र सरकार से तथा राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता पाते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश मे विशेषत: जनजातीय, पर्वतीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में और बाल भवन खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) देश में कार्यरत सम्बद्ध बाल भवनों की संख्या 49 है। बाल भवन सोसाइटी भारत सम्बद्ध राज्य बाल भवनों को विशिष्ट परियोजनाओं के लिए एक मुश्त नाममात्र वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) इस समय कोई विशेष प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कांडला-भटिंडा रेलवे लाइन

400. **छीतू भाई गामीत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कांडला बन्दरगाह से (पंजाब के) भटिंडा तक बड़ी रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना आठवीं पंजवर्षीय योजना के दौरान लागू की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत कितनी है और इस रेल लाइन द्वारा किन-किन शहरों को जोड़ा जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) इस मार्ग पर मीटर लाइन खंडों का आमान परिवर्तन करके भटिंडा से कांडला तक बड़ी लाइन सम्पर्क की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है, भटिंडा से मेडता रोड तक पहले ही बड़ी लाइन है, मेडता रोड-जोधपुर-लूनी-मारवाड़-मेहसाना का आमान परिवर्तन प्रगति पर है, मेहसाना-वीरमगांव आमान परिवर्तन एक अनुमोदित कार्य है और इसे आगामी वर्षों में शुरू किया जाएगा।

(ग) जी हां।

(घ) वर्तमान दरों पर अनुमानित लागत 700.00 करोड़ रुपए है। भटिंडा, बीकानेर, जोधपुर, लूनी, मारवाड़, मेहसाना को इस मार्ग से जोड़ा जाएगा।

हिन्दी में कम्प्यूटर शिक्षा

401. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हिन्दी कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) यद्यपि हिन्दी में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है, तथापि इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :

(क) इलैक्ट्रानिक्स विभाग ने 1½ वर्ष अवधि के कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (पी० जी० डी० सी० ए०) के लिए 9 संस्थानों को वित्तीय अनुदान दिया है, पी० जी० डी० सी० ए० हिन्दी कार्यक्रमों पर 80.05 लाख रुपये खर्च किये गए हैं। इस विभाग ने भारतीय भाषा परियोजना में तकनीकी विकास का कार्य भी आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में सूचना प्रक्रिया के लिए पर्याप्त तकनीक का विकास किया जाना है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा के लिए काशी विद्यापीठ, वाराणसी तथा वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, को वित्तीय अनुदान प्रदान किया है।

(ग) स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन (क्लास) परियोजना के अंतर्गत सम्भवतः VIIIवीं योजना के दौरान अपनाई जाने वाली संशोधित रणनीति में जिस्ट कार्डों के उपयोग की परिकल्पना की गई है, ताकि स्कूलों की कम्प्यूटर शिक्षा में हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जा सके।

[अनुवाद]

खाद्य तेल जारी करना

402. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री डी० वेंकेटेश्वर राव :

श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मूल्य-वृद्धि रोकने के लिए खुले बाजार में भारी मात्रा में खाद्य तेल जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो जून माह में कितना खाद्य तेल जारी किया गया; और

(ग) इससे मूल्यों में कितनी कमी आई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) चूंकि प्रमुख खाद्य तेलों के मौजूदा मूल्य 1991 तथा 1992 की तदनुरूपी अवधि के दौरान प्रचलित मूल्यों की तुलना में कम स्तर पर हैं,

अतः सरकार का खुले बाजार में खाद्य तेलों की बड़ी मात्रा निर्मुक्त करके उनके मूल्यों में जानबूझकर मन्दी लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

गया जंक्शन

403. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया जंक्शन पर पेयजल, शौचालय, बुकिंग खिड़कियों और कम्प्यूटरों द्वारा आरक्षण करने जैसी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या महिला काउंटर पर कोई बुकिंग क्लर्क नहीं रहता है जिसके कारण महिलाओं को टिकट लेने के लिए पुरुषों की लाइन में खड़ा होना पड़ता है;

(ग) क्या पूछताछ टेलीफोन से पूछताछ का सामान्यता उत्तर नहीं दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस जंक्शन पर ये सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) गया जंक्शन पर पर्याप्त बुकिंग सुविधाएं, जल आपूर्ति व्यवस्थाओं और शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था की गई है; तथापि गया में यात्री आरक्षण प्रणाली कम्प्यूटरीकृत नहीं है;

(ख) और (ग) सामान्यतः महिला बुकिंग काउन्टर पर कर्मचारी रहते हैं और पूछताछ कार्यालय में टेलीफोन पर की जाने वाली पूछताछ के उत्तर दिए जाते हैं;

(घ) गया में आरक्षण की कम मात्रा के कारण इस समय कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा की व्यवस्था का औचित्य नहीं है ।

[अनुवाद]

भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यकलाप

404. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानक फार्मूलेशनों, गुणवत्ता पहचान तथा परीक्षण के सम्बन्ध में भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यकलापों के बारे में लोगों में जागरूकता की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने विज्ञापन, प्रचार और प्रोत्साहन कार्यों पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में जनता में जागरूकता का विस्तार करने के लिए टी० वी०, आकाशवाणी, छपाई माध्यमों, होर्डिंगों, पम्फलेटों आदि के जरिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ग)	1990-91	12.94 लाख रु०
	1991-92	16.24 लाख रु०
	1992-93	20.54 लाख रु०

[हिन्दी]

भारतीय भाषाओं का विकास

405. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारतीय भाषाओं के विकास के लिए कितनी योजनाएं बनाई हैं तथा प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन योजनाओं की उपलब्धियों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारतीय भाषाओं की उपलब्धियों के विकास में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सरकार ने भारतीय भाषाओं के विकास के प्रयोजन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्त निकायों/अधीनस्थ कार्यालयों को बनाए रखने की योजनाओं सहित निम्नलिखित 22 योजनाएं तैयार की हैं। ये योजनाएं इस प्रकार हैं :—

(1) हिन्दी के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता—स्वैच्छिक संगठनों को प्रमुख रूप से अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार के लिए अध्यापन केन्द्रों, टंकण-कक्षाएं, पुस्तकालय, आदि चलाए जाने जैसे विभिन्न कार्यकलापों के लिए वित्तीय-सहायता प्रदान की जाती है।

(2) अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण-भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से सृजित किए गए पदों के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए शत-प्रतिशत सहायता।

(3) भारत में हिन्दी का अध्ययन करने के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां, विदेशों में भारतीय दूतावासों को हिन्दी पुस्तकें प्रदान करके, इत्यादि के जरिए विदेशों में हिन्दी का प्रचार।

(4) भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में प्रकाशन हेतु वित्तीय-सहायता योग्य लेखकों/संस्थाओं को अनुमोदित मुद्रण लागत का 80%।

(5) हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकों के उत्पादन की योजना—इस प्रयोजनार्थ परिक्रामीनिधि को चलाने के लिए प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य सरकार को 1.00 करोड़ रुपए।

(6) भारतीय भाषाओं (हिन्दी, संस्कृत, उर्दू और सिन्धी के अलावा) से संबंधित चुनिन्दा संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय-सहायता ।

(7) उर्दू के लिए संवर्धनात्मक कार्यकलापों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय-सहायता ।

(8) उर्दू-सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए वित्तीय-सहायता ।

(9) सिन्धी में पुस्तकों के उत्पादन सहित सिन्धी के लिए संवर्धनात्मक कार्यकलापों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता ।

(10) हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षक विशेष रूप से दक्षिण भारतीय भाषा शिक्षकों, की नियुक्ति के लिए हिन्दी-क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत सहायता ।

(11) संस्कृत के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता ।

(12) आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों जैसी मान्यता प्राप्त संस्थानों को वित्तीय सहायता—संस्कृत के स्नातकोत्तर कालेजों/अनुसंधान संस्थाओं के आवर्ती व्यय का 95 प्रतिशत और अनावर्ती व्यय का 75 प्रतिशत व्यय ।

(13) अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे विख्यात संस्कृत अध्येताओं को सहायता, संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण, उच्च तथा माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करके, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत का अध्ययन कर रहे छात्रों को छात्रवृत्तियों द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को संस्कृत के संवर्धन के लिए उनके अपने कार्यक्रमों के लिए सहायता देकर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के जरिए संस्कृत का विकास ।

(14) प्रत्येक वर्ष संस्कृत, अरबी तथा फारसी के विख्यात अध्येताओं को राष्ट्रपति का सम्मान प्रमाण पत्र देना ।

(15) शास्त्री की गहन अध्ययन परम्परा को संरक्षित रखने के वास्ते विख्यात वयोवृद्ध संस्कृत अध्येताओं के लिए शास्त्र चूड़ामणि योजना ।

(16) वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्परा/अखिल भारतीय वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का परिरक्षण ।

(17) अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थानों तथा जिला अंग्रेजी केन्द्रों को सहायता ।

(18) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान भारतीय भाषाओं के विकासात्मक कार्यक्रमों में लगा हुआ है ।

(19) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय पत्राचार पाठ्यक्रमों तथा द्विभाषी तथा त्रिभाषी शब्दकोशों आदि के प्रकाशन के जरिए सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी के विकास में लगा हुआ है ।

(20) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी पारिभाषिक शब्दों को विकसित करने में लगा हुआ है ।

(21) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान अहिन्दीभाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने में लगा हुआ है।

(22) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डाक्टोरल स्तरों पर पारम्परिक पद्धतियों पर संस्कृत में अनुसंधान और शिक्षण में संलग्न है और अन्य इसी प्रकार के संस्कृत संस्थाओं को संबंधन सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

(ख) से (ङ) सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। उपर्युक्त योजनाओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन वार्षिक प्रगति रिपोर्टों, वित्तीय-सहायता के लिए योजनाओं के सम्बन्ध में मंत्रालय में सहायता-अनुदान समितियों द्वारा विचार, समय-समय पर प्राधिकृत एजेन्सियों इत्यादि द्वारा निरीक्षण के जरिए किया जाता है।

[अनुवाद]

मनुष्य और समुद्री जीव-जन्तुओं की सुरक्षा

406. **श्री जीवन शर्मा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने तेलशोधक कारखानों, पाइप लाइनों, प्रतिष्ठानों, टूटे-फूटे अपतटीय प्लेटफार्मों, रासायनिक संयंत्रों आदि से मनुष्य और समुद्री जीव-जन्तुओं के लिए गम्भीर समस्या पैदा हो गई है;

(ख) क्या प्रदूषण फैलाने वाले इन उद्योगों/संयंत्रों की नियमित आधार पर अनिवार्य जांच के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मनुष्य और समुद्री जीव-जन्तुओं/उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं। दुर्घटना का खतरा किसी इकाई की आयु के बजाय उसके रख-रखाव के स्तर पर अधिक निर्भर करता है।

(ख) और (ग) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले क्षेत्रों में, तेल-शोधन कारखानों और कुछ रासायनिक संयंत्रों सहित उद्योगों की 17 श्रेणियों की शिनाख्त की गई है और इन उद्योगों में प्रदूषण नियन्त्रण की स्थिति की राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड निगरानी करके और चलाने की मंजूरी जारी करके इन उद्योगों से होने वाले विसर्जन को विनियमित करते हैं।

उद्योगों के लिए ऑन-साइट आपात काल तैयारी योजना और जिला प्राधिकारियों के लिए ऑफ-साइट आपात काल तैयारी योजना तैयार करना अनिवार्य है। अभिनिर्धारित खतरनाक रसायनों को हैंडल करने वाले उद्योगों को राज्य सरकारों को सुरक्षा रिपोर्ट भेजनी होती हैं और इन सुरक्षा रिपोर्टों को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाता है। बॉयलरों तथा अन्य खतरनाक उपकरणों का उपयोग करने वाले उद्योगों को इन उपकरणों की नियमित रूप से जांच करवानी होती है।

(घ) समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) तटीय जल की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रदूषण के भूमि आधारित स्रोतों की शिनाख्त कर ली गई है। एक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें सभी औद्योगिक इकाइयों से अपेक्षित है कि वे एक समय-सीमा के भीतर निर्धारित मानकों का पालन करें।

(2) तटीय राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड सहमति और निगरानी तंत्र के जरिए तटीय जल के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

(3) जहां लागू हो, उद्योगों/नगर निगमों को प्रापक निकाय की तनुकरण क्षमता के आधार पर विस्तारण प्रणाली सहित समुद्री आउट-फालों का निर्माण करने के निदेश दिए गए हैं।

(4) केन्द्रीय सरकार ने सामान्य अनुदेश जारी किए हैं कि तट रेखा से 500 मीटर की दूरी तक कोई उद्योग/फैक्टरी लगाने की स्वीकृति न दी जाए।

[हिन्दी]

इंदौर-पीठमपुर लाइन का आमान परिवर्तन

407. **श्री सूरजभानु सोलंकी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की इंदौर-पीठमपुर रेल लाइन पर आमान परिवर्तन का कार्य शुरू करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) इस पर आमान परिवर्तन का कार्य कब से शुरू हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) इंदौर से पीठमपुर तक, जो मऊ रेलवे स्टेशन द्वारा सेवित है, जिसके साथ यह सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है, कोई रेलवे लाइन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लेवी चीनी के लिए परिवहन प्रभार का भुगतान

408. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने लेवी चीनी के लिए 1979 से परिवहन प्रभार के भुगतान की स्वीकृति का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इस संबंध में राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी जानी है;

(ग) क्या इस बीच उक्त देय राशि का भुगतान कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कर्नाटक सरकार द्वारा 1979, 1981, 1985 और 1991 में किए गए ढुलाई खर्चों में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय किया गया है :—

(1) राज्य सरकार की दरों को खाद्यान्नों की ढुलाई करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की दरों तक सीमित रखा जाएगा और ऐसे मामलों में जहां भारतीय खाद्य निगम की दरें लागू नहीं हैं वहां राज्य सरकार की दरों अथवा वास्तविक रेल भाड़े, इनमें से जो भी कम होगा, की इजाजत दी जाएगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा अपनी अनुसूची में मांगे गए न्यूनतम दूरी प्रभारों में उसी अनुपात में वृद्धि की जाएगी जिस प्रकार प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल दरों में वृद्धि की जाती है।

(3) भारतीय खाद्य निगम द्वारा लेवी चीनी पर पहले ही अदा कर दिए गए प्रवेश कर को राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को वापस कर दिया जाएगा। इस आशय के आदेश 28 जून, 1993 को जारी कर दिए गए थे और भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध किया गया था कि वे भुगतान करने के लिए ब्यौरे तैयार करें।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में वनों के विकास हेतु कार्यक्रम

409. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में वनों के विकास हेतु आरंभ किए जाने वाले विभिन्न नए प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य हेतु निर्धारित किए गए धन का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी वनों के विकास से संबंधित कार्यक्रम बराबर चलाए जाने वाले कार्यक्रम हैं जिनमें वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलाप, वनों की सुरक्षा, सिल्वी कृषि कार्य, वन्यजीव संरक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण, विस्तार कार्यकलाप आदि शामिल हैं। ये कार्यकलाप राज्य और केन्द्रीय बजट में उपलब्ध धनराशि से प्रत्येक वर्ष चलाए जाते हैं। इन कार्यकलापों को मध्य प्रदेश में वर्ष 1993-94 के दौरान जारी रखा जाएगा।

मध्य प्रदेश में वर्ष 1993-94 के दौरान वनों के विकास के लिए यद्यपि कोई नया कार्यक्रम नहीं रखा गया है फिर भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने विश्व बैंक की सहायता के लिए एक व्यापक वानिकी परियोजना का प्रस्ताव रखा है। विश्व बैंक ने अंतिम मसौदा तैयार कर लिया है जिस पर कि वर्ष 1993-94 के दौरान कार्रवाई की जाएगी और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। विश्व बैंक के साथ अंतिम समझौता हो जाने के बाद ही परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों में उपकरणों की कमी

410. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों में धन-राशि तथा उपकरणों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय कॉलेज की योजनागत तथा गैर-योजनागत मद में कितनी धन-राशि मंजूर की गई तथा वास्तव में कितनी जारी की गई;

(घ) क्या इन कॉलिजों को कोई सहायता भी उपलब्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) 17 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम हैं। भारत सरकार स्नातोत्तर पाठ्यक्रमों पर आने वाले समस्त अनावर्ती व्यय और आवर्ती व्यय वहन करती है। अवर स्नातक पाठ्यक्रमों पर आवर्ती व्यय भारत सरकार और सम्बन्धित राज्य-सरकार द्वारा 50 : 50 आधार पर वहन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को मुक्त किए गए योजनागत और योजनेत्तर अनुदानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। निधियां मुक्त करना, समस्त संसाधन अभावों को ध्यान में रखते हुए उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को मुक्त किए गए अनुदान

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज	योजनेत्तर (लाख रुपयों में)			योजनागत		
	1990-91	1991-92	1992-93	1990-91	1991-92	1992-93
1 2	3	4	5	6	7	8
1. इलाहाबाद	167.00	171.00	117.00	92.50	50.00	101.23
2. भोपाल	139.00	149.00	158.50	79.00	117.27	192.76

1 2	3	4	5	6	7	8
3. कालीकट	132.50	131.00	143.00	94.42	120.00	126.00
4. दुर्गापुर	115.50	166.00	157.00	54.33	41.36	87.55
5. हमीरपुर	52.00	43.00	20.70	187.00	143.30	174.90
6. जयपुर	111.00	120.00	117.50	99.00	80.10	112.44
7. जालन्धर	45.00	22.00	21.44	313.00	336.49	354.05
8. जमशेदपुर	114.50	85.00	107.45	105.72	111.19	86.79
9. कुरूक्षेत्र	136.00	118.00	140.00	94.57	98.66	36.68
10. नागपुर	165.00	183.00	185.00	86.20	101.70	181.12
11. राउरकेला	133.50	98.00	123.56	87.10	79.00	151.41
12. सिल्चर	64.00	70.00	68.77	93.00	125.00	100.00
13. श्रीनगर	118.00	115.00	160.00	44.50	81.70	119.07
14. सूरत	103.00	106.00	119.00	88.17	84.41	85.40
15. सूरतकल	173.50	183.00	200.00	89.60	117.00	179.50
16. तिरुचिरापल्ली	118.50	147.00	140.00	81.98	120.57	160.60
17. वारंगल	194.00	182.00	207.00	97.42	133.72	150.50
जोड़ :	2082.00	2089.45	2186.00	1800.00	1928.75	2400.00

[अनुवाद]

उड़ीसा में खाद्यान्नों का अतिरिक्त भण्डारण

412. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में खाद्यान्नों के लिए अतिरिक्त भण्डारण व्यवस्था के लिए कुछ स्थानों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? और

(ग) यदि नहीं, तो उन स्थानों पर अतिरिक्त भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बादामपहाड़ (मयूरभंज जिला) में भारतीय खाद्य निगम द्वारा 10,000 मीटरी टन की अतिरिक्त गोदाम क्षमता निर्माणधीन है।

भारतीय खाद्य निगम ने धनराशि, भूमि, आदि उपलब्ध होने की शर्त पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए तीतलगढ़ (जिला बोलंगीर), रायगाडा (जिला रायगाडा) और चौद्वार (जिला कटक) में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने के लिए अनन्तिम रूप से विचार बनाया है।

ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता

413. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1993 के "दि इकानोमिक टाइम्स" में "फाइनेंसियल हैल्प टु फार्मर्स फार सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स मिनिस्ट्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छोटे और सीमान्त किसानों को सेकेंड हैंड ट्रैक्टर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) यह मामला राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ उठाया गया है। इस संबंध में बैंक की अनुक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

फ्लाई एश से स्वास्थ्य को खतरा

414. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न ताप बिजलीघरों से छोड़ी जाने वाली "फ्लाई एश" के कारण पारिस्थितिकीय और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में फ्लाई एश से किस सीमा तक खतरा पैदा हुआ है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस समय देश में प्रतिदिन लगभग एक लाख टन फ्लाई ऐश उत्पन्न होती है जो कि पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है और स्वास्थ्य के लिए खतरे पैदा कर रही है। राज्य सरकारों से इस शताब्दी के अंत तक इसके प्रयोग को 3% से बढ़ाकर 50% तक करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है, जिसके लिए निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन मंजूर किए गए हैं :—

1. ईंटों तथा अन्य सभी निर्माण उत्पादों में 25% अथवा इससे अधिक फ्लाई ऐश का कच्चा माल के रूप में प्रयोग करने पर उत्पाद शुल्क में छूट।

2. महत्वपूर्ण मशीनरी और उपकरणों के आयात पर सीमाशुल्क में छूट।

3. उद्यमियों को फ्लाई ऐश निःशुल्क उपलब्ध कराना ।

खिलाड़ियों को सम्मानित करने की योजना

415. **श्री हरीश नारायण प्रभु झोट्ये** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में खिलाड़ियों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए महाराष्ट्र के "छत्रपति पुरस्कार" की तरह कोई केन्द्रीय योजना शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) जी, नहीं । तथापि विभाग में पहले ही खिलाड़ियों को उनके विशिष्ट योगदान हेतु सम्मानित करने के लिए (1) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार (2) अर्जुन पुरस्कार, (3) राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की योजनाएं चलाई जा रही हैं ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में ट्रेन सेवाएं

416. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद-भोपाल और मथुरा-बड़ौदा सेक्शनों तथा मध्य प्रदेश के कुछ अन्य क्षेत्रों में चलने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर ट्रेन-सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) जी नहीं, 1993-94 के दौरान नहीं । बहरहाल, जुलाई 1993 की समय-सारणी से 55/56 मथुरा-बड़ोदरा पैसेंजर गाड़ी का मथुरा-रतलाम, रतलाम-दाहोद, दाहोद-बड़ोदरा पर स्थानीय दैनिक यात्रियों की बेहतर सेवा करने के लिए स्वतंत्र सेवाओं के रूप में पुनर्गठन किया गया है ।

(ग) जुलाई, 1993 की समय सारणी से मध्य प्रदेश में निम्नलिखित गाड़ियां शुरू की गई हैं/उनका चालन बढ़ाया गया है ।

(i) निजामुद्दीन-मद्रास राजधानी एक्सप्रेस, भोपाल से गुजरती है ।

(ii) निजामुद्दीन-मंगलौर एक्सप्रेस, इटारसी भोपाल, बीना और ग्वालियर से गुजरती है ।

(iii) निजामुद्दीन-जबलपुर/नागपुर/बिलासपुर एक्सप्रेस, ग्वालियर, बीना, भोपाल, इटारसी, बैतूल, आमला, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर से गुजरती है ।

(iv) गेवरा रोड-चंपा पैसेंजर को बिलासपुर तक बढ़ाया गया।

(v) 106/107 इंदौर-देवास शटल को (17.5.1993) से उज्जैन तक बढ़ाया गया।

दिल्ली के विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम

417. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने सरकारी विद्यालयों में गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा और साधारण बीमा निगम के व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू किये गए;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन विद्यालयों से कितने छात्रों ने पाठ्यक्रम पास किया है;

(ग) क्या पाठ्यक्रम पास करने वाले सभी छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान कर दिए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी योग्य छात्रों को रोजगार के अवसर कब तक प्रदान किए जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के जिन सरकारी स्कूलों में जीवन बीमा और साधारण बीमा निगमों के व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किये गए हैं उनकी संख्या निम्नलिखित है :

जीवन बीमा निगम	—	5
साधारण बीमा निगम	—	5

(ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार जिन विद्यार्थियों ने विगत तीन वर्षों के दौरान इन विद्यालयों से जीवन बीमा निगम/ साधारण बीमा निगम के पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण किया है, उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

जीवन बीमा निगम पाठ्यक्रम (1990-91, 1991-92 और 1992-93)	—	429
साधारण बीमा निगम पाठ्यक्रम (1990-91, 1991-92 और 1992-93)	—	402

(ग) से (ङ) साधारण बीमा निगम ने सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। जीवन बीमा निगम के संबंध में वर्ष 1989-91 बैच के सभी ऐसे विद्यार्थी जो उनके मानदंड के अनुसार उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें प्रशिक्षुता प्रदान की गई है। वर्ष 1990-92 के बैच के पात्र विद्यार्थियों से आवेदन मांगे गए हैं और उन्हें रोजगार देने पर अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा है। वर्ष 1991-93 के बैच के विद्यार्थियों को रोजगार देने के संबंध में वर्ष 1994 में विचार किया जाएगा।

"ओन योर वैगन" योजना

418. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष रेलवे द्वारा चलाई गई "ओन योर वैगन" योजना के अन्तर्गत अब तक कितने वैगनों के लिए समझौते किये गए हैं;

(ख) किन-किन कम्पनियों से ऋयादेश मिले हैं और योजना के अन्तर्गत अब तक कम्पनीवार कितने वैगनों का निर्माण किया गया; और

(ग) रेलवे को इस योजना से अनुमानत: कितना लाभ होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) कोई नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

नई गाड़ियां

419. **श्री सत्यदेव सिंह** :

श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

श्री बृज भूषण शरण सिंह :

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री प्रेम चन्द राम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान कौन-कौन सी नई गाड़ियां चलाई गईं;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान कुछ और नई गाड़ियां चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो ये नई गाड़ियां किन प्रस्तावित मार्गों पर चलाई जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[अनुवाद]

केरल के मालाबार क्षेत्र में पारिस्थितिकी असंतुलन

420. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के मालाबार क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ों के काटे जाने से पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होने के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या केरल में वनों की कटाई तथा वर्तमान वन क्षेत्र का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : सरकार को केरल के मालाबार क्षेत्र में बड़ी संख्या में वृक्षों के काटे जाने से पारिस्थितिक असंतुलन पैदा होने के बारे में कोई विशेष रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय वन सर्वेक्षण देश के वन आवरण का आवधिक रूप से अध्ययन करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1991 के अनुसार केरल में 10,149 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन आवरण है और 1989 तथा 1991 के मूल्यांकनों के बीच राज्य के वन आवरण में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तुर्की स्टेट रेलवे के साथ ठेका

421. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर्की स्टेट रेलवे द्वारा भारतीय रेलवे निर्माण कंपनी लिमिटेड के साथ तुर्की में रेल लाइनों के निर्माण/विद्युतीकरण करने संबंधी कोई ठेका सम्पन्न हुआ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ठेके का ब्यौरा क्या है तथा इरकॉन (इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन) द्वारा यह कितने समय में पूरा कर लिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० सेका) : (क) जी हां।

(ख) यह संविदा सिनकन-अंकारा के बीच अतिरिक्त लाइनों की लगभग 75 रेलपथ कि० मी० दूरी के विद्युतीकरण के लिए है। संविदा का मूल्य 8.2 मिलियन अमरीकी डालर है जिसे टर्की स्टेट रेलवेज से मोबीलाइजेशन अग्रिम की प्राप्ति की तारीख से 15 महीने के भीतर पूरा किया जाना है।

घटिया सामग्री की बिक्री

422. **श्री जी० देवराय नायक** :

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

श्री बी० श्री निवास प्रसाद :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जून, 1993 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित 'बी० आई० एस० गियर्स अप सर्वेलेंस एक्ट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने देश में घटिया सामग्री की बिक्री रोकने हेतु कोई अभियान चलाया है;

(ग) यदि हां, तो ब्यूरो ने गत वर्ष के दौरान कितने छापे मारे; और

(घ) सरकार का विचार दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने अनेक उत्पादों के लिए भारतीय मानक स्थापित किए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो एक प्रमाणन चिन्ह योजना भी चला रहा है, जिसके तहत विनिर्माताओं को उनके द्वारा संगत भारतीय मानक के अनुरूप तैयार की गई वस्तुओं पर मानक चिन्ह का प्रयोग करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। यह योजना आमतौर पर स्वैच्छिक है। तथापि, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे जाने वाले कुछ उत्पादों के प्रमाणन को विभिन्न एजेंसियों, जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले में राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाने वाले भिन्न-भिन्न अधिनियमों, नियमों, आदेशों आदि के तहत अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा राज्य के भीतर प्रवर्तन कार्यवाही में तालमेल रखने के लिए केन्द्रक अधिकारी तथा विभाग नामित किए गए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के पास एक तंत्र भी है, जिसके तहत उपभोक्ता आई० एस० आई० चिह्नित उत्पादों की घटिया किस्म के विरुद्ध शिकायतों पर प्रतितोष प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है, जिसमें 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान के उन मामलों की संख्या दी गई है जिनमें अनधिकृत रूप से आई० एस० आई० चिन्ह का प्रयोग करने के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। यह एक निरन्तर तथा चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

विवरण

आई० एस० आई० चिन्ह के अनधिकृत प्रयोग से संबंधित मामलों तथा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92		1992-93	
	मामलों की संख्या	की गई कार्यवाही	मामले की संख्या	की गई कार्यवाही
आंध्र प्रदेश	2		1	
दिल्ली	6		2	
राजस्थान	1	कानूनी कार्यवाही आरम्भ की गई है	1	
उत्तर प्रदेश	1		2	
मध्य प्रदेश	1		—	जांच कार्य प्रगति पर है
गुजरात	1	जांच के बाद मामला बंद कर दिया गया	—	
महाराष्ट्र	—		1	
बिहार	—		1	
हरियाणा	—		1	
योग :	12		9	

प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना

423. **श्री मदन लाल खुराना :**

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने 21 मार्च, 1993 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अपने बारहवें प्रतिवेदन में इस संबंध में कुछ टिप्पणी की है कि दिल्ली नगरपालिका द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम को दोषपूर्ण तरीके से लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : जी हां। दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार नियंत्रक महा लेखा परीक्षक ने वर्ष 1987-88 से वर्ष 1991-92 तक की पांच वर्ष की अवधि की लेखा परीक्षा की तथा दिल्ली नगर निगम की प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम के सर्व सुलभीकरण की योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ टिप्पणियां कीं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों में मुख्यत: स्कूल बीच में छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों की दर के बारे में, अभिभावकों की आय जैसे दिशा निर्देशों के बिना पाठ्य-पुस्तकों का नि:शुल्क वितरण किए जाने, नि:शुल्क वितरण के लिए अधिक संख्या में पाठ्य-पुस्तकों का खरीदा जाना, भंडार में पुस्तकें तथा केन्द्रीय भंडार से क्षेत्रों को पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति में विलंब किए जाने से संबंधित हैं।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि बच्चों को नियमित रूप से पुस्तकों के वितरण, निगम की स्थायी समिति द्वारा यथा निर्धारित अभिभावकों की आय के किसी मानदण्ड के बिना ही पाठ्य-पुस्तकों के नि:शुल्क वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। आवश्यकता से अधिक पुस्तकों के भंडार को पहले ही नये नामांकित विद्यार्थियों को वितरित करने के लिए भेजा जा चुका है। स्कूल बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों की दर का मूल कारण श्रमिक वर्ग तथा अन्य श्रेणियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना है।

[हिन्दी]

बिहार और उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

424. **श्री राजेश कुमार :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को अपर्याप्त गन्ना उपलब्ध होने के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मिलों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) बिहार राज्य में सहकारी क्षेत्र में कोई चीनी मिल नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों का संबंध है, उन्होंने वर्तमान मौसम के दौरान 74.85 लाख मीटरी टन (अनन्तिम) गन्ने की पिराई की है जबकि पिछले मौसम अर्थात् 1991-92 के दौरान उन्होंने 103.89 लाख मीटरी टन गन्ने की पिराई की थी।

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे चीनी मिलों के लिए अधिकतम मात्रा में गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित करें और गन्ने को अन्य क्षेत्रों की तरफ जाने से रोकें।

[अनुवाद]

पश्चिमी घाट में वनों का विनाश

425. **डा० अमृत लाल कालिदास पटेल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी घाट क्षेत्र में वन संसाधनों में कमी पर कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या निकले;

(ग) इस क्षेत्र में वन संसाधनों में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण उपग्रह प्रतिबिम्बिकी के आधार पर देश के वनाच्छादन का नियमित रूप से मूल्यांकन करता है।

(ख) वर्ष 1987-89 की भू-उपग्रह प्रतिबिम्बिकी का प्रयोग करते हुए अन्तिम मूल्यांकन रिपोर्ट 1991 में प्रकाशित की गई थी।

(ग) भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट (1991) के अनुसार, पश्चिमी घाटों में वनाच्छादन में कोई गम्भीर कमी नहीं पाई गई है।

(घ) पश्चिमी घाटों के वनाच्छादन की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय इस प्रकार है :—

1. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 पारित करना और उसका कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करना।
2. राज्य सरकारों को मदद देना और केन्द्र तथा राज्यों के वनों से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन के लिए उन्हें आधारभूत ढांचा मुहैया कराना।
3. योजना आयोग "पश्चिमी घाटों का समन्वित विकास" स्कीम के तहत पश्चिमी घाट क्षेत्रों के लिए विशेष प्रवधान करता है।
4. यू० के० की विदेश विकास एजेंसी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाटों में वानिकी संबंधी गतिविधियों के लिए एक परियोजना को धन दे रही है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की सुरक्षा

426. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री संजय लाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीड़े लगने के कारण प्रतिवर्ष कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत नष्ट हो जाता है; और

(ख) कृषि उत्पादों की हानि को रोकने के लिए उचित भण्डारण और संरक्षण हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) कृषि उत्पाद का उचित भण्डारण व परिरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं; ताकि हानियों को रोका जा सके :—

1. खाद्यान्नों को वैज्ञानिक पद्धति से स्टोर किया जाता है और नियमित रूप से कीट नियंत्रण उपाय किए जाते हैं ताकि चूहों और कीटों द्वारा की जाने वाली बरबादी को रोका जा सके।

2. अनाज बचाने के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत खाद्यानों का वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण करने के बारे में किसानों और विस्तार कर्मियों के लाभ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

3. किसानों को राजसहायता पर भण्डारण सुविधायें दी जाती हैं।

4. भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम स्थापित करने संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत 24-12-1992 तक 20.666 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता के 3710 ग्रामीण गोदाम बनाये गए।

5. विनाशशील जिन्सों के उचित भण्डारण के लिए 31-12-1992 की स्थिति के अनुसार शीत भण्डारण आदेश, 1980 के तहत 14.21 लाख मीटरी टन की क्षमता सृजित की गई है।

उचित दर की दुकानों और मिट्टी तेल के डिपुओं में अनियमितताएं

427. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और देश के विभिन्न भागों में स्थित उचित दर की दुकानों और मिट्टी तेल के डिपुओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई विशेष योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दिल्ली में गत दो महीनों के दौरान उचित दर की दुकानों और मिट्टी के तेल के कितने डिपुओं के लाइसेंस रद्द किए गए ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना के कार्यान्वयन की संचलनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जिनमें दिल्ली शामिल है, की है उचित दर दुकानों तथा मिट्टी के तेल के डिपुओं की निरीक्षण व जांच तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम व इसी प्रकार के अन्य कानूनों के उपबंधों को लागू करने का कार्य उनके प्रशासनिक कार्य का हिस्सा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे निगरानी में चुस्ती लाएं और व्यापारियों द्वारा की जाने वाली अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकें तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व वितरण की परिवीक्षा करें।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के प्रशासन ने सूचित किया है कि गत दो महीनों के दौरान 6 उचित दर की दुकानों तथा 23 मिट्टी के तेल के डिपुओं के प्राधिकार को रद्द किया गया है।

गुजरात में छोटे और सीमांत किसान

428. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में और इस समय गुजरात में कितने प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं;

(ख) इन किसानों द्वारा खाद्यान्नों का औसत वार्षिक उत्पादन कितना किया जाता है;

(ग) क्या अधिक उत्पादन लागत के कारण इन किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि इन सीमांत किसानों को प्रोत्साहन न मिलने के कारण उत्पादन स्तर में कमी न आए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) कृषि संगणना के अनुसार 1970-71 और 1985-86 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान गुजरात में छोटे और सीमांत किसानों का प्रतिशत निम्नवत है :—

	1970-71	1985-86
सीमान्त किसान	23.8	25.5
छोटे किसान	19.1	23.4

(ख) चूंकि प्रौद्योगिकी का पैमाने से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह मानते हुए कि विभिन्न आकार के जोतों पर प्रति हैक्टेयर औसत उपज में काफी अन्तर नहीं है, छोटे और सीमांत किसानों द्वारा

उत्पादित खाद्यानों की मात्रा इन किसानों द्वारा की गई खेती के क्षेत्र के अनुपात में होगी। गुजरात में खाद्यानों का वार्षिक सामान्य उत्पादन लगभग 48 लाख मीटरी टन है, इसमें से लगभग 18% का अंशदान छोटे और सीमांत किसानों का है जो खाद्यान्न के तहत उनके द्वारा कृष्ट क्षेत्र के अनुपात में है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं से लाभ किसानों की जोतों के आकार पर ध्यान दिए बिना सभी किसानों को प्राप्त हो रहे हैं। राज्य सरकारों को विशेष रूप से यह सलाह दी गई है कि फसलोन्मुख कार्यक्रमों के तहत लाभ छोटे और सीमान्त किसानों को दिए जाऐं।

[अनुवाद]

राजधानी के स्कूल

429. **श्री गुरुदास कामत :**

श्री मुमताज अंसारी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के सभी स्कूलों को एक ही प्रशासन के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ दल ने अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की है। तथापि, इसे लागू करना कठिन होगा क्योंकि इस समय दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, छावनी बोर्ड, नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अपने-अपने स्कूलों के आर्थिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति की जाती है। यदि सभी स्कूलों के लिए एक संयुक्त प्राधिकरण हो तो, इस प्रकार के प्राधिकरण के लिए सभी स्कूलों के सफलतापूर्वक प्रबन्ध हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाना अत्यधिक कठिन होगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली के स्कूलों में अंग्रेजी का शिक्षण

430. **श्री अरविंद त्रिवेदी : मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन का चालू शैक्षिक सत्र से कुछ स्कूलों में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी पढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्कूलों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) शेष स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाना कब से आरंभ किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पहली से दसवीं/बारहवीं कक्षाओं वाले ऐसे 250 कम्पोजिट स्कूल हैं जहां पहली कक्षा से ही अंग्रेजी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन ने आठवीं योजना अवधि के दौरान एक चरणबद्ध तरीके से और अधिक स्कूलों को कम्पोजिट स्कूलों में परिवर्तित करने की योजना बनाई है।

निजी ठेकेदारों द्वारा मरम्मत कार्य

431. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने रेलवे स्टेशनों का मरम्मत कार्य निजी ठेकेदारों को सौंपा गया है;

(ख) क्या काफी संख्या में वैगनों/ सवारी डिब्बों का मरम्मत कार्य भी निजी ठेकेदारों को सौंपा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इन वैगनों/सवारी डिब्बों की कुल संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) समूची भारतीय रेलवे के स्टेशनों पर सफेदी, रंग-रोगन, भारी मरम्मत, जैसे अनुरक्षण कार्य ठेकेदारों द्वारा किए जाते हैं। केवल छोटी-मोटी मरम्मत तथा तात्कालिक किस्म के मरम्मत कार्य विभागीय आधार पर किए जाते हैं।

(ख) कोई भी सवारी डिब्बा/माल डिब्बा अनुरक्षण कार्य के लिए ठेकेदारों को नहीं सौंपा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन भूमि पर अतिक्रमण

432. **डा० लाल बहादुर राबल** :

डा० छत्रपाल सिंह :

श्री राजबीर सिंह :

श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

श्री राम टहल चौधरी :

श्री लाल बाबू राय :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लोगों द्वारा वन भूमि पर किये गए अतिक्रमण की घटनाओं की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने वन भूमि को किसी भी अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) लोगों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की घटनाएं समय-समय पर भारत सरकार के ध्यान में लाई गई हैं। वन भूमि पर अतिक्रमण के बारे में ब्यौरे मंडल स्तर पर संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रखे जाते हैं। भारत सरकार ने वन भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में कहा गया है कि वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं इसलिए यह प्रवृति रोकनी होगी तथा इस प्रवृति को जारी न रहने देने के लिए कारगर उपाय करने होंगे।

(2) वन नीति में यह भी कहा गया है कि वनों के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(3) वन भूमि पर अतिक्रमण को भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत एक अपराध माना गया है।

(4) समय-समय पर राज्य सरकारें, राजस्व प्राधिकारियों के साथ मिलकर अवक्रमित वन भूमि को खाली कराती रहती हैं।

उत्तर प्रदेश में बी० टी० सी० के लिए योग्यता

433. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरांचल के लिए बेसिक टीचिंग कोर्स (बी० टी० सी०) की प्रवेश परीक्षा के लिए योग्यता बी०ए० से कम करके इन्टरमीडिएट करने का कोई आदेश जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) बेसिक टीचिंग कोर्स (बी० टी० सी०) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना राज्य सरकारों का क्षेत्राधिकार है, इसलिए भारत सरकार ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए हैं।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार यह पता चला है कि राज्य सरकार ने न केवल उत्तरांचल बल्कि समूचे राज्य के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक से कम करके इण्टरमीडिएट करने का निर्णय लिया है। दिनांक 23 दिसम्बर, 1992 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिनांक 31 मार्च, 1993 को जारी कर दिए गए।

खाद्यान्नों का स्टाक

434 **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश खाद्यान्नों के स्टाक के संबंध में आत्मनिर्भर हो गया है और खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में है;

(ख) क्या खाद्य तेलों तथा चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) देश दालों को छोड़कर खाद्यान्नों के मामले में सामान्यतया आत्म-निर्भर है । सरकारी स्टाक से खाद्यान्नों का निर्यात करने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) तिलहनों का उत्पादन 1990-91 के 48.76 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1991-92 में 49.66 लाख मीटरी टन हो गया है। चीनी का उत्पादन 1990-91 के 120.47 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1991-92 में 134.11 लाख मीटरी टन हो गया था। तथापि, वर्तमान वर्ष में (30-6-1993 तक) 104.82 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ था ।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय

435. **डा० जी० एल० कनौजिया :**

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान किन-किन स्थानों पर नवोदय विद्यालय खोले गये हैं;

(ख) क्या गत वर्ष नवोदय विद्यालय खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य-वार और स्थान वार कितने नवोदय विद्यालय खोले जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कुल 44 नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए गए । ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है । संस्वीकृत 44 नवोदय विद्यालयों में से, 39 विद्यालयों के लिए चयन परीक्षाएं आयोजित की गई हैं । संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मुहैया कराए जाने वाले बिना किराया के अस्थायी स्थान प्राप्त न होने की वजह से शेष 5 विद्यालयों के लिए चयन परीक्षाएं 1992-93 में आयोजित नहीं की जा सकीं ।

(घ) उन 43 जिलों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई । जहां नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 1993-94 के लिए नवोदय विद्यालयों को अनुमोदित किया गया है ।

विवरण-I

वर्ष 1992-93 के दौरान संस्वीकृत नवोदय विद्यालयों/जिलों के नाम दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिले का नाम	स्थान
1	2	3	4
1.	मध्य प्रदेश	1. मंडला	पदमी
		2. विदिशा	शमशाबाद
		3. उज्जैन	बाट्टिया
		4. छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा
		5. बस्तर	बरसौर
		6. सरगूजा	बसदेई
		7. सतना	रायकवाडा
		8. रायगढ़	भूपदेवपुर
		9. खांडवा	पनधाना
		10. रीवा	सिरमौर
		11. भोपाल	रतिबाद-छपरी
		12. बेतुल	प्रभात पाटन
2.	उत्तर प्रदेश	13. बाराबंकी	सोनिकपुर
		14. बिजनौर	सैनद्वार
		15. मैनपुरी	अहमदपुर
		16. इटावा	सम्होन
		17. हरिद्वार	सरस्वती नगर
		18. हमीरपुर	मोहबा नगर
		19. सिद्धार्थ नगर	बसंतपुर
		20. अलीगढ़	अगसोली
3.	महाराष्ट्र	21. रत्नागिरि	खरावते
		22. सिंधुदुर्ग	संगेली

1	2	3	4
		23. औरंगाबाद	कन्नड
		24. कोल्हापुर	कागल
4.	राजस्थान	25. बीकानेर	गजनेर
		26. सिरोही	कालाहांडी
		27. सवाई-माधोपुर	आट बदेदा
		28. दौसा	खेरली
5.	हिमाचल प्रदेश	29. बिलासपुर	घुमरवेन
		30. सोलन	कुनिहार
6.	पंजाब	31. फिरोजपुर	रतौल
		32. गुरुदासपुर	मंबाल
7.	बिहार	33. सारण	बनगारा
		34. सीतामढ़ी	सोनबरसा
8.	असम	35. करीमगंज	रामकृष्ण नगर
		36. सोनितपुर	कादमेनी
9.	हरियाणा	37. कुरुक्षेत्र	फत्तुपुर
		38. रिवाडी	नईचना
		39. गुडगांव	फिरोजपुर झिरका
10.	गुजरात	40. साबरकंठा	धनसुरा
		41. मेहसाना	जमवा तालुका धनसामा
11.	मणिपुर	42. तमेंगलोंग	दोगईलोंग
12.	मिजोरम	43. छिम्तुईपुई	मम्पुई
13.	सिक्किम	44. नार्थ सिक्किम	खेलपथंग फुडोंग नार्थ

विवरण II

1993-94 के दौरान नवोदय विद्यालय खोले जाने वाले प्रस्तावित जिलों का नाम बताने वाला विवरण-अनुमोदन के लिए

क्रम० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रस्तावित जिला
1	2	3
1.	असम	1. सिबसागर
		2. नालबाडी
		3. कामरूप
2.	आंध्र प्रदेश	4. हैदराबाद
		5. महबूबनगर
3.	अरुणाचल प्रदेश	6. तवांग
		7. लोअर सुबानसिरी
		8. वेस्ट सयांग
4.	बिहार	9. ईस्ट चम्पारन
		10. गोपालगंज
		11. साहेबगंज
		12. माधेपुरा
		13. हजारीबाग
		14. खगारिया
5.	गुजरात	15. पंचमहल
6.	हरियाणा	16. अम्बाला
		17. करनाल
7.	केरल	18. कोल्लम (क्विलोन)
8.	कर्नाटक	19. बंगलौर
		20. साउथ केनरा
9.	मध्य प्रदेश	21. ग्वालियर
		22. बालाघाट

1	2	3
		23. शाहजहांपुर
10.	महाराष्ट्र	24. रायगढ़
		25. शोलापुर
		26. ग्रेटर बम्बई
		27. सतारा
		28. पुणे
		29. अकोला
11.	मेघालय	30. रि-भोई
		31. वैस्ट खासी हिल्स
12.	नागालैंड	32. फोक
		33. मोन
13.	उड़ीसा	34. पुरी
14.	उत्तर प्रदेश	35. पौड़ी गढ़वाल
		36. बान्दा
		37. रामपुर
		38. प्रतापगढ़
		39. देहरादून
		40. सोनभद्र
		41. फिरोजाबाद
		42. महाराजगंज
		43. जालौन

अरावली पहाड़ियां

436. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरावली पहाड़ियों को हराभरा बनाने तथा थार रेगिस्तान के प्रसार को रोकने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) वर्ष 1993-94 के दौरान इस संदर्भ में क्या लक्ष्य निश्चित किए गए हैं तथा इसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ) सारे देश को हरा-भरा बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए जाते हैं। अरावली की पहाड़ियों और थार रेगिस्तान में भी यह कार्यक्रम चलाया जाता है।

जैसा कि गुजरात, हरियाणा तथा राजस्थान, जहां अरावली पर्वतमालाएं और थार रेगिस्तान है, सरकारों ने सूचित किया है, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 से 1992-93 की अवधि के दौरान 18.10 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर पूरा कार्य किया गया। वर्ष 1993-94 के दौरान गुजरात, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 1.80 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है और 20736.44 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि थार रेगिस्तान के बढ़ने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

437. **श्री बीर सिंह महतो** :

श्री चित्त बसु :

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) इन विश्वविद्यालयों की स्थापना में अनुमानित कितना धन व्यय किया गया; और

(घ) इन विश्वविद्यालयों में शिक्षण कब से आरम्भ हो जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) : सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सिल्चर (असम) तेजपुर व नागालैंड में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधान बनाया है। इन विश्वविद्यालयों के लिए स्थान भी अनुमोदित किए जा चुके हैं। असम की राज्य सरकार से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए राजस्व रिकार्ड में स्थान स्थानांतरित करने के लिए अनुरोध किया गया है। इन विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति व रजिस्ट्रार के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से असम (सिल्चर), तेजपुर व नागालैंड विश्वविद्यालयों को चालू वित्त वर्ष के लिए एक-एक करोड़ रु० आबंटित करने के प्रस्ताव पर विचार करने तथा कुछ विशेषज्ञों या भारतीय शैक्षिक परामर्शदाता लि० (ई०डी०सी०आई०एल०) जैसी संस्थाओं को संबद्ध करने का अनुरोध किया गया है ताकि पाठ्यक्रमों का पता लगाने और कक्षाएं शुरू करने के लिए तत्काल अल्पकालिक रूपरेखा एवं दीर्घकालिक रूपरेखा सम्बन्धी सुझाव देने के वास्ते स्थानीय प्राधिकारियों और स्थानीय प्रतिभाशाली व्यक्तियों के परामर्श से अध्ययन किया जा सके।

आठवीं योजना के लिए असम (सिल्चर), तेजपुर व नागालैंड विश्वविद्यालयों की अनुमानित लागत क्रमशः 70.18 करोड़ रु०, 15 करोड़ रु० व 61.34 करोड़ रु० लगाई गई है।

रियो पृथ्वी सम्मेलन का कार्यान्वयन

438. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की अपनी हाल की यात्रा के दौरान इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की कि रियो पृथ्वी सम्मेलन के एक वर्ष के बाद भी रियो कन्वेंशन को लागू करने के लिए विशेषकर औद्योगिक देशों द्वारा कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विश्व को, विशेषकर औद्योगिक देशों की क्या आम प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत में प्रदूषण नियन्त्रण हेतु उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मूल्यांकन का क्या निष्कर्ष निकला ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जून, 1992 में न्यूयार्क में सतत विकास आयोग के प्रथम सत्र को सम्बोधित करते हुए, पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री ने विकसित देशों द्वारा तकनीकी के हस्तांतरण तथा नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के बंटवारे, जैसा कि रियो में सहमति व्यक्त की गई थी, के बारे में धीमी प्रगति पर भारत की गहरी चिन्ता व्यक्त की है। अधिकांश अन्य विकासशील देशों द्वारा भी ऐसे ही विचार प्रकट किए गए थे। वहां यह आम सहमति थी कि सतत विकास आयोग को इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

15-सूत्री कार्यक्रम

439. **श्री ई० अहमद** : क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान लागू किए गए इस प्रकार के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमन्त्री के 15-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 11 और 12 अल्पसंख्यकों की शिक्षा से सम्बन्धित है। ये सूत्र इस प्रकार हैं :—

सूत्र संख्या 11 : अनेक क्षेत्रों में भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है। प्रायः अल्पसंख्यक वर्ग इस प्रकार की परीक्षाओं में समान आधार पर प्रतियोगिता के लिए शैक्षिक पद्धति का लाभ उठाने में अक्षम हैं। इन अक्षमताओं से निपटने के लिए उनकी मदद हेतु इन परीक्षाओं में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने हेतु अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में कोचिंग कक्षाओं को आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए।

सूत्र संख्या 12 : उन अल्पसंख्यकों द्वारा जो आज पिछड़ रहे हैं, तकनीकी कौशलों को प्राप्त कर लेने से राष्ट्रीय विकास में भी मदद मिलेगी। प्रमुख रूप से अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सरकार द्वारा अथवा निजी एजेंसियों द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा पॉलिटेक्निकों को स्थापित किए जाने के प्रबन्ध किए जाने चाहिए ताकि इस प्रकार की संस्थाओं में, इन क्षेत्रों के अधिक से अधिक व्यक्तियों को दाखिले के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(ग) 15-सूत्री कार्यक्रम में सूत्रों के अनुसरण में, निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को तैयार करने के लिए कोचिंग कक्षाओं की एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस समय 21 विश्वविद्यालय तथा 38 कालेज इन योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 2 क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, अध्यापन/अध्ययन सामग्रियों की तैयारी के जरिए कोचिंग केन्द्रों को संसाधन सहायता प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 1991 और 1992 के दौरान, शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के 9952 छात्र इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

— कार्रवाई-योजना, 1986 द्वारा पता लगाए गए अल्पसंख्यक सघनता वाले सभी 41 जिलों को सामुदायिक पालिटेक्निकों द्वारा शामिल किया गया है।

आटे के थैले की कीमत

440. श्री प्रकाश बी० पाटील : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 10 किलोग्राम के गेहूं के आटे के थैले की कीमतों में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित मूल्य का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार गेहूं के आटे के थैलों की कीमतों में और वृद्धि करने पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। 11-1-93 से गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले 10 कि०ग्रा० आटे की थैली का मूल्य 38.90 रु० से बढ़ाकर 43.90 रु० कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन

441. **डा० एमेश चन्द्र तोमर :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री अनन्तराव देशमुख :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने तथा उपभोक्ताओं को और अधिक अधिकार देने हेतु इस अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसमें संशोधन कब तक किया जाएगा तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस अधिनियम में मानसून सत्र में ही संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) सरकार ने 31-3-93 को राज्य सभा में उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1993 प्रस्तुत किया है। चूंकि समय की कमी के कारण राज्य सभा द्वारा विधेयक पर विचार नहीं किया जा सका था, अतः सरकार ने 18-6-1993 को उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1993 प्रख्यापित किया, जिसमें विधेयक में निहित संशोधनों को शामिल किया गया है। इन संशोधनों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत परिकल्पित तीन स्तरीय प्रतिकोष अभिकरणों को मजबूत करने की व्यवस्था की गई है। संसद के चालू सत्र में उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1993 को विचारार्थ तथा पारित करने के लिए प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया है।

[अनुवाद]

कोंकण रेलवे परियोजना

442. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलमार्ग का रोहा-दसगांव सेक्शन शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार कोंकण रेलवे कार्य में कितनी प्रगति हुई है और इस प्रयोजनार्थ धनराशि की क्या स्थिति है;

(घ) क्या रेलवे बॉडों पर जनता से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गये हैं;

(ङ) क्या अतिरिक्त बाण्ड जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) क्या इक्विटी शेयर के रूप में पब्लिक इश्यू द्वारा धन जुटाने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) कोंकण रेलवे के रोहा-वीर खंड का रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा 12-4-93 और 13-4-93 को निरीक्षण किया गया था और इसे यात्री यातायात के लिए खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। चूंकि उपर्युक्त खंड भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए सोच समझ कर यह निर्णय लिया गया था कि उपर्युक्त खंड को मानसून समाप्ति के बाद ही यात्री यातायात के लिए खोला जाए।

(ग) (i) प्रगति 68 कि०मी० लम्बा मंगलोर-उडुपी खंड 21-3-93 से यात्री यातायात के के लिए खोल दिया गया है। रोहा-वीर खंड मानसून की समाप्ति के बाद खोले जाने के लिए तैयार है। समूची परियोजना की समग्र प्रगति लगभग 50% है।

(ii) **निधियों की स्थिति**

जुटाई गई धनराशि	(करोड़ रुपयों में)
हिस्सा पूंजी के रूप में अभिदत्त राशि	371
बांड जारी करके वसूल की गई राशि (प्रत्यक्ष मूल्य)	186
ब्रिजिंग ऋण	288
	845
30-6-93 तक किया गया खर्च	822

(घ) और (ङ) अभी तक करमुक्त बांडों के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक नहीं रही है। 1993-94 के दौरान करमुक्त बांडों के जरिए जुटाई जाने वाली कुल राशि 700 करोड़ रु० हैं बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थानों से प्रत्युत्तर न मिलने के कारण निगम सितम्बर, 93 में करमुक्त बांडों का सार्वजनिक निर्गम निकालने का प्रस्ताव कर रहा है जिसके लिए अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त की जा रही है। इसके अलावा, निगम की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी भी 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दी गई है और 1993-94 के लिए धनराशि का हिस्सा सरकारों की भागीदारी से प्राप्त होने वाले इक्विटी हिस्से से पूरा किया जाएगा।

(च) जनता के लिए इक्विटी शेयर जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान

443. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :**

श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संगठन और सम्बद्ध कालेजों सहित) तथा डीम्ड विश्वविद्यालय और प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय (कालेजों सहित) को कुल कितनी अनुदान राशि दी गई है;

(ख) इसकी तुलना में गैर नियोजित अनुदान राशि कितनी है; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान योजना और गैर योजना अनुदान सहित कुल मिलाकर प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय में प्रति विद्यार्थी अनुदान राशि कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रचार पर व्यय

444. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण और वन मामलों संबंधी फिल्मों, डाकुमेंटरी फिल्मों, पत्रिकाओं और अन्य प्रचार सामग्रियों पर कोई धनराशि खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने प्रदूषित पर्यावरण के खतरों से लोगों को सचेत करने हेतु कोई नए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1993-94 में प्रचार हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में ब्यौरा इस प्रकार है :

	पिछले तीन वर्षों में खर्च की गई राशि (रुपए लाखों में)		
	फिल्में	प्रचार	पत्र-पत्रिकाएं
1990-91	6.09	7.81	—
1991-92	24.52	39.95	0.53
1992-93	62.50	76.58	2.0

(ग) और (घ) मंत्रालय, प्रचार करने और जागरुकता उत्पन्न करने के सम्बन्ध में फिल्मों, पत्र-पत्रिकाओं, सूचनापरक पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन और वितरण जैसे मौजूदा कार्यक्रमों को जारी रखे हुए है।

(ङ) प्रचार गतिविधियों के लिए वर्ष 1993-94 का बजट 135 लाख रुपए है।

राजस्थान में प्राथमिक विद्यालय

445. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, राजस्थान में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय खोले गए;

(ख) राजस्थान के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना है;

(ग) राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़कर जाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए कोई विशेष योजना शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राजस्थान सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में खोले गए प्राइमरी स्कूलों की संख्या निम्नलिखित है :—

1990-91	200
1991-92	1565
1992-93	715

(ख) राजस्थान के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात 41 है (1991-92)

(ग) राजस्थान में प्राइमरी स्तर पर स्कूल छोड़ जाने वालों की प्रतिशतता 56.25 है। (1988-89)

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वैदिक अंकगणित में परिवर्तन

446. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश में वैदिक अंकगणित पढ़ाने की पद्धति में परिवर्तन करने हेतु कोई प्रस्ताव लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गया-पटना खण्ड पर डी० एम० यू०

447. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया जंक्शन पर पटना जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या गया से गुजरने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों में बर्थों का कोटा बढ़ाने और वातानुकूलित श्रेणी में आरक्षण कोटा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या गया-पटना खण्ड पर यात्रियों की भारी भीड़ में कमी करने के लिए डी० एम० यू० सेवा में वृद्धि करने का भी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान गया स्टेशन पर पटना के लिए और गया और पटना के बीच के स्टेशनों के लिए टिकटों की दैनिक औसत बिक्री लगभग 2,700 टिकटें थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) जी नहीं, तथापि 14-7-1993 से एक अतिरिक्त जोड़ी परम्परागत गाड़ियों की व्यवस्था की गई है।

पूर्व रेलवे (झारखण्ड क्षेत्र) में उपरिपुल

448. **श्री शिबु सोरेन :**

श्री साईमन मरान्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड क्षेत्र सहित पूर्व रेलवे के अन्तर्गत विभिन्न रेल मार्गों पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने उपरिपुल बनाए जाने का प्रस्ताव है और ये पुल कहां-कहां बनाए जायेंगे तथा इन पर आने वाली अनुमानित लागत कितनी है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्व रेलवे के किन-किन स्थानों पर रेल उपरिपुल के निर्माण का कार्य चल रहा है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) अभी तक 6 पुल अनुमोदित किए गए हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है, ये प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(आंकड़े लाख रुपयों में)

जिला	कार्य का विवरण	रेलवे का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा
आरा	समपार संख्या 49 के बदले ऊपरी सड़क पुल	101.05	93.09
पानागढ़	समपार संख्या 100/ स्पेशल के बदले ऊपरी सड़क पुल	127.00	217.13
पारसनाथ	समपार संख्या 41 ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	128.27	129.27
लिलुआ	समपार संख्या 1/14 के बदले ऊपरी सड़क पुल	331.83	331.83
सियालदह	लेक गार्डन में समपार संख्या 3 के बदले ऊपरी सड़क पुल	396.87	780.48
बालीगंज	बोंडेल गेट पर समपार संख्या 3/एस० टी० के बदले ऊपरी सड़क पुल	344.86	661.27

रेलें उन समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण पर विचार करती हैं जिनके लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियमानुसार ऐसे कार्यों की लागत में हिस्सेदारी के लिए सहमत होते हुए प्रस्ताव प्रायोजित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में कृषि उत्पादों के मूल्य

449. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में किसानों को मूंगफली कपास और अन्य खाद्यान्नों के पर्याप्त लाभकारी मूल्य मिलते है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस राज्य में किसानों के हितों की रक्षा करने और उन्हें बिचौलियों और व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना सरकार की घोषित नीति है । इस उद्देश्य से सरकार प्रमुख कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की केवल घोषणा ही नहीं करती है, बल्कि भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम, भारतीय पटसन निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) आदि जैसी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से निर्धारित दरों पर खरीद भी करती है ।

2. सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभकारी मूल्य हैं क्योंकि इसमें कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए केवल उत्पादन की लागत ही नहीं, बल्कि उचित लाभ का भी प्रावधान है । ये मूल्य समूचे देश में समान हैं, जिसमें गुजरात के कपास, मूंगफली, खाद्यान्न फसलें आदि उगाने वाले किसान भी शामिल हैं ।

झींगा उत्पादन

450. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में झींगा/मछली का उत्पादन बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का वर्ष वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) झींगा/मछली का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष	श्रिम्प/प्रॉन उत्पादन (लाख मीटरी टन में)
1990-91	2.73
1991-92	3.22
1992-93	3.30 (अनन्तिम)

(ग) श्रिम्प/प्रॉन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) तटवर्ती राज्यों में श्रिम्प फार्मिंग की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता प्रदर्शित करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त तटवर्ती मत्स्य संवर्धन परियोजना के तहत झींगा मछली के फार्मों और हैचरियों की स्थापना।

(2) उन सभी तटवर्ती जिलों में खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों की स्थापना करके श्रिम्प फार्मिंग को बढ़ावा देना, जहां इसके विकास की क्षमता निहित है। खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियां श्रिम्प पालकों को तकनीकी, वित्तीय और विस्तार सहायता प्रदान करती है।

(3) लगभग 3800 हैक्टेयर श्रिम्प फार्मों का विकास करने के लिए आंध्र प्रदेश उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में 1992-93 से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त श्रिम्प संवर्धन परियोजना का कार्यान्वयन।

(4) प्रॉन संवर्धन के उद्देश्य से आयात किए गए प्रॉन खाद्य और मत्स्य खाद्य पर प्रशुल्क में कमी लाना।

पूयानकुट्टी परियोजना को स्वीकृति

451. **प्रो० के० वी० थामस :**

श्री थाइल जॉन अन्जलोज :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से पूयमकुट्टी परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति देने सम्बन्धी पूर्व निर्णय पर पुनः विचार करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) पूयानकुट्टी परियोजना को जून, 1985 में विभिन्न सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित करने की शर्त पर पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी और इस पर पुनर्विचार करने के बारे में अब तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन, परियोजना को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अस्वीकृति कर दिया गया है। केरल राज्य सरकार ने इस परियोजना पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, जिसे विचार विमर्श करने के पश्चात स्वीकार्य नहीं पाया गया।

मछली पकड़ने के बन्दरगाहों/मत्स्य ग्रहण केन्द्रों की समीक्षा हेतु केन्द्रीय दल द्वारा दौरा

452. **श्री राम कृष्ण कोंताला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे तथा बड़े दोनों प्रकार के मछली पकड़ने के बन्दरगाहों/मत्स्य ग्रहण केन्द्रों के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने के लिए किसी केन्द्रीय दल का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दल ने किन-किन मछली पकड़ने के बन्दरगाहों मत्स्य ग्रहण केन्द्रों का दौरा किया तथा इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें कीं;

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ किसी अन्य दल का गठन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने दिसम्बर, 1988 में मात्स्यिकी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में विशाखापटनम में प्रमुख मत्स्यन बंदरगाह की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक केन्द्रीय दल का गठन किया था। इस दल के अन्य सदस्य थे। कृषि और सहकारिता विभाग के निदेशक (आंतरिक वित्त), सहायक आयुक्त (मत्स्यन बंदरगाह) तथा योजना आयोग के उप-सलाहकार।

(ग) और (घ) इस दल ने नवम्बर, 1990 में विशाखापटनम मत्स्यन बंदरगाह का दौरा किया और इसकी कार्य प्रणाली की समीक्षा की। इसने इन सुविधाओं के विभिन्न उपभोक्ताओं से भी मुलाकात की। इस दल की सिफारिशों में मछलियों की सम्भाल के लिए मैकेनिकल यन्त्रों को लगाना, बेहतर सुरक्षा, स्लिप-वे और ड्राई-डाक का बेहतर इस्तेमाल, जाल की मरम्मत करने से संबंधित सुविधाओं में सुधार आदि शामिल हैं। इस दल ने प्रमुख मत्स्यन बंदरगाह द्वारा सृजित अधिशेष राजस्व का उत्पादनकारी निवेश हेतु इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया।

इस दल की रिपोर्ट की मंत्रालय में जांच की गई थी तथा विशाखापटनम पत्तन न्यास द्वारा कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया गया था।

(ङ) और (च) इस स्तर पर इसी प्रयोजन हेतु किसी अन्य दल का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मत्स्य ग्रहण केन्द्रों/बन्दरगाहों के लिए केन्द्रीय सहायता

453. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न तटवर्ती राज्यों में मत्स्य ग्रहण केन्द्रों/बंदरगाहों के निर्माण के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। गुजरात सरकार ने जखाऊ पर एक छोटे मत्स्य बन्दरगाह के निर्माण के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के वास्ते अनुरोध किया था।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा एक विशेष मामले के रूप में शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करते हुए मई, 1993 में इस परियोजना को स्वीकृति दी जा चुकी है।

तकनीकी शिक्षा हेतु सहायता

454. **श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए 1990-91 से 1992-93 के दौरान राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) 1993-94 के लिए राज्यवार कितना धन आबंटित किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए राज्य सरकारों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट केन्द्रीय योजना नहीं है। तकनीकी शिक्षा, आधुनिकीकरण तथा अप्रचलन दूर करने और अनुसंधान तथा विकास के बारे में महत्वपूर्ण क्षेत्रों संबंधी योजना के तहत वित्तीय सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे तकनीकी संस्थाओं को दी जाती है। यह केन्द्रीय स्वायत्त संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली 100% निधि के अलावा है।

अनौपचारिक शिक्षा

455. **श्रीमती महेश्वा कुमारी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निरक्षरता उन्मूलन हेतु अनौपचारिक शिक्षा योजना पर कितनी धनराशि व्यय की गई तथा आठवीं योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) आठवीं योजना के दौरान उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत निरक्षरता उन्मूलन हेतु क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनौपचारिक शिक्षा योजना पर 136.26 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनौपचारिक शिक्षा योजना के लिए 704 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

(ख) अनौपचारिक शिक्षा योजना के कार्यक्रम के तहत, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है लेकिन आठवीं योजना अवधि के दौरान, पर्याप्त निधियों के प्राप्त होने पर अनौपचारिक शिक्षा परियोजनाओं की कुल संख्या बढ़ाकर 3500 करने का प्रस्ताव है।

जैव विविधता कन्वेंशन

456. **श्रीमती मालिनी महापात्र** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जैव विविधता कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस कन्वेंशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। भारत ने जून, 1992 में रियो डि जेनेरो, ब्राजील में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के दौरान जैवीय विविधता सम्बन्धी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर दिए।

(ख) इस कन्वेंशन के 42 अनुच्छेदों के जरिए संरक्षण, आनुवंशिक संसाधनों की प्राप्ति प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण तथा लाभों में भागीदारी तथा वित्त के प्रति प्रतिबद्धताएं स्थापित की गई हैं जिससे सम्भवत: यह जैवीय विविधता के सभी घटकों के संरक्षण और सतत् विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन जाएगा। कन्वेंशन की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें निम्नलिखित को मान्यता दी गई है :—

—जैवीय विविधता का आन्तरिक महत्व;

—अपने जैवीय संसाधनों पर राष्ट्रों के सर्वोच्च अधिकार;

—पारि-प्रणाली और प्राकृतिक वास-स्थलों के स्व-स्थाने संरक्षण की मौलिक आवश्यकता;

—स्थान-बाह्य उपायों की सहायक भूमिका।

—जैवीय विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग में स्वदेशी और स्थानीय समुदायों और महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका तथा परम्परागत ज्ञान, नवीनीकरण तथा पद्धतियों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के समान रूप से बंटवारे की वांछनीयता।

—संरक्षण के लिए आन्तरिक, क्षेत्रीय और विश्वव्यापी सहयोग को बढ़ावा देने का महत्व और आवश्यकता; और

—जैवीय विविधता के संरक्षण के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता।

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण हेतु दी गई धनराशि का उपयोग

457. **श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण हेतु दिल्ली प्रशासन को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या इस धनराशि को वास्तव में उपयोग में लाया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली प्रशासन को 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा 19,76,700.00 रुपये की धनराशि दी गई है।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में प्रयोगशाला की स्थापना और कर्मचारियों की नियुक्ति में हुई देरी के कारण पूरे धन का उपयोग नहीं किया है।

(घ) निधियों का शीघ्रता से उपयोग करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है।

नीलगिरि बचाओ अभियान हेतु सहायता

458. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरूकता अभियान योजना के अन्तर्गत नीलगिरि बचाओ अभियान हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु तैयार किये गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) पिछले छः वर्षों के दौरान "नीलगिरी बचाओ अभियान" तथा राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान स्कीम के तहत आयोजित कार्यक्रमों के लिए दी गई वित्तीय सहायता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	वर्ष	वित्तीय सहायता की राशि (रुपये)	आयोजित कार्यक्रम
1.	1987-88	9,150	"कम हो रहे जल संसाधन" पर कार्य-शाला"
2.	1988-89	50,000	नीलगिरी बचाओ यात्रा
3.	1989-90	15,000	संगोष्ठियां/सम्मेलन, कठपुतली शो तथा नुक्कड़ नाटक गतिविधियां
4.	1990-91	10,000	पहाड़ी क्षेत्र संरक्षण प्राधिकरण पर संगोष्ठी
5.	1991-92	15,000	पारि-शिविर, प्रतियोगिता
6.	1992-93	5,000	विचार-गोष्ठी।

[हिन्दी]

बिहार में कोडरमा-ध्रोमचाच वन में खनन पट्टे को स्वीकृति

459. **श्री मुहीराम सैकिया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में कोडरमा-ब्रोमचांच वन में खनन पट्टे को पर्यावरणीय और वन की दृष्टि से स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोडरमा-पटना राजमार्ग और कोडरमा-गिरिडीह सड़क के दोनों किनारों पर पत्थर पीसने वाले उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) खनन के लिए मैसर्ज नुन्दा एंड समोथ कम्पनी प्राइवेट लि० को उस क्षेत्र में 2.00 हैक्टेयर वन भूमि दिये जाने के संबंध में मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । इस बारे में राज्य सरकार से कुछ ब्यौरे मांगे गए हैं, जिनकी अभी प्रतीक्षा है । पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध मे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण का कारण पत्थर की पिसाई करने वाले उद्योग हैं ।

(ङ) इस संबंध में किये गए उपचारात्मक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं;

(1) वायु रोधक दीवारों का निर्माण

(2) जल छिड़काव व्यवस्था

(3) व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण

(4) संबंधित प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना इन इकाइयों के खनन पट्टों का नवीकरण न किया जाए ।

(5) राज्य सरकार के नियमों में अनुसार स्थल स्वीकृति ।

[अनुवाद]

हस्तिनापुर अभयारण्य संबंधी जांच समिति

460. **श्री सुव्रत मुखर्जी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष जनवरी में हस्तिनापुर दलदली हिरन अभयारण्य में संरक्षित प्राणियों की शिकार की जांच करने हेतु कोई समिति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस जांच समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

12.00 **मध्याह्न**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व हमें इस समय कुछ औपचारिक कार्यवाही करनी है जो एक-दो मिनट में पूरी हो सकती है और तत्पश्चात् हम अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे।

12.01½ **म० प०**

सभापटल पर रखे गये पत्र

सुपर बाजार कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा और पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

[अनुवाद]

नागरिक-पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए० के० एन्टनी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(एक) सुपर बाजार, कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सुपर बाजार, कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4161/93]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 484 (अ), जो 5 जुलाई, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें यह निदेश दिया गया है कि स्वदेशी

उर्वरक विनिर्माताओं द्वारा 1 अप्रैल, 1993 से 30 सितम्बर, 1993 (खरीफ मौसम) की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों/वस्तु बोर्ड में पंजीकृत उर्वरक डीलरों को उर्वरक की पूर्ति की जायेगी और नियंत्रक द्वारा अपेक्षित कोई विवरण या अन्य विवरणी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत की जायेगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4162/93]

12.02 म० प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 14 मई, 1993 को सभा सूचित करने के पश्चात संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चौबीस विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) विधेयक, 1993

(2) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और नार्थ-इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अंतरण) विधेयक, 1993

(3) स्वर्ण बंध-पत्र (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक, 1993

(4) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 1993

(5) विदेशी मुद्रा विनियम (संशोधन), 1993

(6) दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 1993

(7) भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 1993

(8) लघु और अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों के विलंबित संदायों पर ब्याज विधेयक, 1993

(9) अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन विधेयक, 1993

(10) आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 1993

(11) संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992

(12) संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992

(13) दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (आतंकवाद दमन) कन्वेंशन विधेयक, 1993

(14) वित्त विधेयक, 1993

(15) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1993

(16) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1993

(17) बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1993

(18) दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 1993

(19) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 1993

(20) केन्द्रीय विधि (अरुणालल प्रदेश पर विस्तार) विधेयक, 1993

(21) तेजपुर विश्वविद्यालय विधेयक, 1993

(22) हस्त-सफाईकर्ताओं का नियोजन और शुष्क शौचालयों का सन्निर्माण (प्रतिषेध) विधेयक, 1993

(23) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन, 1993

(24) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1993

12.02½ म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

उनतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं श्री विद्या चरण शुक्ल की ओर से कार्य मंत्रणा समिति का उनतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार नहीं करेंगे। अब हम श्री अजय मुखोपाध्याय द्वारा 26 जुलाई, 1993 को प्रस्तुत किये गये मंत्री-परिषद में अविश्वास के प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे/अब श्री बाजपेयी जी बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, आप नो-कांफिडेंस मोशन पर बहस शुरू कर रहे हैं, मेरी एक आपत्ति की बात है। कल की सिनोपसिस आफ डिबेट मेरे पास है, इसमें सब के भाषण लिखे जाते हैं कि उन्होंने समर्थन किया या विरोध किया। मेरे भाषण की शुरूआत में ऐसा लिखा है।

[अनुवाद]

"प्रस्ताव का विरोध करते हुए श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा था.....।"

[हिन्दी]

वहां तो रात भर काम होता है..... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस गलती को ठीक किया जाना है। हम इसकी जांच करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आदत से मजबूर हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : महोदय, प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व मैं एक बात कहना चाहूंगा। ऐसा लगता है कि प्रस्ताव का विषय प्रतिभूति से सम्बन्धित है और संयुक्त संसदीय समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान कर क्या हम संयुक्त संसदीय समिति के कार्यकरण के प्रति न्याय कर रहे हैं ? मैं समझता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मेरे विचार से सभी सदस्य काफी वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्हें प्रक्रिया तथा नियमों की जानकारी हैं और मुझे विश्वास है कि वे नियमों का पालन करेंगे और उचित रूप में मामले पर चर्चा करेंगे।

12.05 म० प०

मंत्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब श्री वाजपेयी जी अपनी बात कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्तमान सरकार 21 जून, 1991 को बनी थी। दो वर्ष से अधिक का समय बीत गया, जब सरकार बनी तब बहुमत में नहीं थी, आज भी बहुमत में नहीं है। लेकिन सदन में बहुमत दिखाने में सफल हुई है। सरकार चल रही है, अगर कांग्रेस के मित्र चाहें तो इसे एक बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं।

जब सरकार का गठन हुआ तो देश बारहमासी, छहमासी सरकारों से तंग था। उसे स्थिरता की तलाश थी। आर्थिक संकट के कारण जो मुख्य रूप से पुरानी कांग्रेस सरकारों की देन थी, लोग राहत चाहते थे। लोगों को आशायें थीं कि नरसिंह राव जी वयोवृद्ध नेता हैं, ज्ञानवृद्ध नेता हैं, अनुभव वृद्ध नेता हैं उनके नेतृत्व में गठित सरकार, क्योंकि पार्टी श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद अपने को नेतृत्व-हीन अनुभव करती थी देश को सही रास्ते पर लायेगी। लोग समझते थे कि परिवारवाद समाप्त हो रहा है अब राजनीति एक नई करवट लेगी। लोगों को सरकार से आशायें थीं, इस आशावाद में लोग यह भी भूल गये कि प्रधानमंत्री पहले भी सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। इस बात को भी विस्मृत कर दिया गया

कि जब दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद निर्दोष व्यक्तियों का कत्लेआम हुआ तो गृह मंत्रालय की बागडोर श्री नरसिंह राव जी के हाथ में थी। लोग सेंट किट्स का मामला भी भूल गये।

प्रधानमंत्री ने सारे देश को आम सहमति के आधार पर चलाने की बात कही। अर्थ संकट से निकलने के लिए प्रयास किये गये। लेकिन यह स्थिति ज्यादा दिन नहीं चली।

तिरुपति में जब लोगों ने देखा, और मैं नहीं जानता कि तिरुपति में अधिवेशन करना राजनीति को धर्म में जोड़ने का प्रयास था या नहीं था, लेकिन तिरुपति में जब लोगों ने देखा कि सरकार के पूर्व विदेश मंत्री जो बोफोर्स के मामले में एक प्रेम पत्र ले जा रहे थे और भूल गये थे कि वह पत्र किसने दिया है। लेकिन जिसको देना है, उसको देना नहीं भूले। वह विदेश मंत्री नहीं रहे। मगर तिरुपति के अधिवेशन नीति पर प्रस्ताव पेश करके उन्होंने मुख्य भूमिका निभायी। लोगों का माथा ठनका।

अध्यक्ष महोदय, कल कांग्रेस के मित्रों ने आर्थिक सुधारों की चर्चा की है। आर्थिक सुधारों के कारण स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है, उसका उन्होंने उल्लेख किया है मगर जो काला पक्ष है, अंधेरा पक्ष है, उसकी चर्चा नहीं की है। विदेशी कर्ज बढ़ रहा है। मैं आंकड़े देकर अपने भाषण को गरिष्ठ नहीं बनाना चाहता हूं लेकिन आकड़े स्पष्ट हैं कि देश कर्ज में डूबा हुआ है। स्थिति यह है कि कर्ज का ब्याज अदा करने के लिये हमें ऋण लेना पड़ेगा। यह बात कही जाती है कि विदेशी मुद्रा का भण्डार बढ़ा है, इसमें सच्चाई है लेकिन आर्थिक स्थिति में जो गिरावट आई है, उसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। कर्जा बढ़ा है, आयात बढ़ा है। निर्यात निराशाजनक है। कस्टम ड्यूटी कम कर दी गयी है, एक्साईज ड्यूटी कम नहीं हुई है। स्वदेशी उद्योग-धंधे संकट में हैं। कारखाने बंद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तव्य दिया है कि अगर बाहर का खाद हमें सस्ता मिलता है तो हम देश में बनने वाली खाद क्यों खरीदेंगे ? तो क्या देश के भीतर कारखानों को बंद हो जाने देंगे ?

प्रधानमंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : साथ-साथ मैंने कहा कि देश के जो कारखाने हैं, उनको ठीक करने के लिए उनको लाभप्रद बनाने के लिये अलग से हमारा प्रयास चलता रहेगा और चलते रहे हैं, और चलेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर कोई कारखाने घाटे में हैं तो उसे बंद करने का रास्ता अन्तिम होना चाहिए। और अगर उसमें सुधार किया जा सकता है, उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, लागत कम की जा सकती है तो क्या इसका प्रयत्न नहीं होना चाहिये ? ये कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। कारखाने बंद हो रहे हैं, मजदूर सड़कों पर जा रहे हैं।

वित्त मंत्री ने 16 दिसम्बर, 1991 को इसी सदन में कहा था कि नई आर्थिक नीति से न तो बेरोजगारी बढ़ेगी और न कारखाने बंद होंगे यह आशावाद पूरा नहीं हुआ है। मैं उद्योग संबंधी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट देख रहा था। सरकार से वालंटियर रिटायरमेंट पर काफी धनराशि खर्च की है। इस पर शायद 700 करोड़ रुपया खर्च करने का इरादा है लेकिन वैकल्पिक रोजगार कहां है ? मजदूरों को फिर से ट्रेनिंग देकर किसी उपयोगी धंधे में लगाया जाए, इस मामले में सरकार विफल रही है। अध्यक्ष महोदय, देश में जो उद्योग का आधार है, वह दृढ़ नहीं हुआ है पनबिजली के उत्पादन में कमी हुई है। कूड ऑयल के उत्पादन में कमी हुई है, उर्वरक के उत्पादन में कमी हुई है। कूड का उत्पादन घट रहा है, पेट्रोल का आयात बढ़ रहा है। 22 हजार करोड़ रुपये हम प्रति वर्ष पेट्रोल के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च कर रहे हैं। अब अगर पन बिजली के उत्पादन में कमी

है, क्रूड ऑयल का उत्पादन घट रहा है, उर्वरक का उत्पादन घट रहा है तो वित्त मंत्री किस सुनहले आर्थिक चित्र की रचना करना चाहते हैं, यह समझना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय, डंकल प्रस्तावों की देश में बड़ी चर्चा है। परस्पर विरोधी वक्तव्य दिए जा रहे हैं। खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री यहां नहीं हैं। वाणिज्य मंत्री तो संसद से ही विदा हो गए। उन्हें किस मुश्किल में डाल दिया गया ! सचमुच में वे मेरे पुराने साथी हैं, सहानुभूति होती है। क्या उन्हें कहीं से लाने का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता था ? मगर किसी को मंझधार में छोड़ना है तो छोड़ दो। अपनी एकाकी नैया पार लगनी चाहिए। लेकिन मैं डंकल प्रस्तावों की बात कर रहा था। जाखड़ साहब का बयान अलग है, पुराने वाणिज्य मन्त्री का बयान अलग है। दोनों परस्पर विरोधी वक्तव्य दे रहे हैं, प्रधान मन्त्री तो कुछ बोलते ही नहीं।

श्री मृत्युंजय नायक : इसके बाद बोलेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां, कल तो बोलना पड़ेगा। कल तो प्रधान मन्त्री को अपना मौन तोड़ना पड़ेगा। लेकिन यह नीति सम्बन्धी सवाल है। क्या आर्थिक सुधारों पर एक आम सहमति का विकास नहीं किया जा सकता था ? क्या इसके लिए प्रयत्न किया गया ? मैं नहीं समझता कि हमारी बायीं ओर बैठने वाले मित्र देश की आर्थिक प्रगति नहीं चाहते या आर्थिक संकट से देश को उबारना नहीं चाहते, लेकिन अगर परिकल्पनाओं में अन्तर है उस पर चर्चा हो सकती थी।

अध्यक्ष महोदय, हमने इस आशा से नई अर्थ नीति का स्वागत किया था कि उसमें अनावश्यक नियन्त्रण हटेंगे, देर लगाने वाली दीवारें ढहेंगी, पुरुषार्थ को खुलकर खेलने का मौका मिलेगा, हम बदले हुए विश्व की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। लेकिन हुआ क्या ? प्रतिभूति घोटाला ! शायद वित्त मंत्री को याद होगा, बजट पर बोलते हुए मैंने कहा था और चेतावनी दी थी। उस समय जब शेयरों के भाव उछल रहे थे तो सरकार, वित्त मन्त्रालय, वित्त मन्त्री, रिजर्व बैंक आत्म प्रशंसा में आत्मविभोर होकर गद्‌गदायमान मुद्रा में शेयरों की ऊंची छलांग को उनींदी आंखों से देख रहे थे। उसे आर्थिक सुधार की सफलता कहा जा रहा था। उस समय मैंने चेतावनी दी थी कि देश का पुरुषार्थ अगर पिंजरे से बाहर आ जाए, अगर टाईगर केज के बाहर आ जाए तो उसमें आपत्ति नहीं है लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि वह टाईगर कहीं मैन-ईटर में न बदल जाए और वही हो गया। वह मैन-ईटर एक के बाद एक शिकार करता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो 5 हजार करोड़ रुपये के प्रतिभूति प्रवंचन का मामला है, इस समय वह एक संसदीय समिति के पास है इसलिए मैं उसमें विस्तार में जाना नहीं चाहता, बल्कि मैं उस संसदीय समिति के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं, अभी तक वे अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन कर रहे हैं। पुरानी सरकारों के जमाने में, केवल संसद का अवमूल्यन नहीं हुआ बल्कि संसदीय समितियों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया था। मेरे मित्र शंकरानन्द जी यहां विराजमान हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी मौजूद है। प्रतिपक्ष उसमें शामिल नहीं हुआ, वह हमने गलती की, लेकिन मामले पर पूरी लीपा-पोती कर दी गई। अब बोफोर्स के मामले में जो रहस्योद्‌घाटन हो रहे हैं, उनके प्रकाश में उस संसदीय समिति की रिपोर्ट कहां ठहरती है।

वर्तमान संसदीय समिति से हम आशा करते हैं कि भले ही उसमें अलग-अलग दलों के सदस्य हों लेकिन संसदीय समिति की जो परम्पराएं हैं, उसमें सदस्य दलबन्दी से ऊपर उठकर काम करते हैं,

दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास करते हैं, मैं आशा करता हूं कि वह परम्परा अब भी कायम रहेगी और संसदीय समिति मामले की सतह तक नहीं, मामले की गहराई तक पहुंचेगी।

अध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास प्रस्ताव देश की आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित नहीं है। मैंने पहले भी आर्थिक स्थिति की चर्चा की थी। आज जो प्रश्न जनमानस को उद्वेलित कर रहा है, वह उच्च-पदस्थ लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला है।

दुनिया के अन्य देशों में आज क्या हो रहा है ? मुझे याद है, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक बार कहा था कि :

[अनुवाद]

"भ्रष्टाचार सभी जगह व्याप्त है।"

[हिन्दी]

शायद वे देश को बचाना चाहती थीं, बाहर के हमलों से, कि भारत में करप्शन ज्यादा है, उन्होंने कहा कि यहां भी है और सब जगह है। लेकिन आज उस ग्लोबल फिनौमिना के खिलाफ एक ग्लोबल चैलेंज दिया जा रहा है। जापान में, इटली में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, मैक्सिको में सार्वजनिक जीवन को शुद्ध करने का एक अभियान चल रहा है। इटली में दो उद्योगपतियों ने आत्महत्या कर ली। सैकड़ों जेल में बन्द हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में अनेकों कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं। जापान में 45 साल से राज करने वाली पार्टी चुनाव में हार गई। उस पार्टी ने जापान को युद्ध में पराजय के बाद फिर से खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निबाही थी। लेकिन वहां भ्रष्ट राजनेताओं, बेईमान उद्योग-पतियों और माफिया के सरगनाओं में अपवित्र गठबन्धन हो गया था। सालोंसाल देश को शोषित करने की प्रक्रिया चलती रही, आखिर में लोग खड़े हो गए और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में बगावत हो गई।

ब्रिटेन में एक मन्त्री को इस्तीफा देना पड़ा। फ्रांस और जर्मनी के उदाहरण भी हैं। यह कह कर काम नहीं चलेगा कि भ्रष्टाचार की बात मत करो या भ्रष्टाचार को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जा रहा है या उससे राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। स्कैम में कौन दोषी है ? और स्कैम के साथ जो जुड़े हुए मामले आ रहे हैं जिन पर शायद संसदीय समिति भी पूरी तरह से विचार नहीं कर सकेगी। ये ऊंचे पदों पर बैठे लोग आरोपों के घेरे में क्यों आ रहे हैं ? देश में यह वातावरण कैसे बन गया है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए और कितने भी बड़े व्यक्ति के खिलाफ कह दे, तो उसकी बात पर विश्वास करने वाले ज्यादा हो गए है। विश्वसनीयता पर यह आंच क्यों आई ? यह देश के लिए बड़े दुर्भाग्य का दिन है कि देश को यह नाजुक निर्णय करने की घड़ी देखनी पड़ रही है कि हमारे प्रधान मन्त्री सही बात कह रहे है या एक सट्टेबाज सही बात कह रहा है ? मैं कहना चाहता हूं कि मैं प्रधान मन्त्री पर विश्वास करता हूं, लेकिन केवल मेरा विश्वास पर्याप्त नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, लोगों का विचार क्या है, यह विश्वसनीयता इतनी कम कैसे हो गई ? लेकिन कम हो गई और इसका कारण यह है कि पिछले 2 साल में एक नहीं अनेक घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने लोगों के मन में अविश्वास का निर्माण किया है। आज में देश विश्वास का संकट है। यह विश्वास का संकट क्यों पैदा हुआ ? ये बातें कहते हुए मेरे हृदय में पीड़ा होती है, लेकिन आज इन बातों पर चुप नहीं रहा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है—30 साल पहले का वह जमाना जब 1956 में श्री जवाहर लाल नेहरू हमारे प्रधान मन्त्री थे। उन दिनों श्री केशवदेव मालवीय केन्द्र में खान और ईंधन के मन्त्री थे, उनका सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी से कुछ लेनदेन था। 1956 में सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी के घर और दफ्तर की तलाशी ली गई थी। आरोप था कि वह आयकर और सीमाशुल्क की चोरी कर रहे हैं, तलाशी में उनके यहां से जो कागजपत्र मिले उनमें कुछ केन्द्रीय मन्त्रियों को दिए गए धन का उल्लेख था। कलकत्ता के एक दैनिकपत्र ने 6 फरवरी, 1963 को यह समाचार प्रकाशित किया। संसद में सवाल हुए, प्रधान मन्त्री ने जांच का आश्वासन दिया। श्री मालवीय ने कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारिणी में यह स्वीकार किया कि उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के एक विधान सभा के उम्मीदवार को 10 हजार रुपये देने के लिए सिराजुद्दीन से सिफारिश की थी। प्रधान मन्त्री ने एटोरनी जनरल की राय ली, सुप्रीम कोर्ट के एक जज श्री दास को नियुक्त किया। मालवीय जी को शिकायत रही कि दास की रिपोर्ट मुझे दिखाई नहीं जा रही है, मुझे अपने वकील को लेकर जज के सामने नहीं जाने दिया जा रहा है, नेहरू जी ने कहा—इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने सन्तोष के लिए जांच करवा रहा हूं और रिपोर्ट आई, मालवीय जी को जाना पड़ा। यह 30 साल पहले की बात है। 10 हजार रुपये की रकम और मन्त्री जी का त्यागपत्र और अब 30 साल बाद, यहां तो करोड़ों-अरबों रुपयों का मामला है, त्यागपत्र कोई देता नहीं। प्रधानमन्त्री से कोई त्यागपत्र मांगता नहीं। यह काम हम कर रहे हैं। प्रधानमन्त्री अपने सहयोगियों से त्यागपत्र नहीं मांगते और प्रधामन्त्री से उनका दल त्यागपत्र नहीं मांगता। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है।

लेकिन हम कहां से कहां पहुंच गए हैं? अध्यक्ष महोदय, 10 हजार की रकम! मगर नेहरू जी ने समझौता नहीं किया। आज हम में से कितने हृदय पर हाथ रखकर यह कह सकते हैं कि राजनीतिक जीवन में अशुद्धता नहीं बढ़ रही है। राजनैतिक नेताओं का और अपराधियों का गठबंधन हो गया है। उस गठबंधन का पता लगाने के लिए श्री राजेश पायलट की अध्यक्षता में कोई समिति गठित हुई है, ऐसा समाचार छपा है। अभी तक जो गठबंधन साबित हुए हैं उनके आधार पर क्या कोई कार्यवाही की गई?

हर्षद मेहता ने आरोप लगा दिया। उस आरोप का खंडन करने में इतना समय क्यों लिया गया? अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि प्रधानमन्त्री उस समय कहां थे। अलग-अलग बयान दिए जा रहे हैं, अलग-अलग तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं। इससे सन्देह बढ़ा है। यह नहीं होना चाहिए था। दूसरे दिन यह बात दो टूक रूप में कही जानी चाहिए थी कि हर्षद मेहता प्रधानमन्त्री से नहीं मिला, रुपये लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह नहीं कहा गया। पहले चुप्पी धारण की गई। शायद सोचा गया कि मामला तूल नहीं पकड़ेगा। भ्रष्टाचार के मामले देश में तूल पकड़ जाते हैं, यह हमें समझना होगा। यह ठीक है कि भ्रष्टाचार व्यवस्था का अंग बन गया है, जीवन का एक ढर्रा कायम हो गया है। लेकिन इस देश में जब कभी परिवर्तन हुए हैं और दो बार परिवर्तन हो चुके हैं अब देश तीसरे परिवर्तन के लिए तैयार है, उसमें भ्रष्टाचार एक मुख्य मुद्दा रहा है। गुजरात में नवनिर्माण का आन्दोलन, सार्वजनिक जीवन को शुद्ध करने का जयप्रकाश का आह्वान परिवर्तन का कारण बना था। यह ठीक है कि वह परिवर्तन अल्पकालिक रहा। लेकिन लोग परिवर्तन चाहते हैं। 1989 में भी फिर बोफोर्स का मुद्दा मुख्य मुद्दा बना। आज फिर भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्रीय एजेंडे में सबसे शीर्ष स्थान पर आ गया है। आप कहेंगे इसका आम आदमी से क्या सम्बन्ध है। आम आदमी से संबंध है। आम आदमी की भावना से बड़ा गहरा सम्बन्ध है। उसे दिन-प्रतिदिन के काम में रिश्वत का सामना करना पड़ता है।

बिना पैसा दिए काम नहीं होता है। जहां राष्ट्रपति राज है उन प्रदेशों में आजकल थोक में तबादले किए जा रहे हैं और लोग धन कमा रहे हैं, ऐसी शिकायतें हैं। तबादला एक उद्योग बन गया है। उत्तरप्रदेश में रिश्वत को रिश्वत नहीं कहते, सुविधा शुल्क कहते हैं। और जब आदमी इससे पीड़ित होता है, यह ठीक है कि वह समझौता करता है, उसे काम निकालना हैं। झगड़ा करके काम भी खटाई में डाले, वह वह इतनी परेशानी मोल नहीं ले सकता। मगर चीज उसको चुभती है। वह दफ्तर में जाता है. वह थाने में जाता है, वह कचहरी में जाता है, वह अदालत में जाता है। यह सर्वग्रासी, सर्वव्यापी उसे छूता है। इसलिए जब ऊपर भ्रष्टाचार की चर्चा होती है या भांडा फोड़ा जाता है तो चाहे वह हल चलाने वाले किसान हों या मुरादाबाद में बर्तन बनाने वाले कारीगर या लखनऊ के मेरे चुनाव क्षेत्र में चिकन का काम करने वाली गरीब महिलाएं हों। वह जब सुनते हैं कि भ्रष्टाचार का भाण्डा फोड़ा जा रहा है और किसी राजनेता को कठघरे में खड़ा करने की तैयारी हो रही है तो उनके मुरझाए हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है। यह बात अलग है कि वह मुस्कान बार-बार आंसुओं में बदल जाती है।

क्या भ्रष्टाचार के सवाल पर गहराई से विचार नहीं होना चाहिए ? छोड़ दें हम हर्षद मेहता के मामले को। मैं यह कहना चाहूंगा कि हर्षद मेहता के आरोपों को बल नहीं मिलता, अगर प्रधानमंत्री के दो सहयोगी, पता नहीं वे किस तरह के सहयोगी हैं, वे सार्वजनिक रूप से यह मांग न करते कि हर्षद मेहता को राजनैतिक संरक्षण दे दिया जाना चाहिए। मैं नहीं जानता शरद पवार ने किन परिस्थितियों में यह मांग की, कहते हैं उन पर आरोप लगने वाला था, बचाव में यह मुद्रा अपनाई। श्री अर्जुन सिंह पेरिस गए थे और वहां से आते-आते वक्तव्य तैयार, संरक्षण प्रदान करो। अब अगर प्रधानमंत्री के सहयोगी कह रहे हैं कि उस सट्टेबाज को संरक्षण मिलना चाहिए तो आम आदमी क्या सोचेगा ? क्या उन मंत्रियों से प्रधानमंत्री ने पूछा ? कैसी पार्टी है, कैसा मंत्रिमंडल है ? यह परस्पर विरोधी बातें संदेहों को पुष्ट करती हैं। इससे पहले भी आरोप लगे और भ्रष्टाचार हुए। जोड़-तोड़ कर कायम किया गया बहुमत, यह देश के साथ न्याय नहीं कर सकता। सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव खरीदे जा रहे हैं। एक संसदीय समिति कहती है कि खरीदने की आवश्यकता नहीं है, भेल से काम चल सकता है, चितरंजन लोकोमोटिव से काम चल सकता है। संसदीय समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के सदस्य हैं और उसमें कांग्रेस का बहुमत है। रिपोर्ट सर्वसम्मत हैं और उसके उद्धरण मेरे पास हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनैन्स कमिश्नर ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। दो पुराने चेयरमैनों की बात नहीं सुनी गई। जो इंजन हमें नहीं चाहिए, उनका सौदा कर लिया गया। मैं नहीं जानता कि क्या इसमें हेरा-फेरी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन जब संसदीय समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट इस तरह से अस्वीकार कर दी जाती है तो आज के वातावरण में यह संदेह होना स्वाभाविक है कि इसमें कुछ गोल-माल हैं। वातावरण इतना कैसे बिगड़ गया ? आज राजनेताओं की विश्वसनीयता का हाल यह कैसे हुआ। मैं भी उसमें अपने आप को शामिल करता हूं। हम कहां पहुंच गए हैं, हम कहां जा रहे हैं ? इसके लिए तो हम राजनीति में नहीं आए !

आजादी के लिए जिन्होंने जीवन और जवानी जेलों में बितायी, वे आज कठघरे में खड़े हैं। यह दुर्दिन भी देखना था, मगर यह दुर्दिन आ गया है। इसलिए आज साहस के साथ फैसला करना होगा। आज दो टूक फैसला करना होगा। यह भ्रष्टाचार का अध्याय बन्द होना चाहिए और उसके लिए कई कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। मगर माफ कीजिए, यह सरकार नहीं उठाएगी।

कांग्रेस सरकार चुनाव पद्धति में सुधार करने के लिए कोई अर्थपूर्ण कदम नहीं उठा सकी। बरसों से चुनाव पद्धति में सुधार का प्रश्न लोगों के सामने है। 1977 में भी यह बात कही गई। क्या काले धन के बिना चुनाव लड़ा जा सकता है? काला धन कहां से आता है? हम सब जानते है कि वह कहां से आता है? जो हमें काला धन देकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार करते हैं, वे चुनाव के बाद उस काले धन के बदले में हम से अनुग्रह चाहते हैं। लोकतन्त्र कलंकित हो रहा है, आम आदमी की आस्था डिग रही है, नेताओं पर उंगलियां उठ रही हैं।

क्या हम चुनाव पद्धति बदल नहीं सकते, क्या इसको गम्भीरता से नहीं ले सकते? दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक सलैक्ट कमेटी का निर्माण हुआ था, कहां हैं उसकी सिफारिशें? सत्ता पक्ष की उसमें रुचि नहीं है। उसे ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करके चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। चुनाव का खर्चा बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं 1957 में पहली बार लोक सभा का चुनाव लड़ा था और मेरे पास दो जीपें थीं। एक मैं लखनऊ से ले गया था, पार्टी ने मुझे दी थी और एक बलरामपुर वालों ने पैसा इकट्ठा करके जीप मुझे नहीं दी थी, जीप में पैट्रोल डालकर चलाने भर के लिए प्रबन्ध किया था। अब दो जीपों से क्या कोई लोक सभा का चुनाव लड़ सकता है? कानून ने सीमा लगाई है, क्या वह मजाक नहीं है? क्या गलत हिसाब नही दिया जाता? क्या हम अपने संसदीय जीवन का आरम्भ उससे नहीं करते? क्या वह चीज खलती नहीं है? क्या वह हमारी आत्मा को कचोटती नहीं है? जब बड़ा भ्रष्टाचार का मामला हो जाएगा, तभी हम जागेंगे और थोड़ी देर जागने के बाद फिर सो जाएंगे? यह नासूर बन रहा है, इसको रोकना चाहिए। काले धन से लड़ा हुआ चुनाव धवल राजनीति का सृजन नहीं कर सकता। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर कांग्रेस के मित्र यह समझते हैं कि मैं ऐसी बात कह रहा हूं जिस पर टोका-टोकी जरूरी है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। (व्यवधान) हां, यही मैं कह रहा हूं। यह मैंने पहले ही कहा है। मैं भी इसी व्यवस्था का अंग हूं लेकिन हम सब मिलकर व्यवस्था को क्यों न बदलें। आखिर इस सरकार को दो साल हो गए, इस दिशा में तो कोई कदम नहीं उठाया गया है। एक के बाद एक आरोप लग रहे है। अभी मैं इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव्ज की चर्चा कर रहा था। कहीं गोल्ड स्टार है। कहीं न कहीं परिवार वाला जुड़ा हुआ है। यह मामला क्या है? बड़ी कठिन कसौटी है। इस पर आज नये ढंग से विचार करने की आवश्यकता है।

भारतीय जनता पार्टी ने बंगलौर के अधिवेशन में एक फैसला किया है कि हम चुनाव के लिए धन चैक के रूप में लेंगे (व्यवधान) अब मेरे मित्र इन्द्रजीत गुप्त कह रहे हैं, क्या पहले नहीं लेते थे। वह इसका उत्तर भी जानते हैं। इस प्रतिक्रिया की आशा मैं नहीं करता। यह सब के फैसले का विषय है, क्यों नहीं अब नया आरम्भ किया जा सकता। जब जागे तभी सवेरा। हम तय करें। पार्टी का खर्चा उम्मीदवार के खर्चे में नहीं जोड़ा जाता। पार्टी अनाप-शनाप खर्चा कर सकती है। यह धन कहां से आता है? यह सार्वजनिक जीवन को भ्रष्ट कर रहा है, राजनैतिक कार्यकर्ताओं को गलत रास्ते पर डाल रहा है, यह रोका जाना चाहिए। इसका आरम्भ हो सकता है। क्या सचमुच में आरम्भ करने की इच्छाशक्ति है? क्या हम कोई नया अध्याय जोड़ सकते हैं या राजनीति इसी तरह से सत्ता के पीछे जोड़-तोड़ से चलेगी?

इसको बदलने की आवश्यकता है। आज सार्वजनिक जीवन की शुद्धता का सवाल फिर से हमारे सामने बड़ी गम्भीरता के साथ खड़ा हुआ है। इसका कोई हल निकाला जाए, लेकिन हल कैसे निकले, कौन निकालेगा?

अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि देश में राजनीतिक स्थिरता जरूरी है। उस स्थिरता के लिए यह भी जरूरी है कि जो कुछ चल रहा है, चलने दो। स्थिरता जरूरी है, लेकिन आज देश ऐसे मोड़ पर खड़ा हो गया है, जहां स्थिरता को बिना आंच पहुंचाए, मूलगामी परिवर्तन हाथ में लिए जा सकते हैं। हमारी अर्थ व्यवस्था एक विकास के मार्ग पर खड़ी है, उसे अपने पैरों पर खड़े करने का एक साहसिक प्रयत्न होना चाहिए।

पंजाब में आतंकवाद खून की होली खेलता रहा, मगर पंजाब के बहादुर किसानों ने हल को नीचे नहीं रखा, परिश्रम करने में कोई कोताही नहीं की। राष्ट्रपति शासन रहा, फौजें बुलाई गईं, मगर पंजाब की जनता अपने-अपने काम में जुटी रही। आतंकवाद से भी लड़ती रही और देश के अन्न भण्डार को भी भरती रही। मुझसे कई विदेशियों ने पूछा, पंजाब आपके अन्न का भण्डार है, पंजाब में आतंकवाद चल रहा है और आप कानून भी पास नहीं कर पा रहे हैं, क्या होगा? हमने कहा, आतंकवाद में भी काबू आएगा और पंजाब का किसान हल भी नहीं रखेगा। हल के सामने बन्दूक को परास्त होना पड़ा।

एक माननीय सदस्य : समस्या किसने हल की! कांग्रेस ने।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इस सवाल की आशा करता था।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : पैदा किसने की?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर आप यह कह रहे हैं कि समस्या किसने हल की, तो हमारे खुराना जी ठीक कह रहे हैं कि समस्या किसने पैदा की।···(**व्यवधान**)·· पैदा करने के बाद वह ऋषि की मुद्रा में छोड़कर चले गए। इसमें हम न जाएं। पंजाब की जनता को बधाई देनी होगी। मैं पंजाब के सिक्खों को बधाई देना चाहता हूं, जो आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहे, डटे रहे। आप अगर यह कहें कि सरकार ने स्थिति सुधारी, तो काश्मीर में खुराना जी ठीक कह रहे हैं कि समस्या पैदा किसने की। ···(**व्यवधान**)··· वे कह रहे हैं कि हमको इसी तरह से भ्रष्टाचार करने दो, हम काश्मीर में भी स्थिति सुधार देंगे। अध्यक्ष महोदय, काश्मीर की जो स्थिति बिगड़ी है, उसमें भी सार्वजनिक जीवन की अशुद्धता का बड़ा हाथ है। जम्मू-काश्मीर के विकास के लिए 72 हजार करोड़ रुपए केन्द्र से गया है। गरीब की स्थिति नहीं सुधरी है। लोगों को बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हुई हैं। वह पैसा हजम कर लिया गया है। काश्मीर का जो नौजवान बिगड़ा है, उसमें यह भी एक कारण है। यह भ्रष्टाचार विघटन को जन्म देता है। यह भ्रष्टाचार सारे जीवन को अपवित्र करता है। यह भ्रष्टाचार आर्थिक नीतियों के रास्ते में भी रुकावट है। इसलिए नियन्त्रण, रैगुलेशन्स जितने कम हों, उतना अच्छा है। हमारे बायीं ओर के मित्र इस बात को समझें, अगर कोटा-परमिट राज चलेगा, तो आदमी का शोषण होगा। यह ठीक है कि विकासशील अर्थ व्यवस्था में राज्य का इस सम्बन्ध में हम सरकार की नीति से सहमत नहीं है। यह देश विकासशील है, यहां 30 परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। यहां ऐसी सरकार चाहिए जो उनकी चिन्ता करे। उनको सहानुभूति से देखे, जो उनके साथ संवेदना रखे। यह देश करुणा के लिए प्रसिद्ध रहा है। मगर आज करुणा की धारा सूख रही है। लेकिन वह एक अलग पहलू है, मैं उसमें विस्तार में जाना नहीं चाहता। कुछ लोग दुखी हैं इसलिए जब भ्रष्टाचार का मामला उठता है कि तत्काल खंडन होना चाहिए, दोषी को दण्ड दिया जाना चाहिए, यह नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास केन्द्र के एक राज्य मन्त्री इस सरकार में शामिल हैं। उनका इंटरव्यू दूरदर्शन के प्रोग्राम के लिए लिया गया। दूरदर्शन में एक प्रीतिश नन्दी शो होता है, उस शो के लिए राज्य मन्त्री महोदय का इंटरव्यू लिया गया। उसका केसेट है और यह उसकी अक्षरशः रिपोर्ट है। जस्टिस रामास्वामी के प्रकरण के बाद यह इंटरव्यू लिया गया। आप शायद इशारे से समझ गए होंगे कि वह राज्य मन्त्री कौन हैं। उनसे सवाल पूछा गया था।

[अनुवाद]

क्या आप नहीं समझते कि सर्वोच्च पद पर भ्रष्टाचार के मामले से आपके दल की स्थिति का नैतिक स्तर किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ है।

[हिन्दी]

लम्बा जवाब है, मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता। उसका एक अंश मैं उद्धृत कर रहा हूं। श्री भारद्वाज जी कह रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रतिभूति घोटाले के बारे में क्या हुआ? आपके कितने मन्त्री वहां हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से कई व्यक्तियों को जानता हूं जो कि कृष्णामूर्ति, चतुर्वेदी और हर्षद मेहता के इर्दगिर्द घूमा करते थे। उसके हर एक के साथ काफी अच्छे सम्बन्ध थे। सौभाग्यवश, मैं योजना मन्त्री था। अन्यथा वह मेरे घर भी आ गया होता। उसने राजनैतिक लोगों को काफी पैसा दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका सार दे सकते हैं। आप इसे उद्धृत नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं तो भारद्वाज जी को उनकी स्पष्टवादिता के लिए बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का अन्दर का स्वास्थ्य कैसा है इसका पता लगता है मन्त्रिमण्डल बंटा हुआ है, पार्टी विभाजित है, एक-दूसरे के विरुद्ध तलवार ताने हुए लोग, यह कैसे देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर देश को पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित किया जाना है तो प्रेरणादायक नेतृत्व चाहिए, निष्कलंक, निःस्वार्थ नेतृत्व चाहिए। प्रखर किन्तु उदार राष्ट्रवाद पर आधारित नीतियां, सबको साथ लेकर चलने की तैयारी, जो प्रारम्भ में प्रधानमन्त्री ने बताई थी। श्री राजीव गांधी के साथ भी यही ट्रेजडी थी, उनका बम्बई का भाषण अलग था और बाद में उनके द्वारा किए गए काम अलग थे। मैं नहीं जानता यह कौन-सा अभिशाप है, लेकिन मैं आपको भारद्वाज जी के पास फिर से वापस ले जाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं करते।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आवश्यक है। मैं इसको ऑथंटीकेट करके रखने को तैयार हूं।

[अनुवाद]

प्रश्न : आपके दल में ही ऐसे कई समूह हैं जिनको इस रूप में निहित स्वार्थ है कि शरद पवार के मामले के समान ही अर्जुन सिंह के मामले में भी निर्णय लिए जाएं ?

उत्तर : इस समय अर्जुन सिंह मेरे घोर शत्रु हैं। मैं उनके झगड़ों में शामिल नहीं हूं। उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। वह शिवशंकर, फोतेदार और भजनलाल के मित्र हैं। यह एक बहुत बड़ा ग्रुप है और ये काफी धनवान लोग हैं। उन्होंने यह देखा है कि मैं केवल राज्य मंत्री ही रहा और सबसे पहले वे मुझे इस धोखे में रखने में सफल रहे कि यदि वह यहां पर रहते हैं, तो वह इसकी अनुमति नहीं देंगे। मैंने उन्हें कभी भी सफल नहीं होने दिया। मैंने राजीव गांधी को बताया कि जब मैं उन्हें बचा रहा था तब भजनलाल आपकी माताजी को बुरा भला कह रहे थे और तब उन्होंने अपनी वफादारी, निष्ठा 1980 में अपने पूरे मंत्रिमण्डल सहित संजय गांधी के प्रति समर्पित कर दी थी। और तब इस वर्तमान प्रधानमन्त्री ने मुझे डांटा "आप क्या कह रहे है, आप ऐसा क्यों कहते हैं ? मैंने कहा कि हम नेता को धोखा दे रहे हैं। बूटा सिंह अकाली थे। शिवशंकर वस्तुतः मेरे शिष्य थे। मैंने दिल्ली में उन्हें शरण दी थी परन्तु ये सारे लोग जिनकी मैंने मदद की थी, आज मेरे शत्रु हैं क्योंकि उन्होंने इतना अधिक रुपया इकठ्ठा किया था जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते और मैं उनके इस पैसे में हिस्सेदार नहीं बना था"।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : निःसन्देह मैं अकाली था परन्तु इस दल ने कभी धन इकठ्ठा नहीं किया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, लोग क्या कहते हैं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : भारद्वाज जी का लाई डिटेक्टर से टैस्ट करवा दीजिए। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : राजनीतिक विरोधी क्या कहते हैं, बात कहीं तक सीमित नहीं है, बात इससे भी आगे बढ़ी हुई है। पानी नाक तक पहुंच गया है। हम एक बड़ी विषम परिस्थिति में, विषम चक्र में फंसे हुए हैं, इसमें से देश को निकालना बहुत जरूरी है। इसके बारे में विचार होना चाहिए। आने-जाने वाली सरकारें यदि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हैं, अगर नेता अपनी चिंता करे, केवल अपने परिवार की चिंता करे, तो इस देश का क्या होगा ?

मैं जानता हूं कि मैंने कुछ ऐसी बातें कही है, जो कठोर हैं। आमतौर पर मैं ऐसी बातें कहने का आदी नहीं हूं, लेकिन आज मेरे सब्र का प्याला भी लबालब भर गया है। 30 साल मैंने इस संसद में गुजारे हैं, मैंने एक के बाद दूसरे प्रधान मन्त्री देखे हैं, कभी मेरा दृष्टिकोण विघटनात्मक नहीं रहा, कभी मैंने विरोध के लिए विरोध नहीं किया, लेकिन आज मुझे सच बात कहनी पड़ रही है। अगर मेरी बातों से किसी को चोट लगी हो क्षमा चाहता हूं। लेकिन हम कोई ऐसा काम न करें कि आने वाली पीढ़ी हमें क्षमा न करे। इसकी चिन्ता करके हम चलें, यही मेरा अनुरोध है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या हम मध्याह्न भोजन के लिए जा सकते हैं ? धन्ययाद। हम सभा में 2.00 म० प० पर दोबारा आएंगे।

1.00 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.04 म० प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2.04 म० प० पर पुनः समवेत हुई।
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मन्त्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि हम श्री चिदम्बरम को बुलाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिदम्बरम क्या आप बोलना चाहते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : जैसा आप चाहें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें उनको भी सुनना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। चिदम्बरम जी आप बोलिए।

श्री पी० चिदम्बरम : धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री वाजपेयी के दखल देने के बाद इस प्रस्ताव के परिणाम के बारे में किसी के मन में कोई शंका नहीं है। हालांकि वे कुछ क्रोधित थे फिर भी उन्होंने मैत्रीपूर्ण ढंग से ठीक ही कहा जैसा कि मैं समझता हूं वास्तव में इस चर्चा का अपरिहार्य परिणाम है, अर्थात् इस सरकार में अविश्वास प्रस्ताव का गिर जाना। फिर भी जैसे-जैसे दिन ढलेगा और शायद कल भी कुछ ही लोग उठेंगे। हम प्रतिष्ठित सदस्यों का वाक्पटुता का स्तर उठाते हुए, इस सरकार के विरुद्ध अभियोग लगाते हुए तथा इसे कोसते हुए और यह कहते हुए सुन सकते है कि इस सरकार को जाना होगा।

इतने संक्षिप्त समय में, मैं तर्क देने की कोशिश करूंगा, मैं कुछ तथ्य प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा और मैं कुछ मूलभूत मुद्दों की बात करूंगा जो कि हमें न कि एक संसद सदस्य के नाते बल्कि इस देश के नागरिक होने से नाते परेशान करते हैं। प्रथमतया, बहुमत और विश्वास के बीच भेद को लें। पहले दिन से हम जानते हैं और यदि किसी समय हम भूल गए कि हमने ऐसा जोखिम अपने आप लिया है और मैं सोचता हूं, हमें यह याद रखना चाहिए। इस सभा में हमारी

सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है। यदि हम में किसी ने ऐसा प्रकट किया है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, तो हम सर्व सम्मत राय बनाने को तैयार नहीं हैं, मेरे विचार से हमें यह स्मरण रखना चाहिए। लेकिन बहुमत न होना इस सभा में विश्वास न रखने के बराबर नहीं है, यह लोगों में विश्वास न बनाए रखने के बराबर नहीं है। आज इस सभा में हम जो बोलते हैं, हम केवल एक-दूसरे से चर्चा नहीं करते हैं, हम देश में और विदेशों में बड़ी संख्या में लोगों से भी बातचीत करते हैं। यह देश कहां जाएगा और हमारे लक्ष्य क्या है तथा हमारी मंजिलें क्या हैं, इन सबके लिए दिशा प्रदान करने, नेतृत्व प्रदान करने के लिए भारत और विश्व के लोग भारत की संसद की ओर देखते हैं। इन्दिरा जी के पास कई महीनों तक अपनी सरकार के लिए बहुमत नहीं था।

फिर भी उनको इस सभा तथा लोगों का विश्वास प्राप्त था। पीछे देखते हुए मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हालांकि राजीव सरकार को इस सभा में भारी बहुमत हासिल था, लेकिन सरकार के कार्यकाल की समाप्ति की तरफ आते-आते हमने इस सभा तथा लोगों का विश्वास खो दिया लगता था और इसका आभास चुनावों में हुआ। उस तथ्य को स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। लेकिन आज मुझे विश्वास है कि हमें इस सभा का विश्वास प्राप्त है और इसका प्रदर्शन कल होगा। मुझे यह भी विश्वास है और मैं विनम्रता के साथ कहता हूं कि हमें इस देश के लोगों का विश्वास प्राप्त है और जब कभी भी चुनाव, जो कि मुझे विश्वास है कि इस सरकार की पांच वर्ष की पूर्व अवधि के बाद होंगे यह प्रदर्शित होगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मुझे पहले एक असाधारण गठजोड़ से निपटना है जो कि इस अविश्वास प्रस्ताव में पाई गई है। ऐसी पार्टियां हैं जो इस प्रस्ताव का समर्थन करती हैं, प्रस्ताव के मूल तत्वों तथा कारणों का समर्थन करती हैं। मुझे विश्वास है कि एक दल के अग्रणी प्रवक्ता ने कहा है कि वे प्रस्ताव के मूल तत्व का समर्थन करते हैं लेकिन प्रस्ताव लाने के कारणों का नहीं। तथा हमारी पार्टी प्रस्ताव के कारणों का ही नहीं बल्कि प्रस्ताव के मूल तत्व का भी विरोध करती है। अतः सभा न तो प्रस्ताव का समर्थन करने में और न ही इसका विरोध करने में एकमत है। सभा बंटी हुई है, यह दो पक्षों में नहीं बंटी हुई है, यह तीन पक्षों, शायद तीन से भी अधिक पक्षों में बंटी हुई है। एक प्रकार से यह लोगों की मनः स्थिति को दर्शाता है।

श्री नीतिश कुमार : सत्ताधारी पार्टी में मतभेद के बारे में क्या खयाल है ?

श्री पी० चिदम्बरम : एक प्रकार से यह लोगों की मनः स्थिति को प्रकट करता है। लोगों में आशा भी है और उनमें निराशा की भावना भी है। सन्तुष्टि की भावना है कि हमने प्रगति की है, निराशा की भावना भी है कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस बात की सन्तुष्टि है कि हमने पंजाब में आतंकवाद की समस्या पर काबू पा लिया लगता है, लेकिन इस बात की निराशा है कि कश्मीर की समस्या हाथ से निकलती हुई प्रतीत होती है। हम और आगे भी कह सकते हैं, मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन यदि यही लोगों की मनः स्थिति है, इसमें हैरानी नहीं है कि सभा में भी लोगों की मनः स्थिति दर्शायी जाती है, सभा भी विभक्त है, सभा एकमत नहीं है, सभा इस प्रस्ताव पर एकमत नहीं होगी और मुझे आशा है कि यह दूसरा कारण है जिसके कारण यह प्रस्ताव गिर जाएगा।

महोदय, मैं केवल थोड़े समय में एक कारण के विषय में की चर्चा करना चाहूंगा जो कि इस में किए प्रस्ताव जा रहे तर्कों का एक अनिवार्य आधार बिन्दु है—साम्प्रदायिकता से संघर्ष और यह आरोप कि कांग्रेस पार्टी तथा कांग्रेस सरकार फिरकापरस्ती के मामले में नरम रुख अपनाती है।

महोदय, मुझे विश्वास है कि हम सभी एक धर्मनिरपेक्ष और विविधतापूर्ण भारत का निर्माण करना चाहते हैं। वास्तव में जब भा० ज० पा० को कहना होता है तो यह भी कहती है कि वे धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते है। प्रश्न धर्मनिरपेक्षता के बारे में हमारी परिभाषाओं का है। हमारा यह कहने का क्या अभिप्राय है कि हम धर्म निरपेक्ष है? हमारा यह कहने का क्या अभिप्राय है "हम एक विविधतापूर्ण समाज का निर्माण करना चाहत है?" संविधान एक धर्मनिरपेक्ष भारत, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कहता है, प्रारम्भ में हमारे पूर्वजों ने चूंकि उस समय हमारे में से कुछ लोग बड़े हो रहे थे, हमें बताया था कि राज्य धर्म से अपने आपको दूर रखेगा, राज्य और धर्म अलग होंगे। लेकिन वर्षों से, मेरे विचार में हमने इस अवधारणा को मलिन कर दिया है। मेरे विचार से हमने बहुत अच्छे तरीके से सर्व धर्म सम्भाव सभी धर्मों के लिए आदर की बात करते हुए प्रारम्भ किया था। आज सभी धर्मों के लिए सम्मान सभी प्रकार के कट्टरवादिता के प्रति सम्मान में बदल गया है। धूर्त, ईश-मानव प्रतिदिन अपने पंख फैला रहे प्रतीत हो रहे हैं। इस कट्टरवादिता तथा कट्टरवादिता पर सवार होकर सत्ता में आने की इच्छा ने विभिन्न समुदायों के बीच साम्प्रदायिक विद्वेष रूपी खंजर को और पैना कर दिया है। भा० ज० पा० सोचती है, और मेरे विचार से वे इसे छिपाना नहीं चाहते। कि वे साम्प्रदायिक, कट्टरवादिता के सिद्धान्त पर चलकर सत्ता में आएंगे। वास्तव में हमेशा तीन वाजपेयी रहे हैं—एक कवि वाजपेयी, दार्शनिक वाजपेयी तथा राजनीतिज्ञ वाजपेयी। आज के वाजपेयी मुझे कवि और दार्शनिक नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने दूरदर्शन पर कहा "विवेक की बात कौन सुनेगा?" जब क्रोध में उन्होंने कहा "विवेक की बात कौन सुनेगा?", तो वे कांग्रेस कांग्रेसियों को सम्बोधित नहीं कर रहे थे, वे अपनी पार्टी को सम्बोधित कर रहे थे। आज कवि नदारद हैं, दार्शनिक नदारद हैं, हमारे सामने राजनीतिज्ञ हैं जो सरकार परिवर्तन के बारे में बोलता है, एक राजनीतिज्ञ सोचता है कि वे सत्ता के निकट हैं। मैं उनकी भलाई की कामना करता हूं, जैसाकि मैं हर किसी के लिए करता हूं। मुझे डर है, यदि हम जागे नहीं, यदि धर्मनिरपेक्ष एकजुट नहीं होती हैं, तो श्री वाजपेयी सही साबित हो सकते हैं। मुझे खेद है कि वाम मोर्चा और राष्ट्रीय मोर्चा, जो इस देश में बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता, कट्टर ताकतों के डर को हमारी तरह समझते हैं, इस प्रस्ताव का समर्थन करने में उनके साथ हाथ मिलाएंगे।

भा० ज० पा० सोचती है कि इस सरकार को हराना तथा सत्ता में आना उनका देश भक्तिपूर्ण कर्तव्य है। कांग्रेस सोचती है कि इस प्रस्ताव को गिराना तथा सत्ता में रहना उसका देशभक्तिपूर्ण कर्तव्य है। लेकिन वाम मोर्चा क्या सोचता है। राष्ट्रीय मोर्चा क्या सोचना है? क्या वे सोचते हैं कि कांग्रेस सरकार को हराना और भा० ज० पा० सरकार को बनाना उनका देशभक्तिपूर्ण कर्तव्य है?

श्री नीतीश कुमार : हम आप दोनों को हराना चाहते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : लेकिन एक कठोर सत्य जो मैं अपने मित्र को जिन्होंने इस सभा में हाजिर जबाव होने के लिए नाम कमाया है, यह बता दूं कि वे सत्ता में नहीं आयेंगे। कठोर सत्य यह है कि आप बार-बार विभक्त होंगे और आप बार-बार न्यूटन के भौतिक विज्ञान के नियम को सही साबित कर रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : हम सबसे पहले रा० स्वयं सेवक संघ के प्रधान मंत्री को हराना चाहते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : हमारे सभी राजनीतिक दल निश्चित तौर पर अवसरवादी हैं। यदि कोई अवसर आता है तो आप उस अवसर को हथियाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई लहर होती है तो आप इस लहर का फायदा उठाने की कोशिश करते है। लेकिन अवसरवादिता के इस खेल को खेलने का न तो यह समय है और न ही स्थान। मुझे बहुत खेद है कि वाम मोर्चा और राष्ट्रीय मोर्चा ने इस प्रस्ताव को लाने और इसका समर्थन करने में भा० ज० पा० के साथ हाथ मिला लिया है।

यहां कश्मीर का उल्लेख किया गया है। मैं इस बारे में अधिक नहीं जानता कि अब कश्मीर में क्या हो रहा है सिवाय मैंने समाचार पत्रों में जो पढ़ा है और जो हमें पार्टी बैठकों में बताया गया है। इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा मुझे यकीन है कि इसके लिए प्रभारी मंत्री बोलेंगे। मुझे पंजाब में अब से पांच या छः वर्ष पहले की बात करनी है। इसी सभा में, जब हमने कहा था कि हमारी पंजाब नीति सफल होगी, मेरा बार-बार मजाक उड़ाया गया था और मुझ पर हंसे थे। मैं उसके लिए सारा श्रेय नहीं लेना चाहता। अधिकांश श्रेय पंजाब के लोगों, विशेषकर किसानों, जिन्होंने उत्पादन बनाए रखा तथा श्रमिकों, जिन्होंने गम्भीर खतरे के दौरान फैक्ट्रीयों और मिलों को चालू रखा, को जाना चाहिए।

अधिक श्रेय श्री के० पी० एस० गिल तथा पंजाब पुलिस को जाना चाहिए, जिन्होंने एक बहुत-सी जानों की कीमत देकर आतंकवाद का सामना किया। जो कि किसी सिविल पुलिस बल के इतिहास में अतुलनीय है अधिकतर श्रेय श्री बेअन्त सिंह तथा उनकी सरकार को जाना चाहिए जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में चाहे कारण कुछ भी रहे हों, पंजाब में शांति लाने में दृढ़ निष्ठा दिखाई। लेकिन यह सब 1987 की बात है। विशेषकर यह 1988 में एक विशेष तिथि 4 अप्रैल, 1988 की बात है जब हमने एक पंजाब योजना बनाई थी। जब मैं इस सभा में आया था और मैंने कहा था, "हम सीमा पर तार लगा रहे हैं", हमारा मजाक उड़ाया गया था और हमें पूछा गया था, "आप एक सीमा पर तार कैसे लगा सकते हैं? क्या यह तार लगाना अपराजेय है? क्या यह एक बृहद दीवार है? क्या यह लोहे का पर्दा है? क्या यह ऐसी अपराजेय नाकेबंदी है कि इसमें कोई नहीं घुस सकता है? आज सीमा की नाकेबंदी ने पंजाब में घुसपैठ को समाप्त नहीं किया है, कम करने में मदद की है। हमने कहा था, "हम अर्द्ध सैनिक बलों को स्थायी रक्षा ड्यूटी से हटा लेंगे और पंजाब पुलिस को आतंकवादियों से लड़ने का अधिकार और कर्तव्य सौंपेंगे।" उसके लिए हमारी अलोचना की गई थी। हमें कहा गया था "सेना भेजिए।" हमने कहा था, "नहीं। हम सेना नहीं भेजेंगे।" हमें कहा गया था, "और अर्द्ध सैनिक बल भेजिए।" हमने कहा था, "नहीं। हम पंजाब पुलिस में अपना विश्वास रखेंगे।" मैं ऐसे और भी उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन सत्य यह है कि 4 अप्रैल 1988 को अंगीकार की गई पंजाब कार्यवाही योजना के नाम से जानी जाने वाली नीति का अनुसरण करने की दृढ़ इच्छा तथा हमारा यह विश्वास कि यह हमारा कार्य कर देगी, पंजाब पुलिस में हमारे विश्वास, पंजाब के लोगों में हमारे विश्वास के आज परिणाम सामने आए हैं।

मैं नहीं जानता कि कश्मीर के बारे में कोई योजना है। मेरा विश्वास है कि इसके लिए एक योजना है। यदि नहीं है तो मुझे विश्वास है कि इसके लिए एक योजना बनाई जाएगी, हम इसे बनाने

में एक साथ कार्य करेंगे। लेकिन यदि कश्मीर के लिए एक योजना बनाई जाती है। यदि हम कश्मीर के लोगों में अपना विश्वास रखते हैं, यदि अधिक स्वायत्तता के लिए कश्मीर के लोगों की भावनाओं का हम आदर करते हैं, तो मेरे विचार से कश्मीर समस्या हल की जा सकती है। कोई भी समस्या अनिराकरणीय नहीं है।

राजीव गांधी की सरकार के पांच वर्षों में कई समस्यों को हल कर दिया गया था। पंजाब के बारे में एक समझौता हुआ था, त्रिपुरा पर समझौता हुआ था, मिजोरम के बारे में समझौता हुआ था, दार्जिलिंग क्षेत्र और असम में एक समझौता हुआ था, और मुझे विश्वास है कि कश्मीर की समस्या को हल करना सम्भव है। समस्या को आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाकर हल नहीं किया जा सकेगा। समस्या को सरकार की कार्यवाही न करने के लिए कोई हल नहीं किया जा सकेगा। समस्या का हल तभी हो सकता है जब विपक्ष सरकार के साथ बातचीत करने और कश्मीर के लिए एक योजना तैयार करने को राजी हो जैसा कि हमने पंजाब के लिए किया था। मुझे विश्वास है, अब से पांच वर्ष बाद अगली लोक सभा कहेगी, कोई यहां पर खड़ा होगा और कहेगा। "पांच वर्ष पहले, हमने पंजाब की तरह कश्मीर के लिए एक योजना शुरू की थी, पंजाब की तरह कश्मीर में शांति बहाल हुई है।

महोदय, मैं आर्थिक सुधारों की बात करना चाहता हूं। (व्यवधान) आर्थिक सुधार विश्वास का मामला है। विश्वास या तो तर्क के औचित्य आधार पर या अन्तर्बोध की अदृश्य चट्टान पर बनाया जाता है। भा० ज० पा० के मामले में मुझे आशंका है कि बाद वाली बात सही है। मेरे विचार में सहज-ज्ञान से, अन्तर्ज्ञान से वे उदारतावाद से धर्म परिवर्तित हुए हैं, मैं नहीं मानता, और पिछली बार मैंने यह कहा था, और मैं यह अपने मित्र श्री जसवन्त सिंह से कहता हूं। मैं नहीं मानता कि अब भी आपके पास कोई संगत आर्थिक दर्शन शास्त्र है। मैंने श्री जय दुबाणी के साथ कई दिन बिताए और मैंने उन्हें बताया, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने सहजता से उदारतावाद शब्द को छीन लिया है। जब वे सी० आई० आई० के पास गए और अपने आपको भावी सरकार के रूप में प्रस्तुत किया और मेरे विचार से उन्होंने वहां पर बहुत सी बातें कहीं जो वे यहां पर नहीं कहेंगे। हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

वाम मोर्चा के मामले में साम्यवादी पार्टियों के मेरे मित्रों के मामले में मुझे एक मौलिक अन्तर दिखाई देता है। तर्क के जिस न्यायबद्ध आधार पर वह विचारधारा आधारित है वह अन्तर्बोध के तर्क से वास्तव में भिन्न है जिस पर उदारवादिता और बाजारु मैत्रीपूर्ण आर्थिक विचारधारा बनाई गई है, मेरे विचार से, हमें इसको समझना चाहिए। इस बात पर झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप मेरी विचारधारा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

वास्तव में मैं वाम-मोर्चा के अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं, क्या विश्व में कोई ऐसा देश है जिसमें वो सब कहा जाता है जो भारत में आज भारतीय साम्यवादी पार्टी और भारतीय साम्यवादी पार्टी (मा०) कहती है? हम संयुक्त राज्य अमरीका को पसन्द नहीं करते हैं। इसलिए उसे दूर रखो। हम संयुक्त राज्य अमरीका की बात नहीं सुनेंगे। हम विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इस कारण से कि उनका मुख्यालय वाशिंगटन में है। हम उसको भी बाहर कर देंगे। लेकिन क्या आप जापान की बात सुनोगे? वह भारत को सबसे ज्यादा सहायता देने वाला देश है। अमरीका भारत को अधिक सहायता देने वाला देश नहीं है। जापान भारत को सबसे ज्यादा सहायता देने वाला देश है। क्या आप जापानियों की बात सुनना चाहेंगे। क्या आप यूरोप की बात सुनेंगे।

भारत के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला देश अब अमरीका नहीं है। भारत के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला यूरोपीय समुदाय है। क्या हम बेलजियम की बात सुनेंगे ? क्या हम स्वीटजरलैण्ड की बात सुनेंगे ? क्या हम यूरोप में अपने मित्रों की बात सुनेंगे ? भारत का अधिकांश व्यापार अमरीका से नहीं होता है। भारत का सबसे अधिक व्यापार एशियाई और सुदूर पूर्व देशों के साथ होता है। क्या हम मलेशिया की बात सुनेंगे ? क्या हम इंडोनेशिया की बात सुनेंगे ? क्या हम फिलिपस के लोगों की बात मानें।

विश्व बैंक में हमारी रुचि हमें पसन्द नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमें पसन्द नहीं, तो क्या हम एशिया विकास बैंक हमारे अपने बैंक की बात सुनेंगे ? क्या हम अनक्टाड की बात मानेंगे ? क्या हम अरकैंप को सुनेंगे ? हम किसकी बात मानें। आप डा० मनमोहन सिंह की बात नहीं मानेंगे। क्या आप डा० जगदीश भागवती की बात मानेंगे ? क्या आप प्रोफेसर टी० एन० श्री निवासन की बात मानेंगे। क्या आप श्री प्रहलाद की बात सुनेंगे ? आप किसकी बात मानेंगे ? हम ऐसा क्यों माने कि सारा विश्व हमारा विरोधी है ? हमें यह क्यों मानना चाहिए कि भारतीयों और विश्व बैंक में अन्य में लेशमात्र भी विवेक नहीं है और सम्पूर्ण विवेक हम में ही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अविश्वास प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करता है।

श्री पी० चिदम्बरम : विश्व में लोगों के भारत के प्रति संबंध मैत्रीपूर्ण हैं और हमें आर्थिक रूप से स्थान बनाने की आवश्यकता है। हमें पूंजी चाहिए। हमें प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। हमें अपने उत्पादों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार चाहिए। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें भारतीय अपने को विश्व अर्थव्यवस्था से अलग रख सके। (**व्यवधान**)

अतः जब प्रधान मंत्री नरसिंहराव की सरकार और डा० मनमोहन सिंह ने उदारीकरण प्रक्रिया शुरू की तो बहुत सी बातें सामने आईं जैसे नियंत्रणों और लाइसेंसों को समाप्त किया जाना। मुझे विश्वास है कि कोई भी गम्भीरता से नियंत्रणों को हटाने और लाइसेंस रद्द करने का विरोध नहीं करता। पिछले 40 वर्षों से अधिक से लाइसेंस प्रणाली और नियंत्रणों ने केवल मालिकों को ही प्रोत्साहन दिया है। जिन लोगों ने लाइसेंस और नियंत्रण का अनुचित प्रयोग किया। वह मालिक थे। मुझे विश्वास है कि आप और हम ऐसी प्रणाली चाहते हैं जो परिश्रम की कदर करेगी, नौकरी के अवसर जुटाएगी और जिससे आय में वृद्धि होगी और जिससे लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊपर उठेगा।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : जैसा कि प्रधान मंत्री ने आपको अवसर प्रदान किया है। (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : यदि हम यह मानें तो हम इस मार्ग पर हम 40 वर्ष तक चलते रहें। मैं यह नहीं कहता कि वह रास्ता गलत था। यह मेरा कर्त्तव्य नहीं कि मैं अपने पूर्वजों द्वारा किए गए काम के बारे में पूर्वानुमान लगाता रहूं इस रास्ते पर चलने से हमें अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। हम एक दृढ़ राष्ट्र बन गए हैं--हम कई क्षेत्रों में आत्म-निर्भर बन गए हैं। हम जहाज से लेकर उपग्रह तक कोई भी चीज बना सकते हैं। हम परमाणु बम परीक्षण कर सकते हैं। हम प्रौद्योगिकी के अनेक क्षेत्रों में विश्व के अत्यंत प्रगतिशील राष्ट्रों में से एक हैं। फिर भी हमें इस व्यवस्था से अनेक निराशाएं भी हुई है। देश की अत्यधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रहती है। अत्यधिक संख्या में लोग अनपढ़ हैं। अधिकांश लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। 80 के दशक में यह स्पष्ट हो गया है कि

60 और 70 के दशक में विकास दर बहुत कम थी। हमें इस विकास दर को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि हमें आर्थिक विकास के लाभ भारत की जनता तक पहुंचाने हैं तो भारत में विकास दर को बढ़ाना होगा।

प्रश्न यह है कि भारत में विकास दर को बढ़ाया कैसे जाए। चीन में विकास की दर 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष है और इस वर्ष वहां विकास की दर 14 प्रतिशत है। चीन अत्यधिक मात्रा में पूंजी प्राप्त कर रहा है। हमने अपने आपको गौरवान्वित महसूस किया जब अनक्टाड की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने 1992 में एक बिलियन डालर विदेशी मुद्रा प्राप्त की है। पिछले वर्ष की तुलना में हमें दुगुनी राशि प्राप्त हुई और इसके लिए हमें बधाई दी गई। परन्तु चीन में इसी अवधि के दौरान 15 बिलियन डालर धनराशि प्राप्त की। भारत में विकास दर को बढ़ाने के लिए हमें पूंजी और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। आज यह कड़वा सच है कि पूंजी और प्रौद्योगिकी दोनों एक ही हाथ में हैं। आपको पूंजी प्राप्त नहीं हो सकती यदि आप प्रौद्योगिकी को स्वीकार नहीं करते और आपको प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं हो सकती थी यदि आप पूंजी स्वीकार करना नहीं चाहते। हमें अपने माल को बाहर भेजने के लिए आर्थिक बाजार बनाने की आवश्यकता है। हमारा माल और सेवाएं अवश्य ही विश्व बाजार तक पहुंचने चाहिए हमारे किसान और उत्पादकों को अवश्य ही विश्व मूल्य प्राप्त हों। और यह हम केवल अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोन्नत करके ही कर सकते हैं। भारत की विशाल अन्तरशक्ति का प्रयोग करके हम विश्व में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से छठा या सातवां स्थान प्राप्त कर सकते हैं और यह संभव है। दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं एक तो विश्व स्तर का बाजार है और दूसरा बाजार वह है जो विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए एक घर है। संयुक्त राज्य अमरीका विश्व स्तर का बाजार है। जापान, जर्मनी, और यूरोपीय देश एक दृष्टि से विश्व स्तर के बाजार हैं। विश्व में केवल पांच ऐसे देश है जिनमें विश्व स्तर बाजार बनाने की सम्भावना है। इनमें चीन, भारत, मैक्सिको, ब्राजील और इंडोनेशिया हैं ऐसा इन देशों की अपनी जनसंख्या के कारण संभव है। ऐसे अनेक देश हैं जो छोटे हैं और विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धा के घर हैं। इनमें स्विटजरलैंड, फिनलैंड और बैल्जियम आते हैं। यह छोटे देश हैं जो विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। आज इन देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है और वह अनेक क्षेत्रों में आगे हैं। हमारे पास क्षमता है और हम इस क्षेत्र में चीन के साथ दौड़ में शामिल हैं। हममें न केवल विश्व-स्तरीय बाजार बनाने की क्षमता है, अपितु विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए घर बनाने की क्षमता है चीन हमसे कम से कम 6-7 वर्ष आगे है। क्या हमें चीन से मुकाबला करने की इच्छा नहीं है? क्या हमें इंडोनेशिया, मैक्सिको से मुकाबला करने की इच्छा नहीं है और ऐसा केवल भारतीय अर्थव्यवस्था बाजार को मैत्रीपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किया जा सकता है।

मैं उदारीकरण में विश्वास रखता हूं। लेकिन मैं पूर्णतः हस्तक्षेप रहित बाजार के सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखता क्योंकि बाजार एक सम्पूर्ण तंत्र नहीं है। यह अत्यधिक गरीब की पहुंच के बाहर है। श्री मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए उत्तरों को ध्यान से पढ़िए वह कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं, वह प्रेस से बात कर रहे हैं। उनके उत्तर उनके अनुभव के आधार पर हैं, अन्य विश्व अर्थ व्यवस्थाओं के अनुभवों के आधार पर हैं। उपनिवेश के प्रश्न पर विचार करें। मैं अन्धाधुन्ध उपनिवेश का समर्थन नहीं करता। मैं प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के निजीकरण का समर्थन नहीं करता लेकिन जहां कोई सरकारी क्षेत्र का उपक्रम प्रतिस्पर्धा बाजार में आता है तो मैं विश्वास करता हूं कि तो उसका निजीकरण किया जाना चाहिए। लेकिन हमें कुछ उपक्रमों को रखने की आवश्यकता है जहां हम समझते

हैं और सोचते हैं कि निजीकरण के बिना हम उन्हें कार्यक्षम बना सकते हैं। हमने एस० टी० सी० और एम० एम० टी० सी० के मामले में क्या किया है ? हमने कहा एस० टी० सी० और एम० एम० टी० सी० प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए और आज इसका क्या परिणाम हुआ ? एम० एम० टी० सी० को 1992-93 में 1991-92 की तुलना में अधिक लाभ हुआ जबकि कुल बिक्री 7000 करोड़ रुपये से घटकर 3000 करोड़ रुपये का हुआ लेकिन लाभ 81 करोड़ रु० से बढ़कर 86 करोड़ रु० हो गया। ऐसा एम० एम० टी० सी० को प्रतिस्पर्धा में लाने से हुआ। इस संबंध में कई विकल्प हैं, निजीकरण कुछ उद्योगों के लिए एक विकल्प हो सकता है। अन्धाधुन्ध निजीकरण के लिए कोई नहीं कह रहा है। हम कह रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाए। संसाधनों को सरकारी क्षेत्र में निवेश किया जाए जिससे अधिक उत्पादन हो, प्रतिफल प्राप्त हो लाभ हो, सरकारी क्षेत्रों को कार्यक्षम बनाया जाए। और यदि सही उदारीकरण है और यदि यही आपकी अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रहा है, तो मैं नहीं जानता कि इसमें क्या बुराई है मेरे मित्र गुलाम यहां नहीं है। आज इंडियन एयर लाइन्स की दिल्ली मुम्बई और दिल्ली मद्रास क्षेत्र पर काफी प्रतिस्पर्धा है लेकिन दिल्ली, अहमदाबाद क्षेत्र में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों ? मैं समझता हूं कि आपको स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रत्येक मामला और प्रत्येक समस्या निपटाई जा सकती है।

हमने क्या करना शुरू किया ? हमने जून 1990-91 में क्या शुरू किया, एक कहानी जो बार-बार दोहराई जा रही है, वह है बहुत अधिक स्थायीकरण का लाना क्या हमें इसमें सफलता मिली है या नहीं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप सफल हुए हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम : मैं समझता हूं हमें सफलता मिली है, सोमनाथ दा ! और मैं समझता हूं विश्व में प्रत्येक जिसने भारत की तरफ पूर्व प्रेम और मैत्री भाव से देखा है और जो चाहता है कि भारत प्रगति करे, यह जानता है कि हम बृहत आर्थिक स्थिरता लाए हैं भुगतान शेष की समस्या काफी हद तक सुलझ गई है। यह नियंत्रण में है। मुद्रास्फीति 17 प्रतिशत से गिरकर 5-4 प्रतिशत हो गई है वित्तीय घाटा नियंत्रण में है। भारत आज ऐसा देश है जहां विदेशी पूंजी का निवेश करने के इच्छुक हैं।

अब, यहां कुछ छोटी-छोटी आर्थिय कमियां हैं और मैं सरकार का आलोचक हूं कि वह इन लघु आर्थिक अक्षमताओं और सूक्ष्म-आर्थिक कमियों को समाधान नहीं कर रही है। इस सुधार प्रक्रिया से अनेक मंत्रालय और विभाग भी शामिल है उदारीकरण वित्त मंत्रालय में शुरू होकर वाणिज्य मंत्रालय तक समाप्त नहीं हो जाता यह उदारीकरण वित्त मंत्रालय और व्यापार नीति और औद्योगिक नीति तक सीमित नहीं है। अनेक कार्य हैं जिन्हें किया जाना है। इन्हें नीचे राज्य सरकारों और राज्य सरकारों के नीचे राज्य के अनेक छोटे निकायों तक जाना है। आज कार्य सूची का अम्बार लग रहा है हमारे पास नरसिंहम समिति की रिपोर्ट है राजा चिलिम्मा समिति रिपोर्ट तथा रंगराजन समिति रिपोर्ट है और शीघ्र ही बीमे संबंधी मल्होत्रा समिति रिपोर्ट भी हमारे पास होगी। इन सभी रिपोर्टों पर कार्यवाही की जानी है। हमें इन पर निश्चय से शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही करनी चाहिए। हमें अपनी आधारभूत समस्याओं की ओर ध्यान देना है। अपने विद्युत बोर्डों और पत्तनों की आधारभूत समस्याओं की ओर ध्यान देना है। मैं हमेशा जगदीश जी से कहता हूं कि हमें अपनी पत्तनों और सड़कों की समस्याओं को दूर करना चाहिए हमें जहाजरानी,

परिवहन, विद्युत, इस्पात और गैस इत्यादि क्षेत्रों की ओर ध्यान देना चाहिए। जब हम इस समायोजन के दूसरे वर्ष में है तो आप कोई फैसला कैसे दे सकते हैं। यह प्रयोग 1991 में शुरू किया गया। इसमें जुलाई में गति आई। हमने भुगतान शेष समस्या का साधन किया है। हमें यह सब जानते है 1992-93 समायोजन का प्रथम वर्ष था। 1992-93 में विकास दर 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 4 प्रतिशत हो गई और समायोजन के दूसरे पूर्व वर्ष के शुरू में आप उदारीकरण कार्यक्रम पर फैसला सुनाने को तैयार हैं। मैं सभा के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि यह केवल अनुचित ही नहीं अन्याय भी है। कार्यक्रम जारी रहना चाहिए। वृहत आर्थिक स्थिरीकरण और सूक्ष्म आर्थिक सुधार कार्यक्रम पूरे दूसरे, तीसरे, चौथे और अन्ततः पूर्ण पांचवें वर्ष तक जारी रहना चाहिए। इसके परिणाम तभी प्राप्त होंगे यदि हम दृढ़ निश्चय से द्रुत गति से अपने इसाचुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते रहे है।

महोदय, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे कोई नाखुश हो सकता है। वास्तव में, कोई भी नाखुश हो सकता है। जब वह यह पाता है कि कार्यसूची का ढेर लग रहा है और परिवर्तन और उदारीकरण धीमी रफ्तार से चल ही रही है।

लेकिन ऐसा क्यों हुआ ? वाजपेयी जी ने निर्यात के बारे में उल्लेख किया है। मुझे खुशी है कि वाजपेयी जी आप ने इसका उल्लेख किया है। वर्ष 1991-92 में औसत 1.9 प्रतिशत की दर रही। मैं यह उदाहरण केवल विषय को समझाने के लिए दे रहा हूं कि हमें दृढ़ रहना चाहिए और कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। यही आप हमसे चाहते थे। वर्ष 1992-93 में जी० सी० ए० देशों के लिए निर्यात डालर में प्रतिमाह बढ़ा है। नवम्बर, 1992 में यह 12 प्रतिशत था और डालर की दृष्टि से यह 13.38 प्रतिशत तक पहुंचा। हम 15 प्रतिशत वृद्धि दर पर पहुंच जाते जो कि पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित की गई थी। लेकिन 6 दिसम्बर को एक गंभीर संकट पैदा हुआ। बाद में 6 जनवरी और 12 मार्च को पुनः हमें संकटकालीन स्थितियों का सामना करना पड़ा और नवम्बर 1992 में निर्यात की दर 13.38 प्रतिशत से गिरकर पहले 11.5 प्रतिशत फिर 11.4 प्रतिशत हो गई तथा फरवरी में 10.86 प्रतिशत पर स्थिर होने से पहले यह 10.5 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। इस वर्ष के पहले दो महीनों में अर्थात् अप्रैल और मई में निर्यात में 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। मुझे यह विश्वास नहीं है कि यह वृद्धि दर पूरे वर्ष 30 प्रतिशत रहेगी लेकिन यदि हालात खराब नहीं होते कोई मानव निर्मित संकट पैदा नहीं होते, तो वर्ष के अन्त तक यह वृद्धि दर 15 प्रतिशत हो जाएगी।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडे (विजयवाड़ा) : यह केवल आपकी एक शुभ इच्छा है।

श्री पी० चिदम्बरम : यह केवल शुभ इच्छा नहीं है। कृषि क्षेत्र जिसमें आपकी रुचि है, इस वर्ष निर्यात में 3000 करोड़ रु० तक का योगदान देगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आप कृषि के लिए क्या कर रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : इसका उत्तर मनमोहन जी देंगे कि हम कृषि के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि कृषि जिसमें आपकी रुचि है, में इस वर्ष 3000 करोड़ रु० का निर्यात होगा। कृषि के लिए एक वर्ष में 30,000 करोड़ रु० का निर्यात संभव है। इससे हमारे किसानों को अपने श्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। इससे हमारे किसानों को विश्व मूल्य मिलेगा। इससे हमारे किसानों का अपने उत्पादन को विश्व बाजार में रखने का अवसर मिलेगा। इसका अर्थ है कि किसानों को अब मानसून की दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : यह सब अच्छी तरह जानते हुए कि कृषि में इतनी क्षमता है, कृषि के क्षेत्र में क्या उदारीकरण किया गया है ?

श्री पी० चिदम्बरम : इसका उत्तर मैं दूंगा । हमने कृषि के क्षेत्र में क्या किया है । हमने कृषि के लिए आयात पर सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं ।

अब हम कृषि निर्यात पर मात्रा संबंधी प्रतिबंध हटाना चाहते हैं । जब यह दोनों बातें हो जाती हैं, जिनकी प्रो० भगवती और श्रीनिवासन ने सिफारिश की है कि यदि आप कृषि निर्यात पर सभी प्रकार के मात्रा संबंधी प्रतिबंध हटाते हैं तो आपको भारतीय कृषि की पूरी सामान्यता दिखेगी । अनेक कारणों से हम आज इस काम को नहीं कर सकते हैं, परन्तु मात्रा संबंधी अनेक प्रतिबन्ध हटा दिये गए हैं, अनेक प्रतिबंध हटा दिये गए हैं । यदि आप बंगलौर, कोचीन, अथवा पश्चिम तट पर जाएं तो आप कृषि, पुष्प उत्पादन, रेशमकीट पालन आदि के मामले में काफी उत्साह पाएंगे । कृषि तथा कृषि संबंधित गतिविधियों का पूरा क्षेत्र फल-फूल रहा है । बात यह है कि हम गेहूं, चावल, चीनी, कपास, अंगूर, मछली, फूल, आदि निर्यात कर सकते हैं । व्यवहारिक तौर पर हम वे सभी चीजें निर्यात कर सकते हैं कि जिसका हमारे देश में उत्पादन होता है बशर्ते आप इस देश में कृत्रिम आपदा पैदा न करें । (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : शायद एक अन्य शर्त यह होगी कि आप गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी नहीं करें अन्यथा वे सभी बातों का लाभ उठाएंगे ।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं उस मुद्दे पर भी बात करने जा रहा हूं । मैं श्री निर्मल चटर्जी का काफी कृतज्ञ हूं ।

महोदय, जैसाकि मैंने कहा बाजार एक पूर्ण तंत्र नहीं है । वास्तव में बाजार गरीब के लिए निर्दयी और कठोर है । मैं मानता हूं कि 1991-92 में बजट में समग्र रूप से तथा आबंटन में इस बात का संकेत मिला है कि हम लोग सामाजिक कल्याण गतिविधियों, गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों तथा प्रत्यक्ष लाभार्थी कार्यक्रमों, जिससे गरीब को मदद मिलती, को वापस ले रहे हैं, परन्तु ऐसा नहीं है कि पार्टी के अन्तर्गत इस बात पर चर्चा नहीं हुई थी, इस बात पर चर्चा हुई थी, परन्तु किन्हीं कारणोंवश वित्त मंत्री ने, जिन्होंने अनेक बार इस बात को स्पष्ट किया, 1991-92 के लिए आबंटन देने में अपनी असमर्थता प्रकट की । परन्तु 1992-93 और 1993-94 के बजट को देखिए । क्या हमने उस प्रत्येक क्षेत्र के लिए आबंटन में अत्यधिक वृद्धि नहीं की है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ? मैं श्री निर्मल चटर्जी तथा कांग्रेस के सभी मित्रों के साथ हूं कि वह वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री से कहें कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के आवंटन में वृद्धि करें । परन्तु राज्य इसे किस प्रकार करेंगे ? राज्य इस कार्य को तभी कर सकेंगे यदि हम उन कार्यक्षेत्रों से हट जाएं जहां हमारे संसाधन नष्ट हो गए हैं तथा कार्यकुशलता नहीं रह गई है । राज्य को इन क्षेत्रों से हटना होगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपका मतलब है कि सरकारी क्षेत्रों से ।

श्री पी० चिदम्बरम : यदि सरकारी क्षेत्र कार्यकुशल है तो हमें इसे बनाए रखना होगा और यदि सरकारी क्षेत्र अक्षम है तो श्री निर्मल चटर्जी आप मेरी बात का समर्थन करेंगे कि सरकारी क्षेत्र को अपना जवाबदेह बनाया जाए ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : माफ करना, आपने एक अजीब तर्क दिया है कि यदि प्रतिस्पर्धा है तो सरकारी क्षेत्र को गैर-सरकारी क्षेत्र में बदल दिया जाना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए ?

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपने ऐसा ही कहा।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या कहा। जो बात मैंने कही, मैं उसे दोहराऊंगा।

मैंने कहा कि प्रतिस्पर्धी बाजार क्षेत्र में जहां प्रतिस्पर्धा है, जहां सरकारी क्षेत्र को कोई अलग अथवा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभानी हो तो वहां सरकारी क्षेत्र के होने का ऐसा कोई कारण नहीं है। क्या आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग टैक्सी कैब चला रहा है ? हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग को टैक्सी कैब क्यों चलाना चाहिए ? अनेक पर्यटन विभाग होटल क्यों चलाते हैं और इनमें से प्रत्येक होटल घाटे में चल रहा है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कल आप कहेंगे कि सरकारी क्षेत्र ने एकाधिकार बनाया है अतः इसे समाप्त किया जाना चाहिए। आप दोनों काम कर सकते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में कहा गया है कि जहां निजी तथा संयुक्त क्षेत्र ने ऐसी क्षमताएं विकसित कर ली हैं वहां सरकारी क्षेत्र को हट जाना चाहिए। उस चुनाव घोषणा-पत्र पर हमने चुनाव लड़ा।

महोदय, मेरे तथा मेरे मित्र के बीच विचारों में अन्तर का मुद्दा यह है कि जिस न्यायिक कारणों पर उनका विश्वास आधारित है वो अलग है। हम दिन के समाप्त होने तक इस पर वाद-विवाद कर सकते हैं, मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या उनके दर्शन और उनके सिद्धान्त का विश्व में आज कोई अनुयायी है।

महोदय, मेरी जानकारी है कि कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम एक गैर-सरकारी क्षेत्र के घराने द्वारा चलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे पीयरलेस से ऋण पर लिया है। मुझे लगता है कि श्री ज्योति बसु ने 'इसको' के गैर-सरकारीकरण का समर्थन किया है। प्रत्येक व्यक्ति ठीक है।

मैंने कहा कि मुझे विश्वास है कि श्री ज्योति बसु और पश्चिम बंगाल की सरकार 'इसको' के गैर-सरकारीकरण का समर्थन करती है। यदि मैं गलत हूं तो श्री संतोषमोहन देव ठीक करेंगे।

मुझे विश्वास है कि कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम एक गैर-सरकारी क्षेत्र घराने द्वारा चलाया जाता है। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पीयरलेस से ऋण पर लिया है। वे सभी ठीक हैं। जब हम कहीं इन यूनिटों में से कुछ पर वही उपाय लागू करें तो उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण ले रहे हैं। अंतर क्या है ? मुझे लगा कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड को सम्बोधित कर रहे हैं तथा और अधिक ऋण लेने के लिए कामला बना रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : एक अभूतपूर्ण राजनीतिज्ञ कार्य के रूप में डा० मनमोहन सिंह तथा भारत सरकार ने दो महान भारतीय अर्थशास्त्रियों, प्रो० जगदीश भगवती तथा प्रो० श्री निवासन को भारत के आर्थिक सुधारों की मध्यावधि समीक्षा के लिए बुलाया है ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमें इसकी कोई प्रति नहीं दी गई है ।

श्री पी० चिदम्बरम : प्रतियां परिचारित की जानी चाहिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह आपको मिली हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम : यह पेपर में छपी है । (व्यवधान) मेरे विचार में यह भारत के आर्थिक सुधार तथा इसकी आज की स्थिति का काफी खरा और स्पष्ट विश्लेषण है । इसमें भारत के उदारीकरण कार्यक्रम की अनेक विशेषताओं की सराहना की गई है, कुछ खतरनाक बातों और कमियों पर भी ध्यान दिलाया गया है । मैं इस पर ज्यादा विस्तार से बात नहीं करूंगा । यह मेरी प्रति है । परंतु श्री निर्मल कान्ति चटर्जी मुझे इस पर प्रसन्नता होगी कि आप भी इसे मेरे साथ देख सकते हैं । मैं इसकी दूसरी प्रति ले लूंगा । उदाहरण के लिए इस प्रतिवेदन में सावधान किया गया है कि हमें मूलभूत क्षेत्र मे अवश्य तेजी से बढ़ना चाहिए । हमें कृषि संबंधी सुधारों तथा वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में तीव्रता लानी होगी । इसमें यह भी कहा गया है कि अभी तक हमने अधिक ऋण नहीं लिया है फिर भी हम खतरे के कगार पर हैं और हमें अपने ऋण भुगतान संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए निर्यात को और विदेशी पूंजी के और विदेशी दोष के आगमन को बढ़ावा देना होगा । परन्तु मैं समझता हूं ये सभी बातें आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की सहायता के लिए हैं । हम इन कार्यक्रमों को समाप्त नहीं कर सकते, हम उन्हें बीच में रोक नहीं सकते । भारत को उच्च विकास के मार्ग पर लाने के लिए हमें यह कार्य करना होगा । आज हम एक रास्ते पर हैं और हम एक दिशा में बढ़ रहे हैं । कुछ लोग प्रसन्न नहीं हैं कि कभी-कभी यह गति धीमी हो जाती है । इसे अधिक गति से चलना चाहिए । हमें दृढ़ता और एक निश्चित गति से आगे बढ़ना होगा । परंतु भाजपा इस गति को खत्म करना चाहती है और सत्ता हथियाना चाहती है । वामपंथी दल इसे दूसरी दिशा में मोड़ना चाहते हैं और जिस ओर हम बढ़ रहे हैं उसमें पीछे जाना चाहते हैं ।

जनता के सामने विकल्प बिल्कुल स्पष्ट है । तीन विकल्प हैं एक राष्ट्र के रूप में क्या हम एक ऐसे मार्ग पर चलने को दृढ़ हैं जिसे हमने एक निश्चित गति के साथ चयन किया है ? मैं समझता हूं कि हम सभी इस पर एक मत हैं और हमें सर्वसम्मति से ऐसा करना चाहिए । यह अन्तिम मुद्दा है जिसे मैं उठाना चाहता हूं ।

हमने इस सरकार का कार्यकाल सर्वसम्मति से आरम्भ किया । दुर्भाग्यवश यह सर्वसम्मति जड़ से ही खत्म हो रही है ।

हो सकता है इसमें कुछ दोष हमारा भी हो, हो सकता है इस सर्वसम्मति को जारी रखने में हमने अधिक प्रयास नहीं किया हो । परन्तु अपने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक नई सर्वसम्मति तैयार करनी चाहिए ।

यद्यपि भारत के ज्यादातर लोग निर्धन हैं । जब वे वोट देने जाते हैं तो उनके मन में आशा रहती है वे स्वप्नद्रष्टा का चुनाव करते हैं वे हमसे आशा करते हैं कि भारत के लिए काफी-काफी कुछ करें । हमें भारत को विश्व के छः या सात शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों में एक का सपना देखने,

शक्तिशाली आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी कुशल अनेक क्षेत्रों तथा स्वयं में शांति अथवा विश्व में अन्य राष्ट्रों के साथ शांति में अग्रणी होने का स्वप्न देखना चाहिए। ऐसा किया जा सकता है। हमने 'साप्टा' के साथ शुरूआत की है। हम 'सार्क' देशों से बढ़ कर 'आसियन' तक पहुंच गए हैं और हम 'स्पेक' से भी आगे जा रहे हैं।

वास्तव में यदि आप प्रो० भगवती और प्रो० श्री निवासन की पढ़ें तो उन्होंने सिफारिश की है कि भारत को विश्व में अन्य आर्थिक संगठनों तथा अन्य आर्थिक वास्तविकताओं से घनिष्ठ संबंध बनाना चाहिए। मुझे विश्वास है, कम से कम मेरे चुनाव क्षेत्र के लोग, प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के लोग गरीब हों अथवा अमीर एक स्वप्न का चुनाव करते हैं, एक स्वप्नदृष्टा का चुनाव करते हैं। वे चाहते हैं कि हम भारत के लिए महान स्वप्न देखें।

मैं समझता हूं कि सरकार, इस पार्टी ने पुनर्निर्माण तथा राष्ट्रनिर्माण शुरू किया है जो वास्तव में एक नई शुरूआत है। एक नई शुरूआत को रोका नहीं जा सकता अथवा बीच में ही नहीं रोका जा सकता। हमें एक ऐसे भारत का स्पप्न देखना चाहिए, हमें एक ऐसे भारत के निर्माण में एक-जुट होना चाहिए जो विश्व के छः अथवा सात सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था में से एक बने। यही वह रास्ता है जिस पर हम चलें यही एक मार्ग है जिस पर हमें चलना चाहिए, यही एक मार्ग है जिसे हमें अपनाना चाहिए। परन्तु हम ऐसा तभी कर सकते हैं यदि हम धर्मनिरपेक्ष हों जब हम बहुलवादी हों, यदि हम सहनशील हों और यदि हम भारत की महान अनेकता में सामंजस्य लाने के इच्छुक हों।

परन्तु दुर्भाग्यवश भाजपा धर्मनिरपेक्षवाद से हट गई है, वह पृथकतावाद की ओर बढ़ गई है, वह सहिष्णुता और एकता से हट गई है। यह संकट का रास्ता है, हमें देश को संकट की ओर बढ़ने से रोकना चाहिए। सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतें, सभी देशभक्त ताकतों को एकजुट होना चाहिए। अभी काफी खतरा है। जब तक हम कट्टरवाद और रूढ़ीवाद को नहीं रोकते हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, हम गरीबी नहीं हटा सकेंगे, हम रोजगार सृजन नहीं कर सकेंगे, हम आय सृजन नहीं कर सकेंगे, हम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं शुरू कर सकेंगे, हम मूलभूत ढांचे का निर्माण नहीं कर सकेंगे, हम देश की जनता के आंसू पोंछने की बात नहीं कर सकेंगे। हम इस मामले में गरीबों की बात नहीं कर रहे हैं कि लोग भविष्य में भी गरीब रहेंगे। यदि हम कुछ करें अथवा नहीं, हम उस गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं जिसके 30 प्रतिशत लोग हैं, यह सिर्फ विकास से हो सकता है।

मैं इस घड़ी में भी वाम दल, जनता दल (राष्ट्रीय) को स्वयं से प्रश्न पूछने के लिए कहता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव में भाजपा के साथ हाथ मिलाकर आपको क्या मिला। आप क्या पाना चाहते हैं ? मुझे इसका उत्तर नहीं मिला पर मुझे विश्वास है कि जब श्री सोमनाथ चटर्जी और अन्य लोग बोलेंगे तो मुझे इसका उत्तर मिलेगा। हमें इस बात का जवाब चाहिए "कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जब तक हम इस खाई को न पाटें जिसमें भाजपा हमें ले जाना चाहती है, हम राष्ट्रनिर्माण नहीं कर पायेंगे। हम आपकी नीति को लागू नहीं कर पायेंगे, और हम कोई नीति लागू नहीं कर पायेंगे। इस प्रस्ताव अवधि को अस्वीकृत किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाना चाहिए। तथा हम एक साथ बैठें और देश के लिए आर्थिक सुधार पर एक आम राय बनायें। हमें इस देश के निर्माण के लिए अवश्य ही एक आम राय तैयार करनी चाहिए।

मुझे विश्वास है कि इस चर्चा की गरमागरमी के पश्चात जब हम मतदान करेंगे, मुझे विश्वास है कि ऐसी शक्तियां हैं, इस सभा में ऐसे लोग हैं, जो स्वयं से यह प्रश्न पूछेंगे जो मैंने उनसे बहुत ही

विनम्रता से पूछे हैं और वे इसका जवाब देंगे। उनका जवाब ही इस सरकार के खिलाफ इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय; मैं श्री चिदम्बरम से सहमत हूं कि इस देश के लोगों के मुख्य स्वप्न भारत के एक हैं। स्वप्न एक धर्म निरपेक्ष तथा प्रगतिशील भारत के और गरीबों की भलाई और देखभाल करने वाले सभी में प्रेम भाव बढ़ाने वाले देश के जो सभी मायनों में आजाद हों। यदि इस देश के राजनीतिक जीवन से लोगों को आपकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा मिल जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश के लोगों के जो सपने हैं वह साकार हो सकते हैं।

03.00 म० प०

(श्री राम नाईक पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, 7 नवम्बर 1990 को इस सभा में जो हुआ उसे मैं भूल नहीं सकता हूं। श्री चिदम्बरम किसने किसका साथ दिया ? वी० पी० सिंह सरकार का अपराध केवल इतना था कि वह साम्प्रदायिकता और कट्टरवादिता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने कहा : "हम अपनी सरकार की कुर्बानी दे सकते हैं परन्तु साम्प्रदायिकता से कभी समझौता नही करेंगे।" श्री चिदम्बरम आपने उस समय कुछ नहीं कहा। उस दिन आपने श्री वी० पी० सिंह की सरकार गिराने में गर्व का अनुभव किया था उस दिन मैं यहां पर मौजूद था और मैंने उस दिन श्री आडवाणी और श्री राजीव गांधी की प्रतिक्रिया देखी थी; और आपने उनका खुलेआम साथ दिया आपने उनका साथ क्यों दिया ? और उस दिन हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को गहरा आघात पहुंचा। श्री चिदम्बरम आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। कृपया हमको भाषण मत दीजिए। मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आदमी नहीं हूं। (व्यवधान) बुद्धिमत्ता और देशभक्ति के मामले में आपका एकाधिकार नहीं है और न ही मैं भी किसी प्रकार के ऐसे एकाधिकार का दावा करता हूं। परन्तु समस्या यह है कि आप यह सोचते हैं कि आप सबको उपदेश दे सकते हैं और स्वयं आप उनका अनुसरण नहीं करते।

इस देश के आम लोगों का भला करने में आप असमर्थ रहे हैं आपने जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश की है। आपने इस बात पर विचार नहीं किया कि आपकी पार्टी कैसी है। इस समय आपके नेता कैसे हैं। आज सरकार के नेता, शासक दल के नेता और प्रधान मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा देश इस कठिन परिस्थिति में है। श्री चिदम्बरम यह आपकी उपलब्धि है। यह अच्छा है कि आप सरकार से त्यागपत्र देकर वहां चले गए हैं और पैसा कमा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : केवल उनसे कम··· (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : काश, मैं वह अक्सर जा सकता। (व्यवधान)

महोदय, श्री चिदम्बरम शासक दल के लगातार तीसरे वक्ता हैं और जो भाषण हमने सुने है उनको जैसाकि मैंने थोड़ी देर पहले बीच में कहा था देश की वर्तमान स्थिति में हमारे द्वारा इस अविश्वास प्रस्ताव का लाया जाना बिल्कुल उचित जान पड़ता है। हमने उन कारणों को स्पष्ट रूप से बता दिया है। जिनकी वजह से हमें यह प्रस्ताव लाना पड़ा है और जिन क्षेत्रों में यह सरकार बिल्कुल असफल रही है महोदय, वास्तव भा० ज० पा० ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्हें स्वभाविक रूप से इस प्रस्ताव का समर्थन करना ही है वे अपनी ओर से इस प्रस्ताव के एक भाग का समर्थन नहीं

कर सकते हैं। परन्तु महोदय, विपक्ष के नेता ने और भा० ज० पा० के नेता ने प्रस्ताव के एक प्रमुख आधार का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने यह महसूस कर लिया है कि वे स्वयं एक जघन्य अपराध के दोषी हैं जो इस देश में हुआ है जिससे देश के लोगों को साम्प्रदायिक आधार पर बांटा गया है। (व्यवधान)

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : बहुत अच्छा। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री कमल नाथ यह आपके सहयोग से ही हुआ है। (व्यवधान)

श्री कमल नाथ : आप उनसे सहयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदय, देश को विदेशी उपनिवेशवादियों से स्वतंत्र हुए पांच दशक बीत चुके हैं। परन्तु 46 वर्ष बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या वे वास्तव में स्वतंत्र है; क्या वे वास्तव में सभ्य हैं; क्या यह प्रगतिशील देश है; और क्या देश की मूल समस्याओं को हल करने के लिए कोई प्रयास किया गया है। (व्यवधान) श्री भोंसले आप आखिरी बार हंस रहे होंगे। मैं नहीं जानता हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : हंसी मजाक तो हमेशा चलती रहती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : देश में कांग्रेस शासन का इतिहास आम लोगों के साथ धोखाधड़ी का इतिहास है। यह अत्याचार का इतिहास है और विभाजक और कट्टरवादी ताकतों के सामने समर्पण का इतिहास है। कांग्रेस शासन का इतिहास गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी और कुपोषण का इतिहास है। और इन सबके अलावा इन सारे वर्षों में कांग्रेस शासन का सीधा परिणाम राजनीति में उच्चतम स्तर तक भ्रष्टाचार पनपा है।

महोदय, सरकार ने कुछ करके अथवा न करके हर तरह से अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आजकल इस देश में कार्य निष्पादन की अपेक्षा, दिखावटीपना को ज्यादा अहमियत दी जाने लगी है। राजनीतिक और वित्तीय नैतिकता आजकल पुरानी बातें मानी जाने लगी हैं। दूसरी ओर देश के लाखों लोग हैं जो उत्पीड़न के शिकार हैं और उन्हें अपने जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

ऐसा लगता है कि हमारी मंत्रि-परिषद तो है परन्तु सरकार नहीं है। जब हमें देश की वार्षिक नीति, औद्योगिक नीति और वाणिज्यिक नीति इत्यादि के बारे में बताया जाता है तो हमें यह पता चलता है कि हमारे पास एक पूर्णकालिक उद्योग मंत्री नहीं होता है। महीनों से लगातार वाणिज्य मंत्री नहीं थे। फिर किसी तरह आपको एक वाणिज्य मंत्री मिले परन्तु आप उनको 6 महीने के भीतर संसद सदस्य निर्वाचित नहीं कर पाए।

श्री ओधरलभ पाणिग्रही (देवगढ़) : ऐसा पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कारण हुआ था (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके पास रक्षा मंत्री भी नहीं है। (व्यवधान) किसी को भी यह आश्चर्य हो सकता है कि तथाकथित यह सरकार है भी या नहीं। इसका अपना विभाग है या नहीं।

क्या कोई दिशा है ? क्या उनका किन्हीं मूल सिद्धान्तों के प्रति वचनबद्धता है या नहीं और इसी कारण आज भी हम यह स्थिति पाते हैं। श्री चिदम्बरम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। परन्तु कट्टरवाद और तोड़फोड़ वाली शक्तियों के साथ कौन समझौता कर रहा है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : इस समय कौन कर कर रहा है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : जो आर्थिक संप्रभुता हमने बनाई उसका सौदा किसने किया ? लोगों को ज्यादा से ज्यादा विषमता किसने लाई ? यह आपकी अकर्मण्यता आपकी असफलताओं का नतीजा है। अतः में कहूंगा कि यह सरकार गलत कार्य करने या कार्य न करने वाली सरकार है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यह सरकार लोगों और देश के हितों की रक्षा करने में सफल नहीं हो पाई है और इसका अश्वयम्भावी परिणाम यह हुआ है कि यह सरकार धांधली की राजनीति कर रही है और इसी कारण यह सरकार धर्म को राजनीति से अलग करने वाले विधेयक को सभा में नहीं लाई है जिसके लिए वह वचनबद्ध है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यह लाया जा रहा है। इसके लिए नोटिस दिया जाना है। आप इतने अधीर क्यों हैं ? (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप समझते हैं कि विधेयक प्रस्तुत करने के लिए आप वहां पर होंगे ? (**व्यवधान**) और मैं आप पर यह आरोप लगाता हूं कि भा० ज० पा० के साथ मिलीभगत और सांठगांठ होने के कारण आपने यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया बीच में बाधा न डालें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधान मंत्री महोदय, विभिन्नतावादी शक्तियों वाले कुछ व्यक्तियों के समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। विचारों और उद्देश्यों में कोई एकता नहीं है और नीतियों में भी एकता नहीं है और प्रधान मंत्री महोदय अपनी गद्दी बचाने में लगे हुए हैं और देश की गम्भीर समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उस पक्ष के काफी लोग उन्हें एक नाममात्र का प्रधान मंत्री समझ रहे हैं और प्रधान मंत्री महोदय का अधिकार ऐसा हो गया है कि न तो निर्वाचन आयोग में उनकी बात कोई मानता है और न ही श्री भारद्वाज उनकी बात मानते हैं। (**व्यवधान**)

महोदय, शासक दल में ऐसे लोग भी हैं जो बाहर प्रधान मंत्री के कार्यालय का मजाक उड़ाते हैं। जब ऐसी गम्भीर स्थिति हो तो देश कैसे चलाया जा सकता है। महोदय, इस बात से कोई इंकार कर सकता है कि देश ऐसी गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहा है जो हमारे संवैधानिक ढांचे की नींव को कमजोर कर रही हैं और देश की एकता को खतरे में डाल रहे हैं। परन्तु स्थिति को बिगाड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है ? इस देश में 8 महीने पहले क्या हुआ ? जब हमारे देश में एक राजनीतिक दल और उसके कट्टरपंथी सहयोगियों द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियां की गईं और 6 दिसम्बर को जो घटना हुई उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ा ? और आपने क्या किया ? 6 दिसंबर को सरकार ने क्या किया ? महोदय, उन्होंने जानबूझकर सुविचारित रूप से कोई कार्यवाही नहीं की और यह शर्मनाक घटना घटित हुई और एक ऐसा ढांचा जोकि धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक था उसे गिरा दिया गया और प्रधान मंत्री महोदय और उनके मंत्रिमण्डल सहयोगी दिल्ली में आराम से सब कुछ 8 घण्टे तक देखते रहे जबकि पूरे ढांचे को गिरा दिया गया और वे कुछ नहीं कर पाए। धर्मनिरपेक्षता के प्रति यह इनकी तथाकथित वचनबद्धता है और आप यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं।

महोदय, जब आतंकवादी मस्जिद गिरा रहे थे तो सरकार चैन की नींद सो रही थी। अतः इस बात को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता और जैसाकि हमने पहले भी आरोप लगाया था और आज भी लगा रहे हैं कि यह सरकार 6 दिसम्बर और उसके बाद की घटनाओं के लिए उतनी ही दोषी है जितनी कि भारतीय जनता पार्टी। इससे किसको फायदा हुआ ? 8 दिसम्बर की घटनाओं का किसने फायदा उठाया ? निर्दोष लोगों की जानें गईं, लोगों को जिन्दा जला दिया गया। जब हम मुम्बई गए तब हमने वहां पर सुना। उन्होंने भयावह घटनाओं के बारे में बताया निर्दोष लोगों की करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई। किसको लाभ हुआ। मैं जानना चाहता हूं। आज तक इस देश के प्रधान मंत्री महोदय ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि 6 दिसम्बर को दोपहर 12.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक जब उन्होंने अपना संदेश प्रसारित किया था क्या होता रहा। और उनके वायदे का क्या हुआ ? उन्होंने मस्जिद बनवाने का वायदा कहां तक पूरा किया ? इस समय प्रधान मंत्री महोदय, यहां नहीं हैं। प्रधान मंत्री महोदय ने न तो अपने पाप का प्रायश्चित किया और न ही देश के लोगों के साथ किये गए वायदे को पूरा किया और आज उस स्थान पर क्या है ? मस्जिद के स्थान पर एक तथाकथित मन्दिर। और सरकार ने इस 8 महीने के दौरान इस समस्या के समाधान के लिए इस सरकार ने क्या किया। केवल जो बात देखने में आई है वह यह है कि प्रधान मंत्री महोदय ने कुछ शंकराचार्यों और स्वामियों से बातचीत की और इसके परिणामस्वरूप तथाकथित अयोध्या पैकेज सामने आया।

महोदय, यह देश सभी धर्मों, भाषा और जाति के लोगों से सम्बन्धित है। इस पर केवल किसी एक वर्ग के लोगों का ही एकाधिकार नहीं है। हमारा संविधान हमारे देश के लोगों को एक धर्म-निरपेक्ष स्वरूप की गारन्टी देता है। परन्तु हमारे प्रधानमन्त्री ने किन लोगों को अपना सलाहकार चुना है। वह राज्य की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से किन लोगों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं ? महोदय, उन्होंने राज्य की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए साधुओं और महन्तों का चयन किया है। ऐसी समस्या का समाधान केवल एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपना-कर ही किया जा सकता है न कि उन लोगों को अनुचित प्रश्रय देकर जिनका स्पष्ट उद्देश्य एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के विरुद्ध उकसाना है।

सभापति महोदय, यदि इस सरकार के पास जरा भी शर्म शेष होती, यदि उनके पास तर्किक रूप से विचार करने की कुछ शक्ति शेष होती, तब उन्होंने उस सोम यज्ञ का हास्यजनक और घृणात्मक दृश्य अनदेखा किया होता जोकि किया गया है और जिसने भारत को सम्पूर्ण विश्व के समक्ष हंसी का पात्र बना दिया है। आप इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं।

महोदय, आज इस देश में धर्मनिरपेक्षता का कोई अर्थ नहीं रह गया है। और मैं प्रधानमन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह समझते हैं कि अल्पसंख्यकों को इस देश में रहने का अधिकार है अथवा क्या आप अपनी आर्थिक नीतियों के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से रूढ़िवादियों को उकसाते रहेंगे। इस समय नागपुर घटना की काफी चर्चा हो रही है।

महोदय, अयोध्या पैकेज क्या है ? इसमें कहा गया है कि राम मन्दिर का निर्माण उस स्थल पर किया जाएगा जहां पर मस्जिद बनी हुई थी। यह किसने कहा है ? यह शंकराचार्य की सिफारिश है। (व्यवधान) मैं आशा करता हूं कि इससे श्री चन्दूलाल चन्द्राकर कुछ समझ जायेंगे। मेरे विचार से वह कांग्रेस दल के प्रवक्ता हैं। जब वह कुछ कहते हैं तो क्या उन्हें विचार करने की अनुमति दी

जाती है अथवा वह कुछ पढ़ते हैं, मैं नहीं जानता। श्री चन्दूलाल चंद्राकर ने कहा था कि शंकराचार्य का दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : ऐसा हमने कभी नहीं कहा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपकी बातों को कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया गया है। इसे मत भूलिये। क्या आप अब इससे इंकार कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : आप मेरी बात भी सुनिए। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आप यहां पर जो कहना चाहें, कहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : संभवतः आपके प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : जिस किसी ने भी कहा हो। परन्तु आप मुझसे यह क्यों कहलवाना चाहते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : परन्तु मैंने यह अखबारों में पढ़ा है।

महोदय, अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी उस निर्णय पर विश्वास कर रहे हैं जोकि उन्हें संभवतः श्री चिदम्बरम की सहायता से अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने की आशा है कि वह देखेंगे कि वहां पर कोई मन्दिर था। हमारे अनुसार सरकार की ओर से यह एक अत्यन्त मूर्खतापूर्ण कार्य किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत यह पता लगाने का उपबन्ध बनाना कि उस स्थान पर 500 वर्ष पूर्व क्या था, इस देश के लोगों के साथ धोखा करना है। मैं पूरी निष्ठा से यह जानना चाहूंगा और कृपया आप हमें अपनी मंशा बताइए। मान लें कि वहां पर कोई मंदिर बना हुआ था, क्या आप मस्जिद के ढहाने को तर्कसंगत ठहरायेंगे ? मैं यह जानना चाहूंगा। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। यदि वहां पर कोई मंदिर था, तब क्या भा० ज०पा० इसे ढहाना न्यायसंगत समझती थी ?

अतः उस स्थल पर मंदिर का निर्माण करने के उद्देश्य से आपको भा०ज०पा० को अथवा किसी न्यास को वह भूखण्ड सुपुर्द करने के लिए कोई आयोजन आयोजित करना चाहिए। आपकी अनुमति से मैं एक पुस्तक में से डा० एस० गोपाल द्वारा की गई टिप्पणी से केवल कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं :—

> "बुनियादी तौर पर यह असंगत है कि उस स्थान पर वहां कोई मंदिर बना हुआ था अथवा नहीं जहां पर इस समय मस्जिद स्थित है। भारत मध्ययुगीन राजनीति के दृष्टिकोणों को पुनः नहीं अपना सकता और किन्हीं भी परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यमान अथवा भूतपूर्व पूजास्थलों को क्षति नहीं पहुंचा सकता। अतीत में भी पहले ऐसे पूजा स्थलों को गिराया गया

था, इस तथ्य का इस समय विद्यमान ऐसी बर्बरता के लिए कोई औचित्य नहीं है। आज सभी का ध्यान मस्जिद की तरफ ही केन्द्रित है, कल मंदिर को लेकर आन्दोलन हो सकता है। यह समझा जाता है कि हिन्दुओं ने कुछ बौद्ध और जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया था। जहां जहां तक हम पिछले इतिहास को देखें तब भी अपने विचारों के अनुरूप कोई अतीत में कहां तक संशोधन कर सकता है। धार्मिक नेताओं के लिए यह बात अर्थहीन है कि वे इस बात का निर्धारण किस प्रकार करें कि जिसे वे साक्ष्य समझते हैं, जिस प्रकार से ऐसी बातों की वैधता सम्बन्धी मामलों को उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है।"

हमें आज तक यह नहीं बताया गया है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को यह मामला भेजने का औचित्य क्या है। चिदम्बरम जी, आप सर्वसम्मति की बात कर रहे है। आप सिर्फ भा०ज०पा० के साथ ही सर्वसम्मति करने में विश्वास रखते है अन्य किसी और के साथ नहीं। हम समझते हैं कि पुरी शंकराचार्य ने यह घोषणा की है कि शंकराचार्यों की अगली बैठक इस वर्ष हरिद्वार में अक्तूबर, नवम्बर में होगी। उस समय वहां पर विश्व हिन्दू परिषद द्वारा प्रायोजित राम जन्मभूमि न्यास के मार्ग दर्शक मंडल की एक बैठक होगी। वे पहले ही केन्द्रीय सरकार को 24 अक्तूबर तक अधिगृहीत की गई भूमि सुपुर्द करने के लिए अन्तिम चेतावनी दे चुके हैं। ऐसा न करने पर वे दूसरी धर्म संसद बुलायेंगे। हम जानते हैं कि धर्म संसद की बैठक का क्या परिणाम निकलेगा। यदि ये धर्म संसदें और शंकराचार्य एक साथ काम करते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य एक है, तब क्या होगा? यह सरकार क्या करेगी क्योंकि आपने पहले ही कहा है कि शंकराचार्य के विचार सामान्यतः आपको स्वीकार्य हैं। अतः हम देखते हैं कि न तो राजनैतिक रूप से, न ही सैद्धान्तिक रूप से और न ही प्रशासनिक रूप से आप इन साम्प्रदायिक ताकतों की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर आप इन ताकतों के साथ समझौता कर रहे हैं। परिणाम यह हुआ है कि इस देश का और अल्पसंख्यकों का भविष्य संकट में हो जाएगा।

मैं जानना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के मेरे कितने मित्र अयोध्या पैकेज का समर्थन कर रहे है। यह अवज्ञापूर्णता ही आपको वर्तमान स्थिति तक ले आयी है। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? मैं सत्ता पक्ष के अपने मित्रों से जानना चाहूंगा। क्या आप चाहते हैं कि जिस स्थान पर मस्जिद बनी हुई है, वहां पर मंदिर होना चाहिए। आन्तरिक सुरक्षा राज्य मंत्री श्री राजेश पायलट बतायें कि इस संबंध में सरकार की नीति क्या है?

वे पहले ही कह चुके हैं कि वे चाहते हैं कि धर्म के साथ राजनीति को अथवा राजनीति के साथ धर्म को नहीं मिलाया जाना चाहिए और वे इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में परिवर्तन करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। कई माह से आप इस बारे में अपनी राय नहीं बना सके। आप इस देश के लोगों को केवल आश्वासन ही दिये जा रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने वाले दिन ही आपने कुछ अधूरा सा प्रारूप तैयार किया था और अब आप इस अविश्वास प्रस्ताव का सहारा यह उचित ठहराने के लिए ले रहे हैं कि आप इसे पहले नहीं ला सके।

आप आज इसे क्यों नहीं ला सकते? इस देश में साम्प्रदायिक ताकतों को कौन बढ़ावा दे रहा है? आज राजनीति के साथ धर्म को मिलाने की अनुमति कौन दे रहा है? आप स्वयं अपनी ओर नहीं देख रहे है। अपनी ओर कोई नहीं देखता है। यह कहना बहुत आसान है "आप भा०ज०पा० के साथ मिल गये हैं।" मैं भा०ज०पा० से नहीं मिला हूं। कोई भी दल मेरे दल, की तुलना में साम्प्र-

दायिकता के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है और वामपंथी दल तथा जनता दल··· (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम सरकार की नीति को उचित ठहराने के लिए कुछ रिपोर्टों अथवा प्रेरित रिपोर्टों का उल्लेख कर रहे थे। आपकी अनुमति से मैं "खाकी शर्ट्स एंड सफरुन फ्लैग्स" नामक पुस्तक से पढ़ रहा हूं। आपकी अनुमति से मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा :—

> "6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। यह उस सहज बर्बरता का ही परिणाम नहीं था। इस कार्यवाहीं के पीछे उस हिन्दुत्व राजनीति का लम्बा इतिहास रहा है जिसमें हिंसा, अक्रामकता का गुणगान किया है, जिसमें अन्य सम्प्रदायों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की है और कानूनी और लोकतांत्रिक मानदण्डों की अवमानना की है।"

6 दिसम्बर और उसके बाद की घटनाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद हिन्दू अधिकार की राजनीति का उल्लेख करते हैं। वे इन सीमाओं का निर्धारण करते हैं जिसके अन्तर्गत भारतीय जनता पार्टी कुशलतापूर्वक युक्तिपूर्ण ढंग से कार्य करसकती है।

हिन्दू अधिकार में भी दो बातें बताई गई हैं। एक तो लोकतंत्र और प्राधिकारवाद की बात है और दूसरी कानून और ताकत की बात है। भा०ज०पा० एक संवैधानिक, लोकतांत्रिक और कानूनी स्वरूप के अन्दर कार्य करने का दावा करती है। परन्तु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल इस स्वरूप का उपहास करते हैं। हिन्दू अधिकार की राजनीति ऊपर से विरोधी प्रवृत्तियों के बीच स्थित जटिल सम्बन्धों से, परिपूरकता और खंडन से उद्भूत होती है। 6 दिसम्बर, 1992 की घटना से इस जटिल सम्बन्ध का दुखदायक तर्क प्रकट हो जाता है। इससे हिन्दुत्व की हिंसक ताकतों की शक्ति और भा०ज०पा० की लोकतांत्रिक और वाक्पटुता घृणित शक्ति का खोखलापन प्रकट होता है।

इसीलिए हम चिंतित हैं। परन्तु सत्ता पक्ष इसे महसूस नहीं कर रहा है। इसीलिए हम इस सरकार की नीतियों और विशेष रूप से इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाये रखने में इसकी पूरी असफलता और रूढ़िवादी और साम्प्रदायिक की ताकतों के साथ इस सरकार का खुले आम समझौते करने की प्रवृत्ति का समर्थन करने में असमर्थ हैं और इसका परिणाम यह है कि आज उनकी ताकत बढ़ रही है और हमारी राजनीतिक ढांचे में फैले कैंसर का मुकाबला करने के लिए आपकी राजनैतिक-इच्छा नहीं है···(व्यवधान)

हमें आर्थिक नीति पर श्री पी० चिदम्बरम से काफी लंबा-चौड़ा भाषण सुनने को मिला। परंतु इस देश की आम जनता की रुचि आपके अर्थविज्ञान में नहीं है। उनकी रुचि केवल आपके लम्बे-चौड़े भाषण में नहीं है। वे इसके परिणाम चाहते हैं। यदि इस देश के लोगों ने आपकी आर्थिक नीति को स्वीकार कर लिया होता, तब हमारे विरोध करने का कोई अर्थ ही नहीं होता। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या वे आपकी नीतियों को स्वीकार करते हैं। आप किस प्रकार से स्वयं को धोखा दे रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि डा० मनमोहन सिंह इस चर्चा में भाग लेंगे और कृपया आप अपनी-सामान्य बातों के अतिरिक्त हमें इस बारे कुछ नई जानकारी दीजिए।

मैं आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर सरकार के दृष्टिकोण के बारे में जानना चाहता हूं। आपने क्या किया है ? आपने रोजगार देने के लिए क्या किया है ? आपको यह स्पष्ट करना है। आपने रुग्ण

उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने, हमारे अपने उद्योगों लघु क्षेत्र के उद्योगों और कुटीर उद्योगों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या किया है ? हमने अधिकारीतंत्र के नियंत्रण को कम करने के प्रति कभी आपत्ति नहीं की है। हमने कभी नहीं कहा कि बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के लिए अधिकारीतंत्र का नियंत्रण आवश्यक है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। वास्तविकता यह है कि जिस राज्य से मैं आया हूं, उसे इस देश में अपनाई जाने वाली लाइसेंसिंग पद्धति के फलस्वरूप काफी हानि उठानी पड़ी है। राजनैतिक कारणों से हमें लाइसेंस नहीं दिए गए, पश्चिम बंगाल को लाइसेंस नहीं दिए गए। अतः हम इस लाइसेंसिंग पद्धति का समर्थन नहीं करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि हम देश के जिस भी भाग से आते हैं—कि जब तक इस देश की आर्थिक नीतियां निर्धारित करने के कार्य पर आपका नियंत्रण रहेगा, हमें इच्छा से अथवा अनिच्छा से इनका अनुपालन करना ही होगा। हमारे पास अपनी नीतियां नहीं हो सकतीं। हमें इनका इच्छा से, अथवा अनिच्छा से, सही ढंग से अथवा गलत ढंग से अनुपालन करना होगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अतः किसी राज्य विशेष में अथवा किसी क्षेत्र विशेष में हमारी कोई नई आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि डा० मनमोहन सिंह कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ज्योतिबसु क्या कर रहे हैं, चीन में क्या हो रहा है। मेरे विचार से इसका यही उत्तर है। जब मैं आपको आपके चुनाव घोषणा पत्र में रोजगार प्रदान करने, कीमतें कम करने के बारे में किए गए आपके सभी वायदों का स्मरण कराता हूं, तो आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा। डा० मनमोहन सिंह कहेंगे कि चुनाव घोषणा पत्र कौन पढ़ता है। (व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या इसे पहले ही लिख दिया गया है ? वह दुबारा वही भाषण देंगे। हम जिस बात पर आपत्ति कर रहे हैं, हम उस पर आपत्ति करते रहेंगे। स्थिति और गम्भीर हो गई है क्योंकि उदारीकरण के नाम पर आपने हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता को छोड़ दिया है और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत की अवज्ञा की है। हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे वित्तीय शोषकों के समक्ष केवल याचक बनकर रह गए हैं। इस नीति से हमें क्या मिला है ? आपको यह बताना है। मैं नहीं जानता। मुझे अभी वह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मैं इस बारे में नहीं जानना चाहता हूं। जब हमें यह प्राप्त हो जाएगी, हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि उसमें क्या लिखा है ?

हमें क्या हो गया है ? इस देश को क्या हो गया है ? आपकी आर्थिक नीति के क्या प्रत्यक्ष परिणाम निकले हैं ? इस देश के समाज के वर्ग को क्या लाभ हुआ है ? कितने कामगारों को लाभ हुआ है ? कितने बेरोजगार लोगों को लाभ पहुंचा है ?

श्री मनमोहन सिंह : हम सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आपको अवसर मिला तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। परंतु यह और भी अधिक महत्वपूर्ण कारण है कि आपको क्यों जाना चाहिए। आज तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हैं। आप बाद में इसका उत्तर देंगे।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : पश्चिम बंगाल के विशेष उल्लेख सहित आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा।

सभापति महोदय : मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस प्रकार की जिरह नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह जानता हूं। मैंने ठीक इसी बात की आशा की थी। परन्तु पश्चिम बंगाल की तुलना में उनमें हमेशा हीन भावना रही है। जहां तक विचारों का सम्बन्ध है, वे पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि इससे उनकी अच्छी प्रगतिशीलता की छवि बनेगी।

महोदय मुझे एक बात कहते हुए खेद हो रहा है। कुछ आंकड़े दिए जाने चाहिए थे। मंत्री महोदय, आप अपने आंकड़े देंगे। यह थोक मूल्य सूचकांक आपका अपना प्रकाशित किया हुआ है न कि मेरा दिया हुआ है। मेरा किसी प्रेस पर नियंत्रण नहीं है। इसमें कहा गया है कि विदेशी ऋण 2,02, 972 करोड़ रु० है। इसमें वृद्धि हुई है। सितम्बर, 1992 के अंत में यह कुल 71,110 करोड़ रु० था। अब यह 2,02,972 करोड़ रु० हो गया है।

अब हमें कुछ कल्पनात्मक निर्यात दरों के बारे में बताया गया है। अब स्थिति यह है कि हम पूर्णतः ऋण के फन्दे में फंसे हुए हैं। हमारे देश पर 1994-95 के लिए 6 बिलियन डॉलर से भी अधिक का ऋण भार है। इनमें से 3 बिलियन डॉलर से अधिक बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋणों पर ब्याज के भुगतान में चला जाएगा। 31 मार्च, 1993 को हम पर विदेशी सहायता के रूप में 40.2 बिलियन डालर, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण का 11.7 बिलियम डॉलर; निर्यात ऋण का 2.3 बिलियम डालर प्रवासी भारतीयों द्वारा जमा आठ बिलियन डॉलर और अल्प-अवधि ऋणों का 1.7 बिलियन बकाया था। इनके रिव्यू हमारे यहां विदेशी मुद्रा भण्डार केवल 9.8 बिलियन डॉलर है। यह भारतीय बैंकरों की रिपोर्ट है और वह कहते हैं कि अप्रैल, 1992 और फरवरी, 1993 के बीच भारत का विदेशी व्यापार छः से सात प्रतिशत के बीच बढ़ा है। यह वर्ष 1992-93 के लिए डालर के रूप में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर के लक्ष्य से काफी कम है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी ने कुछ संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी और उन्होंने दस्तावेज परिचालित किया था और उन्होंने निश्चित रूप से कहा था कि जब तक निर्यात वृद्धि दर में कम से कम 12.6 प्रतिशत की वृद्धि नहीं होती तो भेजना असफल हो जाएगी। यह उस स्तर तक नहीं पहुंची है। आपका अपनी योजना आवश्यकताओं और योजना परियोजनाओं को कैसे पूरा करने का प्रस्ताव है? दो वर्षों से आप इन्हें पूरा करने में सफल नहीं हुए। अब हमें बताया गया है कि 6 दिसम्बर की घटना और उसके बाद की घटनाओं के कारण आप इन्हें पूरा नहीं कर पाए हैं। आप एक चमत्कार की प्राप्ति की आशा कैसे कर सकते हैं? यदि आप सत्ता में बने रहते हैं तो क्या आप समझते हैं कि वे आपको उचित रूप से कार्य करने देंगे? सितम्बर-अक्तूबर आ रहा है। धमकी पहले ही दी जा चुकी है। वे केवल आपकी इच्छा अथवा अनिच्छा से सहायता से हुई गड़बड़ी अथवा साम्प्रदायिक विभाजन होने पर ही सफल हो सकते है। यह ऐसी बातें हैं जिनका आप उल्लेख नहीं कर रहे हैं। यह स्वयं-सृजित सुखाभास-सा प्रतीत होता है। कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है। हर कोई विदेशी पूंजी निवेश की बात कर रहा है। लेकिन अभी कोई विदेशी निवेशक यहां नहीं आ रहा है। मुझे किसी से बात करने का अवसर मिला था। मैं बहुत ही विनम्र व्यक्ति हूं। मेरी अर्थशास्त्र में कोई विशेषज्ञता नहीं है, किसी भी विषय में विशेषज्ञ नहीं हूं, अर्थशास्त्र में मेरी विशेषज्ञता बहुत कम है और अर्थशास्त्र शब्दावली में तो बहुत ही कम है जो आज श्री चिदम्बरम ने प्रयोग की है। अब वह व्यक्ति कहता है कि वह बीमा कार्य-व्यापार में बहुत महान हस्ती है—उसने कहा है कि 'हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं।' मैंने कहा, कि कब तक? उसने कहा हम, देखते हैं। उसने मुझसे पूछा कि श्री चटर्जी क्या यह सरकार सत्ता में रहेगी? मैंने कहा कि 'यह सरकारी विपक्ष के साथ उनके मेलजोल पर निर्भर करता है।' वह अभी देख रहे हैं। मुझे भारतीय होने के नाते ऐसा अच्छा नहीं लगता, हमारे प्रधानमंत्री विभिन्न देशों

में जाएं और पूंजी निवेश के लिए कहें कि कृपया हमारे देश में आएं और पूंजी निवेश करें।' यह कैसा लगता है ? आप अपनी शर्तों पर उन्हें पूंजी निवेश के लिए आकृष्ट नहीं कर सकते। आपको उन देशों में जाना पड़ेगा और उन्हें हमारे देश में आने के लिए प्रेरित करना होगा। कोई भी विदेशी निवेश के लिए नहीं आ रहा है। कितने जर्मन कम्पनियों ने यहां पूंजी निवेश किया है ? कितने जापानियों ने यहां पूंजी निवेश किया है; कितने फ्रांस के लोगों ने यहां पूंजी निवेश किया। जहां प्रधान मंत्री स्वयं गए थे। कितनी अमरीकी कम्पनियों ने, वास्तव में यहां पूंजी निवेश किया है ? हमें एक जापानी गांव, नगर के बारे में बताया गया था। वह जापानी नगर कहां है ? जैसा कि मैंने कहा है, यदि देश हमारे सहयोग के बिना भी प्रगति करता है, तो कृपया ऐसा जारी रखिए। हम आपको आपकी आर्थिक नीतियों को जारी रखने से नहीं रोक रहे हैं।

आप हमारे आपत्तियों और विरोध के बावजूद ऐसा कर रहे हैं। इस देश के लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने बंद और हड़तालें कीं। लेकिन, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं; आप साधारण व्यक्तियों, कामगारों, किसानों, और बेरोजगारों की परवाह नहीं करते। आप अपने संरक्षणों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों को देख रहे हैं। महोदय आज हमें बताया गया कि वे दिल्ली में हैं कि इस सरकार को उनके पास जाना चाहिए और उन्हें इस बात से संतुष्ट करना चाहिए कि हमारी सरकार की नीति उनके अनुमोदन के अनुरूप है। क्या आप हमारी सभी नीतियों का अनुमोदन करते हैं ? यदि वह कहते हैं 'हां' तो वह आयेंगे और यहां शोर मचायेंगे।

डा० मनमोहन सिंह जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम ऋण के फंदे में फंस रहे हैं या नहीं। जैसा कि मैंने कहा है जब हमारे देश में 4 करोड़ बेरोजगार पंजीकृत हैं, तो आपकी शासन अवधि के अन्त तक आपका क्या योगदान होगा। यदि यह सरकार पांच वर्ष तक रहती है जिसकी संभावनाएं बहुत कम हैं तो बेरोजगारों की संख्या क्या हो जाएगी ? आपके प्रशिक्षण और नियुक्ति का क्या हुआ। कितने लोगों को आपने प्रशिक्षित किया है और रोजगार प्रदान किया है ? कितने लोगों को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त किया गया है ? आपकी नवीकरण राशि किस लिए है। कृपया हमें बताएं। इस देश में बी० आई०एफ०आर० की क्या भूमिका है ?

महोदय, इस देश में दो लाख से भी अधिक एकक रुग्ण हैं, न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि प्रत्येक राज्य में रुग्ण एकक हैं। वे कहेंगे कि यह रुग्ण एककें पश्चिम बंगाल में हैं। आपके महाराष्ट्र में यह रुग्ण एककें हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं नहीं जानता, श्री कल्पनाथ राय ने इसे इस समय इसे निबटा लिया होगा मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से महाराष्ट्र का स्थान पहले नम्बर पर है।

बी०आई०एफ०आर० की क्या भूमिया है ? बी०आई०एफ०आर० द्वारा कितने एककों को पुनर्जीवित किया गया है ? हम यह सब जानना चाहते हैं। महोदय, वचन दिए गए थे। मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं कि उन्होंने जानबूझकर हमें गुमराह किया है। प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया है, डा० मनमोहन सिंह और श्री संगमा ने स्वीकार किया है कि इन बड़े रुग्ण उद्योगों की एकक वार पुनरीक्षा की जाएगी और उन्हें सक्षम बनाने के लिए प्रयास किए जायेंगे। इसका उल्लंघन किया गया है। मैं प्रधान मंत्री जी को याद दिला रहा हूं कि कामगारों की यूनियनों के साथ परामर्श करके यूनिट वार पुनरीक्षा का क्या हुआ ? एक अन्य दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि "सोमनाथ जी मुझे एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। और मैं इसे आपको भेज दूंगा।" इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया है ? हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। दो वर्ष बीत गए हैं। आप केवल बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार मैत्री अर्थव्यवस्था,

देशी अर्थव्यवस्था और ऐसी अन्य बातें कर रहे हैं। जो मैं नहीं समझ सकता। मैं ईमानदारी से इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन अन्ततः परिणाम कुछ नहीं निकला, परिणाम नकारात्मक है। श्री चिदम्बरम डा० मनमोहन सिंह की पीठ थपथपा रहे हैं और डा० मनमोहन सिंह श्री चिदम्बरम की पीठ थपथपा रहे हैं। क्षति लोगों को हो रही है। यह एक अद्भुत सरकार है और हम इसका क्या कर सकते हैं ?

अब आप (रेल मंत्री) ही समय पर आए हैं।

यह हमारा आत्म-निर्भरता का सिद्धान्त है। वाजपेयी जी ने इसका भी उल्लेख किया है। निश्चय ही आर्थिक मामलों पर उन्होंने बहुत कम समय दिया है। लेकिन क्या हुआ ? उन्होंने ठीक ही हमें याद दिलाया है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को क्या हुआ है। उसे आर्डर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिशें की हैं। अब इन परियोजनाओं के लिए आपके पास विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी ए० बी० बी० है। इस कंपनी का विशेष आकर्षण क्या है ? देश को विश्वास में नहीं लिया गया है। संसद को विश्वास में नहीं लिया गया है। हमारे उद्योग ठप्प हो रहे हैं। भा० है० इ० लि० जैसे उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें आर्डर प्राप्त नहीं हो रहे हैं और अन्य बड़े उद्योगों को आर्डर प्राप्त हो रहे हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० रुग्ण एकक बन गया है।

श्री पी० चिदम्बरम : भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० एक रुग्ण एकक नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपकी अद्भुत आयात नीति से यह शीघ्र ही रुग्ण एकक बन जाएगा।

श्री पी० चिदम्बरम : भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० रुग्ण एकक नहीं है। यह एक स्वस्थ एकक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, ऐसा सभी जगह हो रहा है। हम यह कह रहे हैं कि यह सिद्धांत रूप से प्रतिस्पर्द्धा का प्रश्न नहीं है। यह विश्व प्रतिस्पर्द्धा का प्रश्न नहीं है।

जब तक आप अपनी आर्थिक और औद्योगिक नींव मजबूत नहीं बनाते आप विश्व से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यही डा० मनमोहन सिंह के सिद्धान्त जो कि अब बदल रहे हैं पहले उनके विचार कुछ और थे, के अनुसार विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा का अर्थ है कि विदेशी निवेशकों को अनुमति देना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में आने की अनुमति देना, वे यहां कुछ उत्पादन करें और फिर उनमें प्रतिस्पर्द्धा हो। क्या हो रहा है ? पैप्सी कोला और कोको कोला ने आलू के चिप्स, नमक आदि बनाना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने हमें याद दिलाया है। यही उनके द्वारा किए गए पूंजीनिवेश हैं। इस समय आपकी अपनी अधिक नींव कमजोर है, आपकी औद्योगिक नींव कमजोर हो चुकी है। आप अपनी औद्योगिक नींव को कमजोर कर रहे है और इसे मजबूत नहीं बना रहे हैं। यही कारण है कि आज विश्व में हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है और नाम नहीं है। लोग हमें केवल तिरस्कार की दृष्टि से और सम्भवतः कभी-कभी कुछ सहानुभूति की दृष्टि से देखते हैं।

मैं आपको इस आर्थिक नीति के प्रत्यक्ष परिणामों को याद दिलाना नहीं चाहता। श्री रामेश्वर ठाकुर कहां हैं ? वे इन दिनों यहां क्यों नहीं आते हैं ? वे दूरदर्शन में गए और कहा कि यह हमारी आर्थिक नीति का परिणाम है। प्रतिभूति घोटाले का कोई राजनैतिक फायदा नहीं उठाया गया। हर्षद मेहता इस देश की अनेक अर्थशास्त्रीय पत्रिकाओं के मुखपृष्ट पर था। वे लोग काफी प्रसन्न थे। डा० मनमोहन सिंह ने इस सम्बन्ध में न तो अपशब्द कहा न ही चिन्ता प्रकट की। उस वक्त आप कहां थे ? वित्तमंत्री के रूप में आप क्या कर रहे थे ? आपने इसे क्या समझा था ? पता नहीं आप कैसे

अर्थशास्त्री हैं क्या आप यह नहीं समझ सके कि इस देश में जो कुछ हो रहा है वह वास्तविक नहीं है ? वे कंपनियां जो वर्षों से बन्द थीं, अपने शेयर 500 से 1000 रु० में बेच रही थीं। क्या यह बात आपके मन में नहीं आई ? आपके मंत्रालय में भारतीय रिजर्व बैंक और अनेक अन्य संगठन हैं ? तथाकथित इतने तेजस्वी अर्थशास्त्री हैं। वे लोग क्या कर रहे थे ? मुझे आशा है कि संयुक्त संसदीय समिति अपना उचित निर्णय देगी और यदि इनके बाद भी कुछ लोग बचे, तो उनका भी भांडा फूटेगा।

अभी स्थिति ऐसी प्रतीत होती है कि हमें अपने वाणिज्यिक ऋण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष अथवा विश्व बैंक पर निर्भर रहना पड़ता है। परन्तु यदि ये अपनी निर्यात क्षमता नहीं बनाए तो देश की स्थिति गंभीर हो जाएगी। 1992-93 में आयात में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष व्यापार में 3.5 बिलियन डालर का घाटा हुआ। 1991-92 में जब घाटा 1.6 बिलियन डालर का था तो कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि यदि इस वर्ष निर्यात में डालर के सापेक्षता में 15 प्रतिशत की और वृद्धि नहीं होती है जो चालू वर्ष में भुगतान संतुलन के काफी गड़बड़ा जाने की संभावना है।

मूल्य सूचकांक का यह बनाया हुआ आंकड़ा है। जैसाकि मैं हर वक्त कहता हूं, हो सकता है थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट आ रही हो परन्तु अनेक आवश्यक वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा है। उत्पाद शुल्क की रियायत उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंची है। निर्धारित मूल्यों में रेल के माल किराया में वृद्धि, बिक्री कर में वृद्धि तथा न्यूनतम मजदूरी आदि में बजट पूर्व वृद्धि के कारण उद्योग के लिए सभी मामलों में जनता तक राहत पहुंचाना कठिन हो गया है। इस सरकार के पिछले दो वर्षों के कार्यकाल में औद्योगिक विकास दर सिर्फ 2.6 प्रतिशत रही है। आप इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे ?

महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं उठाने जा रहा हूं वह यह है। यह सरकार कब तक चलेगी। पता नहीं इस वक्तव्य का कोई महत्व है भी या नहीं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अगली सरकार के लिए है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगली सरकार आएगी तो हम उससे निपट सकते हैं। आप उनसे नहीं निपट सकेंगे, हमें उनसे निपटना होगा।

महोदय, विदेश में हमारे सम्मान और साख को काफी धक्का लगा है। आज स्थिति यह है कि इस देश के साथ किए गए करार को पूरा नहीं किया जा रहा है। रूस द्वारा क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी देने से इन्कार करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि देशों की मित्रता एक गौण वस्तु हो गई है।

आज अमेरिकी सरकार हमारे हितों के खिलाफ किस प्रकार एक के बाद एक निर्णय ले रही है ? सुपर 301 के इस्तेमाल को लगातार धमकी है। हमारे ऊपर अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का निरंतर दबाव दिया जा रहा है तथा मानवाधिकार के भाषण से कश्मीर के संबंध में लगातार दोहरी नीति से तथा दबाव डालकर हमें आणुविक अप्रसार संधों पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया जा रहा है और उससे भी अधिक अब व्यापार प्रतिषेध आ गया है। क्या अब हमारे लिए जागरूक होने का समय नहीं आ गया है ? जब प्रधान मंत्री ने रूस द्वारा समझौता पूरा न करने के बारे में गोरखपुर में कहा तो उन्होंने अमेरिका की भूमिका के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। अमेरिकी दबाव में उन्होंने प्रौद्योगिकी देने से खुले रूप से इन्कार किया और मेरे सरकार के पास इसके खिलाफ एक

शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं है। आप हर समय उनके सामने झुक पाते हैं। हमारी स्थिति क्या है? क्या यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण अथवा विश्व बैंक ऋण लेने की जरूरत के कारण है कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते?

सभापति महोदय, आज इस देश को सभी क्षेत्रों में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहां इस सरकार ने नियंत्रण का अधिकार खो दिया है। उनके पास न तो नियंत्रण की क्षमता है न ही संकल्प। उनकी पार्टी संयुक्त नहीं है प्रधान मंत्री नेतृत्व नहीं दे सकते हैं। वे लोग एक वैकल्पिक नेता भी नहीं खोज सकते। वे लोग एक दूसरे की बातों का खंडन कर रहे हैं। यह इस देश की स्थिति है। कौन प्रभावित हो रहा है? नुकसान किसको हो रहा है? इस देश का सामान्यजन जो किसी भी दिन इस देश में साम्प्रदायिक प्रलय का शिकार हो जाएगा। अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। इसी बात का उन्हें डर है। इस देश की जनता सुरक्षित नहीं है, इस देश में घोटाला भरा पड़ा है।

बोफोर्स मुद्दे में प्रत्येक व्यक्ति का नाम सामने आ गया है। आपने क्या किया? इस सरकार ने क्या किया? क्या यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? क्या यह नहीं है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधान मंत्री क्या कर रहे हैं? आपका रक्षा मंत्री क्या कर रहा है? हम जानना चाहते है कि आप बोफोर्स सौदे में क्या कर रहे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से तीन वक्ता थे। प्रतिभूति घोटाले के बारे में उन्होंने क्या कहा? अब तक कुछ लोग गिरफ्त में आ जाने चाहिए थे। हम पूरी तरह जानते हैं कि क्या हुआ। एक व्यक्ति को गुरू बनाया गया था और हम जानते हैं उसे खत्म कर दिया गया है।

डा० मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति का प्रत्यक्ष परिणाम, जैसाकि पहले बताया गया था, 12000 करोड़ रु० का प्रतिभूति घोटाला है

बोफोर्स की रकम पाने वालों के बारे में अब स्पष्ट प्रमाण है (व्यवधान)। अब हमें कार्यवाही करनी है।

अब सूटकेस की अर्थव्यवस्था है। सरकारी उपक्रमों के शेयरों के अप्रनिवेश संबंधी घोटाला कोई कम महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। यह सबसे बड़ा घोटाला है जिसका इस देश को सामना करना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सरकार को इसकी परवाह नहीं है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने अनुमान लगाया है कि गैर-सरकारी संस्थानों ने 126.62 प्रतिशत से 615.53 प्रतिशत लगभग 3000 करोड़ रु० का लाभ कमाया है। आज तक इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इसके लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं है।

सरकारी उद्यमों का शेयर बेचकर आप अपना बजटीय घाटा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह शेयर कौन खरीद रहा है। जब तक वे यह नहीं जानते कि अंततः आप उन्हें बहुसंख्यक शेयर देंगे इन कंपनियों को कम शेयर लेने में भला उनकी क्या रुचि होगी। इस प्रकार आप हमारे बड़े सरकारी उद्यमों को डुबो रहे हैं जिन्हें श्री जवाहर लाल नेहरू ने काफी परिश्रम से बनाया था। इन्हें मन्दिर कहा जाता है। उन्होंने इसे आधुनिक भारत का मन्दिर कहा गया। उनके उत्तराधिकारी इन मन्दिरों को बर्बाद कर रहे हैं। आप सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को बर्बाद कर रहे हैं। आप उन मन्दिरों को दूषित कर रहे हैं जिन्हें श्री जवाहर लाल नेहरू ने बनाया था। यह अभी का कांग्रेस है, अब

आप कांग्रेसी नहीं हैं। आप कांग्रेस (इ०) हैं। कांग्रेस के बारे में बात न करें। किसी ने हमें 105 वर्ष के कांग्रेस की याद दिलाई। इस देश में ऐसी कोई कांग्रेस नहीं है।

हम जानबूझकर यह अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, हमें उन क्षेत्रों के बारे में पता है जिसमें सरकार पूर्णतया असफल रही। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है—हमारे धर्मनिरपेक्ष ढांचे को तोड़ना, कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा देना। भारत के प्रधान मंत्री निद्रामग्न बुद्ध के समान हैं। शायद वे चिन्तित ही नहीं हैं। अतः देश के लिए कुछ करें ताकि इस देश को एक धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील तथा जनवादी सरकार मिले जिसकी इस देश को काफी जरूरत है।

श्री पी० सी० चाको (त्रिचूर) : सभापति महोदय, मैं अपने मार्क्सवादी साथी द्वारा लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं, प्रसंग वश मैं इस सभा में अविश्वास प्रस्ताव के पूर्ववृत्त की बात करना चाहूंगा। इस अविश्वास प्रस्ताव से इस संसद में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्तावों की रजत जयंती हो गई है।

5.00 म० प०

महोदय, 1947 से जबसे कांग्रेस सरकार सभा में आई है, विपक्ष द्वारा लाया गया यह 25वां अविश्वास प्रस्ताव है। यह सभा तथा हर कोई जानता है कि पूर्व के अविश्वास प्रस्तावों का क्या परिणाम निकला था। इस रजत जयंती अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम भी वही होगा जो पिछले 24 अविश्वास प्रस्तावों का हुआ था। इस सरकार के विरुद्ध पहले अविश्वास प्रस्ताव श्री वाजपेयी और श्री जसवन्त सिंह द्वारा लाए गए थे उस समय हमारे कम्युनिष्ट मित्रों को शिकायत थी कि वे अपने स्वयं के सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य में इस सरकार पर हमला करने का अवसर नहीं बना सके हैं। सौभाग्य से अब उनको इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का अवसर मिला है। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। श्री सोमनाथ चटर्जी या श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पता नहीं किन कारणों से सरकार का विरोध करने का निर्णय लिया है। मुझे अभी भी अपने कम्युनिष्ट मित्रों से बहुत आशा है और मैं अपील करता हूं कि यदि आप इस देश में किसी दूसरे दल से समझौता कर सकते हैं तो वह केवल कांग्रेस है कृपया इसे समझ जाएं। यदि आपका किसी प्रकार का कोई तालमेल हो सकता है तो वह केवल कांग्रेस के साथ ही हो सकता है। कामरेड यदि अल्पसंख्यकों का प्रश्न होता है तो आप पाएंगे कि भाजपा आपकी सहायता को नहीं आएगी, केवल कांग्रेस ही आपकी मदद कर सकती है श्री नरसिम्हा राव ने यह अपील अभी-अभी नहीं की है बल्कि तिरूपति के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने यह अपील की थी कि इस देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट होना चाहिए, यह आपके कानों में नहीं पड़ी। इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। अभी-अभी श्री सोमनाथ चटर्जी ने प्रधान मंत्री की कानपुर की बैठक का जिक्र किया है। वहां भी हमारे प्रधान मंत्री ने यही बात कही थी कि इस देश की धर्मनिरपेक्ष ताकतों से एकजुट होना चाहिए। हमें कोई शिकायत नहीं है कि आप इस प्रस्ताव को लाए हैं। अभी भी मतदान के लिए कई घंटे बचे हैं। हमें कल ही मतदान करना होगा। इसलिए मतदान करने से पहले तीन बार सोचिए। आप इस देश में साम्प्रदायिकता के साथ चल रहे हैं। अन्यथा आप इतिहास में दफन होकर रह जाएंगे। रूस, पूर्वी यूरोपीय देशों जैसे कम्यूनिस्ट पार्टी के जन्मदाता देशों में इस पार्टी को इतिहास में दफन कर दिया गया है। क्या आप वही रास्ता अपनाना चाहते हैं? आप विश्व में साम्यवाद का अन्तिम उदाहरण हैं और आप भी इतिहास में दफन होना चाहते हैं। यदि आपकी यही नियति है तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। नेताओं के इस अवसरवादी गठजोड़ के कारण हो

सकते हैं लेकिन बाकी लोगों के नहीं, मैं बाद में इसकी बात करूंगा। यह अविश्वास प्रस्ताव साम्प्रदायिक ताकतों के साथ अपवित्र समझौते और वामपंथियों की तिकड़मबाजी का परिणाम है। यह देश को कहां ले जाएगा ? मेरे पिता श्री अजय मुखोपाध्याय, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, ने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की है हम नहीं जानते कि यह देश कहां जा रहा है श्री सोमनाथ चटर्जी ने कांग्रेस इतिहास का उल्लेख किया है। यह 105 वर्ष पुरानी नहीं बल्कि 108 वर्ष पुरानी पार्टी है। मैं यहां कांग्रेस की बपौती के साथ खड़ा हूं जो कि 108 वर्ष पुरानी है। इसके इतिहास में झांकना हमारे लिए स्फूर्तिदायक है। लेकिन कम्युनिस्टों के लिए अपने बीते हुए इतिहास को याद करना। बहुत अच्छा नहीं है। आपने 55 वर्ष के इतिहास में बहुत से रंग बदले। जब चीन ने इस देश पर आक्रमण किया तो आपका निर्णय क्या था ? जब यह देश स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था तो आपने क्या निर्णय किया था ? आप द्वारा मातृभूमि को धोखा देने के उदाहरण हैं। आपको याद है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी के लिए लड़ी है और यह पार्टी इस देश में साम्प्रदायिक ताकतों के विरुद्ध लड़ी है। इसलिए हम अपनी गौरवमयी बपौती के साथ लोगों के सामने हैं मैं आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कह रहा हूं। मुझे आपके अन्तःमन से अनुरोध है कि शायद यह आपके लिए अपनी पार्टी को सही साबित करने का अंतिम अवसर है। श्री वी० पी० सिंह और श्री सोमनाथ चटर्जी इस परिपाटी को अपना सकते हैं। और नेताओं के अपने स्वयं के स्पष्टीकरण हो सकते हैं। वे अपने गंभीर शत्रुओं के साथ मेलजोल कर रहे हैं—हम यह समझ सकते हैं कि यह मेलजोल सत्ता के लिए है। लेकिन क्या आप एक क्षण के लिए सोचेंगे कि जब आप अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वापिस जाएंगे तो बेचारी जनता का क्या होगा ?

श्री नीतीश कुमार, क्या आप कुछ धैर्य रखेंगे ?

4.05 म०प०

(श्री पीटर जी० मरबनिआंग पीठासीन हुए)

श्री नीतीश कुमार : मैं केवल आपका समर्थन कर रहा हूं। जबकि आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, फिर भी आपका नाम बाहर टेलिविजन की स्क्रीन पर नहीं आया है।

श्री पी० सी० चाक्को : वह सब ठीक है। मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं है। मुझे एक प्रश्न करना है। जब आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में वापस जाएंगे तो आप लोगों के सामने अपनी स्थिति को कैसे स्पष्ट करेंगे ? मेरी मित्र श्रीमती सुशीला गोपालन यहां बैठी हुई हैं। मैं जानता हूं कि उनके लिए केरल वापस जाना तथा अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट करना कठिन होगा। जब उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग उनसे प्रश्न करेंगे कि उनकी पार्टी ने यह अपवित्र समझौता क्यों किया, तो वह मुख्यतः यह उत्तर दे सकती हैं "मैं क्या कर सकती थी, यह निर्णय श्री सोमनाथ जी द्वारा लिया गया था।" इसलिए जब आप अपने लोगों के पास वापस जाएंगे तो आप कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकेंगे और उन्हें राजी नहीं कर सकेंगे। आपके दोष कुछ भी रहे हों, गुजरे वक्त में कम्युनिष्ट पार्टी के कुछ भी विपणन रहे हों, मुझे आपके उद्देश्य के बारे में कोई शंका नहीं है और न ही हमें सार्वजनिक जीवन में आपके समर्पण पर कोई शंका है। मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। मैं यह भी जानता हूं कि आपके कार्यकर्त्ता आप में 100 प्रतिशत विश्वास रखते हैं, वे आपकी ओर एक आशा से देखते हैं कि आप देश की साम्प्रदायिक ताकतों से लड़ रहे हैं। जब आप वापस उनके पास जाएंगे तो आप इस समझौते के बारे में उनको क्या बताएंगे। आपके पास कोई जबाब नहीं होगा।

महोदय कुछ भी हो यह एक रोचक स्थिति है जो कि अब सभा में चल रही है। हमारे नेता श्री नरसिम्हा राव जी ने एक बार एक सार्वजनिक अपील की थी कि हमें एकजुट रहना चाहिए, आज भी मुझे आपको बताना है कि जनता दल अन्तःमन की वेदना से मुक्त नहीं है कि उनके नेता ने श्री राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया था। चाहे कुछ भी हो जाए श्री वी० पी० सिंह अपने आपको सही साबित नहीं कर सकते। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि श्री नीतीश कुमार जैसे जवान लोग भी इस जाल में फंस जाएं ? अपने सम्पूर्ण जीवन में श्री वी० पी० सिंह अपने अन्तःमन की चुभन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया बात पर प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए और गर्मागर्मी न बढ़ाएं।

श्री पी० सी० चाक्को : वास्तव में श्री नीतीश कुमार ने मुझे एक बात याद दिलाई है। मैं उनका धन्यवादी हूं। वे पिछले कुछ दिनों से लॉबी में इस विचार का प्रचार करते रहे हैं। और जनता दल में हमारे मित्र हमें सलाह दे रहे थे कि हम अपने नेता को बदल दें। मान लो हम उनसे अपना नेता बदलने को कहें तो उन्हें कैसा महसूस होगा ? यदि हम श्री नीतीश कुमार से यह कहें कि वी० पी० सिंह शक्ति विहीन हो गए हैं और उन्हें कुरबानी देनी चाहिए तो क्या नीतीश कुमार जी मान जायेंगे। इस पार्टी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टक्कर ली है हम किसी भी स्थिति से भयभीत नहीं हैं। श्री नरसिंहराव हमारे नेता हैं और हम इस अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम पहले भी ऐसे 23 अविश्वास प्रस्तावों को विफल कर चुके हैं। यह कांग्रेस पार्टी की विरासत है और हममें तुम्हारे अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने की ताकत है। किसी गलतफहमी में मत रहिए हम इस प्रस्ताव को विफल कर देंगे। आप चाहते हैं कि हम अपने नेता को धोखा दे दें। हम पिछले दो दिनों से इस लाबी में यही सुनते आ रहे हैं। आप भी सोचते हैं कि जब वे चले जायेंगे तो हम कोई और सामंजस्य बिठा लेंगे। आपकी यह चाल यहां नहीं चलेगी। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे तो आप खुद ही मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं। आपको देश की सियासी हालातों को समझ नहीं रहे हैं। हम श्री नरसिंह राव की सरकार का समर्थन क्यों करे हैं ? क्यों हम आपके प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। जाओ और बीजू पटनायक या लालू प्रसाद यादव से पूछो तब तुम्हें जवाब मिलेगा। मैं नीतीश कुमार से यही सवाल करना चाहता हूं कि क्या तुमने यहां आने से पहले अपने नेता से सलाह ली है ? कृपया ऐसा मत करो क्योंकि तब ऐसा करके तुम गलती करोगे। इस सभा में आपको श्री वि० प्र० सिंह के साथ चलने को मजबूर कर दिया गया है।

श्री नीतीश कुमार : हमारी राजनीति स्थिति पर चर्चा न कीजिए। देश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कीजिए।

श्री पी० सी० चाक्को : मुझे ऐसा ही करना है क्यों कि मुझे तुमसे पूरी-पूरी हमदर्दी है। दिल्ली में, वि० प्र० सिंह तुम्हें भड़का सकते हैं किन्तु जब तुम वापस पटना जाओगे तो क्या होगा नीतीश कुमार। अरे भाई अपने विवेक की पूछो कि तुम जो कर रहे हो वह सही है अथवा नहीं।

महोदय, मूलतः सवाल यही है प्रस्तावक कहते हैं कि देश में आर्थिक संकट है, समाज में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और सरकार हर मायने में विफल हो गई है और यही वजह है कि यह प्रस्ताव लाया गया। हम उन पहलुओं पर चर्चा करने के इच्छुक हैं। हम आर्थिक हालात पर चर्चा करने को

तैयार हैं। मुझे खुलासे में जाने की जरूरत नहीं। मेरे पास आंकड़े हैं और वे स्वयं ही बोलेंगे। मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता। इन सभी पहलुओं को श्री चिदम्बरम द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। मैं यह दोहरा दूं कि यह विश्व बैंक की राय नहीं है जैसा कि श्री सोमनाथ जी सोचते हैं। यह हर भारतीय की एक समझदार राय है। यह किसी वकील या विरोधी नेता की राय नहीं है। यह तो इस देश की झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में रहने वाले औसत भारतीय की राय है। औसत भारतीय चाहता है कि यह देश प्रगति करे। उदारीकरण का रुख सारी दुनिया में बना हुआ है और हमें भी इस रुख को लेकर चलना है। ऐसा करके हम आगे के लिए नए अवसर बनाएंगे। आप खुले दिमाग से इस पर क्यों नहीं सोचते।

मुझे मेरे माननीय दोस्त श्री फर्नान्डीज द्वारा दिए गए और मेरे द्वारा अब तक सुने गए इस सर्वोत्कृष्ट भाषण के लिए उनको बधाई देनी ही होगी। मैं चाहता हूं कि श्री फर्नान्डीज कल शाम तक यानि जब तक हम मतदान करें अपने भाषण पर टिके रहें। मैंने आज के समाचार-पत्र में पढ़ा था कि पिछली बार जब फर्नान्डीज जी जब अपने नेता श्री मोरार जी देसाई को बचा रहे थे तो उन्होंने इससे भी बेहतर भाषण दिया था। किन्तु उस दिन सूर्यास्त से पूर्व ही श्री फर्नान्डीज ने अपनी आस्थाएं विपक्ष को सौंप दीं। मैं हैरत में हूं कि वे "नमक सत्याग्रह" शुरू करेंगे। मैं यह समझ सकता हूं कि जिन लोगों ने गांधी जी को धोखा दिया था उन्हें सत्याग्रह करने पर उसका जुर्माना देना चाहिए किन्तु उन्हें अपने शब्दों पर टिके रहना चाहिए।

मैं, प्रतिभूति घोटाले की जांच हेतु गठित की गई संयुक्त संसदीय समिति का सदस्य हूं। उस समिति में क्या हो रहा है मैं उसका खुलासा नहीं करूंगा किन्तु मेरे कुछ दोस्तों ने जिनमें श्री फर्नान्डीज और श्री जसवन्त सिंह भी शामिल हैं, इस प्रस्ताव पर बोलते हुए कुछ सूचनाएं उद्धरित की थी जोकि संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य होने की बिना पर अनन्य रूप से उन्हें ही प्राप्त थीं। मैं किसी सूचना को उद्धरित नहीं करना चाहता हूं किन्तु मैं अपने दोस्त को सिर्फ यही याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश के लोगों की याददाश्त काफी अच्छी है। उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करिए। श्री फर्नान्डीज ने इस सभा में खड़े होकर यह घोषणा की थी कि वे इस घोटाले में शामिल 6 मन्त्रियों के नाम बतायेंगे। तब से अब तक डेढ़ साल बीत गया किन्तु अभी भी उनको नाम बताने हैं। संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य होने के नाते उन्हें जो जानकारी है वे उसे भी तोड़-मरोड़ रहे हैं।

कल विपक्ष के एक माननीय मित्र ने कहा कि श्री चिदम्बरम ने प्रमोटर कोटे के शेयर खरीदे। श्री चिदम्बरम यहां बैठे थे परन्तु वे जवाब नहीं देना चाहते हैं। महोदय तथ्य यह है कि उन्होंने एक निजी कंपनी के शेयर खरीदे थे। एक ऐसी कंपनी जिसके शेयरों का पूरा मुगताम नहीं किया गया था। कल श्री जसवन्त सिंह ने कहा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है और केवल इसी कारण उन्हें त्यागपत्र नहीं देना चाहिए। आज श्री फर्नान्डीज कह रहे हैं कि उन्होंने प्रमोटर कोटे के शेयर खरीदे हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वे अपने आरोपों को सिद्ध कर देंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे यहां राजनीति न करें। और राज्यों को तोड़-मरोड़ के पेश न करें। हमारे पास सबूत हैं। हमें सार्वजनिक जीवन में सभ्यता के लिए मानदण्डों का आदर करना चाहिए। श्री चिदम्बरम को त्यागपत्र नहीं देना चाहिए परन्तु उन्होंने त्यागपत्र दिया क्योंकि कांग्रेसजन अधिक जिम्मेदार हैं और जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की। हमें भा०ज०पा०, कम्युनिस्ट या ज०द० सदस्यों से ऐसी उम्मीद नहीं है। यह उदाहरण केवल कांग्रेसजन ही रख सकते हैं।

अब मैं देश की भुगतान सन्तुलन की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। इसके बारे में श्री चिदम्बरम द्वारा बहुत अच्छी तरह समझाया। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री यहां सभा में बैठे हैं जिन्होंने देश के खजाने को लूट लिया और हमारे प्रधानमंत्री को खाली खजाना दिया। हमारी सरकार को दिवालिया अर्थव्यवस्था मिली।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : उन्होंने खजाना लूट कर तिजोरी में भर दिया।

श्री पी०सी० चाको : मेरा मतलब तिजोरी से है और यह सही है। हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ है। आपका आरोप है कि हमारा विदेशी ऋण बढ़ रहा है। हमने धन उधार लिया है और इसीलिए हमारी विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ रहा है। हमारे बड़े दावे नहीं हैं। हमने धनराशि उधार लिया है परन्तु आप भी एक बात पर ध्यान दें। पूरी दुनियां में ऐसा कोई भी नहीं था जो हमें कुछ समझाने को तैयार था। इस समय भारत की सहायता करने वाले देशों की कतार लगी हुई है। इस तरह हमारी कितनी साख बढ़ी है। यह पिछले 24 महिनों में हुआ है। क्या यही कारण है, आप यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों पेश कर रहे हैं ? मैं प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता श्री अजय मुखोपाध्याय से पूछना चाहूंगा कि क्या यही कारण है जिसकी वजह से आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं।

क्या आप जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य में इस देश का क्या सम्मान है ? अब अनेक देश हमारे देश की सहायता करने को तैयार हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन-सा देश विश्व बैंक की सहायता नहीं चाहता है ? क्या कम्युनिस्ट विश्व बैंक से ऋण लेने का विरोध करते हैं ? केरल को कयामकुलम में एक ताप विद्युत केन्द्र बनाने की मांग है ? क्या आपको पता है क्या हुआ ? श्री ज्योति बसु ने अन्ततः इसे हमसे ले लिया। बक्रेश्वर परियोजना को विश्व बैंक की सहायता दे दी गई। अब वे हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अतः हम इस सहायता से वंचित रह गए थे। श्रीमती सुशीला गोपालन कायाकुलम ताप विद्युत केन्द्र के लिए सहायता की मांग करते हुए सभा के बीचोबीच पहुंच गयीं। परन्तु जब जापान से सहायता मिली तो यह पश्चिम बंगाल के पास चली गई। केरल को नहीं मिली। अतः यह मत कहिए कि वे विदेशी सहायता के विरोधी हैं। वे विश्व बैंक, ओ०ई०सी०एफ० या किसी भी अन्य पूंजीपति देशों से सहायता मांगने के लिए कतार में लगे हैं और यहां पर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हैं। महोदय, केवल भुगतान सन्तुलन ही नहीं बल्कि औद्योगिक विकास दर और सकल घरेलू उत्पाद आदि भी बढ़ा है। कृषि उत्पादन बहुत बढ़ा है परन्तु वे कहते हैं कि सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं है। यदि बाढ़ या सूखा या कुछ और भी होता तो वे कहते कि यह इस सरकार की वजह से हुआ है। जब कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई तो वे कह रहे हैं कि श्री नरसिंह राव का इससे कुछ लेना देना नहीं है। यह अविश्वसनीय है। कृपया ऐसी ओछी बात न कहें।

अब वे कह रहे हैं कि वे अनिवेश के विरुद्ध हैं।

श्री चिदम्बरम ने कहा है था कि वह अपनिवेश के पक्ष में नहीं थे। जैसा कि किया गया था। मैं अपनिवेश के पक्ष में हूं। यदि आप कहते हैं कि अपनिवेश की नीति ठीक नहीं है, तो डा० मनमोहन सिंह जी यहां पर उपस्थित हैं जो आपको इस सम्बन्ध में बतायेंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि हम इस मुद्दे पर चुप्पी साधने वाले हैं। हम पूरी जिम्मेदारी उठायेंगे।

विश्व में क्या हो रहा है, क्या आप जानते हैं ? आप पूर्वी एशियाई देशों अथवा चीन के कुछ उदाहरण लीजिए। क्या आप जानते हैं कि चीन में सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र का क्या योगदान रहा है ? पन्द्रह वर्ष पूर्व सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 85 प्रतिशत था। इस समय यह 55 प्रतिशत हो गया है। क्या कोई कम्युनिस्ट इन आंकड़ों के सम्बन्ध में विवाद

कर सकता है ? मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। हम भारतीयों द्वारा बहुत मेहनत से अर्जित किये गये धन को कहां निवेश कर सकते हैं ? क्या हमें इसे एयरलाइन्स में निवेश करना चाहिए। क्या हमें इसे प्राथमिकता क्षेत्र में निवेश करना चाहिए जहां पर आम जनता की दैनिक आवश्यकताओं जैसे सार्वजनिक परिवहन इत्यादि के लिए विकास के नाम से पूरा किया जाना है। अतः प्राथमिकता के सम्बन्ध में हमें निर्णय करना है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कम्पनियों में अपनिवेश निश्चित रूप से आवश्यक है। कम्युनिस्ट लोग चाहे जितने भी मिथ्या बयान दें, इस देश में आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम, आर्थिक सुधार कार्यक्रम जारी रहेंगे। कोई भी इसे रोक नहीं सकता। कभी आप कोई मुद्दा उठा सकते हैं, उसके लिए हम नाराज नहीं हैं। हम जानते हैं कि आप अप्रसन्न हैं ऐसा होने का आपका विशेष अधिकार है।

एक प्रश्न उठाया गया था कि कल हम कहां जा रहे होंगे। आप में से कई यह सोच रहे हैं कि आप हमें आंकड़ों का जोड़-तोड़ करके पराजित कर सकते हैं। आप यह समझ रहे हैं कि ये आंकड़े आपके पक्ष में है क्योंकि कांग्रेस अल्पमत में है। आप समझ रहे हैं कि यह सरकार चली जाएगी। मैंने आपको केन्द्रीय कक्ष में बहुत प्रसन्न देखा था। मैंने आपके चेहरों को देखा है।

श्री चिदम्बरम ने आपसे एक बहुत उपयुक्त प्रश्न पूछा था और वह यह कि यदि आप इस सरकार को गिराते हैं, तो आगे आप किसे समर्थन देने जा रहे हैं ? आप भा०ज०पा० को सत्ता में आने के लिए समर्थन करेंगे। आप यह भी समझ सकते हैं कि इस प्रक्रिया में आपको कुछ कांग्रेसी भी मिल सकते हैं। आप कुछ अव्यवस्थित सी व्यवस्था करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो दिन चले गए। अब आप कांग्रेस दल को पराजित नहीं कर सकते। कांग्रेस दल भी अस्तित्व में रहेगा और यह सरकार भी। यह सरकार उन आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करने लिए सत्ता में बनी रहेगी जो हमने आरम्भ किए हैं।

आप पूछ रहे थे कि हमें क्या मिला ? जो उपलब्धियां हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, मैं उन सबका उल्लेख एक-एक करके करना चाहूंगा। इस समय, मुझे विश्वास है आप इसके आगे एक शब्द भी नहीं बोल सकते।

जब इस सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव इस सदन के समक्ष लाया गया था, उसमें मुख्य आरोप पंजाब के बारे में था। आपने पंजाब की स्थिति पर चर्चा करने के लिए कई घन्टे का समय लिया। उसके बावजूद, पंजाब समस्या का समाधान इस सरकार द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से पहले दो अविश्वास प्रस्तावों में भी आपने असम की समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा की थी। वह समस्या भी अब वहां पर नहीं है। ऐसा लगता है कि यदि सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, विपक्ष को इससे अप्रसन्नता और निराशा ही होगी।

अब वे पूछ रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। यदि कोई भी इसमें समझना चाहता है तो मैं विशेष रूप से श्री सैयद शाहाबुद्दीन से इस मामले की जांच करने का अनुरोध करूंगा। मेरे विचार से वही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पूर्ण तरह से कश्मीर में हुए उल्लेखनीय सुधारों पर अनुपालन कर रहे हैं। मैं आपसे इस मामले का बारीकी से अध्ययन करने का अनुरोध करता हूं। हम कोई लम्बे-चौड़े दावे नहीं कर रहे हैं। असम और पंजाब समस्याओं का समाधान करने के पश्चात् स्वयं सरकार ने अभी हाल ही में उल्लेख किया है। सरकार की कार्यसूची में कश्मीर समस्या के समाधान को पहले मद के रूप में रखा गया है। परन्तु हमें अन्तर्राष्ट्रीय ताकतों और सीमा पार की देश को अस्थिर कमजोर

बनाने वाली सभी प्रकार की ताकतों का सामना करना पड़ता है। अतः यह समस्या थोड़ी सी जटिल हो गई है। परन्तु हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कश्मीर के मामले में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

हम जानते हैं कि कुछ समय पश्चात् आप इस सरकार के खिलाफ एक और अविश्वास प्रस्ताव लायेंगे क्योंकि केवल यही एक कार्य है जिसे संभवतः आप करना जानते हैं। जब तक आप दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आयेंगे, यह सरकार कश्मीर की समस्या का भी समाधान कर देगी। श्री राजेश पायलट, आन्तरिक सुरक्षा मंत्री अक्सर कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। आप जानते हैं वहां क्या हो रहा है। आप किसी अन्य व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते जिसने इतनी खतरनाक स्थितियों का सामना किया हो। हर रोज हम वहां पर कठिन स्थितियों से गुजर रहे हैं। आप नहीं जानते कि वह वहां क्या कर रहे हैं। वह वहां पर शांति और सामान्य स्थिति लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम घाटी में जाने और समस्याग्रस्त लोगों से मिलने, उनसे बातचीत करने और सर्वसम्भव तरीके से उनकी मदद करने का जोखिम उठा रहे हैं।

हम राजनैतिक प्रक्रिया को पुनः सक्रिय बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वहां पर भी हमारे वाम-पंथी मित्र उन लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते जो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। वे जो कुछ कहते हैं, आप उससे सहमत नहीं हो सकते। हम वहां पर सामान्य स्थिति लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक के बाद एक समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आर्थिक स्थिति में काफी अधिक संभावना है और यह देश गौरव के साथ विश्व की ओर देख सकता है कि इस देश ने कई समस्याओं का समाधान किया है। यदि यही हमारी गलती है। यदि यही हमारा अपराध है, तो आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं। यदि यही हमारा अपराध है कि हम सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसके लिए आप हमें सजा देने जा रहे हैं, आप हमें दंडित करने जा रहे हैं तो हम प्रसन्नतापूर्वक दोनों हाथों से इसे स्वीकार करेंगे क्योंकि भारत के लोग ऐसा चाहते हैं।

हर्षद मेहता महाशय द्वारा बनाई गई मनगढ़न्त कहानी का क्या हुआ। उसका कहना है कि उसने प्रधानमन्त्री को 1 करोड़ रुपए दिये हैं। संयुक्त संसदीय समिति के सामने सारे साक्ष्य मौजूद हैं। मैं इस विषय में विस्तार में नहीं जा रहा हूं। संयुक्त संसदीय समिति उस सम्बन्ध में निर्णय लेने जा रही है। हम उस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि सरकार गिर जाती है, तो उसका कुल परिणाम क्या होगा, क्या आप जानते हैं ? क्या आपने कभी उस बारे में सोचा है ? यदि यह सरकार गिर जाती है, यदि यह सभा भंग होती है, हम उसका सीधा परिणाम जानते हैं। यदि संयुक्त संसदीय समिति भंग हो जाती है, इससे किसे प्रसन्नता होगी ? श्री हर्षद मेहता प्रसन्न हैं। उनके पास सैकड़ों करोड़ों रुपए का काला धन है। (व्यवधान) आप में कम से कम एक माह तक प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य होना चाहिए। इस सत्र के समाप्त होने से पहले प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की हमसे आशा की जाती है। मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वालों को संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक, याने कम से कम एक माह तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। उनके अनुसार यह सरकार अब सत्ता में नहीं रहेगी और कल यह सभा भंग हो जायेगी। संयुक्त संसदीय समिति कहां जायेगी ? बम्बई से रुपयों से भरे थैले आ रहे हैं। (व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री पी० सी० चाको : मैं श्री नीतीश कुमार द्वारा लिए गए निर्णय को पूर्णतः समझता हूं। मैं जनता दल से बहुत दूर हूं। उनकी राजनीति से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। परन्तु मुझे विश्वास है कि श्री लालू प्रसाद यादव निश्चित रूप से उन्हें सरकार बनाने के लिए भा० ज० पा० के साथ मिलने नहीं देंगे। यदि ऐसा होता है, आपका अस्तित्व कैसे बना रहेगा ? आपके दल में कई प्रकार के लोग हैं। वे किसी भी ओर जा सकते हैं। परन्तु श्री नीतीश कुमार इस प्रकार से नहीं जा सकते। आपका उन पर निश्चित रूप से कुछ नियन्त्रण है। यदि ऐसा है, तो इस समय यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया है ? श्री हर्षद मेहता की इच्छा थी कि संयुक्त संसदीय समिति को भंग कर दिया जाये।

मुझे विश्वास है कि अपने राजनैतिक सम्बन्धों का लिहाज किए बिना संयुक्त संसदीय समिति के हम 30 सदस्य कठोर परिश्रम कर रहे हैं। और कतिपय निष्कर्षों पर आये हैं। इस देश के आर्थिक सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझावों का जिक्र संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन में किया जायेगा। इस प्रतिवेदन को अभी हाल ही में प्रस्तुत किया जाना है और अब उन्होंने इस संसद को भंग करने और उसके पश्चात् संयुक्त संसदीय समिति को भंग करने का निर्णय लिया है आप कितना विश्वासघाती खेल खेल रहे हैं, इस देश के लोग देखेंगे। महोदय, अतः साम्प्रदायिक ताकतों और वामपंथी नेताओं के बीच में हुआ अपवित्र गठजोड़ और हर्षद मेहता का "पैसा" ही खेल-मेल रहा है।

कल पौलोग्राफ विशेषज्ञ श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा यहां पर पौलीग्राफ परीक्षा का उदाहरण दिया गया था। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने पौलीग्राफ विश्लेषण किया है और यही रिपोर्ट को उद्धृत किया गया था। मैं नहीं जानता कि किसने श्री जेठमलानी को प्राधिकृत किया है क्योंकि पौलीग्राफ परीक्षण की रिपोर्ट श्री जेठमलानी के सुपुर्द की गई है। आपने आज के समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि जिन लोगों ने पौलीग्राफ परीक्षण किया है, उन्होंने परीक्षण की रिपोर्ट सीधे श्री जेठमलानी को दे दी होगी क्योंकि इन सभी जांच का कार्य उनके पास रहता है। इसका क्या तात्पर्य है ?

सभापति महोदय : कृपया नाम मत बताइये।

श्री पी० सी० चाको : इस पत्र को समाचार पत्र में पुनः प्रकाशित किया गया है और इस सभा में भी इसका उदाहरण दिया गया है···(**व्यवधान**)···हमारे माननीय एवं वरिष्ट सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज चाहते हैं कि हमारे प्रधानमन्त्री 'पॉलीग्राफ' परीक्षण दें। यदि कुछ विपक्षी नेताओं को 'पॉलीग्राफ' परीक्षण से गुजारा जाए तो यह शरलॉक होम्स के उपन्यास की तरह ही अच्छा होगा। यदि दोनों को एक साथ रखा जाए, तो एक जासूसी उपन्यास तैयार हो जाएगा। ये लोग इसी प्रकार के हैं। इसलिए कोई भी इस पॉलीग्राफ परीक्षण पर विश्वास नहीं करेगा। संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष ऐसे अकाट्य साक्ष्य हैं, जिन्हें हम देखने जा रहे हैं, जो संयुक्त संसदीय समिति के प्रत्येक सदस्य के पास हैं, कि भारत के प्रधानमन्त्री 4 नवम्बर, 1991 को 09·50 बजे से 13.15 बजे तक अपने कार्यालय में थे। ऐसा अकाट्य साक्ष्य मौजूद है और फिर भी वे यह कह रहे हैं कि हर्षद मेहता प्रधानमन्त्री से मिला था।

बम्बई का घोटाला मास्टर यह दावा करता है कि वह प्रधानमन्त्री से अपने जीवन में सिर्फ एक बार मिला और पैसा दिया। प्रधानमन्त्री उससे पैसा मांग रहा है। यह एक शर्मनाक झूठी

अफवाह है। यह बदनाम करने का अभियान है जो आप के स्तर का नहीं है। कृपया ऐसी चीजों को छोड़ दें।

इस देश की राजनीति तथा नागरिक जीवन को दूषित करने तथा गलतफहमी पैदा करने का यह एक जानबूझकर किया हुआ प्रयास है। श्री नरसिंह राव एक अकेले व्यक्ति नहीं हैं। वे एक प्रणाली के प्रतिनिधि हैं, वे उस दल के प्रतिनिधि हैं जो इस देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ी। यह इस देश की आर्थिक स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रही है। इस देश के नेता का चरित्र हनन इस देश को बरबाद करने जैसा है। यह धोखेबाजी से पूर्ण है। इस अन्तिम क्षण में भी मेरा अनुरोध है कि इस धोखाधड़ी वाले रास्ते से अलग हट जाएं। मुझे कहना तो बहुत कुछ है, परन्तु समय की कमी इसकी अनुमति नहीं देती है।

मेरी सिर्फ यह इच्छा है कि पूर्व प्रधान मंत्री, जो इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थक हैं, कम से कम अपनी समस्याएं अपने मित्रों के साथ बैठकर हल कर सकते हैं।

कल हमने श्री वी० पी० सिंह को यहां नहीं देखा। कल वह कहीं अन्य व्यस्त थे। हाल ही में उन्होंने एक घोषणा की कि वह सक्रिय राजनीति से सन्यास ले रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है ? यह बहुत ही रोचक है। इस अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में यह बहुत ही संगत है क्योंकि हमें यह निर्णय लेना है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा, "मैं विपक्ष की एकता की राह में रोड़ा हूं इसलिए मैं इस परिदृश्य से अलग हट रहा हूं।" पूर्व प्रधानमंत्री का यह आत्म मूल्यांकन कि वह स्वयं विपक्ष की एकता में राह के रोड़े हैं, श्रेष्ठ है। आप के लिए यह एक महान पहचान है, कृपया इसे बनाएं रखें। हम खुश है।

श्री श्रीकान्त जेना : वह सन्यास ले रहे हैं परन्तु स्विस फेडरल बैंक सन्यास नहीं ले रहा है।

श्री पी० सी० चाको : श्री जैना, आप ठीक कहते हैं। फेडरल बैंक देश में सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है, जो घोटाले में लिप्त नहीं है। आप नहीं जानते कि··· (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : सभापति महोदय आपकी आज्ञा से क्या मैं श्री जैना को स्मरण करा सकता हूं कि श्री वी० पी० सिंह ने इसको एक मूर्खतापूर्ण प्रयोग बताया है··· (व्यवधान)

श्री पी० सी० चाको : यदि मैं श्री जेना को स्मरण कराऊं तो इससे वह परेशान हो जाएंगे। में ऐसा करना नहीं चाहता हूं।

इस सभा के सभी सदस्यों का अन्तःकरण, चाहे वह किसी भी दल से सम्बन्धित हों, इस अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध है। इस देश के लोग इस अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध हैं। वे लोग, जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं तथा जो अपनी प्रतिदिन की रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध हैं। इसलिए हम इस अविश्वास प्रस्ताव का जोरदार विरोध करते हैं। मैं इस सभा के प्रत्येक सदस्य से इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय सभापति जी, हम लोगों ने इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव दिया है लेकिन देश में इस सरकार के प्रति विश्वास उठ चुका है। इस पर तो

मतदान कल होगा लेकिन जनता के मत में इसके प्रति मतदान हो चुका है। हमारे मतदान की गिनती कल होगी और उनके मतदान की गिनती जिस दिन होगी वह स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। सिर्फ हमारा ही विश्वास नहीं उठा है, जनता का भी विश्वास उठ गया है। आपका भी आत्मविश्वास उठ गया है, कहें न कहें। विश्वास का मत देंगे लेकिन आपके मौजूद प्रधानमंत्री के रहते आत्मविश्वास उठ गया है। यह बहुतों से पूछ लीजिए तो पता लग जाएगा। प्रधानमंत्री जी नहीं है, मैं तो उनसे कहता हूं कि हम लोगों पर नहीं अपने समर्थकों पर रहम करें, यह रहम उन पर कर दें तो उनको भरोसा हो जाए, अगर वे आगे चलेंगे तो जानते हैं कि उनके साथ कहां जाना होगा, पता नहीं। आज देश के कौन से तबके का विश्वास इस सरकार में रह गया है। जहां तक आम आदमी का सवाल है, प्रधानमंत्री और यह सरकार अपने ध्वस्त आश्वासनों का एक ढेर बन चुकी है। किस बिनाह पर नौजवान आप पर विश्वास करें ? इस आधार पर कि वे बेकारों की संख्या में एक नगण्य अदद और बढ़ गया है। क्या इस आधार पर कि उच्च शिक्षा का निजीकरण होकर उसके ज्ञान के कपाट बन्द हो गए हैं ? क्या इस आधार पर कि गरीब और मध्यम वर्ग का नौजवान भी आज जानता है कि उच्च शिक्षा में अब उसके पास साधन नहीं रह गए हैं ? क्या इसलिए आप विश्वास करें कि ज्ञान और रोशनी की किरण उसके लिए बन्द हो गई है ? किसान किस बिनाह पर आप विश्वास करे ? इसलिए कि जब से आप आए हैं उसका गया ही गया है। खाद के दाम बढ़ें, डीजल के दाम बढ़े, बिजली के दाम बढ़े, पानी के दाम बढ़े। वह अपना खून जलाकर जो काम करता है उसके पसीने का मोल भी उसको नहीं मिलता है। मजदूरों को आप पर कैसे विश्वास हो ? उनके लिए एक ही पालिसी बनी है। जब से यह सरकार बनी है उसको कोई भरोसा नहीं रहा, वह टूट रहा है। मंहगाई से टूट रहा है। आपने केवल एक पालिसी बनायी है और वह है एग्जिट पालिसी। इसलिए वे आप पर विश्वास प्रकट करें कि मजदूरों की भागीदारी का बिल राज्य सभा में दो-ढाई साल से पड़ा हुआ है और आप उस पर तवज्जह नहीं दे रहे हैं। उनके लिए वालयंटरी रिटायरमेंट की बात सोमनाथ जी कह रहे थे, गोल्डन हैंड शेक की बात कह रहे थे। अगर बालयंटरी रिटायरमेंट की बात कहीं पर लागू करनी है तो प्रधानमंत्री पर लागू करनी चाहिए। उनकी रिट्रेंनिंग तो हो नहीं सकती है लेकिन औरों को ट्रेंड करने से पहले ही वह वालयंटरी रिटायरमेंट ले लें तो अच्छा होगा।

एक माननीय सदस्य : आपने कितनी बार किया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने कई बार वालयंटरी रिटायरमेंट लिया। जब उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर था, तब किया, फाइनैन्स मिनिस्टर था तब किया, डिफेंस मिनिस्टर था तब किया।

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : आप भाग गये थे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपको भगा कर ऐसा किया कि आज तक मैजॉरिटी में नहीं आ पाये हैं। ऐसी चुनौती मत दीजिए। यह किसानों और नौजवानों का हाल है लेकिन बुनकरों का क्या हाल है। वे इसलिए विश्वास इन पर करें कि आज वे करघा छोड़ कर फावड़ा ले बैठे हैं। आप बनारस जाइये, आन्ध्र प्रदेश जाइये, बस्ती जाइये।

एक माननीय सदस्य : अपने राज की बात बताइये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपके ही राज की बात बताता हूं। आपके ही प्रधानमंत्री के राज की बताता हूं। आन्ध्र प्रदेश में चुन्डूर में दलितों की हत्या हुई। आज तक एक को भी सजा नहीं हुई। क्या इस पर विश्वास प्रकट करें ? क्या आज दलित इस देश के इस पर विश्वास प्रकट करें कि प्रमोशन की बात जो उन्हें आजादी के बाद मिली थी, वह ध्वस्त हो गई। इसलिए क्या वे विश्वास प्रकट करें कि चाहे चुन्डूर हो या सुमेर हो सभी जगहों में हालत खराब है। आज प्रधानमंत्री वही हैं जो 1984 में एच० एम० थे। एच० एम० मायने हर्षद मेहता नहीं होम मिनिस्टर। यहां हजारों सिख मार दिए गए और किसी को सजा नहीं हुई। आज जितना पिछड़ा वर्ग है वह इसलिए आप पर विश्वास करे कि हजारों सालों के बाद आशा की किरण जो उसको मिली मण्डल कमीशन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से, उसको खत्म करने का काम पीछे छुरे से नहीं बल्कि उनको जहर देकर मारने का काम उन पर किया।

गवर्नमेंट की कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि सीलिंग के नीचे जमीन दो तिहाई सिंचित है तो वह उस परिवार को नहीं मिलेगी। स्टेट में क्लास थ्री सर्विस के बाद क्लास टू में आ जायें, क्लर्क से सुपरवाइजर हो जाएं वह उसको नहीं मिलेगी। आज आशा की किरण को बुझाने का काम आपने किया है। इसलिए आप समझते है कि आप पर विश्वास प्रकट करें।

जब रामास्वामी का सवाल आता है तो आपके प्रधान मंत्री का विवेक गैरहाजिर हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है। प्रधानमंत्री का पद कार्यपालिका का सबसे बड़ा पद है, फैसला करने का पद है, काम करने का पद है। जब भ्रष्टाचार का सवाल आता है तो वह न्यूट्रअल हो जाते हैं। क्या यह न्यूट्रअल गवर्नमेंट है ?

चन्द्रास्वामी द्वारा सोमयज्ञ कराया जाता है। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले आप पर विश्वास कर पायेंगे ? परोक्ष रूप में राजनीति में धर्म को डालने की कोशिश आप कर रहे हैं। जब सोमयज्ञ करायेंगे, ये सब काम करायेंगे और उसकी पुष्टि करायेंगे तो किस मुंह से कहेंगे कि राजनीति से धर्म अलग है। इसको जनता बड़ी बारीकी से देखती और समझती है। और इन्साफपसंद जितने इस देश में है, वह आप पर इसलिए विश्वास करें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 6 दिसम्बर को धज्जियां उड़ती रहीं और आपके प्रधान मंत्री शयनागार में सो रहे थे, कैबिनेट को भी बुलाने की बात शाम को हुई थी। अक्लियत के लोग आप पर इसलिए विश्वास करें कि लालकिले से प्रधानमंत्री ने जो कहा था, उनको आश्वासन दिया था कि बाबरी मस्जिद नहीं, टूटेगी, वह टूटती रही, उनका विश्वास और उनका स्वाभिमान टूटता रहा और वहां लालकिले पर 15 अगस्त को उस आश्वासन को देकर फिर उसी कुर्सी पर बैठे हुए है तो क्या इसलिए विश्वास प्रकट करें* ।

क्या दंगाग्रस्त लोग इसलिए विश्वास करें कि बम्बई आप जाते हैं, वहां की पीड़ा देखने के लिए मोटर से उतरने का काम नहीं करते। हम नहीं जानते, मोटर से उतरना तो खैर सभी जानते हैं लेकिन शीशा उतारकर भी किसी से बात की है तो हमें नहीं मालूम। तो विश्वास की कौन सी कड़ियां आज जनता से जुड़ रही हैं ? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आप पर इसलिए विश्वास करें कि गुजरात के समुद्र तट पर जाकर गांधी ने एक मुट्ठी नमक बनाकर आजादी की जो घोषणा की थी,

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उस मुट्ठी नमक को आप कारगिल कम्पनी के हाथ बेचकर आप गुलामी की घोषणा कर रहे हैं, क्या इसलिए विश्वास प्रकट करें ?

[अनुवाद]

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं श्री वी० पी० सिंह से रुकने का अनुरोध करता हूं क्योंकि मैं इस पर एक वक्तव्य दे रहा हूं। मुझे आशा है वह बैठ जाएंगे, अभी नहीं बल्कि तब जब मैं बोल रहा होऊंगा। आपको सत्य का पता लगना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है, आज कोई बात है तो आप बता दीजिए। एक जो पीड़ा है, वह हमारे दिल में है···

श्री जगदीश टाईटलर : आपकी पीड़ा इस हाऊस के सामने मैं बता दूंगा (व्यवधान) ऐ, शोर मत मचाओ। हम उनसे बात कर रहे हैं, आप शोर क्यों मचा रहे हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं।

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

(एक श्री मिनिस्टर जगदीश टाईटलर खड़े हुए)

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सभापति महोदय, मैं इस पर आपका विनिर्णय चाहता हूं। यह उच्छृखल व्यवहार श्री नीतीश कुमार के अनुसार क्या यह उचित व्यवहार है? वह भी पीठासीन अधिकारियों में से हैं। उन्हें ऐसा कहने दीजिए।

सभापति महोदय : महाशय, सभी के लाभ के लिए हमें स्वयं को नियंत्रित करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, यह तो डराना है। इस प्रकार डराना उचित नहीं है। (व्यवधान) यदि आप सोचते हैं कि आप दुर्व्यवहार कर सकते हैं, अध्यक्ष भी दुर्व्यवहार करता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : एक आनरेबिल मिनिस्टर होकर जिस प्रकार से इन्होंने आचरण किया है···

(व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : यह शुरू किसने किया ? उसने ही शुरू किया है। हमने यह कहा, शोर मत मचाओ।

श्री नीतीश कुमार : यह बिहेवियर किसी मिनिस्टर को शोभा देता है ? (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय सभापति जी, जगदीश टाईटलर जी जो कुछ कहेंगे, हम लोग ध्यान से सुनेंगे । अगर हम लोगों की जानकारी में कोई कमी है तो उसको वह सुधारने का काम करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है लेकिन मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं ।

मैं यह कह रहा था कि आप विश्वास की बात कहते हैं । आज उद्योग मंत्री कौन है ? प्रधान मंत्री जी हमारे उद्योग मंत्री हैं । हम उन पर इसलिए विश्वास करें कि वे उद्योग मंत्री के नाते उनके तहत पब्लिक सेक्टर में जो लूट हुई है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट आ गई है, उसके कारण हम उन पर विश्वास करें । क्या इसलिए विश्वास करें कि जो कूपन रेट लीक हुआ है और विदेशी बैंकों ने इस देश की लूट की है ? इस लूट के बाद विदेशी बैंकों ने इस देश की अर्थ व्यवस्था को चरने का काम किया है और उस पर भी आप कुछ नहीं कर सके, इसलिए हम विश्वास करें । आज अखबार हर्षद मेहता और बोफोर्स की कहानियों से रंगा रहता है, मैं नहीं जानता क्या सच्चाई है, यह गलत है, लेकिन कम से कम हम लोगों का सिर शर्म से झुक जाता है और तकलीफ होती है । मैं पूछता हूं, इन सारे प्रस्तावों में हम लोगों को जवाब क्या मिलता है ? जवाब हमें मौन मिलता है । मान्यवर, इंसान तो बोल उठता है, लेकिन मौन की शक्ति या तो प्रधानमंत्री में है या देवताओं में है । हम लोग जात हैं मिन्नतें करते हैं, लेकिन वे मौन रहते हैं । लगता है, वे देवतत्व को प्राप्त हो गए हैं । हम लोगों को सिखाया गया था, सर्वणावाद एकारस्य, लेकिन यहां तो कर्मणावाद एकारस्य स्वयं हमारे प्रधान मंत्री जी हैं । उसके मुकाबले में हम लोगों के थक कर हारने की बात आती है, लेकिन हम लोगों के सामने थक कर हारने की बात नहीं है । आज देश हार रहा है, आज सरकार के सरवाइवल की बात करते हैं, सरकार सरवाइवल कर जाए, लेकिन मुल्क के सरवाइवल करने का सवाल है और इसलिए हम यह प्रस्ताव लेकर आए हैं ।

मैं वहां से शुरू करता हूं, जहां प्रधान मंत्री जी स्वयं उद्योग मंत्रालय के मंत्री है । पब्लिक सेक्टर पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आ गई है । उसमें साफ तौर से कहा गया है, पब्लिक सेक्टर में शेयर्स की बेची में लापरवाही बरती गई है । रिजर्व प्राइस आफ कर के जो मूल्य लगाया गया है ···(**व्यवधान**)··· जो मूल्य लगाया गया है वह कम था, लेकिन उसमें भी फिर कमी की गई है । कोई मामूली कमी नहीं की गई है, 22 फीसदी से 87 फीसदी तक उन मूल्यों को कम करके बेचा गया है । उसमें पसॉ-बैक करके शेयर्स के बेचने में कुछ हिस्सेदारी मिलती है, वह भी नहीं रखी गई । जैसा कि सोमनाथ जी ने कहा, जब सरकार बेच चुकी, तो उससे दुगने-तिगुने तक जो लोग बेचते हैं, उनको गेन होता है । खाली फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन बेचे तो गवारा कर लेते । बैक टु बैक अरेंजमेंट करके फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन के शेयर खरीद के पहले बोकर्स के बेची करके, उसके बाद गए हैं खरीदने के लिए । इस पक्ष को भी देखने की जरूरत है कि उसके पीछे कौन लोग हैं । फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन तो खाली पर्दे के रूप में आया है, लेकिन बोकर्स खरीदने का काम किए है । हमारे देश की लूट करने का जो काम किए हैं, वे मंत्री कौन हैं ? मैं उद्योग मंत्री, श्री पी० वी० नरसिंह राव जी से पूछना चाहता हूं ? अगर इनके तहत ये सारी बातें होती हैं, तो सोचने की बात और यह जिम्मेदारी किसकी है ? 3,442 करोड़ रुपए की बात तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कही है, लेकिन लोगों का मानना है कि दुगने-तिगने का घाटा हुआ है । आजकल जिस तरह से आंका जाता है, पब्लिक सैक्टर का मूल्यांकन किया जाता है, मैं अनुरोध करूंगा कि उस पर पुनर्विचार करें । सेल का अगर पेड-अप कैपिटल चार हजार करोड़ रुपए है, लेकिन जमीन का दाम, कालोनीज को छोड़ दें तो तीस हजार

करोड़ का होगा जिस तरह से आंकलन किया जाता है, उसमें भी एक सवाल है, केवल बुक वैल्यु डैप्रिसिएशन करके वैल्यु निकाली जाती है। एन०सी०ओ०ए० में श्री के० अशोक राव हैं।

उनका कहना है, उन्होंने उदाहरण दिया एक आठ हजार करोड़ की जायदाद, जिसके पास कंपनी है जिस तरह से आकलन होता है 450 करोड़ से खरीदी जाती थी, जिस तरह से आकलन होता है तो इसको सुधारने की जरूरत है और निजीकरण की प्रक्रिया में, एक तो निजीकरण तो ठीक है लेकिन एक अति निजीकरण भी हो रहा है। अति निजीकरण का मतलब जो बहुत निजी लोग हैं, निजी लोगों का अधिपत्य जो है वह है अति निजीकरण और उसमें इन निजी लोगों के हाथ में एक नाम आता है गोल्ड स्टार, खैर उस पर अभी मैं बाद में आऊंगा। लेकिन एक चीज में पब्लिक सैक्टर के अंदर पूछना चाहता हूं कि एक अजय कयान है इनको पब्लिक सैक्टर के शेयर्स बेचने का बहुत बड़ा हिस्सा मिला और आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह बताने की कृपा करें कि यह अजय कयान गोल्ड स्टार राइटस इशू के मैनेजर थे या नहीं। यह अब गोल्ड स्टार के अंदर शेयर होल्डर हैं या नहीं। अगर इस पर रहने के कारण इनकी कोई रक्षा हो रही है तो उसका भी स्पष्टीकरण करने की कृपा करें, गोल्ड स्टार कौन हैं।। गोल्ड स्टार के प्रमोटर्स हैं एन० कृष्णा मोहन, पी० वी० प्रभाकर राव, पुत्र श्री नरसिंह राव, ··· (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री यू० विजय कुमार राजू : 1989 में ही उन्होंने ऋण दिया था। गोल्ड स्टार कम्पनी को सिर्फ आपकी सरकार ने ऋण स्वीकृत किया। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया नाम न लें।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरा यह कहने का कतई आशय नहीं कि लड़के की जिम्मेदारी सब पिता पर आती है। लेकिन चूंकि पूछा तो बताना ही पड़ेगा कि कौन पिता है। (**व्यवधान**) पुत्र नालायक भी निकल सकता है और अनुकरण भी कर सकता है। अब क्या कर रहा है यह तो अलग बात है लेकिन उसको मैं नहीं खींचना चाहता हूं पिता के साथ वह अलग बात है उसकी अलग बात है उसकी अलग बहस होगी और न मैं उन व्यक्तियों के नाम पर जाता हूं मैं केवल गोल्ड स्टार पर जाता हूं इसको छोड़ देता हूं। यह जनवरी 86 में इनकार्पोरेट हुई लेकिन इसका पब्लिक इशू 1991 में आया। अब समझ लीजिये 91 क्या है, 90 के बाद 91 आता है यह तो सभी जानते हैं और उसी समय इनका पैड अप कैपिटल जो है करीब 45 करोड़ हो जाता है। इसके बाद कृष्णा मोहन की और कंपनियां, एशोसिएट कंपनी है एम० एस० खन्ना इनवेस्टमेंट, एम० एस० कृष्णाराव इनवेस्टमेंट, ये सारे, इस पर चूंकि अखबारों में आ गया है इसलिए मैं उसका सहारा ले सकता हूं। एक स्टडी हुई और इस स्टडी के अंदर यह माना गया कि जो इनका रिफंड आर्डर अकाउंट, मतलब जो शेयर्स लिये जाते हैं पब्लिक से लिया जाता है या जो लोग प्रमोट कर रहे हैं उनका राइट वे जमा करते हैं तो शेयर एलोकेशन, शेयर एलोकेशन में जो पैसा एक्सेस होता है, मान लीजिए हमने 20 शेयर का पैसा जमा किया और 10 शेयर ही मिले तो बाकी 10 का पैसा लौटेगा तो वह एक रिफंड अकाउंट बनाया जाता है। जिनको पूरा शेयर नहीं मिला उनको वापस मिले। यह रिफंड एकाउंट के बारे में अब मैं यह जानना चाहता हूं कि यह फिर पैसा ट्रस्ट में है, जिन लोगों ने शेयर्स के लिए पैसा दिया है

उन्हीं को जाता है। और किसी खर्चे में नहीं जा सकता, यह कानून के विरुद्ध है। हमारे वित्त मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं वे कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो रिफंड अकाउंट है, इस पर क्या ओवर-ड्राफ्ट किया जा सकता है। ओवर-ड्राफ्ट करने का मतलब है कि दूसरे के पैसे को हजम किया गया, तभी ओवर ड्राफ्ट हो सकता है। उस रुपए को दूसरी चीजों में नहीं लाया जा सकता। "गोल्ड-स्टार" के रिफंड आर्डर अकाउंट में यह ओवर ड्राफ्ट हुआ या नहीं और अगर हुआ तो इतने बड़े घोटाले पर कार्यवाही होनी चाहिए। इसके साथ ही जो रिपोर्ट आई है, जो जांच हुई है, जिन पार्टियों को प्रमोट कर रहे थे, उनसे जो पैसा लिया, वह भी स्पष्ट नहीं है, इशू था या नहीं था और यह जो ओवर-ड्राफ्ट हुआ, हमारे वित्त मंत्री जी बैठे हैं, उसमें पूर्ति करने का काम कैश क्रेडिट अकाउंट्स में किया जाता है, यह बिल्कुल अवैध है। इतना रुपया गया, इसका रिजर्व बैंक से कोई अथोराइज्ड नहीं है। इस तरह से अगर रिजर्व अकाउंट में कमी हो तो कैश क्रेडिट अकाउंट से ट्रांसफर के लिए आर० बी० आई० की अथोराइजेशन चाहिए, लेकिन यह काम बिना अथोराइजेशन के किया गया है। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, जरा बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी रोचक चीज है। जब इस सबकी जांच होने लगी···।

[अनुवाद]

श्री भू० विजय कुमार राजू : क्या मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं ?

सभापति महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री भू० विजय कुमार राजू : नियम 376 के अन्तर्गत।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री भू० विजय कुमार राजू : श्री वी० पी० सिंह जी उस मामले पर बात कर रहे हैं जो संयुक्त संसदीय समिति की जांच के अधीन है। संसद ने यह कार्य संयुक्त संसदीय समिति को दिया। जांच जारी है। संयुक्त संसदीय समिति ने भी सम्बद्ध संगठन से मामले में जांच करने के लिए कहा क्या इस मुद्दे को सभा में अब उठाना उचित है। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री वी० पी० सिंह कृपया अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, बड़ी दिलचस्प बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। उस कंपनी की जब जांच हुई कि ओवर ड्राफ्ट कैसे हुआ तो इनके लोगों ने बताया कि—

[अनुवाद]

"समिति को यह बताया गया कि रजिस्टर के अन्त में आय से संबंधित डाटा कंप्यूटर वाइरस से गलत हो गया"

[हिन्दी]

कंप्यूटर वायरस से डाटा करप्ट हो गया। यह वायरस आफ करप्शन और तो और कंप्यूटर भी इससे करप्ट होने लगे, जिससे सब डाटा गड़बड़ हो गया, खराब हो गया। क्या इस बात पर कोई विश्वास करेगा ? इस बात में कोई दम नहीं है कंप्यूटर वायरस से डाटा करप्ट हो गया, इन्होंने कंप्यूटर को ही करप्ट कर दिया है।

23 जुलाई सन् 1992 को गोल्ड-स्टार के जितने भी शेयर अलाटमेंट्स थे, वे फायनल हो गए थे।

5.00 म०प०

23 जुलाई को फाइनल हो गया और कंपनी को मालूम हो गया दुगुना सब्सक्रिप्शन आया है। उस समय उनको सही हिसाब-किताब मालूम था कि कितना है। आठ अगस्त को इन्होंने हैदराबाद के स्टेट बैंक आफ इंडिया में अकाउन्ट खोला। उस दिन इन्होंने पूरा रुपया जमा नहीं किया बल्कि दस करोड़ रुपया जमा किया और चार करोड़ रुपया जो वाजिब था तो इनको जमा करने में 6 महीने लगे। शेयर होलडर्स के पैसे के साथ इन्होंने इस तरह से काम किया। इस घोटाले का कौन जिम्मेदार था इसकी डिटेल में जांच होनी चाहिए। कावेरी कन्सलटेंट, गोल्ड स्टार की है यानि इन्हीं की है। इनको हिसाब-किताब के ऑडिट करने का काम दिया गया। लेकिन, उस आडिट में से जो प्रमोटर हैं और इन लोगों के जो शेयर्स हैं और उनके रिफन्ड का मामला है। वह मामला उन कंसलटेंट्स को बाहर का दिया गया सिर्फ पब्लिक शेयर्स के आडिट करने का काम किया गया। उनकी निगाह से क्यों अलग किया गया। सिवाय प्रमोटर के और कोई नहीं जानता कि कितना रुपया हुआ। यह भी रिपोर्ट आई है कि 12 करोड़ रुपये हमने दिये हैं लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है। इस तरह से 'सेबी' ने जो इंक्वारी की है, वह अखबारों में आ गया है।

[अनुवाद]

"इसका कारण यह है कि आपकी आदेश रात। किसी भी परिस्थिति में अतिदेय नहीं हो सकता म हीं ऐसे अतिदेय की बाहर से भरपाई की जा सकती है"

[हिन्दी]

बाहर से कर्जा लेकर उसमें पैसा जमा करने का काम किया। वह अवैध काम गोल्ड स्टार शुरू से आखिर तक करती चली आई है। मैं इस विषय पर एक-दो बिंदुओं पर बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : सभापति महोदय, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी सेबी के विभिन्न कागजातों तथा अन्य कागजातों का उल्लेख कर रहे हैं जो संयुक्त संसदीय समिति को दिए गए हैं। अतः मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह उचित है कि क्या इन सभी कागजातों पर जो संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन हैं इस सभा में चर्चा की जानी चाहिए ?

कुछ माननीय सदस्य : क्यों नहीं ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है। क्या वित्त मंत्री को सभा में उन बातों को बताने का अधिकार है जिन पर संयुक्त संसदीय समिति में चर्चा हो रही है ?

मेरा यही प्रश्न है। उन्हें यह जानकारी कहां से मिली ? मुझे यह मालूम नहीं है। क्या उन्हें सभा के समक्ष यह घोषणा करने का कोई अधिकार है कि संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष ये सामग्री है ? (व्यवधान)

श्री भू० विजय कुमार राजू : आप संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य हैं। आप चुप क्यों हैं ? (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : आप यह प्रश्न क्यों पूछ रहे है ? कोई भी सदस्य इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने विशेष तौर पर कहा है कि संयुक्त संसदीय समिति को 'सेबी' के ये प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। क्या यह विशेषाधिकार हनन नहीं है ? मैं आपसे जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं रिकार्ड को ठीक करता हूं। यदि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संयुक्त संसदीय समिति के प्रस्तुत किए गए कागजातों में से उल्लेख किया है तो मुझे लगता है आप ऐसा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं अपने प्रश्न पर आता हूं। यदि यह सही है तो यह विशेषाधिकार हनन का मामला है। उन्होंने इसे प्रकट किया है।

सभापति महोदय : कृपया संयुक्त संसदीय समिति को दिए कागजातों में से किसी बात का उल्लेख न करें।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : हम संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य नहीं हैं। हमें इसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है ?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। न तो वित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह और न ही श्री वी० पी० सिंह संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य हैं। डा० मनमोहन सिंह किस प्रकार जानते हैं कि यह विशेष कागजात संयुक्त संसदीय समिति को दिया गया है ?

श्री मनमोहन सिंह : मैं यह कहता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति ने मुझसे गोल्ड स्टार के मामले के बारे में कुछ कागजात मांगें थे। हमने वे कागजात संयुक्त संसदीय समिति को दे दिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं। आप बैठिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री वी० पी० सिंह जी आप कृपया उन बातों का उल्लेखन न करें यदि ये संयुक्त संसदीय समिति को प्रस्तुत किए गए कागजात हैं। कृपया इस सभा में इसका उल्लेख न करें।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : वह संयुक्त संसदीय समिति के कागजातों में से किसी बात का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। हम भी संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य हैं। उन्हें संयुक्त संसदीय समिति के कागजात प्राप्त नहीं हुए हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह क्या है ? यदि वह कहते हैं कि उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के कागजातों में से उल्लेख नहीं किया है तो आप उन पर आरोप लगा सकते हैं। आप उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला ला सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप संयुक्त संसदीय समिति की आड़ में संसद को अंधेरे में नहीं रख सकते। सारी जनता इसे जानती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप इस प्रकार संसद को कैसे चला सकते हैं ? **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। किसी भी संसद सदस्य को कहीं से भी कोई कागजात लाने का अधिकार प्राप्त है। और वह उसे यहां रख सकता है। चाहे उसने चोरी की हो, मांग कर लाया हो या कहीं से भी लाया हो। कोई भी व्यक्ति इसे चुनौती नहीं दे सकता। सिर्फ एक बात यह है कि संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य नहीं बता सकते कि समिति की बैठक में क्या हुआ है। वे संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य नहीं हैं। उन्हें हर कागजात प्रस्तुत करने का अधिकार है चाहे वह उसे कहीं से भी लाए हों। आप इसे चुनौती नहीं दे सकते। **(व्यवधान)**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : सभापति महोदय, कल और आज इस चर्चा के प्रारम्भ से ही यह मामला कम से कम दो सदस्यों द्वारा उठाया गया और अध्यक्ष महोदय ने इस पर टिप्पणी की है। मैं इसे विनिर्णय नहीं कर सकता। जब यह मुद्दा उठाया गया था तो उन्होंने टिप्पणी की थी कि यह काफी नाजुक मामला है और घोटाला संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष है। **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

(व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : इस बारे में एक मामला उठाया गया था कि भाषण किस प्रकार के होंगे और बोलते समय सदस्य कहां तक संयुक्त संसदीय समिति के जांच के अधीन मामलों का उल्लेख कर सकते हैं ? आज प्रारंभ में अध्यक्ष महोदय ने यह कहते हुए टिप्पणी की कि वास्तव में यह ऐसा मामला है जिस पर उस दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ सदस्यों तथा इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों को चर्चा में भाग लेते समय, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि चर्चा में भाग लेते समय सदस्य गरिमायुक्त व्यवहार करेंगे यह उनकी टिप्पणी है। इस प्रकार के व्यवहार और ऐसी गरिमा की हम वरिष्ठ सदस्य से उम्मीद करते हैं जो पहले प्रधानमन्त्री भी रहे हैं। यह उनका व्यवहार है। कृपया अध्यक्ष महोदय द्वारा आज की गई टिप्पणी को देखें कि उस घोटाले की, जिसकी चर्चा हो रही है किस प्रकार का उल्लेख किया जा सकता है जिसकी एक संसदीय समिति द्वारा जांच की जा रही है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, कृपया इस मुद्दे पर मेरी भी बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : चेयरमैन साहब, यहां जब भी इस चर्चा में कोई स्पष्ट सबूत के साथ असुविधाजनक बात आ रही है लेकिन जे०पी०सी० का बहाना बनाकर उस तथ्य को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जे०पी०सी० पार्लियामेंट से ऊंची नहीं है। जे०पी०सी० को कोई काम सौंपा गया है, वह कब रिपोर्ट देगी और जे०पी०सी० के सदस्य जे०पी०सी० के कागजात को यहां उद्धृत नहीं करेंगे लेकिन एक संसद सदस्य और बाकी सदस्यों को यह पूरा अधिकार है कि कोई भी दस्तावेज यहां ला सकते हैं और अगर उसको अधिप्रमाणित करने की जरूरत होगी तो उसको अधिप्रमाणित करके यहां रख सकते हैं। हमारे अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। जे०पी०सी० के बहाने पूरी चर्चा को कुन्द कर देने की साजिश हो रही है। असल में बात यह है कि जब कोई असुविधाजनक बात आ रही है तो ये सारे लोग तिलमिला रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, मुझे एक निवेदन करना है कि जे०पी०सी० के सामने कोई दस्तावेज आते हैं कुछ सरकार की तरफ से आते हैं, कुछ, जिन लोगों से जांच की जाती है या पूछा जाता है, उनसे आते हैं लेकिन पिछले दो दिनों से अखबारों में आ रहा है, उसकी ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। प्रधान मंत्री कार्यालय से जिन-जिन लोगों ने जो दस्तावेज पहुंचाये हैं, वे हिन्दुस्तान के अखबारों में छपकर आये हैं। अगर आज कोई सदस्य यहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय या अखबारों में छपे दस्तावेजों का जिक्र करने के लिए खड़े हुये हैं तो क्या आप उनको रोकेंगे ? यह बहुत अजीब तरीका हो जायेगा। आप सांसद का मुंह बंद करने का यही तरीका अपनायेंगे ? पहले आप मेरी बात सुन लीजिये।

चेयरमैन साहब, यह कोई तरीका नहीं है। मुझे आपसे यही कहना है कि कल अगर सरकार इस सदन में कोई भी बहस बंद कराना चाहती है तो इतना ही करना कि पहले अखबार में जारी करो और फिर पार्लियामेंट के बाहर, जो जे०पी०सी० के दस्तावेज हैं, किसी कमेटी के दस्तावेज हैं और मुझे ये दस्तावेज अखबारों के जरिए मिले हैं, आप इस सदन में सबका मुंह बंद करने के लिए मत छोड़िये। अतः आप श्री वी०पी० सिंह को बोलने की इजाजत दीजिये। उनके हाथ में जो दस्तावेज हैं, वे जे०पी०सी० के दस्तावेज नहीं हैं, मैं यह प्रमाणित करता हूं। जे०पी०सी० के सामने जो दस्तावेज हैं, उनको मैंने देखा है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा एक अलग प्रश्न है। यह व्यवस्था का प्रश्न है। वह प्रश्न यह है कि संयुक्त संसदीय समिति को भेजे सभी कागजातों पर, जो सरकार अथवा वित्त मंत्री के माध्यम से जाते हैं, "गोपनीय" लिखा रहता है अन्य ऐसे भी मामले संयुक्त संसदीय समिति के पास पहुंचते हैं जिसकी जानकारी वह समाचार पत्रों को देना नहीं चाहती। यहां संयुक्त संसदीय समिति को भेजे ऐसे दस्तावेज को वित्त मंत्री ने सभा में प्रकट कर दिया। मैं इस बारे में आपका निर्णय जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे गोपनीय कागजात को जिसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है, वित्त मंत्री द्वारा इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। मैं आपका निर्णय चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : सभापति जी, मनमोहन सिंह जी से मैं आशा नहीं करता था कि उनके जैसा आदमी सदन के प्रोसीजर और रूल्स से परिचित नहीं है जो उन्होंने इस तरह का सवाल

उठाया है । मैं आपकी खिद्मत में शकधर और कौल की किताब से पढ़ना चाहता हूं कि डाक्यूमेंट के बारे में क्या प्रावधान है—

[अनुवाद]

सदस्य सरकार द्वारा गोपनीय माने गए कागजात तथा जिसे जनहित में सरकार द्वारा प्रकट नहीं किया गया, से आमतौर पर उद्धरण दे सकते हैं । इस बात की संभावना है कि ऐसे कागजात चोरी से या किसी गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किए गए हों तथा सदस्य उस स्रोत को जिससे उसने वह प्रति प्राप्त की है, बताने को बाध्य नहीं है ।

[हिन्दी]

सभापति जी, आपको जो सलाह देते हैं उनको बताना चाहिए था कि जो संसद सदस्य हैं, उनको सारे सरकारी दस्तावेज मिलते हैं । मान लीजिए एक सदस्य को जे०पी०सी० का डाक्यूमेंट दिया जाता है और वह उसको आपके समक्ष क्वोट करता है तो क्या आप उसको मना करेंगे ? मैं नहीं समझ पाता कि कैसे हमारे मनमोहन सिंह जी जो बड़े ज्ञानी थे, वह कहते हैं कि हर मेंबर को डाक्यूमेंट ओथेण्टिकेट करना पड़ेगा । हम चाहते हैं, कि आप इस आसन पर बैठकर सोच-विचार कर निर्णय दीजिए । इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इस पर पुनर्विचार कर वी०पी० सिंह जी को सही निर्णय देना चाहिए । मनमोहन सिंह जी की बात में कोई तथ्य नहीं है और यह गैर-कानूनी बात बोल रहे हैं, यह मैं कहना चाहता हूं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय सभापति जी, हमसे यह पूछा गया है कि जे०पी०सी० के कागजात से मैं क्वोट कर रहा हूं या नहीं ? मैं कैसे बता सकता हूं कि जो कागजात हैं वह जे०पी०सी० के हैं या नहीं । आप ऐसे व्यक्ति से यह सवाल पूछ रहे हैं जो जे०पी०सी० का मेंबर नहीं है, और उसके जबाव पर आप मुझे सजा दें ? मैं कैसे जानूंगा ? अगर किसी मायने में आपको मेरी क्वोटेशन पर ऐतराज हो तो मैंने कोई क्वोटेशन नहीं किया, केवल फैक्ट्स बताए हैं । अगर फैक्ट्स गलत हैं तो कह दीजिए कि गलत हैं । हम डाक्यूमेंट को रेफर नहीं करते मगर हम नोट्स तो रेफर कर सकते हैं ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस सभा के माननीय सदस्य अनेक तरीकों से विभिन्न गोपनीय कागजात प्राप्त कर सकते हैं । इस सभा ने संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है । संयुक्त संसदीय समिति के पास अनेक कागजात हैं । वित्त मंत्री शायद सभा को यह सूचित करना चाहते हैं कि इसी प्रकार के मामले संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष हैं । इसमें कोई गलत बात नहीं है, फिर भी मैं इन माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा जो बोल रहे हैं, कि जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री और इस सदन के काफी वरिष्ठ सदस्य हैं कि वे संयुक्त संसदीय समिति जिसका इस सभा ने गठन किया के मामलों को गोपनीय रखें । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि ये कागजात आपको उपलब्ध हो गए हों तो भी आप उन्हें सार्वजनिक न बनाएं । परन्तु यदि आप सोचते हैं कि आपके भाषण में ऐसा करना आवश्यक है तो आप कर सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय सभापति जी, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं कोई कोटेशन नहीं करता, मैं कोई कोटेशन नहीं करूंगा । मेरे पास नोट्स हैं, मैं उनको भी कोट नहीं

करूंगा, लेकिन मैं एक सवाल तो पूछ सकता हूं। मैं आपसे सीधे एक सवाल पूछना चाहता हूं और वह सवाल आंध्र बैंक फाईनेंश्यल सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में है, उससे पहले मैं अपने नोट्स तो देख सकता हूं, कोई कोटेशन नहीं कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि गोल्ड स्टार के जो श्री कृष्ण मोहन थे, उन्होंने मौखिक रूप से दो करोड़ रुपए का लोन दिए जाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट की थी ? क्या मौखिक रूप से लोन मांगा जाता है और लोन दिया जाता है ? कागज पत्रों के आधार पर हो सकता है लोन दिया गया हो, लेकिन क्या मौखिक रूप से भी लोन दिया जाता है ? दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि जब आंध्र बैंक फाइनेंश्यल सर्विसेज लिमिटेड ने उनको रुपया दिया, जिसे कर्ज कहा जाता है तो क्या उस समय कोई कांट्रैक्ट हुआ था ? क्या उस मौके पर कोई कांट्रैक्ट साईन हुआ था अथवा सीधे खाली चैक से पैसा दे दिया गया और वहां पहुंच गया ? जब भी कोई कर्ज दिया जाता है या लिया जाता है तो उसका एक कांट्रैक्ट होता है ?

इसके पीछे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आंध्र बैंक फाईनेंश्यल सर्विसेज को पैसा किसने दिया जो फिर वहां से कृष्ण मोहन नाम के व्यक्ति को दिया गया ? क्या यह सच नहीं है कि हितेन दलाल ने उसको दो करोड़ रुपया चैक से दिया ? क्या यह है या नहीं है, इसका जवाब आप यहां देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह (जालोर) : महोदय मैं आपकी अनुमति से श्री बी०पी० सिंह से सपष्टीकरण चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं कोई कोटेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे खाली सवाल कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : सभापति जी, अभी माननीय श्री बी०पी० सिंह जी ने कहा, उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या मौखिक रूप से किसी को ऋण दिया जा सकता है या नहीं, मैं बी०पी० सिंह साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या मौखिक रूप से एक वित्त मंत्री किसी विदेश कम्पनी को हिन्दुस्तान के तमाम एकाउंट्स की जांच करने के लिए, मौखिक रूप से, अप्वाइंट कर सकते हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कर सकते थे और किया है। इसकी बहस में मैं नहीं जाता, उसका जनता ने फैसला कर दिया है।

श्री बूटा सिंह : लेकिन फाईनेंस मिनिस्ट्री में उसकी कोई एप्रूवल नहीं थी, वह मामला कैबिनेट में कभी नहीं आया था। **(व्यवधान)**

5.24 म०प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री बी०पी० सिंह से जानना चाहता हूं कि क्या कोई वित्त मंत्री भारत में

सरकार और गैर सरकारी क्षेत्रों के खाते देखने के लिए मंत्रिमंडल में विचार किए बिना, फाइल पर बिना कोई टिप्पणी किए विदेशी कंपनी को नियुक्त कर सकता है, सी०आई०ए० का विस्तार कर सकता है ? क्या वह ऐसा कर सकते हैं, क्या यह संभव हो सकता है ? मैं नहीं जानता कि क्या ऐसा संभव है। डा० मनमोहन सिंह इसे व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मैं श्री वी०पी० सिंह से जानना चाहता हूं कि क्या यह इस देश में वित्त मंत्री के रूप में एक देश द्रोही का कार्य नहीं था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, इस मामले में मुझे याद है कि पिछली लोक सभा में एक वाद-विवाद हुआ था। आप या श्री जाखड़ अध्यक्ष के पद पर पीठासीन थे। श्री बूटा सिंह जिनके लिए मेरे मन में बहुत आदर और स्नेह है, ने इस पर लम्बा भाषण दिया और परिणाम यह निकला था कि पीठासीन अधिकारी ने उनके सम्पूर्ण भाषण को रद्द कर दिया था। (**व्यवधान**) उन्होंने जो भी कहा था, सब रद्द कर दिया गया था। (**व्यवधान**)

श्री बूटा सिंह : महोदय, क्या कोई वित्त मंत्री सरकार के नियमों और कार्यों के अन्तर्गत मंत्रिमंडल की स्वीकृति लिए बिना किसी भारतीय व्यापारी के खातों को देखने के लिए विदेशी एजेंसी नियुक्त कर सकता है। मैं उनसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। उन्हें 'हां' या 'न' में उत्तर देने दें। (**व्यवधान**)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : आयोग द्वारा आपकी कटु आलोचना की गई थी। क्या आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं ? (**व्यवधान**) आप इस बारे में क्या कहेंगे ? (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न कर रहा था कि क्या यह सच नहीं है कि आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विस लि० को हितेन दलाल ने 2 करोड़ रुपए दिए और वे गोल्ड स्टार के खाते में जमा हुए, और क्या यह सच नहीं है, जैसा कि हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कृष्ण मोहन जो यह कहते हैं कि हमको निजी रूप में यह रकम मिली है, तो वह उनके निजी खाते में क्यों जमा नहीं हुई, कम्पनी के खाते में क्यों जमा हुई ? क्या यह सच नहीं है कि यह गोल्ड स्टार कम्पनी को दिया है, निजी रूप में नहीं दिया है और क्या यह सच नहीं है कि इसमें गोल्ड स्टार ने जो शेयर दिये आंध्र बैंक फायनेंशियल सर्विसेस को वे फिर हितेन दलाल के ट्रस्ट के रूप में आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस ने नहीं रख लिए ? पहले गोल्ड स्टार को आता है, फिर यह हितेन दलाल को चला जाता है, यह क्या है ? क्या यह सच नहीं है कि ये जो प्रमोटर्स हैं, जो कि सब्जेक्ट इश्यूज कहते हैं वे इसके हकदार हैं, जो 8.80 करोड़ रुपये होते हैं और 12 करोड़ देते हैं, इन सारी रकमों का वैरीफिकेशन आज तक नहीं हो पाया है और यदि यह सच है तो क्या कार्रवाई की जा रही है ? और क्या यह सच नहीं है कि जो एप्लीकेशन गोल्ड स्टार ने दी है और जो उन्होंने स्टोक ऐक्सचेंज को दी, जो उन्होंने अलग कम्पनी को दी और जो उन्होंने वहां दिखाई और जो शेयर्स दिखाए वे अलग हैं ? जो रकमें देखते हैं उनमें घोटाले हुए हैं कि नहीं ? इसका उत्तर आप दे सकते हैं, आपको जानकारी है, आप हां या नहीं कर सकते हैं।

क्या यह सच नहीं है कि श्री एस०एस० मूंदड़ा, इनको कहा गया है कि 100 रुपए की यूनिट वाले शेयर्स हैं और क्या यह सच नहीं है कि 24 जुलाई, 1992 को यह खरीद एक बार दिखाई गई और फिर परिवर्तन करके इन शेयर्स को 1 हजार रुपए के 18 सितम्बर, 1992 को दिखाते हैं, क्या तारीखें भी सही नहीं दी जा सकती हैं ? क्या जो दस्तावेज पड़ी हैं उनके अन्दर शेयर्स की संख्या दे

दी गई ? कितना पेमेंट हुआ, वह नहीं दिया है, चेक नंबर नहीं दिया गया है, उनकी तारीख नहीं दी गई, जो कि मौलिक चीजें हैं, जो साधारण चीजें हैं वे भी नहीं दी गई हैं, क्या यह सच नहीं है कि ये चीजें उनकी दरख्वास्तों के अन्दर से गायब हैं, तो इससे मान्यवर यह सामने आता है कि यह सब होते हुए भी आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये सारे जो घोटाले हुए हैं उनके अन्दर यह सच है कि ये जो प्रमोटर्स हैं और उनको जो राइट इक्विटी शेयर्स का अलोटमेंट लिया है, उन्होंने जो हिसाब-किताब दिया, चाहे उनका 12 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन हो, वह गलत है, वह आंकड़े टैली नहीं करता है और उन्होंने जो रिफण्ड के अकाउंट दिए हैं उन सारों में बड़ी भारी हेरा फेरी है।

अगर यह सच है तो हम यह जानना चाहेंगे कि आज तक उन पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? क्यों नहीं अजय कायन पर कार्यवाही हुई ? किसी पर कार्यवाही नहीं हुई ? कृष्णामूर्ति के लड़के ने कर्ज लेने की बात की, कृष्णामूर्ति को बन्द कर दिया गया। यहां पर जो कुछ होता है उस पर कार्यवाही करने की बात क्यों नहीं होती है। यह उससे भी ज्यादा घोटाले की बात है जिस पर आप स्पष्टीकरण करें। मैं कोटेशन नहीं कर रहा हूं, आप जवाब दे सकते हैं। जवाब नहीं मिलेगा तो हम समझेंगे कि इस पर सरकार पर प्रश्नचिन्ह आता है। यही नहीं, अभी तो गोल्ड स्टार एक स्टार मिला है, पूरा गैलेक्सी है।···(व्यवधान) ··राव-खाव कम्पनी सब पर कार्यवाही करने की जरूरत है।

एक मुद्दा बूटा सिंह जी उठा रहे थे, बार-बार हमको वहीं पर घसीट कर ले जाते हैं, जानते सब कुछ हैं इसलिए हमको उस पर आना ही पड़ेगा ··(व्यवधान) · जब से यह सरकार आई है उसने क्या किया है। जिन अफसरों ने अच्छा काम किया है, जिन पर मेहनत, ईमानदारी के नतीजे आए हैं, उनको हटाने का काम पहले हुआ। शेषन को हटाया गया, उसके बाद माधवन को हटाया गया। उसके बारे में जब कोई पूछता है तो भूल जाते हैं। सोलंकी भूल जाते हैं कि कौन था। मैं कहना चाहता हूं बिन चड्ढा पर वारंट था। वे दुबई गए या कहां गए, पता नहीं। हमारी सरकार थी तो हम कोशिश कर रहे थे कि उनका रीपैट्रिएशन हो। सरकार मदद नहीं कर रही थी। हमारी सरकार खत्म होते ही उसका वारंट खत्म हो गया। कैसे हुआ ? वह आ सकता है, जा सकता है, वह अपने मन से आता है, अपने मन से चला जाता है, आपकी ताकत नहीं है कि उसे ला सकें। निरन्जन शाह को ला सकते हैं लेकिन बिन चड्ढा को नहीं ला सकते। हिन्दुजा का नाम आया है। क्या यह सरकार उसकी हिन्दुस्तान की प्रॉपर्टी को अटैच करने का काम करेगी। दूसरी सरकार ने बैंक के एकाउंट को अटैच करने का काम किया। नुकसान इस देश का है, फिर भी उसने अपने एकाउंट को अटैच किया। हमारा नुकसान है, क्या हमारी सरकार हिन्दुजा की सारी प्रॉपर्टी को अटैच करके सारी कमर्शियल ट्रान्जैक्शन को ब्लैकलिस्ट करेगी ? वह हिन्दुस्तान में कोई कौन्ट्रैक्ट न ले सके, ऐसा करने का काम करेगी। हमने बोफोर्स में किया था।···(व्यवधान)

कोतरोची का नाम हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। वह देश से बाहर न जाए, इसका इन्तजाम हुआ है या नहीं। यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है ? उनको रोका गया। जब हम सी०सी०पी०ए० के मैम्बर थे तो भी हमको दूसरी गाड़ी में जाना पड़ता था लेकिन उनकी गाड़ी सीधे अन्दर चली जाती थी। आज उन्होंने स्टेटमैंट दिया है। ··(व्यवधान)·· वे कहते हैं कि पैसा है लेकिन वह बोफोर्स का नहीं है। सोचने की बात है जब एफ०आई०आर० नौच हुई, स्विस बैंक में गई, यह गई

कि बोफोर्स के सिलसिले में इनवैसटीगेट कर रहे हैं, हम उनके एकाउंट को रोकना चाहते हैं। आप जानते हैं कि स्विस बैंक कितना कौशिअस हुआ।

वह जल्दी किसी का बैंक एकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते हैं। उनको जब तक तसल्ली नहीं हुई होगी बोफोर्स का है वह फ्रीज करने का काम नहीं करेंगे। फ्रीज हुआ है, नाम भी घोषित होता लेकिन वह हुआ नहीं है। हिन्दुस्तान में रहने वालों पर पता नहीं फेरा लागू होता है या नहीं, मैं नहीं जानता, इनकम टैक्स के क्लॉज लागू होते हैं या नहीं मैं नहीं जानता। बहरहाल इसको बाहर जाने से तुरन्त रोकना चाहिए, पैसे को वापस लेने का काम होना चाहिए। यह स्पष्ट हो गया है कि पिछली जे०पी० सी० ने एकदम लीपा-पोती का काम किया है। एक नई जे०पी०सी० बनानी चाहिए। जितने डाकुमेंट आए, वे नई जे०पी०सी० के सामने आयें।

बहरहाल इस वक्त चित्रा सुब्रह्मण्यम जिसने जान की बाजी लगाकर इसकी जांच के लिए योगदान दिया है हम समझते हैं कि उनका नाम लेकर यहां उसकी सराहना करनी चाहिए। जितने अधिकारियों ने काम किया है उनका नाम अगर मैं लूंगा तो उनको सजा हो सकती है। इसलिए उनका नाम नहीं लूंगा। इसको दबाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन हमारी मीडिया ने बड़ी हिम्मत के साथ काम किया।

जगदीश टाईटलर साहब ने कारगिल का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी सही नहीं है। मेरी क्या जानकारी है, वह मैं रख रहा हूं। अगर आपको दूसरी कोई जानकारी हो तो हमें बताने की कृपा करें। क्या यह सच नहीं है कि कारगिल कम्पनी ने पी०एम० आफिस में दरख्वास्त दिया कि कांडला के मुकाबले जमीन का हिस्सा 60 हजार एकड़ में से 15 हजार एकड़ दिया जाये। क्या यह सच नहीं है कि यह दरख्वास्त पी०एम०ओ० में गई ? क्या यह सच नहीं है कि एक महीने वह आई और अगले महीने उसको मंजूरी मिली। पी०एम० आफिस से एप्रूवल जनरल दिया जाता है। मेरी यादाश्त के अनुसार जुलाई में दरख्वास्त आई और अगस्त में मंजूरी हुई। क्या यह सच है कि यह प्रस्ताव जब कांडला के बोर्ड आफ ट्रस्ट्री के सामने आया तो उन्होंने इसका विरोध किया, रिजैक्ट किया। क्या यह सच नहीं है कि उसके रिजैक्शन में ग्राउंड दिए कि कांडला पोर्ट ट्रस्ट का आगे एक्सपैंशन रुक सकता है। क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने ग्राउंड दिया कि इससे बेरोजगारी होगी, क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने एनवायरनमेंट का ग्राउंड भी दिया, क्या यह सच नहीं है कि सुरक्षा की भी बात उठायी ? बंटवारे के बाद करांची पाकिस्तान में गया। पश्चिम में भले ही अपनी नौसेना के लिए उसका उपयोग न कर रहे हों लेकिन एक पोटेंशल होता है। किसी हवाई अड्डे या बन्दरगाह में फोटो खींचते हैं तो जेल हो जाती है लेकिन एक किलोमीटर के उस पार विदेशी कम्पनी को बिठाने का काम आप कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा का सवाल है ···(व्यवधान)···उन्होंने नहीं उठाया तो मैं उठा रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी कारगिल कम्पनी है ? इसका टर्न ओवर साल भर का 1 लाख 92 हजार करोड़ का है। हमारे जी०डी०पी० का एक तिहाई। आस्ट्रेलिया ने जो फैक्ट्री लगाई, उसमें 20 हजार टन नमक 50 लोग पैदा करते हैं। इस देश में 1 लाख 40 हजार टन नमक पैदा होगा और उसे हम बाहर भी भेजेंगे। जितना पूरा हिन्दुस्तान बनाता है उतना नमक बनाकर हम उसे बाहर भी भेजते हैं। नमक एक समय बनाना गांधी जी की मुठ्ठी में हमारी आजादी का प्रतीक था। आज यह हमारी गुलामी की प्रतीक कारगिल कम्पनी को देने का काम हो रहा है।

मैं जगदीश टाईटलर साहब से नहीं पूछ रहा हूं, मैं उधर रहा हूं इसलिए मैं जानता हूं कि इनसे पूछना गुनाह का काम करना है। पी०एम० आफिस से फैसला हुआ है, इसलिए प्रधान मन्त्री को जवाब देना चाहिए। यह राष्ट्रीय हितों का सवाल है, हमारी सुरक्षा का सवाल है। हमारी आजादी के इतिहास से जुड़ा हुआ आज नाम है, वह आज हमारी गुलामी के इतिहास में परिवर्तन हो रहा है, हम लोग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और पी०एम०ओ० के फैसले के बाद आप जवाब नहीं दे सकते।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं इसमें जवाब दूंगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी नहीं, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं। जहां फैसला हुआ है, पी०एम० आफिस में फैसला हुआ है, प्राइम मिनिस्टर को इस बात को आकर साफ करना चाहिए जबकि मुल्क के अन्दर तमाम दल, या जो दल में भी नहीं, वह अपने झंडों को छोड़कर इकट्ठे होकर वहां पर आन्दोलन कर रहे हैं। जार्ज फर्नान्डीज साहब की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने वहां जाकर इस मुद्दे को उठाया और यह दबने वाला मुद्दा नहीं है, इसकी सफाई में इसको रद्द करने का काम करें, नहीं तो यह संघर्ष बहुत लम्बा हो जाएगा।

अन्त में मनमोहन सिंह जी को, मैं सोचता था कि, सुन लूं, उसके बाद कहूं लेकिन यह बहुत होशियार हैं, कहा कि अन्तिम बात, लास्ट वर्ड इनकी रह जाय इसलिए लगता है कि बाद में वह जवाब देने की सोच रहे हैं। अभी एक जो हमारी डेट फाइनेंसिंग की स्ट्रेटिजी है,

[अनुवाद]

वास्तव में हमारी ऋण देने की नीति मूलतः भुगतान के बकाया पर निर्भर करती है और इसका प्रबन्ध विदेशी निवेश द्वारा किया जाता है। यह वित्तीय अन्तराल को भरने के लिए मूल नीतियों में से एक है। आपकी नीति के अनुसार न्यूनतम राशि लगभग 9000-12000 करोड़ रु० प्रति वर्ष की आवश्यकता होगी जिसके लिए हमारे महत्वपूर्ण संरक्षण प्राप्त हैं। इसे बनाए रखने के लिए और देश में इसे बनाए रखने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये का वार्षिक अन्तर्प्रवाह बना रहना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके मूल्यांकन के अनुसार यह संभव है।

एक ऐसा समय था जब वाणिज्यिक ऋण दिये जाते थे। आप इस बारे में भलीभांति जानते हैं। आपने अनुमति नहीं दी थी और जब मैं वित्त मंत्री था मैंने भी अनुमति नहीं दी थी। अल्पकालीन वाणिज्यिक ऋणों ने राजस्व घाटे आदि की अन्य समस्याओं के अतिरिक्त गम्भीर समस्याएं भी पैदा की हैं। यह समस्या विभिन्न कारणों से आठवें दशक के शुरू में आरम्भ हुई थी। यह कहने का कोई महत्व नहीं है कि यह समस्या इस सरकार के समय में आरम्भ हुई थी या उस सरकार के समय में। विभिन्न रूप में व्यापक तौर पर कुप्रबन्ध आठवें दशक से शुरू हुआ था। हम ऋण लेकर ऋण देने की व्यवस्था कब तक चला सकते हैं? इससे बहुत गम्भीर समस्या पैदा हो गई है क्योंकि अन्ततः हमें इसका पुनः भुगतान करना है। हम केवल निर्यात के जरिए ही ऋण जाल से बाहर निकल सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जो निवेश किए जा रहे हैं; उनमें से कितने निवेश निर्यात को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं या ऐसा है कि वे देश के उपभोक्ता बाजार को लक्ष्य बनाए हुए हैं।

श्री मनमोहन सिंह : अधिकांश निवेश निर्यातोन्मुखी हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सामान्यतः आप जानते हैं कि ऐसी प्रौद्योगिकी लाई जाएगी जिससे आधारभूत ढांचे में सुधार होगा और हमारे उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार में इनकी प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से उनकी स्थिति में सुधार होगा। यह आपका दृष्टिकोण है। लेकिन दीर्घावधि लाभों के अतिरिक्त आपको मध्यमकालीन और अल्पकालीन लाभों के बारे में भी सोचना चाहिए। मध्यमकालीन और अल्पकालीन वर्ग में अनेक मदें आती हैं। उदाहरण के लिए इत्र, रेजर ब्लेड, प्रसाधन सामग्री आदि जिससे लाभ रुपयों में होगा।

लेकिन वे डालर कैसे सृजित करने वाले हैं ? यह अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण कैसे बने रह सकते हैं ? इस अवधि के दौरान क्या हम और ऋण लेने जा रहे हैं या हम ऋण जाल में और अधिक फंसने जा रहे हैं। जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है यह सभी बातें हमारे वातावरण को प्रतियोगी बनाने जा रही हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए नियन्त्रण और व्यवस्थाएं समाप्त की जा रही हैं। लेकिन इस बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के समय में हम प्रतिस्पर्धी भारतीय उद्योगों पर हम कितना निर्भर रह सकते हैं ? भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की पहल होगी। हमारे उद्योग प्रतिस्पर्धा में कहां तक अड़े रह पाएंगे ? सम्पूर्ण आर्थिक नीति में कृषि की भूमिका क्या है ? डा० मनमोहन सिंह जी से इस बारे में सुनकर मुझे बहुत खुशी होगी। वह मुझसे सहमत हैं। कृषि के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के लिए कितनी धनराशि दी गई है ? कितनी धनराशि के लिए वायदा किया गया है ? मैं ऐसी अनेक समस्याएं सामने ला सकता हूं किन्तु इस समय मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं उन समस्याओं को किसी अन्य वाद-विवाद के दौरान उठाऊंगा।

विदेशी ऋण जाल से बचने, विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी के अधुनिकीकरण आदि के लिए अनेक सुझाव दिये हैं। उन्होंने चीन का उदाहरण दिया है। यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन ने अपने निवेशों को प्राथमिकता दी है। इसने पहले अपना आधारभूत ढांचा खड़ा किया है। चीन ने अपने राष्ट्रीय उद्योगों की भूमिका को पहले स्पष्ट किया है। इसलिए यह बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के किसी विशेष क्षेत्र में विदेशी निवेश कर सकता है।

क्या हम इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों को प्राथमिकता देंगे ? वह क्या प्रौद्योगिकी लाने जा रहे हैं ? वे क्या आयात करेंगे ? जापान ने भी अपने उत्पादों की प्राथमिकता सूची बनाई है। वह कैसे बना रहे हैं; वे बिजली की मदें बना रहे हैं उन्होंने एक प्रौद्योगिकी निश्चित की है। उन्होंने यह भी निर्णय लिया है कि देश के संदर्भ में इसे कैसे जारी रखा जा सकता है। वे इसे ऐसे ही जारी नहीं रख सकते हैं। इसके लिए स्वायत्तता की आवश्यकता है। इसके लिए अधिकार की आवश्यकता है। मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि प्राथमिकता देने का यह अधिकार या स्वायत्तता अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को दे दी गई है। इसलिए हम किसी को आदेश नहीं दे सकते हैं। जो हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था का इस मुद्दे को पहले लेना है।

यह बताते हुए अनेक आंकड़े दिए गए हैं कि मुद्रास्फीति की दर गिरी है। मैं आपको एक डाक्टर का उदाहरण देना चाहूंगा। एक दिन एक रोगी को बुखार आ गया। उसका तापमान 106 डिग्री तक हो गया। अगले दिन तापमान 107 डिग्री पहुंच गया। डॉक्टर ने रोगी से कहा कि कल तापमान 106 डिग्री था और एक दिन में यह बढ़कर केवल 107 डिग्री हुआ। इसका मतलब है कि आप बेहतर हैं।

इसलिये हमने मान लिया है कि 107 डिग्री तापमान 106 डिग्री तापमान से बेहतर है क्योंकि यह केवल एक डिग्री बड़ा है। लेकिन तब रोगी की मृत्यु हो जाती है।

अब मैं वृद्धि दर पर आता हूं। वृद्धि दर के सम्बन्ध में आंकड़ों की तुलना की गई है। उन्होंने 1991-92 के आंकड़ों जोकि 1.2 प्रतिशत थे, की 1992-93 के जो कि 4 प्रतिशत से तुलना की है। उस आधार पर, सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े बढ़कर 5 प्रतिशत हो जाते हैं। उन्होंने यह दावा किया है। लेकिन आपको यह भी देखना चाहिये कि जनसंख्या भी 2.1 प्रतिशत बढ़ी है। दो वर्ष में यह 4.2 प्रतिशत हो जायेगी। यदि आप प्रति व्यक्ति आय को लें तो यह लगभग 5 प्रतिशत थी और यदि आप सेंटर फॉर मोनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनोमी की गणना के अनुसार 1992-93 के पूर्व आंकड़े देखें तो यह 4 प्रतिशत नहीं बल्कि 3 प्रतिशत थी। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय शून्य हो जायेगी।

आपने वृद्धि के कुल आंकड़े दिये जो कि संगत नहीं हैं, ये जनसंख्या से सम्बद्ध हैं। जीवित लोगों से सम्बद्ध हैं। इस वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर क्या प्रभाव पड़ा है? किसी गरीब देश के लिए यह बहुत उपयुक्त है जहां 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। वृद्धि के आंकड़ों का कोई अर्थ नहीं है जब तक यह प्रति व्यक्ति आय से सम्बद्ध नहीं है।

आयात के सम्बन्ध में बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। अब यह दावा किया जा रहा है कि आयात कम हुआ है। पहले यह कहा गया था कि आयात के कारण वृद्धि नहीं हुई है। आज प्रगतिरोध और आयात को एक उपलब्धि समझा जा रहा है। यह संकेत दिया गया है कि यह और कुछ नहीं अर्थ-व्यवस्था की अवरुद्धता है। यह आयात इसलिए कम हुआ है क्योंकि आपकी सम्पूर्ण नीति आयात के उदारीकरण पर आधारित थी जो कि उत्पादन को प्रोत्साहन देगी। यह उत्पादन को प्रोत्साहन देगा; उत्पादन में वृद्धि होने से अधिक आयात को बल देगा। यह आपकी नीति थी। इसी नीति की पहली कड़ी गायब है। आप इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं?

अब पूंजी खर्च पर कटौती की गई है और राजस्व खर्च पर ऐसा नहीं किया गया है। अधिकारी वर्ग पर खर्च 11 प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन पूंजी खर्च पर कटौती से रख-रखाव में कटौती होगी। परिणामतः बहुत से बिजलीघर अपना रख रखाव करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए वह वित्तीय कटौती की केवल यांत्रिक उपलब्धि है वित्तीय घाटे का कोई महत्व नहीं है। इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

अब रिजर्व बैंक से अपना लाभ सरकार को देने की अपेक्षा की जाती है। पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले कभी भी रिजर्व बैंक ने लाभ की छोटी से छोटी राशि भी कभी सरकार को नहीं दी थी। अब यह एक बड़ी राशि है। नाबार्ड और आई०डी०बी०आई० इस लाभ सरकार को अन्तरित कर दिए जाने के कारण कंगाल हो रहे हैं। इसलिए इन सभी कारणों से हम कहीं भी देखें ऐसा कुछ नहीं है जो इस सरकार में विश्वास पैदा कर सकता है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि केवल इस तरफ से ईमानदारी नहीं बरती जानी चाहिए बल्कि दूसरी तरफ से भी बरती जानी चाहिए। यद्यपि पहले अनेक अवसरों पर ईमानदारी नहीं बरती गई है। सरकार को बचाने की बजाय देश को बचाना

चाहिए और यह इस देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

क्या आप बोलेंगे ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : जी नहीं। क्या हमें कुछ और समय बैठना चाहिए क्योंकि कल भी सीमित समय होगा ?

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : यह बहुत महत्वपूर्ण वाद-विवाद है और हम सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं। छोटे दलों ने अभी वाद-विवाद में भाग नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदय : कल भी हम कुछ और समय लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आज हम कुछ और समय नही बैठते हैं तो इसे पूरा कर पाना कठिन होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सांय 7 बजे तक बैठ लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम एक घंटा और बैठ लेते हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : अध्यक्ष महोदय, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में बहुत निराशापूर्वक भाग ले रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज देश तबाही की तरफ जा रहा है और यह स्थिति नरसिंहराव सरकार लायी है। इसे स्पष्टत: समझना होगा।

श्री अजय मुखोपाध्याय सरकार के विरुद्ध इस अविश्वास प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता हैं। इसमें कोई शक नहीं उन्होंने बहुत कुछ बताया हैं। उन्होंने जन विरोधी आर्थिक नीति, बढ़ती बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के बारे में बताया है। ये सब बातें बताई गई हैं। इन बातों में कुछ सच्चाई है।

आप अच्छी तरह जानते हैं कि आम आदमी मूल्य वृद्धि से परेशान है और उसकी कमर पूरी तरह टूट गई है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। आज यह स्थिति है और इसके अलावा अल्पसंख्यकों और दलितों के लिये देश में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि पिछले 43 सालों में जब अधिकांश अरसा देश में कांग्रेस की सरकार रही है अल्पसंख्यकों और दलितों से कोई सामाजिक न्याय नहीं किया गया। यह वास्तविकता है।

अब फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने अयोध्या में ढांचा गिराये जाने और उसके बाद साम्प्रदायिक तत्त्वों के साथ समझौतावादी दृष्टिकोण अपना लिया। यह एक विषय है। इसीलिए हमने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं इसके बारे में अधिक चिन्तित इसलिए हूं क्योंकि यह मामला सीधे अल्पसंख्यकों से संबंधित है।

एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र का सवाल है जिसे 1991 में जारी किया गया था उसके पृष्ठ 18 पर दिया गया है कि देश भीषण संकट

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

में है। इस घोषणा-पत्र को देखने के बाद आज हम देखते हैं कि 1991 के मुकाबले आज देश बहुत अधिक संकट में है।

इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह संकल्प लिया है कि वह उन तत्त्वों के विरुद्ध संघर्ष करेगी जो राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। उसने साम्प्रदायिकता और जातीयता की राजनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का भी संकल्प लिया है। उसने इस शताब्दी के अन्त तक गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने, मूल्य वृद्धि नियन्त्रित करने और देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करने का भी संकल्प लिया था। जहां तक मेरा सवाल है घोषणा-पत्र में यह वायदे और संकल्प किये गये थे। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि एक भी वायदा और संकल्प पूरा नहीं किया गया।

मैं विशेष रूप से एक बात से चिन्तित हूं कि साम्प्रदायिकता और जातीयता की राजनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का संकल्प लिया गया था—बाबरी मस्जिद को तोड़कर। मैं आपको बता दूं कि 6 दिसम्बर हमारे देश के हजारों साल के इतिहास में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। मैं यह कहूंगा कि हजारों साल के इतिहास में इस देश में कभी ऐसी दुःखद घटना नहीं हुई।

6.10 म०प०

यह हमारे देश के इतिहास में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इसके लिये कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। मैं जानता हूं कि भा०ज०पा० क्या है ? यह एक फासिस्ट पार्टी है। उनका संघ परिवार है। इसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भा०ज०पा० और विश्व हिन्दू परिषद सभी शामिल हैं। मैं जानता हूं कि उन्होंने मस्जिद तोड़ने की साजिश की है। आप यह समझ सकते है कि फासिस्ट ताकतों का ही ऐसा उद्देश्य हो सकता है। उनकी सहायता किसने की ? उनके साथ सांठगांठ किसने की ? आज यह प्रश्न उठता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि नरसिंहराव सरकार की भा० ज०पा० और समस्त संघ परिवार के साथ सांठ-गांठ नहीं होती, तो बाबरी मस्जिद को तोड़ा नहीं जा सकता था। इस बात को समझना चाहिए। मैं यह क्यों कह रहा हूं। इसके पीछे कारण है। आज क्या स्थिति है ? संविधान की अवमानना की गई है। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता समाप्त कर दी गई, देश की एकता और सौहर्द को भी खतरे में डाल दिया गया। यह वास्तविकता है। संविधान में बाबरी मस्जिद की रक्षा का आश्वासन है। सरकार को सविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना चाहिए। परन्तु वह ऐसा नहीं कर पायी। सरकार को उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है, उसे या तो तोड़ा जा सकता है या उसका निर्माण किया जा सकता है। परन्तु सरकार ने इसकी परवाह नहीं की इस बात को नजरन्दाज कर दिया और 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ने का समर्थन किया था।

ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने लाल किला से यह घोषणा की थी। कि बाबरी मस्जिद की रक्षा की जाएगी। वे शब्द क्या थे ? उनको समझना चाहिए। 15 अगस्त 1992 को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किला से दिये भाषण को प्रसारित किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद की रक्षा की जाएगी और मन्दिर का निर्माण किया जाएगा। यह पर्याप्त नहीं है। जहां तक घोषणा-पत्र का सवाल है उन्होंने क्या कहा ? उनके घोषणा-पत्र में कहा गया है : कांग्रेस पार्टी राम मन्दिर के निर्माण के लिये बचनबद्ध है। आगे उनके घोषणा-पत्र में कहा गया है :

"जबकि हम इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं, हम सभी संबंधित समुदायों की भावनाओं का पूरी तरह आदर करेंगे। यदि समझौता नहीं होता है तो सभी पक्षों को न्यायालय के निर्णय को मानना होगा। कांग्रेस मस्जिद को बिना गिराये मन्दिर बनाना चाहती है।"

यह बिल्कुल स्पष्ट है। घोषणा में ऐसा कहा गया था। प्रधानमंत्री ने ऐसी घोषणा अनेकों बार की थी। और जब भी हम उनसे मिले हम उनसे 6 बार मिले प्रधानमंत्री ने हमसे यह वायदा किया कि मस्जिद की रक्षा की जाएगी और मस्जिद को कुछ नहीं होगा। हर बार जब हम मिले उन्होंने ऐसा ही कहा।

महोदय, उस दिन तक मुसलमानों को इस सरकार में कुछ विश्वास था। उन्हें यह उम्मीद थी कि इस सरकार में कुछ न्यायवादी बातें हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इस देश में वे कुछ हद तक सुरक्षित हैं परन्तु मस्जिद तोड़े जाने के बाद वे सारा विश्वास खो चुके हैं। हमारा विश्वास समाप्त नहीं हुआ है बल्कि धर्मनिरपेक्षता को क्षति पहुंची है। 6 दिसम्बर की दुःखद घटना से हमारी बदनामी हुई, सारे विश्व में हमारी छवि धूमिल हुई है। कांग्रेस सरकार ने यह किया है। यहां मस्जिद की रक्षा करने और धर्म को राजनीति के विरुद्ध संघर्ष का वायदा किया था। इन सभी बातों की वजह से मेरे हृदय में बहुत कष्ट और पीड़ा है। वे संविधान के सभी प्रावधानों के विरुद्ध कार्य करते चले गये। और न्यायपालिका को भी शर्मिन्दा कर दिया। न्यायपालिका को नष्ट कर दिया गया। अब तक क्या कुछ किया गया ? मुझे सत्ता पक्ष से यह प्रश्न पूछना है। क्या देश के मुसलमानों की पीड़ित भावनाओं पर मलहम लगाने के लिये अब तक कुछ किया गया। क्या आप एक भी उदाहरण दे सकते हैं ?

प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने देश ने मुसलमानों की पीड़ित भावनाओं को सहलाने के लिये कुछ किया। बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। हमारे हृदय में पीड़ा है। इससे हमारी बदनामी हुई है। इससे विश्व में हमारी छवि धूमिल हुई है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी कल्याण सिंह द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के बाद उनकी सरकार बर्खास्त किये जाने के बाद लागू किया गया।

हमारे साथ क्या मजाक किया गया है। उन्होंने कल्याण सिंह की सरकार को उनके त्यागपत्र के बाद बर्खास्त कर दिया। 5.30 बजे वह त्यागपत्र देते हैं और 7.30 बजे उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। और 7 तारीख को ही 48 घंटों के अन्दर ही वहां अस्थायी तौर पर एक मन्दिर कैसे स्थापित हो सकता था ? यह बड़ी हैरानी की बात है कि श्री नरसिंहा राव की धर्मनिरपेक्ष सरकार ने अब तक इसका कोई समाधान नहीं ढूंढा है।

6.06 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

और अब क्या हुआ है ? प्रधानमंत्री जी एक पैकेज लेकर आये हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए यह कितनी अपमानजनक बात है। हम उनके पास गये और उनसे ऐसा न करने और इसे रोकने का अनुरोध किया। हमने ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि कई बार किया और कहा कि यह पैकेज नहीं लायें। और यह पैकेज है क्या है ? यह पैकेज मस्जिद के सम्पूर्ण पूजास्थल को अधिगृहीत करने का अध्यादेश है। मैं ये सारी बातें नहीं कहता। मैंने उनसे इसे बन्द करने के लिए कहा। श्री वी०पी० सिंह जी यहां पर उपस्थित थे। वह अभी-अभी गये हैं। जब वह सत्ता में थे, एक अध्यादेश लाया गया था। परन्तु तीन दिन के अन्दर ही उसे वापस ले लिया गया। कम से कम इस

देश की भावनाओं को समझने के लिए वह इतना तो कर ही सकते थे। परन्तु वहां पर एक ऐसी सरकार है जिसने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा—आपको चाहे जैसा लगे हमें इसकी परवाह नहीं है। हम जायेंगे और हिन्दू कट्टरपंथियों का समर्थन प्राप्त करेंगे उनका ऐसा रुख था।

न्यायमूर्ति एच०एम० सीरवै ने "मुस्लिम इंडिया" पत्रिका में अपने एक लेख में कहा था और मैं उद्धृत करता हूं :—

> "यह अध्यादेश अशक्त है क्योंकि इसके द्वारा मुस्लिमों और मुस्लिम सम्प्रदायों को अनुच्छेद 25 और 26 के अंतर्गत प्रदत्त धर्म संबंधी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।"

यह क्या है ? आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप धर्मनिरपेक्षता को ध्वस्त कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आपने साम्प्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। क्या आप ऐसा इस तरीके से कर रहे हैं। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे मुझे गहरा हार्दिक दुःख पहुंचा है। क्या आप एक भी ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिससे हमारी भावनाओं को थोड़ी राहत पहुंची हो।

इस पूजास्थल को अभिग्रहण करके आपने एक बुरा पूर्वोदाहरण प्रस्तुत किया है। आज आप एक मस्जिद का अभिग्रहण करने जा रहे हैं। कल किसी गुरुद्वारे का अभिग्रहण हो सकता है। उसके बाद परसों किसी गिरजाघर का अभिग्रहण किया जा सकता है और तत्पश्चात् किसी मन्दिर तक का भी अभिग्रहण हो सकता है। यह सब हमारे देश के संविधान के विरुद्ध है।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : 3000 से भी अधिक मन्दिरों को तबाह कर दिया गया है। इतिहास इसका गवाह है।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ : ऐसा कब किया गया ?

श्री सत्यदेव सिंह : आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यह कब किया गया था।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ : ऐसा कई शताब्दियों पूर्व किया गया था। मैं हाल ही के तथ्यों और वास्तविकताओं के इतिहास की बात कर रहा हूं कृपया इस बात को समझिये। जहां तक विपक्ष के नेताओं का संबंध है। श्री सोमनाथ चटर्जी ने अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत इस मामले को उच्चतम न्यायालय को सौंपने के बारे में जिक्र किया है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी नहीं है, बल्कि यह केवल सलाहकारी है। हम इसे स्वीकार कर भी सकते हैं अथवा नहीं भी। हमने आग्रह किया था कि इस मामले को संविधान के अनुच्छेद 138 के अन्तर्गत सौंपा जाये। इससे साम्प्रदायिक सद्-भावना उद्भूत होती। परन्तु क्या किया गया है ? यह बहुत खेद की बात है कि वहां पर ऐसा किया गया।

संविधान के अन्तर्गत इस दुःखद घटना, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रोकने का श्री नरसिंहा राव को पूरा अधिकार था। उनका पूरा हक था। यह मैं नहीं कह रहा अपितु न्यायमूर्ति सीरवै ने ऐसा कहा है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं कानून के सुज्ञ प्रतिष्ठ ज्ञाता श्री सीरवै द्वारा लिखे गये एक लेख से उद्धृत करूंगा जो मई, 1993 में मुस्लिम इंडिया में पुनः प्रकाशित हुआ है उनका कहना है :

"ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या की समस्या को एक राजनैतिक कार्यसाधकता के रूप में लिया है। उन्होंने हमारे संविधान का केवल इतना ही जिक्र किया कि संघीय संविधान के तहत केन्द्र वहां पर केवल राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ही हस्तक्षेप कर सकता था।"

परन्तु श्री सीरवै ने निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया है :—

"अनुच्छेद 355 एक ऐसा उपबंध है और यह इस सीमा तक सभी राज्यगत कानूनों से ऊपर हो जाता है और वह कानून इस अनुच्छेद द्वारा केन्द्र पर राज्य के मामले में डाले गए दायित्व को पूरा करने में या तो आड़े आते हैं या उनमें बाधा डालते हैं। यह अनुच्छेद के दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहले भाग में यह बताया गया है कि संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और दूसरे भाग में बताया गया है और यह सुनिश्चित किया जाए प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार शासित हो।"

उन्होंने क्या किया ? संविधान उनके साथ था। राष्ट्रीय एकता परिषद के सारे सदस्य उनके साथ थे। मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त भी राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य हैं। इस तरफ के मेरे मित्र भी राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य हैं। सभी दलों ने प्रधानमंत्री को इस मामले में आगे कार्यवाही करने के लिए पूर्ण अधिकार दे दिया था। भा०ज०पा० अलग-थलग पड़ गई थी और हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री इस मामले में आगे कार्यवाही करें। उन्होंने क्या किया ? कुछ नहीं। तब उन्होंने जानबूझकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके विरुद्ध संविधान में उपबन्ध था। और तब पुनः राष्ट्रीय एकता परिषद ने मस्जिद की रक्षा करने के लिए उन्हें पूरे अधिकार दिये। परन्तु कुछ नहीं किया गया। संविधान में इसके लिए भी उपबन्ध हैं। महोदय, यह कितनी अफसोसनाक बात है कि 6 दिसम्बर को मस्जिद को ढहा दिया गया। सम्पूर्ण मुस्लिम नेतृत्व सारे विद्वान, सभी सुविख्यात प्रोफेसर्स बुद्धिजीवी, शिक्षाविद और अन्य सभी उस दिन प्रधानमंत्री से मिले और उनसे साफ कहा "प्रधानमंत्री नरसिंहराव जी, हमारा विश्वास आप में नहीं रहा, कृपया आप त्यागपत्र दीजिए और जाइए।" उन्होंने कुछ नहीं किया। परन्तु तब उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था।

[हिन्दी]

उनके साथ विश्वासघात हो गया। किसने किया ?

एक Couplet अर्ज करना चाहूंगा :

[اُن کے ساتھ وسواس گھات ہوگیا کس نے کیا ؟ ایک Couplet عرض کرنا چاہوں گا]

"की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा,
हाय, उस पशेमां का पशेमां होना।।"

[کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ
ہائے اس پشیماں کا پشیماں ہونا]

[अनुवाद]

इसका तात्पर्य है कि वह कत्ल करने के बाद पश्चाताप कर रहे हैं। इसी प्रकार से वह पुनः पश्चाताप कर रहे हैं। उन्होंने कहा था :

[हिन्दी]

हां विश्वासघात हो गया है और यह मामला है।

[ہاں وشواس گھات ہوگیا اور یہ معاملہ ہے]

[अनुवाद]

यह केवल मुस्लिम सम्प्रदाय के विरुद्ध ही

[हिन्दी]

नहीं किया गया था बल्कि यह देश के विरुद्ध किया गया था। वह भा०ज०पा० का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने उन्हें धोखा दिया है। अतः यह केवल मुस्लिम सम्प्रदाय के विरुद्ध ही नहीं किया गया था बल्कि सम्पूर्ण देश के विरुद्ध किया गया था। और विश्वास घात कहने के पश्चात् उन्होंने एक और कार्य करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि उसी स्थान पर मस्जिद का पुनर्निमाण किया जायेगा। परन्तु इसका पुनर्निमाण नहीं किया। हमें यही आश्वासन दिया गया था। और क्या किया गया ? मैं पुनः उसी लेख से उद्धृत करता हूं जिसमें बताया गया है :—

"बाबरी मस्जिद के गिराए जाने से देश भर के मुस्लिम सम्प्रदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है। और अब उन लोगों की आहत भावनाओं को शांत करने का केवल एक यही उपाय है कि उस सम्प्रदाय को यह आश्वासन दिया जाये कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निमाण किया जायेगा। प्रधानमंत्री जी ने 7 दिसम्बर, 1992 को यह आश्वासन दिया और उन्होंने 7 फरवरी, 1993 को बी०बी०सी० के फोन-इन-प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा था मेरे विचार से यह आवश्यक था, मस्जिद का पुनर्निमाण करना मेरा कर्त्तव्य है।"

मैं "पुनः" शब्द पर जोर दे रहा हूं। "पुनर्निमाण" का तात्पर्य है, उसी स्थान पर मस्जिद का बनाना।

एक माननीय सदस्य : श्री जाफर शरीफ से पूछिए।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : श्री जाफर शरीफ सरकार के एक सदस्य हैं। परन्तु प्रधानमंत्री से पूछिए जो कि इसके लिए जिम्मेवार थे। "पुनर्निमाण" से अभिप्राय उसी स्थान पर निर्माण करने से है। क्या उन्होंने अब इसका निर्माण कर दिया है ? नहीं। पुनः विश्वासघात।

अब क्या हो रहा है ? उन्होंने पैकेज में बताया है कि दो न्यास बनाए जाएंगे, एक तो मस्जिद का निर्माण करने के लिए और दूसरा मंदिर का निर्माण करने के लिए। इस समय वे कुछ लोगों की तलाश कर रहे हैं, वे कुछ सन्यासियों तथा कुछ मौलवियों की तलाश में है जो अपनी आत्मा बेच सकते हैं और जो उन न्यासों के सदस्य हो सकते हैं।

महोदय, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस दल के चुनाव घोषणापत्र में यह बताया गया था कि मस्जिद को गिराये बिना ही कांग्रेस मन्दिर का निर्माण करेगी। मैं आपको भा० ज०पा० के चुनाव घोषणापत्र के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें यह बताया गया है :—

"भा०ज०पा० का यह दृढ़ विश्वास है कि जन्मस्थान पर श्री राम मन्दिर का निर्माण सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय आत्म सम्मान के प्रतिस्थापन का प्रतीक है।"

इस समय श्री नरसिंह राव ने अपना पूर्ण विश्वास कांग्रेस दल के घोषणापत्र में नहीं जताया है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि बाबरी मस्जिद की संरक्षा की जाएगी और बाबरी मस्जिद को कोई भी क्षति पहुंचाये बिना राम मन्दिर का निर्माण किया जाएगा परन्तु वह भा०ज०पा० के घोषणापत्र को कार्यान्वित कर रहे हैं। अतः किस प्रकार से साम्प्रदायिकता और अधिनायकवाद की राजनीति से लड़ने की शपथ को तोड़ दिया गया है।

महोदय, उसके बाद चन्द्रास्वामी का सोम्र यज्ञ हुआ जो कि एक मजाक था तथा वह पूर्ण तौर पर असफल रहा। प्रधानमंत्री के कहने पर चन्द्रास्वामी आए और हमें सलाह दी कि मुसलमानों को मस्जिद की बात भूला देनी चाहिए। तब सन्यासीयों की गुप्त सभा हुई और गोरखपुर में प्रधानमत्री ने कहा कि मन्दिर वहीं बनाया जाएगा जहां पर मस्जिद थी हम उन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं ? हम ऐसे प्रधानमंत्री पर कैसे विश्वास रख सकते हैं ? यदि हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं तो इससे मुस्लिम लोग, धर्म निरपेक्ष लोग, सही बात सोचने वाले लोग क्या समझेंगे ?

आपको यह समझना चाहिए। इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, उनकी नीतियों और तरीकों ने हमें इस स्थिति में ला दिया है। मैं देखना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार रहे क्योंकि 6 दिसम्बर, 1992 तक मेरा विश्वास था कि कांग्रेस एक धर्म निरपेक्ष पार्टी थी। मैं ऐसा मानता था। लेकिन 6 दिसम्बर, 1992 को कांग्रेस पार्टी ने एक धर्म निरपेक्ष पार्टी की सभी बातों को गंवा दिया क्योंकि मस्जिद के विश्वास के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं। यह सब एक धर्म निरपेक्ष संविधान ही सभी अवधारणाओं के विरुद्ध किया गया। मैं यह भावुक होकर नहीं कह रहा हूं, मैं यह सब कुछ जो कुछ हुआ उससे प्रेरित होकर कह रहा हूं।

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : अब कल प्रधानमंत्री कौन होगा ?

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ : यह कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है कि वे किसे अपना नेता चुनने जा रहे हैं। यह उनका विरोधाधिकार है। यह निर्णय लेना मेरा काम नहीं है। यदि वे प्रधानमंत्री बदल सकते हैं तो यह राष्ट्र के हित में होगा। वे अपनी नीति भी बदल सकते हैं। यह केवल मेरी राय है, लेकिन उनको ऐसा करना है।

महोदय, दो बातें हैं। प्रथम बात राष्ट्र को बचाने तथा प्रधानमन्त्री को बदलने के लिए उन्हें खुलकर सामने आना होगा। दूसरे, इस देश में फासीवाद के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु सभी धर्म निरपेक्ष ताकतों, देशभक्त ताकतों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को एक जुट होना चाहिए। कांग्रेस इसे अच्छे ढंग से कर सकती है। उनको अपनी विश्वसनीयता को स्थापित करना होगा। उनको विश्वास प्राप्त करना होगा तथा उनको धर्म निरपेक्ष ताकतों के साथ मिलना होगा। तब हम सबको मिलकर इस देश में फासीवाद के खतरे के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। हम तभी सफल हो सकते हैं।

महोदय, भ्रष्टाचार तथा हर्षद मेहता के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं इस बात का विनिर्णय नहीं करना चाहता कि क्या प्रधानमन्त्री ने एक करोड़ रुपया लिया

है या नहीं, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है। पहली बार देश के प्रधानमन्त्री पर एक करोड़ रुपया लेने का अभियोग लगा है इसलिए उनकी छवि मलिन हुई है। विश्वासनीयता समाप्त हो गई है। यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें सच का सामना करना होगा तथा अपने आपको मुक्त करने हेतु संयुक्त संसदीय समिति के सामने प्रस्तुत होना होगा। वे शायद इसे पंसद न करें लेकिन यह वास्तविकता है। हम चाहते हैं कि प्रधानमन्त्री को मुक्त किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, जिसका शानदार इतिहास है, जो इस देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ी थी, आगे आए तथा देश में सभी अन्य प्रजातांत्रिक, धर्म निरपेक्ष और देशभक्त ताकतों के साथ मिलकर अपने धर्म निरपेक्ष स्वरूप को पुनः प्राप्त करे और फासस्टिवाद के खिलाफ लड़े। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि अल्पसंख्यकों ने विश्वास खो दिया है। कोई सामाजिक न्याय सुरक्षा नहीं है।

देश में ध्वंस के बाद के उपद्रवों तथा हिंसा के लिए कौन जिम्मेवार है ? कांग्रेस की नीतियां और फासीस्ट ताकतें जिम्मेवार हैं। हम चार बार प्रधानमन्त्री के पास गए थे। 9 जनवरी 1993 को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दिल्ली में बैठक हुई थी। 6 दिसम्बर के उपद्रवों के बाद उपद्रवों का दूसरा दौर शुरू हुआ था। तब सैयद नक्वी अलिमिया की अध्यक्षता में मुस्लिम सम्प्रदाय के सभी नेता प्रधानमन्त्री के पास गए और मांग की कि इस देश के नागरिकों की हत्या रोकने तथा देश को विनाश से बचाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाए। हमने उनसे उपद्रव प्रभावित क्षेत्रों में सेना की तैनाती, तथा मुम्बई शहर को सेना के हवाले करने का अनुरोध किया। उन्होंने हमसे वादा किया और पूर्ण आश्वासन दिलाया लेकिन कुछ नहीं किया गया। वही बात दोबारा हुई, दूसरे दिन मुस्लिम सम्प्रदाय के अन्य नेताओं के साथ में दोबारा प्रधानमन्त्री से मिला। उन्होंने वैसा ही आश्वासन दिलाया। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर दिल्ली में मौजूद सभी मुस्लिम संसद सदस्य श्री सल्मान खुर्शीद समेत सभी मुस्लिम मंत्री श्री जाफर शरीफ के घर पर एकत्रित हुए और दो मांगें कीं। श्री नाईक को मुख्यमन्त्री पद से बर्खास्त कीजिए चूंकि वे देश के उन नागरिकों की सुरक्षा करने में नाकाम रहे हैं जो मुंबई में थे और मुंबई को सेना के हवाले कर दीजिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस देश के नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है। निर्दोष लोगों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। ध्वंस के बाद के समय में यही सब हुआ। यह हमारा अनुभव है। यह सुनी-सुनाई बात नहीं है बल्कि सच्चाई है। मेरा मन दुःखी है।

मैं चाहता हूं कि फासीस्टवादी ताकतों के विरुद्ध लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी एक सुरक्षा बल के रूप में आगे आए। श्री चार्ल्स जैसे धर्म निरपेक्ष लोग यहां हैं। लेकिन उनके बारे में क्या होगा जो मस्जिद को गिराए जाने के लिए उत्तरदायी हैं ?

अल्पसंख्यक यहां हैं। भारत एक बहु-धर्मी विभिन्न संस्कृतियों, अनेक गतियों वाला देश है सभी को मिलकर सौहार्द से रहना है लेकिन अपनी पहचान बनाए रखकर। संकट के समय में हम सबको एक साथ चलना होगा। यह केवल विविधता में एकता है। आप एक धर्म को नष्ट नहीं कर सकते, आप एक भाषा या संस्कृति या जाति को समाप्त नहीं कर सकते हैं। यह संभव नहीं है। हम सभी को सौहार्दपूर्ण, मिलजुलकर, सद्भावपूर्ण ढंग से, समझदारी तथा धर्म के साथ मिलकर रहना है। हमें ऐसे भारत का पुनः निर्माण करना है। लेकिन यहां क्या हो रहा है। फासीस्ट ताकतें अल्पसंख्यकों को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। अब फिर से वे हमें हमारे मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं। दिल्ली, असम और बंगाल में मतदाता सूचियों में लाखों नाम हटा दिए गए हैं।

बंगाली हिन्दू और बंगाली मुसलमानों को घुसपैठिये कहा जाता है। जिन लोगों को वे चाहते हैं आते हैं। वे शरणार्थी हैं। यह भेदभाव है। यदि उनकी पसंद के लोग आते हैं तो उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। यह सब बंगलादेशियों के नाम से किया जाता है। ये लोग सदियों पहले यहां आए हैं। उन्होंने वनों को साफ किया और भूमि को जोता··· (व्यवधान) अब उनको बाहर करने या उनके मताधिकार को समाप्त करने की मांग की जा रही है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : डेढ़ करोड़ लोग बंगला देश से आए हैं जिनको आप कहते हैं कि वे यहां के हैं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : 100-200 वर्ष पहले अंग्रेजों के राज में आए थे, उन्होंने जंगलों को साफ किया, सांपों को मारा, खेती की और अनाज पैदा किया, आज उनके बच्चे हो गए हैं और अब आप उनको निकालना चाहते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, गैर-मुक्कत की बातें हैं।

[इब्राहीम सुलेमान सेठ (बोनाई) सौ दो सौ साल पहले अंग्रेजों के राज में आए थे उन्होंने जंगलों को साफ किया। सांपों को मारा। खेती की। अनाज पैदा किया। आज उनके बच्चे हो गए हैं और अब आप उनको निकालना चाहते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। गैर मुक्कत की बातें हैं।]

श्री राम नगीना मिश्र : आज ढाई लाख कश्मीर के हिन्दू सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : मैं कहना चाहता हूं—

इकलाख का जलता हुआ घर देख रहा हूं
देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं,

मैं हुकूमत से कहना चाहूंगा कि—

सख्त जानी की दाद दे ऐ दोस्त
जी रहा हूं तेरे जमाने में,

प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं कहना चाहता हूं आज तक इंसाफ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, मस्जिद के शहीद हो जाने के बाद आज तक मुसलमानों के जख्मों पर मरहम नहीं लगाया गया है, उनको कुरेदा गया है और नमक छिड़का गया है, मैं यहां कहना चाहता हूं कि—

की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा
हाय उस जूद पशेमां का पशेमां होना,

[ابراہیم سلیمان سیٹھ : میں کہنا چاہتا ہوں !
اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں
دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں ۔
میں حکومت سے کہنا چاہوں گا ،
سخت جانی کی داد دے اے دوست
جی رہا ہوں قرے زمانے میں
پرائم منسٹر صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں آج تک
انصاف نہیں ہوا ہے کوئی بات نہیں ہے ۔ ہمارے
شہید ہو جانے کے بعد آج تک مسلمانوں کے زخموں پر
مرہم نہیں لگایا ہے ۔ زخم کو کریدا گیا ہے اور نمک چھڑکا
گیا ہے ۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ :-
کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ
حائے اس زود پشیمان کا پشیمان ہونا]

(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : आपके लिए कांग्रेस ने हर काम किया, लेकिन आपने कांग्रेस को अंगूठ दिखा दिया, कांग्रेस ने आपकी बात मानी, सदन की बात नहीं मानी ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ : विश्व में सबसे अधिक आतंकवादी देश यहूदियों के इस्राईल को पूर्ण राजनायिक दर्जा देने के बारे में क्या विचार है ? यदि श्रीमती इंदिरा गांधी या श्री राजीव गांधी जीवित होते तो ऐसा नहीं होता । वे इस्राईल को कभी भी मान्यता नहीं देते । वे चाहते थे कि इस्राईली फिलिस्तीनियों के विरुद्ध आक्रमण बन्द हो और उन क्षेत्र के अरब लोगों के साथ न्याय किया जाए यही आपने अपने कांग्रेस घोषणा पत्र में कहा था । यह कांग्रेस का घोषणा पत्र है—

> "इस क्षेत्र में भारत के बहुत कुछ दाव हैं इसलिए कांग्रेस इस क्षेत्र के देशों के साथ निकट सहयोग से कार्य करेगी जिससे शांति और स्थिरता बनाई रखी जा सके । इस्राईल द्वारा अवधिकृत रूप से कब्जा किए गए अरब क्षेत्रों को खाली करवाना और फिलिस्तिनी देश बनाने सहित पश्चिम एशिया में न्यायिक और निश्चित समझौता करवाना ।"

भूतपूर्व रक्षा मन्त्री तथा महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री श्री शरद पवार ने इस्राईल की यात्रा की है । कृषि के बारे में जानने के लिए हमारे श्री बलराम जाखड़ भी इस्राईल गए । वे भारत की आन्तरिक समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्राईल से सलाह लेना चाहते हैं ।

ये सभी तथ्य सरकार में हमारे विश्वास को झकझोरते हैं और इसलिए हमारे लिए यह संभव नहीं है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो हम इस सभा में सरकार का समर्थन करें । इसलिए

हम कल लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर सकते हैं··· (**व्यवधान**) वी०पी० सिंह सरकार को गिराने के लिए आपने भा०ज०पा का भी साथ दिया था।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, कल मेरे माननीय मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कारगिल परियोजना के बारे में कुछ उल्लेख किया था। मैं उस पर एक वक्तव्य देना चाहूंगा। तथा कुछ अन्य प्रश्नों को स्पष्ट करना चाहूंगा। मुझे यह भी प्रसन्नता है कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने भी यह प्रश्न उठाया था। उन्होंने मुझसे कुछ पूछा था। मैं उनके प्रश्न का भी स्पष्टीकरण देना चाहूंगा क्योंकि वह सभा में इतने लम्बे समय के पश्चात् बोले हैं। उस आधार पर मैं एक वक्तव्य देना चाहूंगा।

कल सभा में अपने भाषण में श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कांडला बन्दरगाह पर अमेरिका की मेसर्स कारगिल की नमक निर्माण परियोजना के सम्बन्ध में कुछ वक्तव्य दिये थे। मैंने अपने मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज का भाषण बहुत ध्यान से सुना। इसका लहजा नाटकीय था; इससे एक अच्छे नाटक का प्रभाव दिखाई नहीं दिया। महोदय, मुझे यह जानकर निराशा हुई कि भारत सरकार के एक भूतपूर्व मन्त्री ने इस सभा को एक तथ्यहीन कहानी सुनने को बाध्य किया। एक तथ्यहीन कहानी जिसको लेखक जानता था कि असत्य है। आज मैं यह कह पाने की स्थिति में नहीं हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मुझे यह प्रतीत होता है कि सत्ता से लम्बे समय तक अनुपस्थिति ने उनमें कुण्ठा पैदा कर दी है जिससे वह इस सभा में वक्तव्य देने में नितान्त गैर-जिम्मेदार हो गये हैं, तथा तथ्यों पर आधारित अपनी राय को व्यक्त करते हैं।

आर्थिक नीति के व्यापक प्रश्न में जाने का मेरा विषय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश टाईटलर, क्या आप वक्तव्य दे रहे हैं ?

श्री जगदीश टाईटलर : हां, मैं वक्तव्य दे रहा हूं।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह स्वप्रेरणा से वक्तव्य है ?

श्री जगदीश टाईटलर : मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं। मैं शत प्रतिशत निर्यात के आधार पर औद्योगिक नमक उत्पादित करने वाली कारगिल परियोजना के केवल सीमित पहलू को ही लेना चाहता हूं। इस समय मैं इस परियोजना के गुण या दोषों पर नहीं जा सकता हूं। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो सीमित मुद्दा उठाया है वह जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा कान्डला पोर्ट ट्रस्ट पर दबाव डाल कर मेसर्स कारगिल को 15,000 एकड़ भूमि आबंटित करना है। मैं न तो कड़े शब्द प्रयोग करना चाहता हूं और न ही उतना नाटकीय होना चाहता हूं जितना श्री जार्ज फर्नान्डीज कल थे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश टाईटलर, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा। सामान्यतया, यदि आपको वक्तव्य देना हो तो इसका मूल-पाठ पहले ही दे दिया जाना चाहिये।

श्री जगदीश टाईटलर : हो सकता है इसमें शब्द बदल गये हों परन्तु वक्तव्य नहीं बदला है। मैं इसको सुनिश्चित करना चाहता हूं। मैं सुनिश्चित करूंगा।

कल श्री जार्ज फर्नान्डीज ने दो बातें कही थीं : कि 25,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे तथा मंत्रालय ने 15,000 एकड़ जमीन दी है। मैंने कहा था कि यदि वह इसे सिद्ध कर सकते हैं तो मैं अपना पद छोड़ने को तैयार हूं। मैं अब भी उसी पर कायम हूं। परन्तु इसके साथ यह शर्त भी है कि यदि वह इन दोनों आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो उन्हें भी पद त्याग करना पड़ेगा। यह उनके ऊपर है वह इसे मानें या न मानें।

मैं दो में से एक बात के बारे में, जो श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कही थी, उल्लेख करना चाहता हूं। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक हलफनामा पेश किया है और मैं उद्धृत करता हूं :

> "कांडला पोर्ट ट्रस्ट को कारगिल प्रस्ताव पर पुन: विचार करने और कारगिल के लिये भूमि आबंटित करने हेतु कोई संकल्प पारित करने से रोकने वाले अन्तरिम न्यायिक आदेश को जारी करने के लिये इस याचिका को स्वीकृत किये जाने, इसकी सुनवाई और अन्तिम निर्णय के होने तक···"

इसका मतलब है वह कह रहे हैं "आबंटित करना"। इसका अर्थ है कि यदि श्री जार्ज फर्नान्डीज को पता होता कि इस कम्पनी को भूमि आबंटित कर दी गई है, तब उन्होंने कहा होता कि जो भूमि कारगिल कम्पनी को दी गई है उसके आबंटन को रद्द करना।

मैं अब उसकी मंजूरी पर आता हूं। मुझे विश्वास है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज को पता है कि विदेशी निवेश को मंजूरी देने से पहले विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड तथा विदेशी निवेश सम्बन्धी कैबिनेट समिति से स्वीकृति लेनी पड़ती है। भूतपूर्व मन्त्री होने के नाते श्री जार्ज फर्नान्डीज को यह अवश्य पता होगा। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी, जो भूतपूर्व प्रधान मन्त्री थे, इसे जानते होंगे। यह स्वीकृतियां सिर्फ 'सैद्धान्तिक' होती हैं। इसका अर्थ किसी को भी जो भी सम्भव हो वह प्रत्येक चीज करने की इजाजत देना नहीं है। ऐसा तो यह कदापि नहीं है। मैं इस बात पर आता हूं। मैं आपको सूचना दूंगा। यह स्वीकृतियां सिर्फ 'सैद्धान्तिक' स्वीकृतियां होती हैं। विदेशी निवेशक को परियोजना के वास्तविक रूप से शुरू करने से पूर्व सभी सम्बद्ध एजेंसियों जैसे पर्यावरण, रक्षा आदि को सन्तुष्ट करना होता है। मेसर्स कारगिल ने इस 15,000 एकड़ भूमि के लिये आवेदन किया था। शुरू में कांडला पोर्ट ट्रस्ट ने मेसर्स कारगिल को सूचित किया था कि उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है। परन्तु जब मेसर्स कारगिल द्वारा मंत्रालय को पुन: अभ्यावेदन दिया गया तब 9 दिसम्बर को कांडला पोर्ट ट्रस्ट ने परियोजना पर विचार किया तथा उन्होंने परियोजना को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने परियोजना को न तो स्वीकार किया और ना ही इसे अस्वीकार किया। इसे अस्वीकृत करने के लिये उन्होंने जो कारण दिया था वह था, 'यह भूमि भविष्य में इसके अपने विकास के लिये कांडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा अधिग्रहीत की जा सकती है, इसलिये हम यह भूमि नहीं दे सकते हैं; नौवहन मार्ग में नमक निर्माण सम्बन्धी क्रियाकलापों के कारण गाद जमने की सम्भावित बढ़ोत्तरी के कारण हम आपको यह भूमि नहीं दे सकते हैं; इस परियोजना से पर्यावरण खराब हो सकता है इसलिये हम आपको भूमि नहीं दे सकते हैं। नमक पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी क्रियाकलाप से उस क्षेत्र की वनस्पतियों पर बुरा प्रभाव पड़ने के कारण हम भूमि की स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। परियोजना की उपयोगिता तथा उसकी संगत आवश्यकता के सम्बन्ध में पर्याप्त औचित्य के अभाव में हम भूमि नहीं दे सकते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सामरिक महत्व के कारण भी हम आपको भूमि नहीं दे सकते हैं। इसलिये उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होने मंत्रालय में आवेदन दिया। हम यहां तक पहुंचे हैं। हमने कांडला पोर्ट ट्रस्ट से प्रस्ताव की फिर से जांच करने के लिये कहा। 9 फरवरी, 1993 को लिखे पत्र में मैंने क्या कहा था। यह फाइल सं० पी०टी० 17011/55/92 पी०टी० से एक उद्धरण है। मैंने कहा था, "जल-विज्ञान सम्बन्धी, पर्यावरणीय, नौवहन सम्बन्धी, सुरक्षा, बन्दरगाह के भविष्य में विकास सहित सभी संगत मुद्दों तथा ऐसी परियोजना के रक्षा से सम्बन्धित पहलू पर भी एक विस्तृत परियोजना

रिपोर्ट तथा अध्ययन तैयार किया जाए। कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व यह अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिये।

मैंने यह भी उल्लेख किया है कि इस प्रकार के किसी विस्तृत अध्ययन से अध्ययन में अत्यधिक खर्चा आयेगा। अतः यह उचित होगा कि परियोजना निवेशक को यह सकारात्मक संकेत दे दिया जाये कि परियोजना के बारे में सरकार के खुले विचार हैं तथा किसी विदेशी मुद्रा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए जिसका अर्थ होगा बोर्ड तथा देश को व्यापार से और अधिक राजस्व की प्राप्ति। इसलिए कान्डला पोर्ट ट्रस्ट को अध्ययन पूरा हो जाने के बाद अपने निर्णय पर पुन विचार की सलाह दी जाए। आज की यह स्थिति है। भूमि नहीं दी गई है। अभी तो केवल एक पत्र दिया गया है कि यह भूमि विशेष दी जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने यह कभी नहीं कहा कि हमारी अनुमति ली जानी चाहिए।

अन्य बात भी जिसका मैं आपसे उल्लेख करूंगा यह है कि यह मुद्दा सलाहकार समिति में भी आया था। विपक्ष के माननीय सदस्य भी वहां थे और सीधे एक प्रश्न पूछा गया था क्योंकि आन्दोलन जारी था। श्री वी०पी० सिंह तथा भूतपूर्व अध्यक्ष ने भी स्थान को देखा था। उन सभी ने कहा था, "भूमि दे दी गई है। हमने अपने देश को बेच दिया है।" कल भी उन्होंने कहा था कि देश की गोपनीय बातें बाहर पहुंच गई हैं क्योंकि फोटोग्राफ लिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह फोटोग्राफ हमारे उपग्रह द्वारा लिए गए हैं। यह बाजार में 25 रु० में मिल रहे हैं तथा पता भी हैदराबाद का दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जाकर इन्हें ले सकता है। ये वही स्थान हैं जहां नमक बनाया जा सकता है। यहां तक कि कांडला पोर्ट ट्रस्ट के फोटोग्राफ्स भी वहां हैं। यह गुप्त तथ्य नहीं है कि हम देश की सुरक्षा अथवा रक्षा के साथ समझौता करने जा रहे हैं। मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूं। कल्पना कीजिए वह सभी शर्तें पूरी करते हैं, यदि कोई परियोजना विशेष देश में आती है तो इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। 25000 व्यक्ति कैसे तथा कहां बेरोजगार हो जाएंगे ? मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूं। यहां तक कि यदि उनका प्रस्ताव आस्ट्रेलिया में होता, तथा वह 20 व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, आप इसे इसी तरह लें। यदि वह 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला नमक तैयार करने जा रहे हैं तथा वे शत प्रतिशत निर्यात करने जा रहे हैं तो वे अन्य नमक निर्माताओं पर अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं।

और एक रोचक बात यह है कि एक भी नमक श्रमिक ने इसका विरोध नहीं किया है। अन्यथा यह परियोजना सफल हो जाएगी।

मैं समझता हूं कि वेतन बार भी उन्हें विदेशी कम्पनियों के साथ मुकाबला करना होगा और संभव है कि भविष्य में, सैकड़ों, हजारों या लाखों कामगारों को जो कि बहुत कम राशि प्राप्त कर रहे हैं, बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। इसलिये पहली बात तो यह है कि भूमि देने का प्रश्न नहीं उठता। हमने न उन्हें भूमि दी है और न ही हमने लिखित रूप में यह दिया है कि उन्हें भूमि दी जाएगी। हमने कहा है, मंत्रालय ने कहा है कि हमारी परियोजना रिपोर्ट तैयार होगी और रक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति के लिये और पत्तन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और सब बातों के पूरा होने के बाद और यदि बोर्ड इसे 100 प्रतिशत निर्यात यूनिट के अनुसार देने का निर्णय करता है तो मैं समझता हूं कि हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इस समय जो स्थिति है उसके अनुसार कोई भूमि नहीं दी गई है। मैं यह स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, यह नियम है। यह तो भाषण हो गया, स्टेटमेंट नहीं हो गया। रैस्पोंसिबिलिटी, इरैस्पोंसिबिलिटी की बड़ी चर्चा इस मंत्री ने की। इसकी जिम्मेदारियां और इनकी रैस्पोंसिबिलिटी किसकी है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। मन्त्री जी ने सबसे पहले वह वाक्य पढ़ा, जो अदालत में रिट मैंने फाइल की है और अदालत ने स्टे दिया है और उसी प्रार्थना पर, जिस प्रार्थना को मन्त्री जी ने यहां पर पढ़ दिया तो मैंने अदालत में और समूचे देश में और केवल देश में ही नहीं, समूची दुनिया में इसके खिलाफ आवाज उठाई है तो उसमें हमने यही बातें बताई हैं जो मन्त्री जी ने यहां पर बताई हैं। फर्क इतना ही है कि इनकी तरफ से इनके जिस कांडला पोर्ट ट्रस्ट के जरिये, जिनको इस काम को करना है, उनको लिखित पत्र दिया, मुझे खुशी है कि इन्होंने कहा कि 9 तारीख को पत्र इनको लिखा है, जबकि पत्र 11 फरवरी का है, 9 का नहीं है, मेरे पास पत्र की प्रतिलिपि है···

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : इस पर 9 तारीख थी और इसे 11 तारीख को मंत्रालय में भेजा था। मैंने मन्त्रालय को एक नोट लिखा था। मुझे खेद है कि मुझे सचिव का नोट भी पढ़ना चाहिये था।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह पत्र डायरेक्टर पोर्ट आर०एन० वर्मा ने लिखा है। मुझे नहीं मालूम कि मन्त्री पत्र लिखता है और डायरेक्टर पोर्ट या डिप्टी सैक्रेट्री उस पर दस्तखत करते हैं। मुझे नहीं मालूम था, यह नया मन्त्रालय, नई जिम्मेदारियां किस तरह से चलाते हैं, यह मैं नहीं जानता था कि मन्त्री पत्र लिखता है और डायरेक्टर पोर्ट दस्तखत करके उसको भेजता है। फाइल में इनका 9 तारीख का है और यह पत्र 11 तारीख का है। इस पत्र के कुछ चुने हिस्से उन्होंने पढ़े। यह पत्र शुरू होता है :

भारत सरकार

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय

(पत्तन स्कन्ध)

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1993

सं० पी०टी०-17011/55/92-पी०टी०

सेवा में,

अध्यक्ष

कांडला पत्तन न्यास,

गांधीधाम।

विषय—कांडला पत्तन में नमक परियोजना के लिये भूमि आबंटन हेतु कारविल प्रस्ताव।

मुझे बुधवार, 9 दिसम्बर, 1992 को हुई कांडला पत्तन न्यास बोर्ड की विशेष बैठक (1992-93 की बैठक सं० 5) के कार्यवाही सारांश के संकल्प सं० 66, जिसमें कांडला पत्तन न्यास की भूमि पर नमक परियोजना की स्थापना के लिए मेसर्स कारगिल साउथ ईस्ट एशिया लि० का प्रस्ताव रद्द किया गया, का उल्लेख करने और इस मामले में सरकार की निम्नलिखित सलाह को बताने का निदेश हुआ है :—

उदारीकरण की सरकार की नीति और विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन देने के मामले में भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (ए०आई०पी०बी) को उपर्युक्त परियोजना के लिए स्वीकृति दी है।"

श्री जगदीश टाईटलर : स्वीकृति परियोजना के लिए दी गई थी और भूमि के लिए नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कोई परियोजना आकाश में नहीं हो सकती। महोदय, कोई भी परियोजना भूमि पर ही होगी। मैं नहीं जानता कि यह मन्त्री महोदय कहेंगे कि उनके पास एक परियोजना है जो आकाश में उड़ रही है।

[हिन्दी]

क्या मजाक सदन के साथ करते हो, क्या मजाक देश के साथ करते हो। अगर इनकी नीयत ठीक है तो यह एक वाक्य का बयान दें, सिर्फ एक वाक्य का कि कारगिल को जमीन नहीं दी जाएगी। मगर फिर क्या बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ? परियोजना परियोजना है। वह शत-प्रतिशत एक परियोजना है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मन्त्री महोदय, परियोजना कहां स्थापित की जाएगी ?

[हिन्दी]

क्यों बेवकूफ बनाते हो। इसके साथ यह जो खिलवाड़ है, यह इतना हुआ है, इतने लोग इसमें फंसे हुए हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है और यह अपने को शब्दों के खेल खेलकर बचा लेंगे ?

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : कोई परियोजना भूमि के बिना कैसे हो सकती है ?

श्री जगदीश टाईटलर : वह मन्त्री हैं और वह इस बारे में जानते हैं। क्या वह विशेष रूप से कह सकते हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने किसी परियोजना के लिए स्वीकृति नहीं दी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपने परियोजना को कैसे स्वीकृति दी है ? आपने कहा है कि कोई भूमि नहीं दी गई है। जब परियोजना को स्वीकृति दी गई है तो परियोजना कहां बनेगी ? क्या वह यमुना पर बनेगी ?

[हिन्दी]

प्रोजेक्ट यमुना के पानी के ऊपर बनेगा ?

श्री जगदीश टाईटलर : हर महीने 10-15 प्रोजेक्ट किल्यर होते हैं। प्रोजैक्ट का मतलब है कि 5 मिनट में सब कुछ कह दिया। कहां हमारा कांडला पोर्ट ट्रस्ट है, समझते हो नहीं और तबाहा कर के टेढ़ा-मेढ़ा करके वहां पर लोगों को बेवकूफ बनाया। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका तर्क यह है कि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि कोई भूमि नहीं दी गई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि भूमि दी गई है। उन्होंने स्वयं मेरा नोट पढ़ा है।

श्री जगदीश टाईटलर : आप अपना भाषण पूरा पढ़िए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण यहां है। पिछले तीन महीने से हम इस लड़ाई में हैं और अदालत में मामला पेश किया है। मेरी बात रिकार्ड में है। इनकी आवाज से मेरी आवाज नहीं बदलेगी। मेरा विचार नहीं बदलेगा।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कोई भूमि नहीं दी गई है। उनकी एक मात्र शिकायत यह है कि भूमि दी गई है। (**व्यवधान**)

श्री मणिशंकर अय्यर : मुझे याद है कि और मैंने सुना है कि श्री फर्नान्डीज ने दावा किया है कि भूमि आबंटित की गई है। वह अपने कथन से मुकरने की कोशिश कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री जगदीश टाईटलर : प्रतिदिन हजारों परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। सैकड़ों विदेशी परियोजनाएं इस देश में आ रही हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। लोग करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं को ला रहे हैं। पांच या छः परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। एक परियोजना रक्षा के बारे में और एक विद्युत के बारे में स्वीकृत की गई है। इसका यह अर्थ नहीं है कि भूमि दी गई है। कोयला खानें दी गई हैं। उनको इस देश की प्रक्रिया को देखना होगा। वह मन्त्री रहे हैं और वह यह जानते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं अब जल भूतल परिवहन मन्त्रालय के पत्र के पहुंचने के बाद कांडला पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र को पढ़ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री महोदय ने सभा में ही कहा है कि भूमि नहीं दी गई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने यह नहीं कहा है कि भूमि दी गई है।

श्री जगदीश टाईटलर : हम चाहते हैं कि प्रेस को यह सुनना चाहिए। सारी बात तो यह है कि सरकार ने भूमि दी है।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। कोई भी सदस्य और यहां तक कि मन्त्री भी सभा में बोलते समय प्रेस का उल्लेख नहीं कर सकता है। किसी सदस्य द्वारा प्रेस को कोई उल्लेख नहीं किया जा सकता। हमें नियमों के अनुसार कार्य करना होगा। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप कितने प्रोजेक्ट्स क्लीयर करते हैं, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है।

श्री जगदीश टाईटलर : मतलब होना चाहिए। आपने गरीब लोगों को*··· बोला है वहां पर। ···(**व्यवधान**)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मुझे कुछ शंका है। मैं कुछ समय के लिये सभा में नहीं था। मैं जानना चाहूंगा कि अध्यक्ष पीठ ने बोलने के लिए किसका नाम पुकारा है। क्योंकि पीठासीन अधिकारी के नाम पुकारे बिना ही भाषण चलते जा रहे हैं। यदि सभा इसी तरह चलती है तो व्यवस्था कैसे हो सकती है। (**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : महोदय, मेरे व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार्य है।

[**हिन्दी**]

श्री जगदीश टाईटलर : वहां पर जो 15 रुपये कमा रहा है, उसको 60 रुपये देने की बात है।···(**व्यवधान**)···

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर है। अभी माननीय मन्त्री जी, टाईटलर जी ने कहा है, वहां पर ये···बोल रहे हैं।···तो असंसदीय है, इसे तो पहले निकालिए और इन्होंने एलीगेशन लगाया है, 15 रुपये और 60 रुपये देकर लोगों को खड़ा किया जा रहा है··· (**व्यवधान**)···

श्री जगदीश टाईटलर : इन्होंने सुना नहीं है। मैंने कहा है, अगर यहां कम्पनी आ जाए, जो मजदूर नमक बनाते हैं, जिनको 20 रुपये और 60 रुपये मिलते हैं, हो सकता है कि बाहर की कम्पनी उनको 60 रुपए दे। इससे हजारों मजदूरों को फायदा होगा। यह हमने बोला है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमारे आदमी पन्द्रह रुपया देते हैं और विदेशी आकर 60 रुपए देंगे। इसीलिए आप विदेशियों को लायेंगे···(**व्यवधान**)···इनका इरादा तो खुला हो गया यहां पर··· (**व्यवधान**)···

[**अनुवाद**]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुनी जाये। चूंकि मेरे बारे में बात हुई है तो क्या मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज से निवेदन कर सकता हूं कि वे मेरी बात सुनें। अध्यक्षपीठ ने मेरा जिक्र किया है।

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : संसद मेरी बात अवश्य सुने। (**व्यवधान**)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आपकी बात सुनी जाएगी। परन्तु कृपया हमें एक मौका दीजिए। क्या सभा की कार्यवाही चलाने का यही तरीका है ? क्या हमारे स्वयं व्यवहार करने का यही तरीका है ? (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : परन्तु आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। (**व्यवधान**)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं। क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? महोदय, यह सही नहीं है। (**व्यवधान**) सभा के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उन्हें सभी तौर तरीकों को जानना चाहिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में मैं एक निर्णय देता हूं।

(**व्यवधान**)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, सभा के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते वे यह तरीका नहीं अपना सकते हैं कि जब चाहें, जो चाहें और जहां चाहें बोल सकते हैं। तो सभा अध्यक्षपीठ द्वारा मुझसे बोलने को नहीं कहना चाहिए था। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मन्त्री महोदय, क्या आप उन्होंने सभा में जो कहा उस पर ध्यान देंगे। (**व्यवधान**)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैंने मन्त्री महोदय को भी बताया है। कृपया बैठ जाएं। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप मुझे अनुशासन सिखा रहे हैं ; (**व्यवधान**)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं। क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं ? मैं आपको अनुशासन नहीं सिखा रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। (**व्यवधान**) सभा में अनुशासन भी कुछ होता है। (**व्यवधान**) मैं अध्यक्षपीठ से कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आप माननीय सदस्य से अपना स्थान ग्रहण करने को कहें। मेरा एक निवेदन है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज आपको बोलने का मौका मिलेगा।

(**व्यवधान**)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस मामले पर सदस्यों की भावनाएं उद्वेलित हैं। यह बात नहीं है कि इस मामले को कम महत्व दिया जा रहा है, मन्त्री महोदय ने एक विचार व्यक्त किया है, ठीक है। माननीय सदस्य, अपने ढंग से उत्तर देना चाहते हैं; वह नियमों के अनुसार प्रक्रिया और समय का ध्यान रखें। कुछ अन्य सदस्यों से बोलने को कहा गया है। क्या मैं केवल एक निवेदन कर सकता हूं ? यह चर्चा पिछले दो दिनों से बहुत अच्छी तरह चल रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम किसी प्रकार का अंकुश लगाने की कोशिश करें और उसे अपनाएं ताकि जो कुछ भी वह कहना चाहते हैं वह

कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जा सके और सारी बातें सुनी जाएं और कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके। वर्ना चर्चा का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। चर्चा बेकार हो जाएगी और दोनों में से किसी भी पक्ष को कोई फायदा नहीं होगा। हमारा वाद-विवाद संसदीय होना चाहिए। केवल यही मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज आपका उद्देश्य यही है। आप जानना चाहते हैं कि क्या कंपनी को भूमि दी गई या नहीं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी, नहीं। मैंने यह कभी नहीं पूछा कि क्या कंपनी को भूमि दी गई या नहीं। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : मुझे खुशी है कि अब वे इस प्रकार कह रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक श्योरे का सवाल है आज आखिरी दिन नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी, नहीं, यह बात नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसके बारे में यहां एक वक्तव्य दिया गया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज, वे इसको आपकी जानकारी में ले आये हैं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : परन्तु, उन्होंने कहा है कि मैं देश को असत्य बताता रहा हूं। उन्होंने जो कहा उसका सार यही है। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : परन्तु आपने। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह शब्द बदला जा सकता है। मन्त्री महोदय ने यह बात सभा के लिये कही है। मान लें यदि आपको कुछ शंका है तो आप इसे किसी दूसरे रूप में ला सकते हैं। हमारे पास काफी दिन हैं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जब वक्तव्य दिया गया है तो मुझे इसका उत्तर देना होगा। मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यदि आप कुछ कहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए तो उसके लिए एक प्रक्रिया है। आप इसे सभा में उठा सकते हैं और नियमों के अनुसार

अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं केवल अपनी स्थिति स्पष्ट करूंगा। (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल होने दीजिये। वे जो कुछ भी कहना चाहते हैं, उन्हें कहने दीजिये। हम इसे बाद में देख लेंगे। यदि इसमें कोई भिन्नता वाली बात हुई तो मैं समझता हूं कि यह विशेषाधिकार का मामला होगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें भी उनकी बात सुनने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यदि अब वे जो कह रहे हैं और तब उन्होंने जो कहा था उसमें कोई भिन्नता है, तो मैं विशेषाधिकार का मामला उठाऊंगा। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने कहा था कि भारत सरकार ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया था। यह पत्तन न्यास के पास गया था। पत्तन न्यास ने वह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया था। यह न्यायालय के समक्ष दिये गये मेरे बयान का हिस्सा है। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : लोगों के सामने दिया गया बयान क्या है ? (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैं इसमें सुधार के लिए तैयार हूं। वास्तव में माननीय सदस्य वह नहीं बता रहे हैं जिसे वह सच मानते थे। इस बारे में मुझे बहुत विश्वास है। मैं जानना चाहता हूं। हमें अभिलेखों की पुनः जांच करनी चाहिए। तब उन्होंने जो कुछ कहा था वह था कि पहले पत्तन न्यास ने अस्वीकार किया; तब सरकार ने अपनी स्वीकृति दी और तत्पश्चात भूमि दी गई अथवा नहीं दी गई। जब उन्होंने यह कहा था उस समय वहां मैं मौजूद था। मैं इस बात की जिम्मेवारी लेता हूं। (व्यवधान) मैं बात की जिम्मेवारी लेता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या न्यायालय के समक्ष यही विषय वस्तु है ?

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने एक याचिका दायर की है और मैंने भारत सरकार के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मामला न्यायालय में होने के कारण निर्णयाधीन है। इस मामले पर यहां सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा; अन्य कोई भी मामला नहीं उठाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : वह कहते हैं कि भूमि के निरस्तीकरण पर स्थगन आदेश ? उनको कहने दीजिए। मैं चाहता हूं कि समस्त देश के लोग जानें। बी०बी०सी० ने उनका उद्धरण दिया था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें विषय से भटकना नहीं चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : एक इंच भी भूमि नहीं बेची गई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपने तो देश को बेच दिया है। (व्यवधान) मेरा आरोप है कि देश को बेच दिया गया है। (व्यवधान) आप एक इंच भी जमीन नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान) मेरे पास आपके खिलाफ न्यायालय का स्थगन आदेश है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मामला न्यायालय के समक्ष लम्बित है। इसलिए, इस सभा को यह अधिकार नहीं है कि वह ऐसे मामले पर चर्चा करे, जो न्यायालय में लम्बित पड़ा हो। यह न्यायालय में विचाराधीन है।

मेरी व्यवस्था यह है कि इस मामले पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री नारायणन को बुलाता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज, आपने सभा को विवरण दे दिया है। मामला न्यायालय में लम्बित है। यदि आपने पहले बता दिया होता कि मामला न्यायालय के सम्मुख है, तो मेरी समझ में कोई भी व्यक्ति अपनी राय प्रकट नहीं करता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : परन्तु इससे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है।

यहां एक वक्तव्य दिया गया है। आप मुझे कुछ बताने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं, नम्बर एक उस पत्र के बारे में है जिससे मंत्रालय सम्बद्ध है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलत नहीं किया गया।

नम्बर दो यह है कि कान्डला पत्तन न्यास ने, जो जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के अधीन है, कच्छ के गांधीधाम के जिला जज के न्यायालय में दायर की गई याचिका के जवाब में न्यायालय में एक शपथ पत्र दाखिल किया था जिस पर न्यायालय ने 19 फरवरी को स्थगन आदेश दिया था जिसके आधार पर कान्डला पत्तन न्यास 20 फरवरी को अपनी बैठक नहीं कर सका और इस सरकार के निदेशों के अनुसार भूमि आबंटित नहीं कर सका।

श्री जगदीश टाईटलर : क्या भूमि दे दी गई है ? (**व्यवधान**) यहां दिए गए पहले के भाषण के अनुसार, इस पत्तन न्यास के फाटक पर आप खड़े हुए थे तथा मालाएं डाली थीं। और आपने कहा था।

[**हिन्दी**]

देश बेच दिया, जमीन बेच दी, तुम्हारे घर लुट गए, कहां लुट गए ? कहां देश बेच दिया ? (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : कल्पना कीजिए कि यदि प्रारम्भ में ही किसी माननीय सदस्य ने यह बात सभा के ध्यान में ला दी होती कि यह मामला न्यायालय में लम्बित है, तो संभवत: किसी को भी इस विषय विशेष पर बोलने का अधिकार नहीं होता। इसे न्याय-निर्णयाधीन ही माना जाता। परन्तु दुर्भाग्यवश, हाल में यह बात इस सभा के ध्यान में लाई गई कि मामला न्यायालय में लम्बित है।

(**व्यवधान**)

श्री जगदीश टाईटलर : उन्होंने इसे उठाया। श्री वी०पी० सिंह ने इसे उठाया। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग दें।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक विशेष मुद्दे पर उत्तेजित हैं। यदि आप इस सभा के ध्यान में बहुत से दस्तावेज लाना चाहते हैं तथा चाहते हैं कि उनको सभा में लिया जाए और उस पर बारीकी से चर्चा हो, तो आप ऐसा नियमों के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

परन्तु इस समय मेरा अनुरोध है कि अन्य सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का अवसर दें।

(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसलिए आप इस सभा की एक समिति नियुक्त कर दीजिए। मैं सभी दस्तावेज पेश कर दूंगा। (**व्यवधान**) मन्त्री जी इस सभा की एक समिति के लिए सहमत हों।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री नारायणन को बुलाया था।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इसको कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

07.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तथा अधिकांश वरिष्ठ सदस्य बोल चुके हैं। यदि आप सभी सहमत हों तो हम आधा या पौना घंटा और बैठ सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब श्री नारायणन बोलेंगे। हम सिर्फ एक मिनट और बैठेंगे और तब हम बैठक समाप्त कर देंगे।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपलायम) : महोदय, मैं श्री अजय मुखोपाध्याय द्वारा पेश किए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय वह हमारे दल के एक सदस्य से कह रहे हैं, "क्या आप मद्रास आ सकते हैं ?" क्या वह हमें धमकी देना चाहते हैं ? कल्पना कीजिए यदि हम भी यही बात कहें, तो क्या वह यहां बैठ सकेंगे ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। श्री नारायण खड़े हुए हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : चूंकि यह विशेषाधिकार का मामला है, मैं इस पर आपका विनिर्णय चाहता हूं। उनको ऐसी बात कहने का साहस नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री पी०जी० नारायणन : हमारे समर्थन के बल पर ही आप यहां बैठे हुए हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : यह आपकी ओर से शर्मनाक विश्वासघात है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नारायणन बोल रहे हैं और वह कल चर्चा शुरू करेंगे। सभा कल 11.00 बजे पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

07.02 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 28 जुलाई, 1993/6 श्रावण, 1915 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौहान प्रिंटिंग प्रेस, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-53